सप्तम माला, 8 July 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 22, मंगलवार, 8 जुलाई, 1980/17 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		3—20
*तारांकित प्रश्न संख्या	428, 429, 431, 432, 434, 435, 437 और 438	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	20—181
तारांकित प्रश्न संख्या	430, 433, 436, 439 से 448 और 337	20—36
अतारांकित प्रश्न संख्या	3307 से 3446 और 3448 से 3480	36—181
बागपत की घटना के बारे में लोक सभा में हुई कार्यवाही का जालन्धर के उर्दू समाचार पत्र द्वारा कथित गलत विवरण प्रकाशित किया जाना		181—182
स्थगन प्रस्ताव के बारे में		182—188
दुर्बल वर्गों के स्त्री-पुरुषों के जीवन और सम्मान की रक्षा करने में सरकार की असफलता		
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	188—190
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		190—268
दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करने का समाचार		
—श्री के० लकप्पा	...	191—196
—श्री बी० शंकरानन्द	...	196—198
—श्री मूल चन्द डागा	...	198—200
—श्री रामावतार शास्त्री	...	200—205
नियम 377 के अधीन मामले	...	205—208
(एक) मध्य प्रदेश के कुछ नगरों में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा सम्बन्धी समाचार		
—श्री सत्यनारायण जाटिया		205

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(दो)	नीलांचल सुपर फास्ट गाड़ी के देर से चलने का समाचार —श्री बृजमोहन महंती ...	205
(तीन)	दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल का समाचार —श्री रामावतार शास्त्री ...	205 – 206
(चार)	राजस्थान के बाड़मेर जिले में सीमेंट की तत्काल सप्लाई करने की आवश्यकता —श्री वृद्धि चन्द्र जैन ...	206
(पांच)	विदेशी जहाजों द्वारा चोरी से मछलियों को पकड़ने से भारतीय मछुओं की रक्षा —श्री के० टी० कोसलराम ...	206— 207
(छः)	बिहार के किशनगंज नगर में जी० आर० पी० द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किये जाने का समाचार —श्री डी० एल० बैठा ...	207— 208
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1980-81 विदेश मंत्रालय		208 —268
	—श्री एडुआर्डो फैलीरो	208—215
	—श्री माधवराव सिन्धिया	215—219
	—श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	219—225
	—श्री शिवराज वी० पाटिल	225—228
	—श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	228—232
	—श्री यशवंत राव चव्हाण	233—240
	—श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	240—244
	—श्री एम० सत्यनारायण राव	244—252
	—श्री इन्द्रजीत गुप्त	252—260
	—श्री अजीत सिंह दामी	260—264
	—श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर	264—268
	—श्री चित्त बसु	268
आधे घण्टे की चर्चा के बारे में		268

लोक सभा

मंगलवार, 8 जुलाई, 1980/17 आषाढ़, 1902 (शक).

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 428 :

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने नियम के निलम्बन के लिये सूचना दी थी कि·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर अपनी सहमति नहीं दी है·····

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं हैं·····मैं किसी बात की अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपया बैठ जाइये·····

(व्यवधान)

यह दोनों तरफ लागू होता है एक तरफ लागू नहीं होता है । (व्यवधान)·····आप मानेंगे तो वे भी मानेंगे····· आप नहीं मान रहे हैं फिर आप उनको कैसे कह रहे हैं·····आप बैठ जाइये । (व्यवधान) प्लीज बैठ जाइये ।·····आप सारे लोग बैठ जाइये·····आप बैठिये··· वे भी बैठ जाते हैं । (व्यवधान)·····आप कहां मान रहे हैं । (व्यवधान) मैं खड़ा हूं फिर भी आप नहीं मान रहे हैं·····देखिये मेरी बात सुनिये, दोनों तरफ से बात बराबर चली है । यह अच्छी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

कृपया आप बैठ जाइये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कभी इन नियमों का अध्ययन किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी है । चूंकि वह आग्रह कर रहे हैं, सभी आग्रह करने लगते हैं·····नहीं·····ऐसे नहीं चलेगा·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह अस्वीकार कर दिया है। ऐसा नहीं चलेगा। मैंने आपको इसकी अभी अनुमति नहीं दी है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन में इस प्रकार कार्यवाही नहीं चल सकती है। यह आपका सदन है और आपको इस सम्बन्ध में सचेत रहना चाहिये। आपको अपना दायित्व निभाना चाहिये। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया निर्णय करने का कार्य आप मुझ पर छोड़ें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिये। क्या आप शान्त नहीं रह सकते हैं। कृपया शान्त हो जाइये।

इस सदन में आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस सदन की कार्यवाही कुछ नियमों और दृष्टान्तों के अनुसार ही चलानी होगी। श्री दीनेन भट्टाचार्य, आप मेरी बात नहीं सुनते हैं·····नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान) इस सदन को कुछ नियमों और प्रक्रिया के अनुसार चलाना होगा। (व्यवधान) श्री बसु, आप पुनः वैसा ही कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं इस प्रकार धमकी में आने वाला नहीं हूं। (व्यवधान) मैं केवल नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं इस सदन की कार्यवाही अच्छे से अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास कर रहा हूं। किन्तु यदि आप उसमें सहायता नहीं देंगे और मेरे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ? आपको यह याद रखना चाहिए कि आपका भी कुछ दायित्व है। आप किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं किन्तु यह सब नियमों के अनुसार ही होगा। मैं नियमों के अन्तर्गत सभी बातों की अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

हमें उसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। आप उन पर दोष नहीं लगा सकते। मैं उन सब को दोष देता हूं जो मेरे रास्ते में बाधा उपस्थित करते हैं, यह हम सब का संयुक्त दायित्व है आपको इसे निभाना चाहिए। (व्यवधान) यदि मैं किसी को बोलने की अनुमति देता हूं तो तभी ही वह बोल सकेगा, वरना उसे नहीं बोलने दिया जायेगा। (व्यवधान) मैं इसकी स्वीकृति नहीं देता हूं हाँ, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ···· (व्यवधान) नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न-काल में व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता हूं। प्रश्न काल में व्यवस्था के प्रश्न का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नियमों का निलम्बन : नियम 388 में कहा गया है "कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाऐ तो वह प्रासांगिक नियम

उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा। मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है। अतः उसका प्रश्न ही नहीं उठता·····

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपने उसे पढ़ा है ? हम सभा को स्थगित करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं·····नहीं·····प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता है। (व्यवधान) आप ऐसा करने का प्रयास क्यों कर रहे हो ? मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। (व्यवधान) नहीं·····नहीं·····प्रश्न काल में ऐसा नहीं होगा, इस समय इसकी अनुमति नहीं है। अब आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। हाँ, श्रीमती राम दुलारी सिन्हा····· (व्यवधान) यदि आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है ? (व्यवधान) मैं आप जैसे सांसद से इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं करता। (व्यवधान) मैं इस पर सदन में अनेक बार चर्चा कर चुका हूं (व्यवधान) श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ·····(व्यवधान)····· इसकी स्वीकृति नहीं है, श्री जैन।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बाड़मेर में एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

*428. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सीमावर्ती जिले बाड़मेर तथा जैसलमेर के लोगों के लाभ के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय के बाड़मेर शहर में एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है; और यदि हां, तो कब से विचाराधीन है; और

(ख) इस प्रस्ताव पर निर्णय कब तक ले लिया जाएगा और केन्द्र की स्थापना का कार्य आरंभ कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव पर 5वीं योजना के प्रस्तावों तथा 1980-85 की अवधि की योजना के प्रस्तावों को तैयार करते समय विचार किया गया था। तथापि, संसाधनों के अभाव और सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण दोनों अवसरों पर उक्त प्रस्ताव को छोड़ देना पड़ा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : बाड़मेर तथा जैसलमेर के लोगों के लिए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का पांचवीं योजना में प्रोपोजल था लेकिन उसे ड्राप कर दिया गया। छठी योजना में भी यह प्रोपोजल था और उसको भी ड्राप कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले जो पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती तथा पिछड़े हुए जिले हैं और बहुत ही विस्तृत हैं और जो हरियाणा प्रान्त तथा केरल प्रान्त से भी बड़े हैं उनकी इस प्रकार से कब तक घोर उपेक्षा होती रहेगी ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैंने जवाब दिया है कि पांचवीं योजना में और छठी योजना को तैयार करते समय इन दोनों जिलों के लिए आकाशवाणी का केन्द्र खोलने का विचार किया गया था लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहती हूं कि 1971 के सेंसस के मुताबिक बाड़मेर की जन संख्या कुल 39 हजार थी और जैसलमेर की 19 हजार, इसलिए यहां पर आकाशवाणी का केन्द्र खोलना फीजिबल मालूम नहीं होता।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : बाड़मेर के टाउन की संख्या 50 हजार से अधिक अभी हो गई है। इन क्षेत्रों जयपुर, जोधपुर और दिल्ली के स्टेशनों की आवाज बिल्कुल धीमी पहुंचती है और जब आंधी आती है तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचती है। युद्ध के समय में तो स्थिति और भी खराब होती है, पाकिस्तान की आवाज अधिक आती है, यहां की नहीं पहुंचती है। ऐसी स्थिति में जब कि यह हरियाणा और केरल से भी बड़ा क्षेत्र है तो इसकी अवहेलना सिर्फ फंड की कमी की वजह से क्यों की जाती है ? क्या फंडज की कमी की वजह से सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही डिफिकल्टी आयेगी, क्या हमारा क्षेत्र किसी भी तरह से विकसित नहीं हो सकेगा ? हम चाहते हैं कि पहले बाड़मेर को ले लीजिये, फिर जैसलमेर को ले लीजिये। पहले ही जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, अब कांग्रेस (आई) की सरकार भी वहां कुछ काम क्यों नहीं करना चाहती है ? आप हमारे विकास को क्यों अवरुद्ध करना चाहते हैं ?

श्री राम दुलारी सिन्हा : वहां चार वार्डर डिस्ट्रिक्ट हैं--बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। तो बीकानेर में आलरेडी रेडियो स्टेशन चालू है। गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में तुरन्त ही आकाशवाणी का केन्द्र कमीशन्ड होने वाला है। जैसलमेर और बाड़मेर का जहां तक सवाल है तो इसका ईस्टर्न पार्ट जोधपुर के केन्द्र से कवर्ड हो जाता है। जहां तक पूरे क्षेत्र कवर्ड होने का सवाल है :

"जयपुर में 50-किलोवाट शौर्ट वेव ट्रांसमीटर की स्थापना का एक प्रस्ताव 1980-85 के लिये संशोधित छठी योजना में सम्मिलित किया गया था। इस ट्रांसमीटर से समूचे राजस्थान राज्य में जिसमें, राज्य के सीमावर्ती जिले भी हैं, दिन-रात दूसरे दर्जे की सेवा मिल सकेगी। किन्तु इस योजना का कार्यान्वयन अन्तिम स्वीकृति और संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। यह सब इम्पलीमैंट होने के बाद मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य की जो मंशा है, उनकी पूर्ति हो जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : आकाशवाणी केन्द्र खोलने के क्या आधार हैं ? आपने जो उत्तर दिया है, उसमें आपने यह मालूम किया है कि बाड़मेर की सीमा कितनी है। वह सीमा केरल और हरयाणा से भी अधिक है और सीमावर्ती इलाका होने व पाकिस्तान का वार्डर होने के कारण इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक साधन ही नहीं और भी कारणों से आप रेडियो स्टेशन स्थापित करते हैं। उन कारणों को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं खोलना चाहते हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैंने पहले ही बताया कि जयपुर का जो 50 --किलोवाट का ट्रांसमीटर चालू हो जायेगा तो तमाम वार्डर एरिया कवर हो जाते हैं। इसलिये सवाल नहीं उठता है कि बाड़मेर और जैसलमेर में ही रेडियो स्टेशन खोला जाये। क्योंकि आलरेडी जो चार डिस्ट्रिक्ट वार्डर स्टेट के हैं, उसमें गंगानगर जिले के सूरतगढ़ अभी कन्डीशन्ड होने जा रहा है, बीका-

नेर में पहले से है। "इसके अतिरिक्त छठी योजना में एक प्रस्ताव है कि इस योजना के अन्तर्गत अजमेर के ट्रांसमीटर की क्षमता को 20 किलोवाट से बढ़ाकर 200—किलोवाट कर दिया जायेगा। इसका वास्तविक कार्यान्वयन तो धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है। कोटा में जिला स्तर का रेडियो-स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।" जब इतने हमारे प्लान इम्पलीमैंट हो जाते हैं तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है।

फर्टिलाइजर केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन से निकले जिप्सम का उपयोग

*429. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमोनियम सल्फेट के निर्माण के लिये जो उर्वरक के रूप में अत्यधिक आवश्यक है फर्टिलाइजर केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन से काफी मात्रा में निकले जिप्सम का बेहतर उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अमोनियम सल्फेट बनाने की उपरोक्त प्रक्रिया से निकले जिप्सम के उप-उत्पाद केल्सियम कार्बोनेट का उपयोग सीमेंट का उत्पादन करने के लिए कार्यवाही करने का है; और

(ग) क्या इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लि० (फेक्ट) ने अपने कोचीन चरण-II यूनिट के फास्फेटिक एसिड संयंत्र के उप-उत्पाद पर आधारित अमोनियम सल्फेट के निर्माण के लिए अगस्त 1978 में एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया था। सरकार द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई थी परन्तु तकनीकी एवं आर्थिक कारणों से स्वीकार्य नहीं पाया गया। सरकार के विचार कम्पनी को भेज दिए गए हैं और कम्पनी से सरकार के विचार को ध्यान में रखते हुए युक्ति संगत प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया है।

(ख) और (ग) भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए इनका कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० ए० रहीम : उर्वरकों और सीमेंट के अत्यन्त अभाव के कारण, क्या सरकार प्रश्न में उल्लिखित तरीके से इन मदों का उत्पादन करने के गैर-पारम्परिक उपाय करने के लिये कोई कदम उठाने के बारे में सोच रही है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : प्रश्न जिप्सम के उपयोग का है जिसे अब वहां इकट्ठा किया जा रहा है। इस कारखाने में निर्मित उर्वरकों के प्रति टन पर 5 टन जिप्सम बनता है। अतः वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जिप्सम पड़ा हुआ है। यद्यपि प्रश्न यह है कि हम जिप्सम का कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग करके अमोनिया सल्फेट अथवा सीमेंट का उत्पादन करें। जहां तक जिप्सम, जो कि वहाँ इकट्ठा हो गया है, के उपयोग करने के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, दो प्रस्तावों पर कम्पनी सक्रिय रूप से विचार कर रही है :

(1) जो जिप्सम वहां इकट्ठा हो रहा है उसके उपयोग के लिये प्रतिदिन 900 टन अमोनिया सल्फेट क्षमता के संयंत्र की स्थापना करना ।

(2) एक ऐसे सयंत्र की स्थापना करना, जिससे समूचे जिप्सम का सीमेंट बनाया जाये ।

इन दोनों प्रस्तावों पर कम्पनी द्वारा विचार किया जा रहा है । उन्होंने सरकार के सामने अभी कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है । जब वह ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, तब सरकार उन पर विचार करेगी ।

श्री बी० आर० नहाटा : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह बात कही है कि भारत सरकार ने कम्पनी का प्रस्ताव तकनीकी और आर्थिक कारणों से स्वीकार नहीं किया है । वह तकनीकी दोष अथवा आर्थिक समस्याएं क्या थीं ? क्या भारत सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि जिप्सम की इतनी बड़ी मात्रा का किसी न किसी प्रकार उपयोग किया ही जाना होगा ? क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने यह कहा है कि योजना भारत सरकार द्वारा तैयार नहीं की जाती है । यह योजना कम्पनी को तैयार करनी होगी । ऐसी बात नहीं है कि जिप्सम केवल कोचीन चरण-II के संयंत्र में ही है ।

जिप्सम का अन्य स्थानों पर, जहाँ भी फास्फोटिक उर्वरक तैयार किये जा रहे हैं, उत्पादन हो रहा है । कोचीन में यह समस्या इसलिये है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जिप्सम इकट्ठा हो रहा है । इस सम्बन्ध में पहले उन्होंने अगस्त, 1978 में प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे और मन्त्रालय में इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था और उन्हें व्यवहार्य नहीं पाया गया । अतः हमने कम्पनी से वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करने के लिये कहा है और जैसा कि मैंने उत्तर में बताया है कि कम्पनी द्वारा वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं और उनके प्रस्ताव मिल जाने के पश्चात हम उन पर आगे विचार करेंगे ।

1978-83 में विद्युत उत्पादन के लक्ष्य

*431 **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-83 की योजना के अनुसार बिजली के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) 1978-83 की योजनानुसार सरकार सिंचाई प्रयोजनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली की सप्लाई कहाँ तक कर सकी है;

(ग) बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप कृषि, सिंचाई और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन में कितनी हानि हुई है; और

(घ) योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) 1978-83 के लिए पंचवर्षीय योजना की एक रूपरेखा बनायी गयी थी जिसमें यह परिकल्पना थी कि 1977-78 में हुए लगभग 99 बिलियन यूनिट कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर 1982-83 के दौरान 166 बिलियन यूनिट किया जाए। किन्तु 1930-85 की अवधि के लिए योजना पुनः बनाई जा रही है।

(ख) और (ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान देश में ऊर्जा की कमी क्रमशः 10.3 प्रतिशत और 16.1 प्रतिशत थी। अतः ऊर्जा की कमी के कारण विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं पर, जिसमें उद्योग और कृषि भी शामिल है, विद्युत कटौतियां करना आवश्यक हो गया। कृषि क्षेत्र को विद्युत की कटौतियों से मुक्त रखने के लिए यद्यपि सभी संभव प्रयास किए गए हैं, तथापि प्रणाली को मांग कम रखने के लिए व्यस्ततमकालीन भार कटौतियां या ग्रामीण भार को क्रम-क्रम से समयबद्ध करने का सहारा लेना पड़ा है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि कृषि क्षेत्र को विद्युत सप्लाई करने वाले मामले को वे अधिक प्राथमिकता दें। उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, विद्युत की कमी का प्रभाव कृषि उत्पादन पर बहुत कम रहा है। विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में उद्योगों पर 10 से 60 प्रतिशत की विभिन्न मात्रा में विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। देश में वर्तमान कमी का मुख्य कारण 1979 के दौरान मानसून का फेल होना है। चालू वर्ष के दौरान मानसून के शुरू हो जाने के कारण उद्योगों पर लगाई गई विद्युत कटौतियां/प्रतिबंधों में अब राज्यों द्वारा ढील दी जा रही है/उठाई जा रही है। औद्योगिक और कृषि में उत्पादन में हानि होने का एक महत्वपूर्ण कारण विद्युत की कमी है। तथापि केवल विद्युत की कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि का आंकलन करना संभव नहीं है।

(घ) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कई उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) केन्द्रीय क्षेत्र में वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने के लिए सुधारात्मक तथा नवीकरण कार्यक्रम तैयार करने तथा इन्हें कार्यान्वित करने तथा अनुरक्षण प्रबंध को कारगर और सरल बनाने के लिए कृतिक दलों का गठन राज्य सरकारों को भी अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने के लिए ऐसी ही कार्यवाही करने में सहायता दी जा रही है।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र में नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा राज्यों को सलाह देना कि ऐसी ही विस्तृत परियोजना कार्यक्रमों को तथा मानीटरिंग प्रणालियों को अपनाएं। देश में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की मानीटरिंग तथा समन्वय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को ध्यानपूर्वक करता है तथा नई यूनिटों को चालू करने के लिए संबंधित स्रोतों से आवश्यक सहायता की व्यवस्था यथा समय करायी जा रही है।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले के भंडारों की मानीटरिंग करना तथा कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(4) अधिक बिजली वाले क्षेत्रों से कम बिजली वाले क्षेत्रों में विद्युत का अन्तरण ।

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्ताओं से अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई का प्रबन्ध करना ।

(6) 1980-85 की अवधि के दौरान 19903 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि की स्थापना हो जाने की आशा है ।

श्री फूलचन्द वर्मा : मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि 1979 में मानसून की कमी के कारण विद्युत की आपूर्ति मे कटौती की गई, जिसके कारण औद्योगिक तथा कृषि-उत्पादन घटा । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसा कौन सा उपाय कर रही है, जिससे विद्युत का उत्पादन बढ़े, राज्यों में जो विद्युत-उत्पादन के संयंत्र लगे हैं, उन्हें ठीक तरह से चलाया जाये और पुराने संयंत्रों का नवीकरण करके विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाये । मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रस्तावित नये बिजलीघर कब तक शुरू कर देंगे ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि हम केवल मानसून पर निर्भर न रहकर नई वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सीधा सवाल करें । वह बहुत लम्बा-चौड़ा सवाल कर रहे हैं, जैसे कि यह डिसक्शन हो ।

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं । मंत्री महोदय को कहना चाहिए था कि समझ में नहीं आया ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि हम मानसून पर निर्भर न रहकर नई वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर विद्युत उत्पादन कर सकें ।

श्री विक्रम महाजन : प्रमुख प्रश्न के उत्तर में मैंने किये जा रहे उपायों का ब्यौरा दिया है । ये मेरे वक्तव्य के भाग (घ) में दिये गये हैं । यदि आप चाहें तो मैं उन्हें पढ़ दूं । मैंने पहले भी कहा है कि हम निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं :

(1) केन्द्रीय क्षेत्र में वर्तमान क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने के लिये सुधारात्मक तथा नवीकरण कार्यक्रम तैयार करने तथा इन्हें कार्यान्वित करने तथा अनुरक्षण प्रबन्ध को कारगर और सरल बनाने के लिए कृतिक दलों का गठन राज्य सरकारों को भी अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने के लिए ऐसी ही कार्यवाही करने में सहायता दी जा रही है ।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र में नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा राज्यों को सलाह देना कि ऐसे ही विस्तृत परियोजना कार्यक्रमों को तथा मानीटरिंग प्रणालियों को अपनाएं । देश में विद्युत परियोजना के निर्माण को मानीटरिंग तथा समन्वय केन्द्रीम विद्युत प्राधिकरण भी ध्यानपूर्वक करता है तथा नई यूनिटों को चालू करने के लिए संबंधित स्रोतों से आवश्यक सहायता की व्यवस्था यथा समय करायी जा रही है ।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले के भंडारों की मानीटरिंग करना तथा कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(4) अधिक बिजली वाले क्षेत्रों से कम बिजली वाले क्षेत्रों में विद्युत का अन्तकरण ।

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्ताओं से अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई का प्रबन्ध करना ।

(6) 1980-85 की अवधि के दौरान 19903 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि की स्थापना हो जाने की आशा है ।

जहां तक मानसून पर निर्भरता का सम्बन्ध है, हमारे पास उपलब्ध ससाधनों का हमें अधिकतम उपयोग करना है और जल विद्युत ही ऐसा संसाधन है जिससे हम देश के लिये बिजली के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं । साथ ही हम गैर-परम्परागत साधनों की ओर जा रहे हैं । विश्व भर में हम भिन्न-भिन्न देशों से पूछ रहे हैं कि क्या विकास हुआ है । हम स्वयं अपने अनुसंधान कक्ष का काम तेज कर रहे हैं ।

मैंने पहले ही कहा है कि जहां तक नई परियोजनाओं का सम्बन्ध है, हम निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वे बिजली उत्पादन शीघ्र आरम्भ करें ।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अपने स्टेटमेन्ट में स्वीकार किया है कि विद्युत की कमी के कारण ही औद्योगिक क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में हानि हुई है लेकिन कितनी हानि हुई है, यह बताना उनके लिए सम्भव नहीं है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक ओर आप स्वीकार करते हैं कि बिजली की कमी के कारण उत्पादन घटा है तो राष्ट्रीय उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है और उसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में जो हमारा उत्पादन होता था उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है ? क्या यह सत्य नहीं है कि गांवों में काश्तकारों को जो बिजली दी जाती थी वह रात्रि के समय दी जाती थी, दिन में बिजली नहीं दी जाती थी ? आपके मिसमैनेजमेन्ट के कारण रात्रि में दी गई बिजली का सदुपयोग नहीं होता था । क्या मंत्री जी भविष्य के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देंगे कि काश्तकारों को दिन में बिजली दी जाए ताकि वे ठीक प्रकार से अपना कृषि कार्य कर सकें ?

श्री विक्रम महाजन : आज बिजली उत्पादन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य बिजली बोर्डों पर है । वे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं । अत: कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बिजली की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्यों की है । किन्तु साथ ही केन्द्रीय सरकार भी राज्यों के साथ जब विद्युत तथा ताप विद्युत क्षेत्रों में नये बिजली घर बनाकर हाथ बढ़ा रही है ।

जहां तक बिजली की कमी का सम्बन्ध है, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में उत्पादन कम होने का एक कारण बिजली की कमी है । यह अकेला कारण नहीं है किन्तु अन्य कारणों में से एक कारण है । तथापि केवल बिजली की कमी से उत्पादन में होने वाली कमी की मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है कि देश में जो इस समय कमी है उसका मुख्य कारण 1979 में वर्षा का न होना है । वर्षा के न होने से बिजली की सप्लाई पर वहां असर पड़ता है जहां जल-विद्युत का उत्पादन हो रहा है । अन्यथा इसका ताप-विद्युत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन बहुत से राज्यों में जहां मुख्यत: ताप-विद्युत उत्पादन होता है बिजली की कमी का मुख्य कारण क्या है ?

श्री विक्रम महाजन : मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह एक मुख्य कारण है । मैंने यह नहीं कहा है कि यह अकेला कारण है । अन्य कारण भी हैं : 1976-77 में ताप-विद्युत घरों में विद्युत उत्पादन की 55 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया । यह अखिल भारतीय आंकड़े हैं । गत तीन वर्षों में यह घट कर 45 प्रतिशत रह गई है । अतः अधिकांश राज्यों में 10 प्रतिशत भी रही है ।

राज्यों को नये ताप-बिजली घरों का निर्माण करना है और इन बिजली घरों में गत तीन वर्षों में कमी इस प्रकार रही है :

1977-78 में लक्ष्य 2596 मेगावाट था । किन्तु वास्तविक उत्पादन 1475 था । अतः कमी 640 मेगावाट की थी । 1978-79 में लक्ष्य 3057 मेगावाट था, वास्तविक उत्पादन 1522 मेगावाट था अतः कमी 835 मेगावाट रही ।

इसी तरह गत वर्ष लक्ष्य 2,813 मेगावाट था । उत्पादन केवल 857 मेगावाट हुआ । इस प्रकार उत्पादन में कमी रही । यह दूसरा कारण है । तीसरा कारण यह है कि राज्य बिजली बोर्ड ठेके बहुत देर से देते रहे हैं और साथ ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और राज्य बिजली बोर्डों के बीच विवाद चलता रहा है और यही कारण है कि देर होती रही है अतः ये कुछ अन्य कारण हैं जिनसे बिजली की कमी रही है ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसके अनुसार 1982-83 के दौरान ऊर्जा को बढ़ाकर 1606 बिलियन यूनिट की वृद्धि की जानी है और यह भी बताया है कि 1980-85 के दौरान 19903 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि की जाने की आशा है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कहां-कहां पर आप नए पावर स्टेशन बनाने जा रहे हैं ?

श्री विक्रम महाजन : मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन बिजलीघर सतपुरा में हैं जिनमें लगभग 420 मेगावाट, कोरवा पश्चिम 210 मेगावाट, कोरवा पश्चिम दूसरा एकक 500 मेगावाट से अधिक तथा कोरवा पश्चिम के तीसरे और चौथे यूनिट को बाद में चालू किया जायेगा (व्यवधान) । जिन जल-विद्युत घरों को हम बनाने जा रहे हैं वे हैं बोधघाट एकक 1, 2, 3 और 4 जिनमें प्रत्येक 125 मेगावाट का होगा ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, कोयला भंडार असीमित नहीं हैं । एक अनुमान के अनुसार वे 36 अथवा 100 वर्ष से अधिक नहीं चलेंगे और हमें ऊर्जा के अन्य साधनों पर निर्भर करना है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय बर्फीले हिमालय में जल-विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने तथा सौर ऊर्जा प्राप्त करने का विचार कर रहे हैं ।

श्री विक्रम महाजन : जी हां, हम दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ।

श्री झारखंडे राय : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में बिजली की मांग और पूर्ति में भयावह अन्तर है, उसको देखते हुए क्या सरकार विचार करेगी कि पूरे देश में जो बची-कुची प्राइवेट बिजली कम्पनियां हैं और प्रदेशों में जो विद्युत बोर्ड हैं उसके संचारन और नियंत्रण को भारत सरकार अपने हाथ में ले ले ?

श्री विक्रम महाजन : महोदय, ऐसी कोई विरली ही निजी कम्पनी है जो सरकारी क्षेत्र को बिजली सप्लाई करती है। हम केवल रक्षित एककों को ही औद्योगिक क्षेत्र के लिए अनुमति दे रहे हैं। अतः निजी क्षेत्र के नये बिजली घरों के अधिग्रहण का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जहां तक राज्य बिजली बोर्डों का सम्बन्ध है, यह राज्यों के बीच का मामला है। यदि वे सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु, अन्यथा हमने इस प्रश्न को पहले भी उठाने का प्रयत्न किया था। किन्तु अधिकांश राज्य इसका विरोध कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल को कोयला खानों की रायल्टी

*432 **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार को कोयला खानों के लिए रायल्टी के रूप में कितनी राशि दी जानी है; और

(ख) उक्त राशि देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार को कोयला कम्पनियों द्वारा देय स्वामित्व की धनराशि इस प्रकार है :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० : दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 को तथा 31 मार्च, 1980 को समाप्त तिमाहियों के स्वामित्व की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है।

भारत कोकिंग कोल लि० : वर्ष 1979 तक की देय धनराशि अदा कर दी गई है। मार्च 1980 को समाप्त तिमाही की रकम रु० 4,78,157.50 बकाया है। जिसका भुगतान शीघ्र ही हो जाने की आशा है।

चूंकि स्वामित्य के बराबर की रकम कोयले की खान मुहाना कीमत में शामिल कर दी जाती है और उपभोक्ताओं से वसूल की जाती है, इसलिए इस राशि को वसूल करने और उसे राज्य सरकार के पास जमा करने में कुछ देर लग जाती है।

श्री वसुदेव आचार्य : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि केवल 4,78,157.60 रुपये बकाया है किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास रायल्टी की रकम है वह जितनी राशि बतायी गई है उससे काफी अधिक है। यह लगभग 13 करोड़ रुपये है। अतः क्या मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री विक्रम महाजन : कतिपय राशियों के बारे से विवाद है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार स्वयं कोयला क्षेत्रों में कोयले की खपत पर भी रायल्टी चाहती है। यह राशि प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख रुपये बैठती है। हमें जो कानूनी सलाह दी गई है वह यह है कि यह बकाया नहीं है किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार इससे सहमत नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार 4 करोड़ रुपए की रकम की एक और राशि का दावा कर रही है। ये केवल छोटी मदें हैं। जहां तक मेरी जानकारी है 13 करोड़ रुपये की रकम बकाया नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार को कोयले पर रायल्टी बढ़ाने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और क्या उसमें वृद्धि करने के लिए कोई निर्णय किया गया है, यदि हां, उसका विवरण क्या है ?

श्री विक्रम महाजन : पश्चिम बंगाल सरकार ने रायल्टी बढ़ाने के लिए कहा है किन्तु इससे कोयले की कीमत में लगभग 16 रुपये से 20 रुपये प्रति टन की वृद्धि होगी और साथ-साथ अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी। इस पर अभी चर्चा चल रही है। यह मामला विचाराधीन है और हम इस पर बहुत शीघ्र ही निर्णय करेंगे।

उड़ीसा के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

*434. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कितने प्रतिवेदन मंजूरी के लिए केन्द्रीय जल आयोग के पास अभी तक अनिर्णित पड़े हैं;

(ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उक्त परियोजना प्रतिवेदनों को मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) परियोजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में शामिल करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(घ) अगले वित्तीय वर्ष के लिए मंजूरी के लिए यदि कोई परियोजनाएँ तैयार हैं, तो वे कौन-कौन सी हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडेय) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार से उड़ीसा के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की जो बड़ी तथा मध्यम नई सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं और जिन्हें योजना आयोग द्वारा अभी स्वीकृति दी जानी है, निम्नलिखि हैं :

वृहद परियोजनाएं :

(I) भीमकुण्ड बहुद्देश्यीय परियोजना।

(II) स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना।

(III) इब सिंचाई परियोजना।

मध्यम परियोजनाएं :

(I) बड़ानाला सिंचाई परियोजना।

(ख) भीमकुण्ड परियोजना के बारे में टिप्पणियां राज्य सरकार को सितम्बर, 1975 में भेजी गई थीं जिनके उत्तर जुलाई, 1976 और फरवरी, 1977 में प्राप्त हो गये थे। तत्पश्चात् राज्य सरकार से और स्पष्टीकरण मांगे गये और विशेषतया विद्युत-घटक के बारे में कुछ अतिरिक्त अन्वेषण करना भी आवश्यक समझा गया। केन्द्रीय जल आयोग से परिशोधित रिपोर्ट 24 जून, 1980 को ही प्राप्त हुई थी और इस समय इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। स्वर्णरेखा परियोजना के बारे में टिप्पणियां फरवरी और सितम्बर, 1979 में और इन सिंचाई परियोजना के बारे में दिसम्बर, 1979 और मार्च, 1980 में राज्य सरकार को भेजी गई थीं। राज्य

सरकार से अभी इन टिप्पणियों का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। बड़ानाला परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1980 में प्राप्त हुई थी और इसकी जांच कर ली गई है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं की तकनीकी और आर्थिक सम्भाव्यता संतोषजनक रूप से सिद्ध हो जाने के बाद ही, योजना आयोग द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए विचार किया जा सकता है। इसलिए परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर भेजे जाने और/अथवा उनका पालन करने और अनिर्णीत मुद्दों पर बातचीत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजने और यथा–आवश्यक स्पष्टीकरण देने पर निर्भर करती है।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैंने वक्तव्य पढ़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार की उस परियोजना की जांच नहीं की है जिसे स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजा गया था। उन्होने यह उल्लेख नहीं किया है कि जन जाति उप–योजना के अधीन तथा इससे बाहर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राज्यों को जनजाति क्षेत्रों के लिए योजना बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं, यदि हां, वे क्या हैं और वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने उनके उत्तर में कार्यवाही की है।

श्री केदार पाण्डेय : इस प्रश्न का सम्बन्ध चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं से है जिनमें तीन बड़ी हैं और एक मझौली है और इसका सम्बन्ध योजना आयोग द्वारा इन तीन परियोजनाओं पर स्वीकृति देने से है। मार्गदर्शी सिद्धान्त यह हैं कि जनजाति क्षेत्रों के लिए हमारे पास कुछ योजनाएं हैं। इसका सम्बन्ध उड़ीसा से है जहां एक जनजाति क्षेत्र है। हमारे पास ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं। जनजाति क्षेत्रों में लगभग 14 परियोजनाओं पर पहले ही काम हो रहा है।

इन 14 परियोजनाओं के अतिरिक्त इन चार परियोजनाओं की जांच हो रही है। इस काम में देरी हुई है और विलम्ब इस तथ्य के कारण हुआ है कि राज्य सरकारों ने समय पर इसके उत्तर में कार्यवाही नहीं की है।

प्रमुख योजनाएं हैं, भीमकुण्ड बहुप्रयोजनी परियोजना, स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना, इब सिंचाई परियोजना और एक मझौली परियोजना है बड़ानाला सिंचाई परियोजना। इन परियोजनाओं पर योजना आयोग से स्वीकृति नहीं मिली है। केन्द्रीय जल आयोग ने इन परियोजनाओं को टिप्पणी के लिए राज्य सरकारों को भेजा है। उन्होंने समय पर उत्तर नहीं दिया है। इसलिए विलम्ब हुआ है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर कार्यवाही कर रहे हैं कि इन परियोजनाओं को लिया जाये और इन पर योजना आयोग की स्वीकृति मिले ताकि हम इन्हें क्रियान्वित कर सकें।

श्री गिरिधर गोमांगो : मंत्री महोदय ने उत्तर देते हुए एक वक्तव्य पढ़ा। किन्तु मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को जनजाति क्षेत्रों में सिंचाई विकास परियोजनाओं के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। इसका उत्तर नहीं दिया गया।

अब मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछता हूं। बड़ानाला सिंचाई परियोजना का यहां उल्लेख किया गया है। इसे 1961-62 में प्रारंभ किया गया था, अब 1980 चल रहा है। इस परियोजना को

स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। 19 वर्ष का समय बीत चुका है। अब तक उड़ीसा की सरकार ने भारत सरकार को कोई समुचित उत्तर नहीं भेजा है। यद्यपि भारत सरकार उड़ीसा सरकार से अनेक बार पूछताछ कर चुकी है। हाल ही में भारत सरकार ने उड़ीसा की सरकार को परियोजना पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए पत्र लिखा है। भारत सरकार को परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1980 में प्राप्त हो गई थी। इसे जून 1980 में उड़ीसा सरकार के पास भेज दिया गया। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उनका मंत्रालय उड़ीसा सरकार से राज्य की 1980-81 की वार्षिक योजना में शामिल किये जाने के लिए परियोजना को स्वीकृति देने के लिए कहेगा।

श्री केदार पाण्डेय : भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। विकास-कार्य सिंचाई एवं कृषि के क्षेत्र हैं। कृषि एवं सिंचाई दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं। इसके अनुसार, हमने उड़ीसा राज्य में लगभग 14 परियोजनाएं शुरू की हैं। जहां तक बड़ानाला सिंचाई परियोजना का सम्बन्ध है, हमें इस सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। हमें अभी भी और अधिक टिप्पणियों की आवश्यकता है। इसलिए, हमने इसे राज्य सरकार के पास टिप्पणियों के लिए भेज दिया है। उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, मैं एक जनरल प्रश्न पूछना चाहूंगा। सेन्ट्रल वाटर कमीशन सिंचाई मंत्रालय की किसी योजना को किलयर करता है टी० ए० सी० के माध्यम से। उसके बाद राज्य सरकार को वह योजना जाती है। जिस समय राज्य सरकार ने योजना को सबमिट किया, उस समय जो कास्ट फैक्टर होता है, वह 10 साल, 5 साल या 6 साल में बढ़ जाता है। सेन्ट्रल वाटर कमीशन में योजना को किलयर होने लगता है और राज्य सरकार तक जब वह योजना स्वीकृत होकर पहुंचती है, मूल्य बढ़ जाता है और योजना कास्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्वायन्टेड क्वेश्चन पूछिये ?

श्री डी० पी० यादव : मैं प्वायन्टेड क्वैश्चन पूछ रहा हूं। मेरा कहना यह है कि योजना के किलयेरेन्स, का आडीनेशन, उसके बाद मोनीटियेरिंग और अन्त में **कम्पलीशन आफ दि स्कीम**, ये चार चीजें होती हैं, तो क्या केन्द्रीय सरकार समन्वित रूप से कोई ऐसा कानून बनाना चाहती है जिसमें राज्य सरकार को वह बाध्य करे कि जो योजना बन गई है, उसको निर्धारित समय के अन्दर पूरा करना है ?

श्री केदार पांडेय : कोई कानून तो अभी ऐसा नहीं है लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल ऐसी बात नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है। मैं सिर्फ उड़ीसा के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि यह जो आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना है क्या यह सिर्फ उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए है? यदि हां, तो क्या उसके वहां

के आदिवासियों को फायदा हुआ है, या हो रहा है ? इससे उन्हें अब तक कितना लाभ मिला हैं ?

श्री केदार पाण्डेय : अभी तो 14 स्कीम चल रही हैं और आदिवासी क्षेत्र में चल रही हैं। उनसे आदिवासियों को फायदा होने वाला है। अभी तक 62 करोड़ रुपया उनमें खर्च किया है। (व्यवधान) उनसे फायदा होगा, एकदम कैसे फायदा होगा। इरीगेशन पोटेंशयल होगा तभी फायदा होगा। अभी तो वे चल रही हैं।

श्री अनादि चरण दास : ये जो उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज के लिए सब प्लांस हैं ये कब तक पूरे होने वाले हैं ? दूसरे उन एरियाज में जो छोटे-छोटे नाले हैं, नदियां हैं जिन पर भी छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बन सकते हैं अगर उनका इंवेस्टीगेशन किया जाए। क्या वाटर कमीशन इनको भी हाथ में लेगा ? इनसे ट्राइबल एरियाज में जो ड्राट वगैरह: आता है वह भी दूर होगा। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में क्या इस कारण से भी देरी हुई कि उड़ीसा सरकार से जानकारी देरी से मिली ? अब जबकि जानकारी मिल गयी है तो अब इनको पूरा करने में कितनी देर लगेगी ?

श्री केदार पाण्डेय : यह सारा प्रासेस कम्पलीट हो चुका है। उड़ीसा गवर्नमैंट ने जवाब दे दिया है। अब आगे की कार्यवाही हम करेंगे। सेन्ट्रल वाटर कमीशन द्वारा उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है ? उसका एग्जामिनेशन होने के बाद हम क्लीयरेंस के लिए प्लानिंग कमीशन को भेजेंगे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का बम्बई में भण्डारण प्रबंध

*335. **श्री के० लकप्पा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास बम्बई में अपने माल के भण्डारण के पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं;

(ख) क्या भण्डारण की क्षमता कम होने के कारण आयोग को विभिन्न मदों पर काफी विलम्ब शुल्क देना पड़ता है; और यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी फर्मों ने उचित शर्तों पर स्थान उपलब्ध कराने की पेशकश की है; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) उपयुक्त स्थान की पेशकश प्राप्त होने पर भी उक्त विलंब शुल्क अदा करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। भण्डारण के लिए उपलब्ध जगह अपर्याप्त है।

(ख) भण्डारण क्षमता के कारण पिछले तीन वर्षों में कोई विलम्ब शुल्क नहीं दिया गया है।

(ग) गोदाम की जगह के लिए ओ० एन० जी० सी० द्वारा दिये गये विज्ञापन के उत्तर में कई निजी पार्टियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों की जांच की गई थी और जिन गोदामों के लिये प्रस्ताव दिये गये थे उनका निरीक्षण किया गया था। इन प्रस्तावों के आधार पर ओ० एन० जी० सी० ढके हुए गोदाम के 48,500 वर्ग फुट तथा खुले गोदाम के 2 लाख 60 हजार वर्ग फुट किराये पर लेने के लिये और आगे कार्यवाही कर रहा है।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ओ० एन० जी० सी० नहावा द्वीप पर एक सप्लाई बेस बना रहा है। इस बेस के पूरे होने पर समुद्री क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिये भण्डारण व्यवस्था संबंधी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होने की आशा है।

श्री के० लकप्पा : मुझे केवल (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर मिले हैं और (घ) के उत्तर में यह कहा गया है कि (ख) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु माननीय मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि बम्बई में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास सभी मदों के लिए भंडारण क्षमता पर्याप्त नहीं है। इसलिये मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह वास्तविकता है कि माननीय मत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर गलत है और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने मंत्री जी को गलत जानकारी दी है। बम्बई में भंडारण की सुविधाओं के अभाव के परिणाम स्वरूप भुगतान किए गए विलम्ब-शुल्क के बारे में मैं जानना चाहूंगा। लाखों रुपए भुगतान कर दिए गए हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात की एक जांच करवायेंगे कि गत तीन वर्षों में विलम्ब-शुल्क के रूप में कितना रुपया अदा किया गया है, भंडारण स्थान में कितनी बढ़ोतरी की गई है और माल का भंडारण कहां-कहां किया गया है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जो प्रश्न यहां रखा गया है वह यह है कि क्या भंडारण क्षमता के अभाव में उन्होंने विलम्ब शुल्क की भारी राशि का भुगतान किया है। मैंने कहा है, "नहीं"। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने विलम्ब शुल्क का भुगतान किया है, परन्तु भंडारण क्षमता के अभाव के कारण नहीं। अन्य दूसरे कारणों से उन्होंने विलम्ब शुल्क का भुगतान किया है। भंडारण क्षमता के अभाव के कारण नहीं। मैंने यह बात स्वीकार की है कि वहां स्थान पर्याप्त नहीं है। इसलिये उन्होंने विज्ञापन किया और उन्हें प्रस्ताव मिले हैं ..... (व्यवधान) माननीय सदस्य इस धारणा में हैं कि इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास कोई भंडारण क्षमता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। उनके पास भंडारण क्षमता है। परन्तु हमारा कार्य बढ़ रहा है। इसलिए, हमें और अधिक भंडारण क्षमता की आवश्यकता है। यही कारण है, जब और जैसे हमें और अधिक भंडारण क्षमता की आवश्यकता होती है, हम विज्ञापन करते रहते हैं और प्रस्ताव मिल रहे हैं। हमने हाल ही में मार्च के महीने में विज्ञापन किया था, और हमें लगभग 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 16 स्थल का निरीक्षण करवाने के लिये तैयार हो गये हैं। उनसे बातचीत चल रही है। एक समिति गठित की गई है और वह इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में बातचीत कर रही है। लेकिन उन्होंने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि बिलम्ब-शुल्क अदा किया गया था। परन्तु भंडारण क्षमता के अभाव के कारण नहीं। तब अन्य दूसरे कारण

क्या हैं जिनकी वजह से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने विलम्ब-शुल्क का भुगतान किया था ? कई चीजों की कमी के फलस्वरूप उन्होंने कितने विलम्ब-शुल्क का भुगतान किया है ?

दूसरे, उन्होंने कहा है कि वे प्राइवेट पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, कब से यह बातचीत चल रही है और वे प्राइवेट पार्टियां कौन हैं और क्या वे प्राइवेट पार्टियां उन सम्बद्ध अधिकारियों से सम्बन्धित हैं जो इसे लीज पर ले रहे हैं अथवा वे जो भी बातचीत कर रहे हैं ? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ लोगों को इस बातचीत से दूर रखने तथा कुछ लोगों का पक्ष लेने के लिए बातचीत में जानबूझ कर विलम्ब किया है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अन्य दूसरे कारणों की वजह से कितना विलम्ब शुल्क अदा किया गया था और भंडारण सुविधाओं के सम्बन्ध में ये बातचीत किस विशेष स्थिति में हैं और कब यह बातचीत पूरी हो जाएगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य महोदय जानना चाहते हैं कि कितना विलम्ब-शुल्क अदा कर दिया गया है। वर्ष 1977-78 में 2,14,054 रुपए, वर्ष 1978-79 में 6,42,947 रुपये और वर्ष 1979-80 में 3,30,762 रुपए विलम्ब-शुल्क के रूप में अदा किए गए थे। गत तीन वर्षों में इतने विलम्ब-शुल्क का भुगतान किया गया था।

माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है कि कितनी प्राइवेट पार्टियों ने प्रस्ताव किए हैं और क्या ये प्राइवेट पार्टियां उन अधिकारियों से सम्बद्ध हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुझे उपलब्ध सूचना के अनुसार, जहां तक मेरी जानकारी है 24 पार्टियों में से 16 पार्टियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और बातचीत चल रही है। अभी उन्होंने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। जैसे ही वे अन्तिम निर्णय लेते हैं, मैं यह कहने की स्थिति में हो सकूंगा कि प्रस्ताव करने वाली पार्टियां कौन हैं और जिनके प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है।

श्री गुलशेर अहमद : मैं सिर्फ विलम्ब-शुल्क का भुगतान करने से सम्बद्ध वाले कारण जानना चाहता हूं। पता नहीं वह यह जानकारी देने की स्थिति में हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे पास जानकारी है। 1977-78 में आयात लाइसेंस की अनुपलब्धता और प्रलेखों की अनुपलब्धता के कारण विलम्ब-शुल्क अदा किया था, 1978-79 में आयात लाइसेंस की अनुपलब्धता और प्रलेखों की प्राप्ति न होने के कारण विलम्ब-शुल्क अदा किया था, वर्ष 1979-80 में आपूर्ति कर्ताओं, बैंको आदि से नौवहन प्रलेख उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब-शुल्क का भुगतान किया था।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह नैगोसियेशन कितने दिनों से चल रहा है और क्या इस नैगोसियेशन के लिये कोई कमेटी मुकर्रर की गई है और उसमें कौन-कौन लोग हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अभी जवाब दिया कि एडवरटाइजमेंट निकला है, मार्च 1980 में, उसके बाद जो भी आफर्स आये, इन्सपेक्शन के लिये जब हमने कहा तो उनमें से 8 लोगों ने रैस्पौंड नहीं किया और 16 ने रैस्पौंड किया। 16 लोगों ने साइटस आफर किये थे उनको इन्सपैक्ट करने के लिये। नैगोसियेशन्स करने के लिये एक कमेटी कांस्टीट्यूट कर दी गई है एन० ओ० जी० सी० के अंडर में जिसमें एडिशनल डायरेक्टर हैं, ज्वायंट डायरेक्टर हैं, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर भी हैं। क्योंकि मार्च में ही एडवरटाइजमेंट

निकला है, मैं समझता हूं कि महीने, डेढ़ महीने नैगोसिपैशन्स चल रहे हैं। इसकी स्पैसेफिक इन्फर्मेशन मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री ए० टी० पाटिल : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि भंडारण स्थितियों को आसान बनाने के लिए ओ० एन० जी० सी० नहावा द्वीप पर एक सप्लाई वेस का निर्माण कर रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने नहावा द्वीप पर सप्लाई वेस के निर्माण को रोक देने के आदेश दिए हैं ? यदि ऐसी बात है तो क्या वे अपने इस रोक आदेश को वापस लेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : स्थगन आदेश जारी किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। इसके विपरीत वहां तेजी से कार्य चल रहा है। हम जून 1980 तक 6.54 करोड़ रुपए का व्यय कर चुके हैं। कुल अनुमानित व्यय 22 करोड़ रुपए है और स्थगन अथवा रोक जारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न.....नहीं है।

अगला प्रश्न —श्री रामावतार शास्त्री।

कम्पनी अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव

*437. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम को संशोधित करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसका प्रारूप तैयार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधन में उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) के सुझाव, सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। जब भी इसकी परीक्षा पूर्ण होती है, एक विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। इस प्रश्न के जरिए मैंने यह जानने की कोशिश की है कि अगर वह रिपोर्ट मिल गई है तो उसमें कुछ बात होगी, कोई न कोई सिफारिश होगी, तो क्या आप यह बता सकेंगे कि उन सिफारिशों में से कुछ प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : सच्चर कमेटी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं : (1) मेनेजिंग एजेन्सी के संदर्भ में अप्रचलित प्रावधानों को समाप्त करना, (2) समापन कार्यवाही का सरलीकरण, (3) कम्पनियों के प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी तथा इसी तरह की अन्य बातें।

श्री रामावतार शास्त्री : अब मैं यह जानना चाहता हू कि सरकार इसके बारे में कब तक निर्णय कर लेने का विचार रखती है, क्या सरकार के सामने कोई अन्दाज है इसका ?

श्री पी० शिवशंकर : कम्पनी अधिनियम में संशोधन देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास से सम्बन्धित है। विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों से परामर्श किया जाना है और मैं माननीय

सदस्य महोदय को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि यथाशीघ्र हम निर्णय कर लेंगे और संशोधनों को यहां पेश करेंगे ।

श्री गुलाम रसूल कोचक : इस समिति के गठन से प्राप्त किया जाने वाला आधारभूत लक्ष्य क्या था ?

दूसरे, क्या इसके साथ ही सच्चर समिति ने एकाधिकार और निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार (एम० आर० टी० पी०) अधिनियम में संशोधन किए जाने की सिफारिश नहीं की है ?

तीसरे, मैं जानना चाहता हू कि क्या इस प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पनियों के साथ इस देश में कार्यरत विदेशी कम्पनियों को भी लाया गया है ।

श्री पी० शिवशंकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और यह सदन इस बात से अवगत हैं कि 1956 के अधिनियमन के पश्चात कम्पनी अधिनियम में 1977 के अधिनियम तक 12 संशोधन किए गए थे । यह अनुभव किया गया कि देश की औद्योगिक स्थिति और साथ ही आर्थिक विकास में भी परिवर्तन हो जाने के कारण विभिन्न प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1977 में, कम्पनी अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था ।

मैं माननीय सदस्य महोदय की इस बात से सहमत हूं कि समिति ने एम० आर० टी० पी० अधिनियम में के संदर्भ में भी संशोधनों का प्रस्ताव किया था । जहां तक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य महोदय के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच है कि सच्चर समिति ने अवधारणा में परिवर्तन के बारे में और उन कुछ संशोधनों के सम्बन्ध में भी सिफारिश की है जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम में किए जाने हैं । मैं अनुभव करता हूं कि मानव मस्तिष्क की विलक्षण अध्यभीन इस तरह के सभी गलत कार्यों को रोका जा सकता है ।

श्री निरेन घोष : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या समिति ने मेनेजमेंट की अवधारणा के सम्बन्ध में एम० आर० टी० पी० अधिनियम के प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाये जाने पर विचार किया है ? समिति की वस्तुतः सिफारिशें क्या हैं और क्या चुने हुए मजदूरों के चुने हुए प्रतिनिधि समान शर्तों पर और पर्याप्त संख्या में निदेशक मण्डल में शामिल किए जाएंगे ।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि समिति ने एम० आर० टी० पी०, अधिनियम के सम्बन्ध में संशोधनों की सिफारिश की हैं । जहां तक श्रमिकों की भागीदारी के प्रश्न का सम्बन्ध है, समिति ने अपनी सिफारिशों में केवल यह कहा है कि कुछ स्थितियों में मेनेजमेंट में श्रमिकों की भागोदारी के प्रश्न पर निदेशकों की नियुक्ति के सन्दर्भ में विचार किया जाना जरूरी है ।

वर्षा के जल से भरी हुई नदियों से बिजली पैदा किया जाना

*438 **श्री राम स्वरूप राम** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पुनपुन नदी, दरधा नदी और फल्गु नदी जैसी वर्षा के जल से भरी हुई नदियों से बिजली पैदा करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम स्वरूप राम : बिहार में बहुत सी ऐसी नदियां हैं, जिनमें साल भर तो पानी नहीं रहता है, लेकिन छः महीने तक उनमें बहुत ज्यादा पानी रहता है, जिसके कारण हर साल बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है, चाहे वह फल्गु हो, पुनपुन हो या दरधा हो । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को हर साल करोड़ों रुपये बाढ़ की क्षति पूर्ति करने के लिए खर्च करना पड़ता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है कि इन नदियों पर बांध बनाकर पानी को स्टोर कर लिया जाए, और दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटरीज निकाल कर हाइड्रो-इलैक्ट्रिक प्राजेक्ट बनाकर जनहित की भावनाओं को प्रदर्शित किया जाये । इस प्रकार किसानों को साल में छः महीने तक बिजली और सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है । क्या सरकार ने इस तरह की किसी स्कीम का सर्वेक्षण कराया है ?

श्री विक्रम महाजन : केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने उसका सर्वेक्षण किया था । उन्हें उक्त प्रस्ताव में कोई सार नजर नहीं आया । बिहार सरकार ने भी इन नदियों के सम्बन्ध में हमें कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है । परन्तु माननीय सदस्य महोदय की संतुष्टि के लिए मैं केन्द्रीय सरकार के विभाग से एक सर्वेक्षण करने के लिए कहूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बड़े व्यापार गृहों द्वारा विभिन्न कम्पनियों का अधिग्रहण

*430 **श्री एस० एम० कृष्ण : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इंडिया टूडे' के (मई 16-31) अंक में प्रकाशित विभिन्न कम्पनियों के अधिग्रहण के लिये बड़े व्यापार गृहों में होड़ के बारे में 'मोनाप्ली गेम' शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है ।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत/पंजीकरण योग्य उपक्रमों द्वारा नियंत्रक स्वत्व क्रय करने के किसी प्रस्ताव के लिये, उक्त

अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होती है तथा कुछ मामलों में, इस प्रकार के प्रस्ताव के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 108(क) तथा 372(4) के अन्तर्गत अनुमोदन भी अपेक्षित होता है । एक कम्पनी द्वारा किसी अन्य कम्पनी के हिस्सों की खरीद के लिये, यदि ये नियोजी कम्पनी के हिस्सों के 10 प्रतिशत से अधिक हों तो कम्पनी अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत अनुमति कीं अपेक्षा होती है । एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम/कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अन्तर्गत, अभी तक कथित कम्पनियों के हिस्सों को हस्तगत करने अथवा खरीदने के लिये, कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

"कोल वर्थ रूपीज 1.5 मिलियन सीज्ड" शीर्षक से समाचार

***433. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 15 जून, 1980 के "टाइम्स आफ इंडिया" नई दिल्ली के संस्करण में "कोल वर्थ रूपीज 1.5 मिलियन सीज्ड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कोयले को खानों से कैसे चुराया गया था;

(ग) क्या इस मामले में किसी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भविष्य में कोयले की इस प्रकार की बड़ी मात्रा की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कोयला कम्पनियों से मिली सूचना के अनुसार, कोलियरियों से कोयले की कोई तस्करी नहीं हुई है । इस मामले में बिहार से एक विस्तृत रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है । बिहार सरकार से ऐसी विस्तृत रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। बिहार सरकार से ऐसी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही जांच के संबंध में निर्णय लिया जाएगा ।

(ग) कोयले की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) प्रत्येक कोयला डिपो पर रात दिन रखवाली करने के लिए सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था की गई है ।

(2) कोलियरियों के कोयला डिपो में चारों ओर उचित ढंग से तार आदि लगाना तथा रोशनी का प्रबंध करना ।

(3) संवेदनशील पदों पर तैनात स्टाफ का एक स्थान से दूसरे स्थान को निश्चित अवधियों पर तबादला ।

बम्बई हाई गैस से प्लास्टिक रेजिन का उत्पादन

***436. श्री के० पी० सिंह देव : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तट से दूर गैस प्लास्टिक रेजिन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका उपयोग करने के लिए योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और उर्वरक रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) समुद्री क्षेत्र से प्राप्त होने वाली गैस के आधार पर प्लास्टिक रेजिन सहित पेट्रोरसायन पदार्थों के उत्पादन के लिए गैस क्रैकरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ।

नए उर्वरक संयंत्र

*439. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर उनकी स्थापना की जाएगी, उनका ब्यौरा क्या है और उन पर कुल पूंजी परिव्यय कितना होगा;

(ग) क्या इस संबंध में विदेशों के साथ बातचीत पूरी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावित उर्वरक एककों के लिए संयंत्र और टैक्नोलाजी किन देशों तथा फर्मों से आयात की जायेगी ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत प्रायोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

क्रम सं०	प्लांट का नाम	स्थान	पूंजीकृत परिव्यय
1.	थाल वैसेट प्रायोजना	जिला कोलाबा, महाराष्ट्र	511.34
2.	हाजिरा प्रायोजना	जिला सूरत, गुजरात	622.9
3.	नामरूप–III प्रायोजना	नामरूप, असम	168.43

(ग) से (घ) थाल वैसेट प्रायोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को अधिकांश तौर पर विश्व बैंक और यू० के० ऋण से पूरा किया जायेगा तथा हाजिरा प्रायोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को विश्व बैंक, यू० के० और जापानी ऋण से पूरा किया जायेगा । नामरूप-III प्रायोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को यू० के० ऋण से पूरा किया जा रहा है और उसके लिए मुफ्त विदेशी मुद्रा की सहायता भी ली जा रही है । थाल वैसेट प्रायोजना की 250 मिलियम डालर तक की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण सहायता करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं । विश्व बैंक के ऋण से खरीदे जाने वाले उपकरणों का आयात अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियों की बोलियों (आई० सी० बी०) के आधार पर किया जायेगा । दोहरे ऋण अर्थात यू० के० और जापानी ऋण उन देशों से आयात को पूरा करने के लिये हैं ।

नामरूप-III प्रायोजना के लिये फर्टिलाइजर (योजना और विकास) इंडिया लि० इन्जीनियरिंग ठेकेदार होंगे। थाल वैसेट और हाजिरा प्रायोजनाओं के लिये अमोनिया ठेकेदार के चयन के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है। थाल वैसेट और हाजिरा दोनों प्रायोजनाओं के लिये स्टीम जनरेशन प्लांटों के आयात के लिये स्वदेशी दृष्टिकोण के बारे में मंजूरी लेने के बाद यू० के० मैसर्स फोस्टर व्हलर पावर प्रोडक्टस लि० के साथ एक करार किया गया है।

"बायोमास कनवर्जन" के जरिए ऊर्जा संकट हल करना

*440. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बायोमास कनवर्जन" के ज़रिए ऊर्जा संकट हल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयया मंत्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ख) ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए तथा ऊर्जा के उपलब्ध साधनों के इष्टतम समुपयोजन के लिए समुचित नीति विषयक उपायों की सिफारिश करने के लिए, विद्युत विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल ने ऊर्जा की स्थिति की व्यापक समीक्षा की थी। कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1979 में प्रस्तुत की थी। आगामी दो दशकों को ऊर्जा की स्थिति संबंधी जो समीक्षा कार्यकारी दल ने प्रस्तुत की है उससे यह स्पष्ट है कि देश को ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों को विकसित करना होगा तथा ईंधन-लकड़ी, जलाऊ लकड़ी तथा वनस्पति अवशेष जैसी गैर वाणिज्यिक ऊर्जा की बेहतर व्यवस्था करना तथा इसे बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा क्योंकि लोगों के ऊर्जा के उपयोग के स्वरूप में गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी।

जैव द्रव्य के परिवर्तन की भी संभाव्यताएं हैं तथा परिवर्तन के कई स्वरूपों के बारे में अनुसंधान किए जा रहे हैं। जैव-परिवर्तन संबंधी स्वरूपों का चयन सामग्री के भौतिक स्वरूप, इनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहारता तथा पर्यावरण संबंधी लाभों पर निर्भर करता है।

पशुओं के गोबर से गोबर गैस के उत्पादन की प्रोद्योगिकी काफी अच्छी विकसित है तथा ज्ञात प्रोद्योगिकी के आधार पर गोबर गैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। वर्तमान योजना-कौशल यह है कि ऐसे बड़े गोबर गैस यूनिटों को बढ़ावा दिया जाए, जो आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम हों। प्राणियों के मल का उपयोग किए जाने के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है तथा पारिवारिक आकार के जीवनक्षम गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए पायलर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। चुने हुए स्थानों पर, वृहत आकार के कई सामुदायिक गोबर गैस सयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। देश में 70,000 से अधिक गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

बिहार राज्य के बेंगूसराय में पैट्रो-रसायन कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव

*441. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के बेंगूसराय जिले में पेट्रो-रसायन कारखाने की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या लोग बेंगूसराय में इस कारखाने की स्थापना के लिए निरन्तर मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार वहां पर उस कारखाने की स्थापना कब करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पेट्रो-रसायन पर पुनर्गठित कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर सरकार देश में कई पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने पर विचार कर रही है ।

(ख) इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं ।

(ग) पेट्रो-रसायन के उत्पादन के लिये संयंत्र लगाने के लिये स्थल चयन समितियां गठित की गई हैं । इन संयंत्रों को लगाने के स्थान के बारे में निर्णय इन समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद किया जायेगा ।

सिंदरी उर्वरक संयंत्र द्वारा अमोनिया का उत्पादन

*442. **श्री ए० के० राव** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 और 31 मई, 1980 के बीच अमोनिया का उत्पादन करने के लिये दोनों पुराने और नये सिंदरी उर्वरक संयंत्रों ने वस्तुतः कितने दिन कार्य किया; तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि डीजल पर आधारित नये संयंत्र के संचालन में कच्चे माल की कमी प्रमुख बाधा है;

(ग) क्या इस कठिनाई के स्थायी रूप में बने रहने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोयले पर आधारित पुराने सिंदरी संयंत्र का नवीकरण करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) पुराने सिंदरी संयंत्र के अमोनिया संयंत्र 1-1-80 से 31-5-80 की अवधि के दौरान बन्द रहे । संयंत्रों को जुलाई 1979 से बन्द कर दिया गया क्योंकि वे चालन के लिए गैर किफायती और असुरक्षित थे ।

सिंदरी में नये यूनिट का अमोनिया संयंत्र, सिंदरी आधुनिकीकरण संयंत्र भी उपरोक्त अवधि के दौरान बन्द थे । ईंधन तेल/एस० एस० एच० एस० कच्चा माल के भंडार न रहने के

कारण संयंत्र को 16 जनवरी, 1980 की शाम को बन्द कर देना पड़ा। असम के कच्चे तेल पर आधारित बोंगई गांव शोधनशाला के बन्द होने और सिंदरी के संयंत्र को एल० एस० एच० एस०/ ईंधन तेल सप्लाई की लगातार रुकावट के कारण संयंत्रों का बन्द रहना जारी है। असम स्थिति में सुधार होने और फीडस्टाक उपलब्ध होने के बाद संयंत्र फिर से चालू होगा।

(घ) से (ङ) कोयले पर आधारित सिंदरी के पुराने संयंत्रों को बन्द कर दिया गया क्योंकि वे अपनी सामान्य आयु पूरा कर चुके थे और वे चालन के लिए असुरक्षित और गैर-किफायती थे। इसलिए संयंत्र की मरम्मत का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी तेल कम्पनियां

*443 **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि विदेशी तेल कम्पनियां अब तक भी भारत में किसी न किसी रूप में कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों में प्रतिवर्ष इन्होंने कितनी लाभ राशि स्वदेश भेजी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य विदेशी तेल कम्पनियों की उन प्रतिष्ठानों में इक्वटी पूंजी की जानकारी चाहते हैं जिनसे पेट्रोलियम विभाग सम्बन्ध रखता है।

(ख) यह विवरण निम्न प्रकार है :

(1) मद्रास शोधनशाला लि० में नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी, ईरान और अमेरिका में निर्मित अमोको इन्डिया प्रत्येक के पास इक्वटी शेयर का 13 प्रतिशत भाग है और शेष शेयर भारत सरकार के पास हैं।

(2) कोचीन शोधनशाला लि० में 26.43 प्रतिशत इक्वटी पूंजी अमेरिका की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी और 52.83 प्रतिशत भारत सरकार के पास हैं। शेष पूंजी केरल सरकार, भारतीय बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जनरल बीमा कंपनी तथा जनसाधारण के पास हैं।

(3) आयल इन्डिया लि० में 50 प्रतिशत शेयर पूंजी बर्मा आयल कम्पनी, यू० के० के पास है और शेष भारत सरकार के पास है।

(4) असम आयल कम्पनी यू० के० में पंजीकृत, बर्मा आयल कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक स्टर्लिंग कम्पनी है जो असम में दिग्बोई शोधनशाला की मालिक है तथा इसे चलाती है। बर्मा आयल (इन्डिया ट्रेडिंग) कम्पनी यू० के० लि० जो कि एक स्टर्लिंग के वह भी बर्मा आयल कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व में है और उसमें पूर्वी भारत में अपनी विपणन परिसम्पत्ति असम आयल कम्पनी को परस्पर निर्धारित किराये पर उपलब्ध की है।

(ग) (1) असम आयल कम्पनी लि०, बर्मा आयल कम्पनी इंडिया(ट्रेडिंग) कम्पनी लि० और बर्मा आयल कम्पनी लि० से पिछले दो वर्षों में लाभ की कोई राशि विदेश नहीं भेजी थी।

(2) 31-3-1978 और 31-3-1979 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी लि० ने कर के पश्चात लाभांश के रूप में क्रमश: 27,75,090 और 47,52,341.50 रुपये विदेश भेजे थे।

(3) एम० आर० एल० के सम्बन्ध में बाहर भेजा गया शुद्ध लाभांश निम्न प्रकार था :

	1978-79	1979-80
अमोको	रु० 15,69,092	रु० 18,82,910
एन०आई०ओ०सी०	रु० 15,69,092	रु० 18,82,910

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में खुले मुंह वाली खानें

*444. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने खुले मुंह वाली कितनी खानें खोली हैं अथवा खोलने का विचार है;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी खानों में उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जो ओपेन कास्ट खानें स्वीकृत हैं या विचाराधीन हैं/जिनके बारे में योजना बनाई जा रही है उनके संबंध में वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्षमता की जानकारी कम्पनी की वार्षिक योजना 1980-81 के अनुसार नीचे दी गई है :

I. स्वीकृत निर्माणाधीन खानें		लक्ष्य क्षमता (मि० टन)
1	2	3
1.	डेलूरबन्द	0.30
2.	कुमारडीही	0.46
3.	पश्चिम बराकर	0.24
4.	बंसरा	0.20
5.	कुमारखेला	0.28
6.	रतीबाती	0 16
7.	सूदिया	0.33
8.	पुरुषोत्तमपुर	0.46

1	2	3
9.	चौरा	0.27
10.	कपासरा	0.30
II.	चालू खानें	
11.	डालमिया	0.10
12.	डबेर	0.15
13.	संग्रामगढ़	0.25
14.	मोहनपुर	0.19
15.	गौरंगडीह	0.20
16.	चित्रा	0.14
17.	कुमारधुबी	0.16
18.	कपासरा	0.18
19.	राजपुरा	0.25
20.	मंडामन	0.14
21.	लखमीमाता	0,18
22.	सूदिया	0,22
23.	शामपुर-3	0.07
24.	निरशा	0.13
25.	हरियाजाम	0.24
26.	बडजना	0.45
27.	चापापुर II	0.25
28.	बोनजमेहारी	0.29
29.	निमचा	0.06
30.	महाबीर	0.16
31.	परासिया	0.30
32.	केंडा	0.16
33.	बोबराना	
34.	नवाकजोरा	0.09
35.	धनश्याम	0.11
III.	सरकार के विचाराधीन खानें	
36.	राजमहल	5.00 (वर्ष 1986-87 तक उत्पादन लक्ष्य पूरा करने की संभावना है)
I,	योजनाधीन खानें	
37.	कोल्टाडीह	3.00

1	2	3
38.	नक्काकोंडा	4.00
39.	जम्बाद	2.25
40.	कुमारखाला (फेज-II)	0.45
41.	संग्रामगढ़	0.88
42.	बडजना	0.50
43.	गौरंगडीह	0.50
44.	मंडसन	1.50

उड़ीसा में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण

*445. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में समुद्र-तट से दूर, विशेषतया चिलका झील क्षेत्र में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करा रही है;

(ख) क्या सरकार को इसकी जानकारी दी गई है कि पूरी जिले के कृष्ण प्रसाद खण्ड में खाल गांव के एक तालाव की खुदाई करते समय मिट्टी का तेल युक्त मिट्टी पाई गई है; और

(ग) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में तेल तथा गैस होने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए वहां एक सर्वेकण दल भेजेगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उड़ीसा के समुद्री क्षेत्र में महानदी वेसिन में 12,000 वर्ग किलो मीटर में हवाई चुम्बकीय तथा समुद्री भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया है । चिलका झील इसमें शामिल नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में कुकिंग गैस एजेंसियों का आवंटन

*446. **श्री रामलाल राही**: क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में (जिलावार) ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहा ईंधन की कमी के संदर्भ में वर्ष 1980-81 के दौरान कुकिंग गैस एजेन्सियों के आवंटित करने का विचार है;

(ख) क्या आरक्षित कोटे के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कुकिंग गैस एजेसियों के आवंटन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किवे गये थे लेकिन इंटरव्यू का आयोजन करने के वाद इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने स्थान हैं और इस बारे में कोई निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1980-81 के दौरान तेल उद्योग द्वारा उत्तर प्रदेश के जिन नगरों में खाना पकाने वाली गैस की एजेन्सियां खोलने का प्रस्ताव है उनके जिलावार नाम निम्न प्रकार हैं :

जिला	नगर का नाम
आगरा	आगरा
सहारनपुर	रुड़की, सहारनपुर
मेरठ	मेरठ, मोदीनगर, हापुड़
गाजियाबाद	गाजियाबाद
मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
झाँसी	झांसी
मथुरा	मथुरा/वृन्दावन
रामपुर	रामपुर
बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
मुरादाबाद	मुरादाबाद

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सामाजिक अपराध रोकने में रेडियो और टेलीविजन की भूमिका

*447. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जन संचार के माध्यम विशेषरूप से रेडियो और टेलीविजन की महिलाओं के प्रति बलात्कार, दहेज, आदि जैसे अपराधों को रोकने के लिए व्यापक जागृति पैदा करने में विशेष भूमिका है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में उक्त उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही महिलाओं पर अत्याचारों, दहेज की बुराइयों, आदि जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को शिक्षित करने के अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतया सजग हैं । आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्र इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों/अपराधों के विरूद्ध श्रोताओं/दर्शकों को प्रेरित करने के लिए इन विषयों पर विभिन्न रूपों में कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित करते रहे हैं । ये कार्यक्रम आम जनता को निदेशित कार्यक्रमों के ही अंग

नहीं होते अपितु विशिष्ट श्रोता वर्गों यथा महिलाओं, बच्चों, युवकों, ग्रामीण श्रोताओं और औद्योगिक श्रमिकों के लिए अभिप्रेत विशेष कार्यक्रमों के भी अंग होते हैं।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम और भारतीय उर्वरक निगम के मुख्यालयों का स्थानान्तरण

*448. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम और भारतीय उर्वरक निगम के मुख्यालयों को दिल्ली से पटना अथवा रांची स्थानान्तरित किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मार्च, 1979 में प्रयोगात्मक, रूप से यह निर्णय लिया गया था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के मुख्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित किया जाना चाहिए और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के मुख्यालय को बिहार में किसी उपयुक्त स्थल पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। सरकार को स्थानान्तरण के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो विचारार्थ रुके पड़े हैं, दोनों निगमों को कहा गया है कि इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय करार न किए जायें।

पश्चिम बंगाल में एंटीबायोटिक फर्मोटेशन प्लांट की तीसरी यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव

*337. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम वैस्ट बंगाल फार्मास्यूटीकल एण्ड फाइटो. कैमिकल डेवलपमैंट कारपोरेशन ने यह प्रस्ताव भेजा था कि सरकारी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में एंटीबायोटिक फर्मोटेशन प्लांट की तीसरी यूनिट स्थापित की जाये ?

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को पश्चिम बंगाल फर्मास्यूटिकल एण्ड फाइटोकेमिकल डेवलपमैंट कार्पोरेशन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में ताप बिजली घर

3307. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ताप बिजली घरों की संख्या कितनी है और बिजली घर-वार उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) लक्ष्य तक बिजली पैदा करने के लिए प्रत्येक ताप बिजली घर की कोयले की कितनी मांग है; और

(ग) इस समय प्रत्येक ताप बिजली घर में कोयले का कितना स्टाक है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोलले पर आधारित ताप विद्युत केंद्रों की राज्यवार संख्या, उनकी क्षमता तथा केन्द्रवार कोयले की उनकी वर्तमान मासिक आवश्यकता को दिखाने वाला विवरण, विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) बड़े ताप विद्युत केंद्रों में कोयले के भण्डार की अद्यतन स्थिति दिखाने वाला विवरण, विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

क्र० सं०	ताप विद्युत केंद्र	क्षमता (मेगावाट)	कोयले की वर्तमान आवश्यकया ('000 मीटरी टनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
	उत्तरी क्षेत्र		
	दिल्ली		
1.	बदरपुर	510	150
2.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान		
	(1) इन्द्रप्रस्थ	282.5	110
	(2) राजघाट	28	15
	जोड़	820.5	275
	हरियाणा		
3.	फरीदाबाद	135	50
4.	पानीपत	220	60
	जोड़	355	110
	पंजाब		
5.	भटिण्डा	440	125
	लघु ताप विद्युत केंद्र	5	शून्य
	जोड़	445	125

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		
6.	हरदुआगंज-ए	90	शून्य*
7.	हरदुआगंज-बी और सी	390	140
8.	कानपुर (आर० पी० एच)	65	30
9.	ओबरा	1150	340
10.	(1) पनकी	61	30
	(2) पनकी विस्तार	220	80
11.	रेणुसागर	125	90
	लघु ताप विद्युत केंद्र	123.5	53.5
	जोड़	2224.5	763.5
	राजस्थान		
	लघु ताप विद्युत केंद्र	24.5	12
	जोड़ : (उत्तरी क्षेत्र)	3869.5	1285.5
	पश्चिमी क्षेत्र		
	गुजरात		
12.	अहमदाबाद	302	120
13.	धुवारण	534	25
		(54 मेगावाट गैस टरबाइन को छोड़कर)	
14.	गांधीनगर	240	70
15.	उकई	640	130
	लघु ताप विद्युत केंद्र	112	7
	जोड़	1828	352
	महाराष्ट्र		
16.	भुसावल	272.5	85
17.	चोला	40	30
18.	खापरखेड़ा	90	30
19.	कोराडी	680	220
20.	नासिक	490	175
21.	पारस	92.5	40

(1)	(2)	(3)	(4)
22.	पारली	60	55
23.	ट्राम्बे	330	शून्य
	लघु ताप विद्युत केंद्र	18	10
	जोड़	2073	645
	मध्य प्रदेश		
24.	अमरकंटक	300	110
25.	कोरबा-I	100	220
	कोरबा-II और विस्तार	320	
26.	सतपुड़ा	512.5	145
		1232.5	475
	जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	5133.5	1472
	दक्षिणी क्षेत्र		
	आन्ध्र प्रदेश		
27.	कोठागुडम	680	185
28.	(1) रामागुण्डम-ए	37.5	
	(2) रामागुण्डम-बी	62.5	35
29.	विजयवाड़ा	210	100
	लघु ताप विद्युत केंद्र	40	20
	जोड़	1030	340
	तमिलनाडु		
30.	वेसिन ब्रिज	90	35
31.	एन्नौर	450	110
32.	तूतीकोरिन	210	60
	जोड़	750	205
	जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	1780	545

(1)	(2)	(3)	(4)
	पूर्वी क्षेत्र		
	बिहार		
33.	बरौनी	145	45
34.	पतरातू	620	145
	लघु ताप विद्युत केंद्र	13.5	3.5
	जोड़	778.5	193.5
	दा० धा० नि०		
35.	बोकारो	227.5	60
36.	चन्द्रपुरा	780	155
37.	दुर्गापुर	250	65
	जोड़	1257.5	280
	उड़ीसा		
38.	तलचेर	250	70
	पश्चिम बंगाल		
39.	वन्डेल	320	70
40.	कलकत्ता	328	130
41.	दुर्गापुर (डी० पी० एल०)	280	75
42.	संथालडीह	360	80
	लघु ताप विद्युत केंद्र	24.5	8
	जोड़	1312.5	363
	जोड़ : (पूर्वी क्षेत्र)	3598	906.5
	कुल जोड़ :	14381	4209

देश में वृहत ताप विद्युत केन्द्रों की कुल संख्या = 42

देश में लघु ताप विद्युत केन्द्रों की कुल संख्या = 25

विवरण-2

क्रम सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	कोयले के भंडार की वर्तमान स्थिति		
		मी० टन	दिन	तारीख
1	2	3	4	5
	पूर्वी क्षेत्र			
1.	बरौनी	15291	15	27.6.80
2.	पतरातू	63255	12	29.6.80

1	2	3	4	5
3.	बोकारो	150052	60	24.6.80
4.	चन्द्रपुरा	90048	20	20.6.80
5.	दुर्गापुर (दा० धा० नि०)	55550	22	27.6.80
6.	तलचेर	63448	32	28.6.80
7.	बंडेल	3200	1½	30.6.80
8.	कलकत्ता	14478	3½	28.6.80
9.	दुर्गापुर (डी० पी० एल०)	75010	37	15.6.80
10.	सन्तालडिह	3242	1	30.6.80
	उत्तरी क्षेत्र			
11.	बदरपुर	12622	3	1.7.80
12.	दि० वि० प्र० सं० (i) आई. पी. स्टेशन	6872	2	30.6.80
	(ii) राजघाट	3450	7	28.6.80
13.	फरीदाबाद	20807	21	23.6.80
14.	पानीपत	3253	2	29.6.80
15.	भटिंडा	4410	1	36.6.80
16.	हरदुआगंज-ए	**	—	—
17.	हरदुआगंज-बी एण्ड सी	25566	6	25.6.80
18.	कानपुर आर. पी. एच.	8235	8	26.6.80
19.	(i) ओबरा-ए	38553	7	26.6.80
	(ii) ओबरा-बी	14225	2½	26.6.80
20.	(i) पनकी	2492	3½	27.6.80
	(ii) पनकी विस्तार	4663	2	27.6.80
	दक्षिण क्षेत्र			
21.	कोठागुडम	65660	11	27.6.80
22.	रामागुण्डम	22175	17	18.6.80
23.	विजयवाड़ा	54470	22	18.6.80
24.	एन्नौर	58544	14	1.7.80
25.	वेसिन ब्रिज	13256	13	1.7.80
	पश्चिमी क्षेत्र			
26.	अहमदाबाद	34168	11	30.6.80
27.	धुवारण	8150	10	30.6.80
28.	गांधीनगर	35031	17	30.6.80

1	2	3	4	5
29.	उकई	14006	3	30.6.80
30.	खापरखेड़ा	13850	12	30.6.80
31.	भुसावल	4643	2	30.6.80
32.	कोराडी	71055	10	30.6.80
33.	नासिक	22026	5	30.6.80
34.	पारस	7406	6	30.6.80
35.	अमरकंटक	25241	7	26.6.80
36.	पारली	1759	2	30.6.80
37.	कोरबा	277108	46	26.6.80
38.	सतपुड़ा	115357	30	26.6.80

*आग दुर्घटना के कारण बिजली घर 26-4-80 से बंद पड़ा है।

**बिजलीघर बन्द पड़ा है।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किए जाने के बाद औषधियों के मूल्य में वृद्धि

3308. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधियों के नाम क्या हैं जिनकी कीमतों में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के जारी किये जाने के बाद वृद्धि की अनुमति दी गई थी और मूल्यों में वृद्धि की अनुमति कितनी बार दी गई तथा प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की अनुमति दी गई;

(ख) मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किये जाने के बाद अधिकतम कितने प्रतिशत, वृद्धि की अनुमति दी गई; और

(ग) बार-बार वृद्धि की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1971 के लागू होने के बाद वर्ष 1980-81 के बजट प्रस्तावों में पेटेन्ट अथवा स्वामित्व वाली दवाइयों पर लागू किये गये उत्पाद शुल्क की मूल दर के 2/20 के बराबर वृद्धि को छोड़कर मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों के मूल्यों में वृद्धि की कोई अनुमति नहीं दी है।

बल्क औषधों के मामले में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के लागू होने के बाद निम्नलिखित बल्क औषधों के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी गई थी :

क्रम सं०	औषध का नाम	संशोधन से पूर्व मूल्य	डी. पी. सी. ओ. 79 के अन्तर्गत संशोधित मूल्य (रुपये/कि. ग्रा.)	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	सोडियम पी. ए. एस.	61.00 (कैप्टिव प्रयोग के लिये)	65.02 (कैप्टिव प्रयोग के लिये)	6.59
		63.16 (दूसरों को बेचने के लिए)	67.18 (दूसरों को बेचने के लिए)	6.36
2.	पी. ए. एस. एसिड	65.85 (कैप्टिव प्रयोग के लिए)	69.87 (कैप्टिव प्रयोग के लिए)	6.10
		68.00 (दूसरों को बेचने के लिए)	72.02 72.02 (दूसरों को बेचने के लिए)	5.91
3.	कैल्शियम पी. ए. एस.	83.26 (कैप्टिव व प्रयोग और दूसरों को बेचने के लिए)	89.14 (कैप्टिव व प्रयोग और दूसरों को बेचने के लिये)	7.06
4.	कैल्शियम पी. बी. ए. एस.	65.28 (कैप्टिव व प्रयोग और बिक्री के लिये)	68.12 (कैप्टिव व प्रयोग और बिक्री के लिये)	4.35
5.	इन्डोमेथासिन	672.00 (पूल मूल्य)	918.70 (पूल मूल्य)	36.71

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के लागू होने के बाद जहां सरकार ने बल्क औषधों के मूल्य में वृद्धि की अनुमति दी है उनकी प्रतिशत वृद्धि को भाग (क) के उत्तर में दर्शाया गया है, उत्पाद-शुल्क के कारण फार्मूलेशनों के मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) में बताए गए मामलों में से किसी भी मामले में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के लागू होने के बाद मूल्यों में वृद्धि के लिए एक बार से अधिक अनुमति नहीं दी गई है। पी. ए. एस. और उसके लवण के मामले में वृद्धि की अनुमति दी गई थी क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण पी. ए. एम. और उसके लवण के उत्पादन के लिये अपेक्षित एक रसायन, पेरा-एमिनोफिनोल के मूल्य बढ़ गये हों / थे।

जहां तक इन्डोमेथासिन का संबंध है औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के लागू होने से पहले सी. पी. सी. द्वारा आयातित बल्क औषधों की बिक्री हेतु उनके लिये 672/– रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य प्रचलित था। देश में एक लघु उद्योग एकक अर्थात मैसर्स मर्मेड कैमिकल्स

द्वारा उत्पादन आरम्भ करने के बाद स्वदेशी उत्पादन के लिये प्रति किलो ग्राम 918.70 रुपये का मूल्य निर्धारित किया गया है।

कर्नाटक की पन-बिजली परियोजनाएं

3309. **श्री ओस्कर फर्नान्डीज :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तुत उन पन-बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अधूरी पड़ी हैं और जिन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिये; और

(ख) प्रत्येक परियोजना कब से विचाराधीन पड़ी है और उन्हें कब तक मंजूरी मिल जाने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दो जल विद्युत स्कीमों को स्वीकृति दी जानी है। ब्यौरे दिखाने वाले विवरण में देखा जा सकता है।

विवरण

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	परियोजना रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
घाटप्रभा जल विद्युत परियोजना	2×16 मेगावाट	18.82	जून, 1978	परियोजना रिपोर्ट की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/केंद्रीय जल आयोग में जाँच की गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। सिंचाई रिलीजों संबंधी टिप्पणियों के उत्तर मई, 1980 में प्राप्त हो गए हैं और इस समय उनकी जांच की जा रही है।
काबिनी जल-विद्युत परियोजना	1×20 मेगावाट	9.33	सितम्बर, 1979	परियोजना पिरोर्ट की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/केंद्रीय जल आयोग में जांच की गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को फरवरी/मार्च, 1980 में भेज दी गई हैं। इन टिप्पणियों के उत्तर की प्रतीक्षा है।

उड़ीसा में लघु उद्योगों को पैराफिन मोम की सप्लाई

3310. **श्री के प्रधानी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐसे कौन-कौन से लघु उद्योग हैं, जिनमें बुनियादी कच्चे माल के रूप में पैराफिन की खपत होती है तथा ऐसे प्रत्येक उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक को कितना-कितना पैराफिन मोम अलाट किया गया;

(ग) यदि हां, तो लगातार उत्पादन होते रहने तथा उद्योग में नियुक्त श्रमिकों के हित में इन उद्योगों को पैराफिन मोम की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

3311. **श्री डी० पी० जनेजा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में सहायता देने के विचार से किन्हीं राज्यों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ग) चुने गए राज्वों के नाम क्या हैं; और

(घ) विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता देने का प्रस्ताव था और वह किस प्रकार दी जायेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (घ) ऐसी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के समूह के लिए धन की व्यवस्था करने की धारणा को, जो विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ सलाह करके निर्धारित किए गए आर्थिक तथा तकनीकी मानदण्डों पर पूरा उतरें, 1977 में लागू किया गया था । इस कार्यप्रणाली के अन्तर्गत उड़ीसा और गुजरात के राज्यों में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ऋण की धनराशि (मिलियन डालर)	हस्ताक्षर की तारीख	करार के समाप्त होने की तारीख
1.	उड़ीसा सिंचाई परियोजना	58.00	11.10.77	31.10.83
2.	गुजरात सिंचाई परियोचना	85.00	17.7.78	30.6.84

इसी प्रकार की ऋण सहायता के लिए मध्यम प्रदेश की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के एक समूह पर विचार किया जा रहा है ।

यह मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सहायता के लिए लगभग 5 वर्ष की अवधि में ऋण देने की प्रणाली है । निर्माणाधीन और नयी दोनों प्रकार की स्कीमें इस ऋण-प्रणाली में शामिल

की जा सकती हैं। करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख के पश्चात हुआ व्यय सहायता के लिए पात्र होता है। इन परियोजनाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो विश्व बैंक द्वारा निर्धारित आर्थिक तथा तकनीकी मानदण्ड पर पूरा उतरती है। केन्द्रीय जल आयोग में गठित मूल्यांकन समिति को कुछ निर्धारित धन-राशि तक की लागत वाली अलग-अलग उप-परियोजना (उड़ीसा और गुजरात की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मामले में 70 मिलियन रुपये) को स्वीकृत करने का अधिकार है। इस सीमा से अधिक लागत वाली उप-परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की पहले से स्वीकृति लेनी होगी। इन परियोजनाओं पर व्यय पहले राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और फिर मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकारें किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए विश्व बैंक से दावे प्रस्तुत करती हैं। सामान्यतः 50 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

गुजरात की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक सहायता

3312- **श्री अमरसिंह वा० राठवा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या एवं ब्यौरा क्या है जो लघु किसानों को बैंक सहायता सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत गुजरात राज्य के लिए मंजूर की गई हैं;

(ख) इस धनराशि का किस माध्यम से व्यय किया जायेगा; और

(ग) गुजरात राज्य के किन-किन जिलों को इससे लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ग) विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, गुजरात को मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 85 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। जो ऋण-सहायता मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के एक समूह के लिए है। वे मध्यम परियोजनाएं, जो बैंक के साथ सलाह करके निर्धारित किए गए आर्थिक और तकनीकी मानदण्डों पर पूरा उतरें, इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय जल आयोग में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद, ऋण-सहायता प्राप्त करने की पात्र हो जायेंगी। गुजरात सरकार ने इस ऋण-सहायता के समुपयोजन के लिए बहुत सी मध्यम परियोजनाएं निर्धारित की हैं। इनमें से निम्नलिखित 12 परियोजनाएं भारत सरकार की मूल्यांकन समिति/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन द्वारा सहायता के लिए अब तक स्वीकृत की गई हैं। ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर)	लाभान्वित जिले
1	2	3	4	5
1,	पानम	41.4	53451	पंचमहल और बडोदरा
2.	सुखी	32.5	25205	पंचमहल और बडोदरा
3.	मछनाला	4.7	4335	पंचमहल
4.	आमली (वरन्दी)	6.4	5466	सूरत
5.	कालूमार	6.3	5364	भावनगर

1	2	3	4	5
6.	सुखवहादुर	5.9	7030	सुरेन्द्रनगर, भावनगर तथा अहमदाबाद
7.	मछुन्दी	7.3	7609	जूनागढ़
8.	वातरक	24.4	16875	सवरकंठा कैरा
9.	दिओ	16.1	9261	वडोदरा और पंचमहल
10.	खंद	15.1	9282	जामनगर
11.	वेणून्दो	8.9	5279	राजकोट और जूनागढ़
12.	हदफ	7.9	4740	पंचमहल

(ख) ऋण-करार के अन्तर्गत, केन्द्रीय जल आयोग में गठित मूल्यांकन समिति को, 70 मिलियन रुपये (मूल्य-वृद्धि को छोड़कर) तक की लागत वाली परियोजनाओं का अनुमोदन करने का अधिकार है वशर्ते कि ऐसी परियोजनाएं विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार से सलाह करके निर्धारित किए गए तकनीकी, आर्थिक मानदण्डों पर पूरा उतरें। 70 मिलियन रुपये (मूल्य वृद्धि को छोड़कर) से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके वाद परियोजनाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। शुरू में इन परियोजनाओं पर व्यय गुजरात सरकार द्वारा किया जाता है, जो परियोजना को स्वीकृति के बाद आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए विश्व बैंक को दावे प्रस्तुत करती है। सामान्यतः 50 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

गुजरात में कोयले की कमी

3313. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात राज्य में कोयले की भारी कमी है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा विशेषतः पश्चिमी क्षेत्र में कोयले के लदान के लिए अपनाई जा रही प्रणाली असन्तोषजनक है;

(ग) क्या गुजरात राज्य ने राज्य के लिये कोयले के और अधिक कोटे के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उद्योगों के लिए कोयले की उपलब्धि में कमी के बारे में गुजरात से कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में लदान पर किसी सीमा तक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में कोयला उद्योग द्वारा वैगन प्रस्ताव करने और रेलवे द्वारा आवंटन करने की प्रणाली सन्तोषअनक है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार समय-समय पर ताप बिजलीघरों के लिए कोयले के और अधिक संयोजन के लिए अनुरोध करती रही है । इन अनुरोधों पर स्थायी संयोजन समिति ने विचार किवा है । इस समिति में कोयला और विद्युत विभागों, रेलवे मंत्रालय तथा कोयला कम्पनियों के प्रतिनिधि हैं । इस विचार के बाद कोयले का और अधिक आवंटन किया गया है ।

दूरदर्शन पर एल्फ्रेड हिचकाक पर फीचर कार्यक्रम

3714. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आने माने फिल्म निर्माता और लेखक एल्फ्रेड हिचकाक की मृत्यु के बाद दूरदर्शन पर उनके जीवन और कृत्यों पर कोई विशेष फीचर कार्यक्रम दिखाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

सीमेंट कारखानों को कोयले तथा बिजली की सप्लाई

3315. **श्री आनन्द पाठक:** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश के विभिन्न सीमेंट कारखानों को कोयले तथा बिजली की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : सीमेंट उद्योग को कोयले और बिजली की सप्लाई में सुधार के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

कोयला

(1) कोयले के रेल द्वारा संचलन की सभी स्तरों पर बारीकी से देखरेख की जा रही है । यह देखरेख औद्योगिक आधारभूत सामग्री संबंधी मन्त्रिमण्डलीय समिति भी कर रही है ।

(2) कोयला कम्पनियां सभी स्तरों पर रेलवे के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रख रही हैं ताकि उद्योगों को और विशेष रूप से सीमेंट उद्योग को रेल द्वारा कोयले का अधिकतम संचलन किया जा सके ।

(3) कोयला कम्पनियां स्थायी संयोजन समिति द्वारा किए गए संयोजन के अनुसार सीमेंट यूनिटों के लिए रेल संचलन से बच गया कोयला सड़क द्वारा ले जाने के लिए दे रही हैं ।

बिजली

वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में बिजली के उपयोग पर लगे प्रतिबन्ध इस समय बिलली की कमी के फलस्वरूप लगाए गए हैं । विद्युत विभाग द्वारा वर्ष 1974 में बिजली की सप्लाई के लिए परिचालित वर्गीकृत प्राथमिकता योजना के साथ जारी मार्गदर्शी निर्देशों में सीमेंट उद्योग को आवश्यक उपभोक्ताओं के ग्रुप II में शामिल किया गया है, जिनमें बिजली सेक्टर के अन्य निवेशी उद्योग —कोयला खनन, तेल, इस्पात, उद्योग,

आदि शामिल हैं। मानसून के शुरू हो जाने से राज्य सरकारों ने विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कटौती में कमी कर दी है / कटौती समाप्त कर दी है। आशा है कि इस वर्ष मानसून में सामान्य वर्षा होने से बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जाएगा। इसी बीच सीमेंट यूनिटों को ग्रहीत/आपाती अतिरिक्त विद्युत उत्पादक यूनिट स्थापित करने की आज्ञा दे दी गई है।

कोयले के उत्पादन में कमी का रेलवे एवं उद्योगों पर प्रभाव

3316. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कोयला क्षेत्रों में उत्पादन में निरन्तर कमी हो रही है जिसका रेलवे एवं उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उपचारी कदम उठाये गए हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। कोयले के उत्पादन में वर्ष 1978-79 की तुलना में वर्ष 1979-80 में तो वास्तव में 2 मि० टन की वृद्धि हुई है तथा अप्रैल-जून, 1979 की तुलना में अप्रैल जून 1980 में 2.50 मि० टन की वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय भाषाओं में वृत्त तथा रूपक चित्र बनाना

3317. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय बोलियों में वृत्त तथा रूपक चित्र बनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चुनी गयी बोलियों के नाम क्या हैं;

(ग) उन फिल्मों के नाम क्या हैं जिनके निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई वित्तीय सहायता दी गई हो;

(घ) प्रत्येक मामले में कितनी सहायता दी गई;

(ङ) क्या इस योजना के लिए कुछ और बोलियों का चयन किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और यदि हां/नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। फिल्म वित्त निगम (इसका 11.4.80 से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय हो चुका है) को अच्छी फिल्मों के निर्माण सहित भारतीय सिनेमा के संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए 1960 में स्थापित किया गया था। निगम स्क्रिप्ट और विषय के आधार पर, इस बात का विचार किए बिना कि फिल्म किस भाषा में बनाई जानी है, फीचर/डाकुमेंट्री फिल्मों के लिए ऋण मंजूर करता है। प्रादेशिक भाषायी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए,

निगम ने प्रादेशिक फिल्मों के दो महत्वपूर्ण निर्माण-केन्द्रों मद्रास और कलकत्ता, में रीजनल स्क्रिप्ट पैनल बनाए हुए हैं।

फिल्म प्रभाग का संबंधित क्षेत्रों की भाषाओं में फिल्में बनाने के लिए दो प्रादेशिक निर्माण केन्द्र स्थापित करने का विचार है—एक पूर्वी क्षेत्र में और दूसरा दक्षिण क्षेत्र में ।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है ।

(ङ.) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और फिल्म प्रभाग की योजनाओं के अन्तर्गत फिल्में किसी भी प्रादेशिक भाषा/बोली में हो सकती हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम संख्या	फिल्म का नाम और भाषा	मंजूर किए गए ऋण की राशि
1	3	3
		रुपए
1.	"विजिप्पु" (तमिल)	3,00,000/–
2.	"महाकवि नानालाल" (गुजराती में डाकुमेंट्री)	20,000/–
3.	"अपारूपा" (असमिया)	3,60,000/–
4.	"ट्वेन्टी सैकण्ड जून 1897" (मराठी)	3,50,000/–
5.	"वरा" (कन्नड़)	3,50,000/–
6.	"भवानी भवाई" (गुजराती)	3,50,000/–
7.	"फण्यम्मा" (कन्नड़)	2,50,000/–
8.	"अभिलाषा" (उड़िया)	3,00,000/–
9.	"नेराब झडा" (उड़िया)	2,34,000/–
10.	"अश्वमेध घोड़ा" (बंगला और हिन्दी)	3,50,000/–
11.	"माया मृग" (उड़िया)	4,00,000/–
12.	"आज वाली रात अमास नी" (गुजराती)	4,50,000/–

साहु जैन ग्रुप का सैन्ट्रल जूट मिल्स

3318. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि कलकत्ता के तीन प्रसिद्ध पटसन मिलों के तथा वाराणसी में एक सोडा ऐश फैक्टरी के मालिक साहू जैन ग्रुप की सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड निरन्तर घाटे में चल रही है और उसने गत 14 वर्ष से अपने शेयरधारियों को कोई लाभ नहीं दिया है;

(ख) क्या इस कम्पनी का उत्पादन तथा इसकी शुद्ध पूंजी में वर्ष प्रतिवर्ष कमी आती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप सरकार, श्रमिकों तथा शेयरधारियों को कितनी हानि हो रही है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के मामलों की जांच कराने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) संभवतः माननीय सदस्य की इच्छा साहू-जैन समूह से सम्बन्धित, न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड पर सूचना प्राप्त करने की है। न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड की बाबत सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) कम्पनी द्वारा अपने लेखा-परीक्षित लेखाओं में दिए गए, 31-3-1979 की समाप्ति तक की चार वर्षीय अवधि के मध्य, जूट सामान, कास्टिंग्स, रासायन व उर्वरकों के वास्तविक उत्पादन व साथ ही शुद्ध पूंजी के ब्यौरे प्रदर्शित करते हुए एक विवरण-2 में संलग्न है।

(ग) गत चार वर्षों के मध्य अवलोकित उत्पादन में गिरावट के परिणाम स्वरूप, सरकार के राजस्व, श्रमिकों तथा हिस्सेधारियों की हानि का, इस विभाग ने कोई अनुमान नहीं लगाया है।

(घ) इस कम्पनी के कार्य-कलापों का, कम्पनी अधिनियम की धारा 209-क के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण रिपोर्ट विभाग में प्राप्त हो चुकी है। उसकी परीक्षा की जा रही है, तथा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत यथा समुचित कार्यवाही की जायेगी।

विवरण-1

वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि (लाख रु० में)	घोषित लाभांश
1	2	3
31-3-65	62.38(—)	×
31-3-66	54.73(—)	×
31-3-67	15.55(—)	×
31-3-68	22.49(+)	×
31-3-69	25.87(+)	×
31-3-70	102.96(+)	×
31-3-71	99.42(+)	
31-3-72	169.65(+)	×
31-3-73	18.64(—)	×
31-3-74	56.21(—)	×
31-3-75	170.07(+)	×
31-3-76	80.94(+)	31-3-65 व 31-3-66 की दो वर्ष समाप्तियों के लिए 18.20 दो वर्षों के लिए अर्थात प्रतिवर्ष 9.10 प्रतिशत कर योग प्रतिशत के

1	2	3
		आधार पर अधिमान हिस्सों पर 6,00,600 रु०
31-3-77	135.67(—)	×
31-3-78	155.57(—)	×
31-3-79	263.09	×

विवरण-2

क– 31-3-79 को समाप्त चार लेखा वर्षों के वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे प्रदर्शित करता हुआ विवरण-पत्र :

वर्ष	मीट्रिक टन में जूट का सामान	मीट्रिक टन में प्रतिशत	रासायन तथा उर्वरक मीट्रिक टन में
31-3-76	59,009	1187	42738 **
31-3-77	52,298	834	42433 **
31-3-78	47,632	951	35307 **
31-3-79	39,952	323	37189 **

उपरोक्त के अलावा कम्पनी जूट मिल मशीनरी वस्तुओं का एक छोटी संख्या में निर्माण कर रही है ।

ख– 31-3-79 तक के लेखा वर्षों की समाप्ति की कम्पनी की शुद्ध पूंजी प्रदर्शित करते हुये विवरण-पत्र :

तक की वर्ष समाप्ति	(शुद्ध पूंजी लाख रु० में)
31-3-76	528.55
31-3-77	392-88
31-3-78	237.31
31-3-79	(—) 25.80

टिप्पणी :– प्रावधान न किए अवकर्षण तथा देयताओं की शेष राशि की गणना न करते हुए, लेखाओं के एक भाग के रूप में दिए गए नोट में यथा वर्णित, तुलन-पत्र में प्रकट किए गए आंकड़ों के आधार पर शुद्ध पूंजी की गणना की गई है ।

दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माता संवर्ग के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त करने का प्रस्ताव

3319. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**आन्तरिक उपभोग के लिए निर्मित अमोनिया सम्मिलित है ।

(क) क्या सरकार दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के कार्यक्रम निर्माता संवर्ग (प्रोडक्शन केडर) के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि नई पीढ़ी के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकारी सेवा के इस संवर्ग में 60 वर्ष की आयु होने पर सेवा निवृत्ति की छूट क्यों दी गई है; और

(ग) क्या दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के कार्यक्रम संवर्गों में अधिकतम संख्या के युवाओं को नियुक्त करने की कोई योजना तैयार की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) निर्माता संवर्ग के कर्मचारियों को 58 वर्ष के हो जाने पर सेवा निवृत्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इनको 58 वर्ष की आयु पर पुनरीक्षण के अधीन दक्षता के अनुरूप उनकी प्रतिभा और अनुभव का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए ६0 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जाता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन के लाभ देने का प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो स्टाफ आर्टिस्ट, निर्माता संवर्ग के स्टाफ आर्टिस्टों सहित, नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों के अधीन हो जाएंगे और तब उनकी सेवा निवृत्ति की आयु भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात् 58 वर्ष के बराबर कर दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा द्वारा एथिलीन आक्साइड की सप्लाई

3320. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र का एकक इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड अपने उत्पादन का 75 प्रतिशत एथिलीन आक्साइड मैसर्स हाइको प्रोडक्ट्स लिमिटेड को और इसका 15 प्रतिशत मैसर्स एमीन्स एण्ड प्लास्टिसीजर्स लिमिटेड को सप्लाई कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य वास्तविक प्रयोक्ताओं को, उनके बारम्बार अनुरोध के बावजूद, इस आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरोक्त दो कम्पनियों को ही संरक्षण दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का देश में अन्य वास्तविक प्रयोक्ताओं को एथिलीन आक्साइड के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिये इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की बिक्री नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं। मैसर्स हाईको प्राडक्टस लिमिटेड तथा मैसर्स अमाईन एण्ड प्लैस्टीसाईजर्स लि० को जनवरी से जून

1980 के दौरान एथीलीन आक्साईड की सप्लाई की गई मात्रा कुल विक्रय की क्रमश: केवल 49 प्रतिशत और 17 प्रतिशत थी ।

(ख) जी नहीं । मैसर्स हाईको प्राडक्टस लि० और मैसर्स अमाईन एण्ड प्लैस्टीसाईजर्स लि० के अलावा आई० पी० सी० एल० 13 अन्य पार्टियों जो इस उत्पाद के परिवहन के लिये अपनी टैंक लारियों का प्रबन्ध कर सकी थीं को जनवरी से जून, 1980 की अवधि के दौरान एथीलीन आक्साई सप्लाई करता है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) जी नहीं । उपरोक्त (क) और (ख) को विचार में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी के मथुरा केन्द्र का विस्तार

3321. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के मथुरा केन्द्र का विस्तार करने के किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) मथुरा में स्थायी स्टूडियो स्थापित करने की एक स्वीकृत "योजना" स्कीम है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है । स्टूडियो के 1983 तक तैयार हो जाने की आशा है ।

सिंचाई परियोजनाओं में सोवियत संघ का सहयोग

3322. **श्री वी० के० नायर** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सिंचाई परियोजनाओं तथा संबद्ध कार्यों में सहयोग के लिए सोवियत संघ के साथ हाल में ही किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) नहरों, बांधों पर बनने वाले ढांचों तथा नहरों को लाइनिंग के लिए पूर्वनिर्मित वस्तुओं के निर्माण के लिए गुजरात राज्य में एक उद्यम की स्थापना करने की सम्भावयता की जांच करने के लिए सोवियत विशेषज्ञों के एक दल ने 14 फरवरी से 3 मार्च तक भारत का दौरा किया था । दौरे की समाप्ति पर, सोवियत दल के नेता तथा मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नई दिल्ली में 3 मार्च, 1980 को एक प्रीटाकोल पर हस्ताक्षर किये गये, जिसमें पूर्वनिर्मित ढांचों के निर्माण के लिए संयंत्रों की स्थापना के बारे में प्रारम्भिक प्रस्ताव शामिल थे । सोवियत पक्ष ने 9,000 घन मीटर, 15,000 घन मीटर तथा 1,00,000 घन मीटर वार्षिक को तीन विभिन्न क्षमताओं वाले संयंत्रों के बारे में तीन प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, अन्तिम संयंत्र को क्षमता को 2,00,000 घन मीटर प्रति वर्ष तक बढ़ाने की संभावना होगी ।

यह सहमति हुई है कि भारतीय पक्ष प्रारम्भिक प्रस्तावों के बारे में अपने अन्तिम निर्णय की सूचना यथासंभव शीघ्र देगा । यह भी सहमति हुई है कि पूर्वनिर्मित ढांचों के निर्माण के लिए

एक उद्यम की स्थापना के बारे में भारतीय पक्ष द्वारा अन्तिम निर्णय करने के बाद, सोवियत पक्ष के प्रस्तावों में शामिल विभिन्न विकल्पों के बारे में सम्भावयता रिपोर्ट/रिपोर्टें तैयार करना आवश्यक होगा। सोवियत पक्ष ने कहा है कि भारतीय पक्ष द्वारा अनुरोध किये जाने पर वे ऐसी सम्भावयता रिपोर्ट संविदा के आधार पर तैयार करने के लिए तैयार हैं।

सोवियत दल द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों पर गुजरात सरकार के साथ सलाह करते हुए विचार किया जा रहा है।

बम्बई हाई से मथुरा तक गैस पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव

3323. **श्री चतुर्भुज** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से मथुरा तक गैस-पाईप लाईन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाईन किन-किन स्थानों से गुजरेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) इस समय बम्बई हाई से मथुरा तक गैस पाईप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं है। परन्तु श्री लवराज कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति दक्षिण बेसिन क्षेत्र से गुजरात तथा अन्य राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में कुछ स्थलों तक गैस पहुंचाने के लिए पाईप लाईन के अधिकतम उत्तम आकार तथा उसके रास्ते आदि की समिति जांच कर रही है। सतीश चन्द्रन समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसार इन स्थलों पर उर्वरकों तथा पेट्रो-रसायन एककों की स्थापना का प्रस्ताव है। इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और आगे कार्यवाही की जायेगी।

तमिलनाडु सरकार द्वारा फिल्मों की खरीद

3324. **श्री एन० डेनिस** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के काफी मात्रा में कच्ची फिल्में खरीदी थीं;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में खरीदी थी और कितनी राशि में खरीदी थीं; और

(ग) क्या केवल अपेक्षित प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु फिल्मों की खरीद के लिए कोई शर्तें निर्धारित की गई थीं कि फिल्में अमुक प्रकार की हों ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई वार्षिक खरीदें हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० से प्राप्त विवरण संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कोरी फिल्मों की मात्रा और उसका मूल्य भी संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा कोई ऐसी शर्त नहीं रखी गई थी कि खरीदार फिल्मों का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए करे जिसके लिए वे खरीदी गई थीं।

विवरण

उत्पाद	मात्रा (रोलों की संख्या)			मूल्य (लाख रुपयों में)		
	1977-78	1978-79	1979-80	1977-78	1978-79	1979-80
1. 35 मि०मी० सिने पोजिटिव-सादी	1106	1976	1862	3.28	6.06	6.43
2. 16 मि०मी० सिने पोजिटिव-सादी	222	336	472	0.42	0.68	1.00
3. 35 मि०मी० सिने साऊंड	53	117	95	0.17	0.40	0.34
4. 35 मि०मी० सिने रंगीन पोजिटिव 0-7	—	117	182	—	0.69	1.12
5. 35 मि०मी० सिने रंगीन पोजिटिव जी-9	—	13	—	—	0.09	—
6. 35 मि०मी० लाईट स्ट्रक फिल्म	—	5	10	—	0.01	0.01
कुल :	—	—	—	3.87	6.93	8.90

ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत

3325. **श्री जैनुल बशर :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य की दृष्टि से कि विश्व भर में तेल के भण्डार तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं; भारत सरकार तेल के स्थान पर प्रयुक्त करने के लिए ऊर्जा के नए-नए स्रोत ढूंढने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भारत में ऊर्जा की मांग को जलाऊ लकड़ी, कृषि अवशेष, पशुओं के गोवर जैसे परम्परागत (गैर-वाणिज्यिक) स्रोतों से तथा ऊर्जा के आधुनिक प्रकार (वाणिज्यिक स्रोतों) से जैसे कोयला, तेल उत्पाद तथा बिजली आदि दोनों तरह से पूरा किया जाता है । 1976 में निर्धारित की गई ऊर्जा नीति के अनुसार जहां तक व्यवहार्य तथा किफायती हो वहां तक कोयले की ऊर्जा का मुख्य स्रोत स्वीकार किया है तथा ऊर्जा और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करने तथा ऊर्जा के नए स्रोतों का विकास करने के महत्व को स्वीकार किया गया है । बाद में हुए घटनाक्रम को विशेषकर तेल के मूल्य और उपलब्धता के संबंध में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा स्थिति की विस्तृत समीक्षा करने, ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एक परिप्रेक्ष्य का विकास करने तथा उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम समुपयोजन के लिए उपयुक्त नीति संबंधी उपायों की सिफारिश करने के

लिए तत्कालीन सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1979 में प्रस्तुत की है। कार्यकारी दल ने ऊर्जा के परम्परागत वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक संसाधनों का इष्टतम तरीके से विकास करने की आवश्यकता पर तथा ऊर्जा के संरक्षण के उपाय लागू करने पर बल दिया है।

2. कार्यकारी दल ने ऊर्जा की मांग को, विशेषकर तेल की मांग को, ऊर्जा-मूल्यों में हुई वृद्धियों को तथा इसकी सप्लाई प्राप्त करने में अनिश्चितता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रबंध योग्य स्तर तक नियंत्रित रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

3. कार्यकारी दल की सिफारिशों से उठे सभी मामलों की जांच करने के लिए फरवरी, 1980 में एक मंत्रिमंडलीय ऊर्जा समिति गठित की गई है। इस समिति को (फरवरी, 1980 में ही गठित) सचिवों की समिति को भी सहायता प्राप्त है। ऊर्जा का संरक्षण तथा तेल के स्थान पर प्रयोग के लिए ऊर्जा के नए स्रोतों का पता लगाने के लिए उपाय करना एक सतत प्रक्रिया है। कार्यकारी दल ने इसकी आवश्यकता पर बल देते हुए यह स्वीकार किया है कि कम से कम अगले दो दशकों के लिए देश की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को मुख्य रूप से वाणिज्यिक परम्परागत स्रोतों से तथा गैर वाणिज्यिक स्रोतों से पूरा करना होगा।

4. सौर ऊर्जा प्रोद्योगिकी, वायु ऊर्जा, जैव ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्य गैर-परम्परागत संसाधनों के संबंध में सुव्यवस्थित अनुसंधान और विकास करने के लिए भारत सरकार ने पहले ही एक समन्वित कार्यक्रम हाथ में लिया है। यह सतत कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य ऐसे अनुसंधान और विकास कार्य विकसित करना है, जिन्हें शीघ्रता पूर्वक व्यवहारिक उपयोग में लाया जा सके। ऐसे निदर्शन संयंत्रों की प्रतिष्ठापना पर बल दिया गया है, जो ऊर्जा के गैर-परम्परागत संसाधनों से ऊर्जा उत्पन्न कर सकें ताकि उनके व्यावहारिक उपयोग का मूल्यांकन और निर्धारण किया जा सके। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के विकास के संबंध में उठाए गए कदम नीचे दिए जाते हैं :

सौर ऊर्जा

5. सौर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा में होने वाली सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, विकेंद्रीयकृत आधार पर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसके उपयोग पर विशेष बल देते हुए, व्यावहारिक उपयोग के व्यापक क्षेत्र के लिए भारत सरकार का विचार सौर ऊर्जा प्रोद्योगिकियों के विकास को उच्च प्राथमिकता देने का है। प्रोद्योगिकी संस्थानों, सी० एस० आई० आर० की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० के अनुसंधान और विकास प्रभाग, सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड आदि जैसी कई एजेन्सियों द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं का समन्वय करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

6. इस समय की जा रही कार्यवाही का उद्देश्य, सौर प्रोद्योगिकी के निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों पर बल देते हुए, इस कार्यक्रम का विस्तार करने का है :

(क) सौर विकीरण के तापीय प्रभावों के आधार पर सौर ताप विद्युत यंत्रों तथा प्रणालियों का विकास करना;

(ख) सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टाइक यंत्रों और प्रणालियों का विकास करना;

(ग) जैव-द्रव्य तथा जैव परिवर्तन प्रोद्योगिकी ।

सौर ताप विद्युत यंत्र

7. ऐसी प्रोद्योगिकी तैयार करने के विशिष्ट संदर्भ में, जो विभिन्न उपयोगों के लिए लागत की दृष्टि से लाभकर हो, सौर संग्राहक प्रोद्योगिकी को इस क्षेत्र में प्राथमिकता दी जा रही है । विभिन्न क्षमताओं के खाद्यान्न शीर्षकों के प्रोटो-टाइप विकसित किए गए हैं तथा अलग-अलग क्षमता के ऐसे दो शीर्षक भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठापित किए गए और इनका परीक्षण किया जा रहा है । कृषि तथा खाद्य उत्पादों के लिए सौर शीर्षकों का और विकास किए जाने की भी परिकल्पना है ।

8. जल गरम करने की सौर प्रणालियों की कई किस्में विकसित की गई हैं ।

9. अवशोषण रेफ्रीजरेशन प्रणाली वाला एक सौर विद्युत कोल्ड स्टोरेज संयंत्र भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान बम्बई में पूरा हो गया है तथा इस संयंत्र के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जा रहा है । इसके कार्य-निष्पादन को इष्टतम करने हेतु ऐसे कुछ और संयंत्रों के डिजाइन, विकास और निर्माण की आयोजना की जा रही है ।

10. विकेंद्रित उपयोग के लिए, सौर ताप विद्युत ऊर्जा पर आधारित, निदर्शन विद्युत संयंत्र अगले तीन वर्षों में बनाने की योजना है । सौर ताप विद्युत यंत्रों के प्रोटो-टाइप तथा उत्पादन विकास करने के लिए, जिनमें क्षेत्रीय परीक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निदर्शन शामिल हैं, एक केन्द्र स्थापित करने के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार की गई है और इस पर पांच वर्षों में लगभग ० करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

फोटोवाल्टाइक यन्त्र तथा प्रणालियां

11. सौर ऊर्जा को फोटोवाल्टाइक सैल द्वारा सीधे ही बिजली में बदलने की आधारभूत प्रोद्योगिकी का विकास किया जा चुका है । भविष्य की सभी परियोजनाओं का उद्देश्य, इस पद्धति द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विद्युत की लागत को कम करना है । सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि० ने देश के विभिन्न अनुसंधान दलों के सहयोग से, सिंगल क्रिस्टल सिलिकान सेलों का निर्माण प्रयोगशाला के स्तर पर कर लिया है । केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लि० द्वारा विकसित किए गए सौर-फोटोवाल्टाइक (माड्यूल) इस समय प्रकाश गृहों में, नौवहन में, पानी पम्प द्वारा निकालने आदि में प्रयोग में लाए जा रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए 9.5 करोड़ रुपए की लागत की एक बड़ी योजना तैयार की गई है । इसी बीच लगभग 25 किलोवाट क्षमता के सौर-फोटोवाल्टाइक पम्पसेटों का निर्माण करने का तथा उन्हें 1981 तक क्षेत्र प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठापित करने का कार्यक्रम बनाया गया है । इसके साथ-साथ ही, विस्तृत क्षेत्रों में इसका प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार का विकास करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य हाथ में लिया गया है । इस वर्ष के बाद से, इन प्रणालियों के प्रयोग का विस्तार पीने के पानी और सिंचाई के लिए किए जाने की योजना बनाई गई है ।

जैव-द्रव्य (बायो-मास) ऊर्जा

12. एक समयबद्ध अखिल भारतीय समन्वय कार्यक्रम आरंभ किया गया है तथा इसे सोपानबद्ध रूप में हाथ में लिया जाएगा । देश के अनेक अन्तर-विधा वाले अनुसंधान केन्द्र इसमें

भाग लेंगे । प्राणियों के मल का समुपयोजन किए जाने के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा परिवार के लिए व्यवहार्य गोबर गैस संयंत्र के कुछ अभिकल्प तैयार किए गए हैं तथा आगे अनुसंधान कार्य चल रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामुदायिक किस्म के संयंत्रों का विकास पर अब जोर दिया गया है । निदर्शन परियोजनाओं की भी योजना बनाई गई है । सामुदायिक किस्म के कई गोबर गैस संयंत्र निर्माणाधीन हैं । जैव द्रव्य ईंधन/फीड-स्टाक के उत्पादन से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की जांच करने, पता लगाने तथा लागू करने के लिए नेशनल स्टियरिंग कमेटी गठित की गई है । जैव द्रव्य से ऊर्जा उत्पादन करने की प्रोद्योगिकियों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं । 70,000 छोटे गोबर गैस संयंत्र देश में पहले ही प्रतिष्ठापित किए जा चुके हैं ।

वायु विद्युत

13. देश में प्रोटो-टाइप पवन चक्कियों का विकास करने के लिए कुछ अनुसंधान तथा विकास कार्य हाथ में लिए गए हैं । नीदरलैण्ड सरकार के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक समेकित ग्राम विकास परियोजना प्रगति पर है । इस परियोजना में पम्प के जरिए पानी निकालने के लिए प्रोटो-टाइप पवन चक्कियों की स्थापना करना शामिल है । कई पवन चक्कियां स्थापित की जा चुकी हैं तथा इस समय उनका क्षेत्र परीक्षण तथा मूल्यांकन किया जा रहा है । केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान तथा नेशनल एरोनाटिक्स लि० बंगलौर द्वारा भी इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है । एक आड़ी धुरी वाली पवन चक्की का विकास तथा क्षेत्र परीक्षण कर लिया गया है । कम लागत वाली पाल वाली नाव की किस्म की चक्कियां तथा खड़ी धुरी वाले पवन जेनरेटर के लिए अनुसंधान और विकास कार्य चल रहे हैं । कम उत्पादन वाली तथा बहुब्लेड वाली पवन चक्की पर भी एक परियोजना आरंभ की गई है ।

भू-तापीय ऊर्जा

14. देश में भू-तापीय क्षेत्र की गतिविधियां विद्युत उत्पादन तथा तापीय ऊर्जा के अन्य संभाव्य प्रयोगों के लिए आशाप्रद जल-तापीय भंडारों का पता लगाने की दिशा में चलाई जा रही है । जम्मू और कश्मीर में पुगा घाटी में तथा हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटो में विस्तृत अन्वेषण कार्य चल रहे हैं । भू-तापीय क्षेत्र में सीधे ही अन्वेषणात्मक तथा अन्य कार्य-कलापों की समीक्षा करने के लिए एक भू-तापीय समन्वय समिति गठित की गई है ।

ज्वारीय विद्युत

15. ज्वारीय विद्युत के विकास की संभाव्यताओं के बारे में सलाह देने के लिए कुछ प्रारंभिक अन्वेषण किए जा चुके हैं तथा ज्वारीय विद्युत के विकास की संभाव्यताओं के बारे में सलाह देने के लिए यू० एन० डी० पी० के एक विशेषज्ञ ने भी 1975 में इस देश का दौरा किया था । पश्चिमी तट पर खंभात और कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन में गंगा के मुहाने के क्षेत्र ऐसे संभावित क्षेत्र हैं जहां ज्वारीय रेन्ज काफी ऊँचा है तथा जहां ज्वारीय विद्युत के उत्पादन की संभाव्यताएं विद्यमान हैं । ज्वारीय ऊर्जा के संबंध में मुख्य समस्याएं प्रारंभिक उच्च लागत की घटने-बढ़ने वाले किस्म के उत्पादन की तथा इस विद्युत की सुनिश्चित करने में निहित तकनीकी तथा आर्थिक समस्याओं से संबंधित हैं । आगे की कार्यवाही पर विचार करने

तथा देश में ज्वारीय विद्युत के विकास से संबंधित अन्वेषण और अध्ययनों का कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में मई, 1979 में किया गया था। 5 वर्ष की अवधि के दौरान 207.11 लाख रुपये की अनुमानित लागत से अन्वेषण करने के लिए समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इनमें लगभग 200000 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा वाला भाग शामिल नहीं है। समिति ने यह सिफारिशें की हैं :- (1) अल्पकालिक क्षेत्रीय अन्वेषण, (2) प्रयोगशाला अध्ययन तथा (3) दीर्घकालिक क्षेत्रीय अन्वेषण। अन्वेषण कार्य अभी शुरू नहीं किए गए हैं।

समुद्र ताप ऊर्जा परिवर्तन (ओ० टी० ई० सी०) संयन्त्र तथा लहर विद्युत

16. ओ० टी० ई० सी० प्रोद्योगिकी का अनुसंधान तथा विकास विश्व में अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए प्रारंभिक स्तर पर कुछ विचार हुआ है तथा विश्व में इस प्रोद्योगिकी के विकास की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए, हाथ में ली जाने वाली अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के स्वरूप और क्षेत्र पर निर्णय लेने के लिए इस क्षेत्र में और विस्तृत जांच करना अपेक्षित है।

टैक्समैको द्वारा रेयमन इन्जीनियरिंग लिमिटेड को अधिकार में लाना

3326. **श्री नवीन रवाणी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरला नियन्त्रित कम्पनी टैक्समैको ने वैगन बनाने वाली एक रुग्ण कम्पनी रेयमन इन्जीनियरिंग लिमिटेड को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस विलय के लिए उसने क्या शर्तें भेजी हैं और क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ग) टैक्समैको ने गत तीन वर्षों के दौरान अन्य कितनी औद्योगिक कम्पनियां अपने अधिकार में ली हैं और ये कम्पनियां कौन-कौन सी थीं; और

(घ) क्या इस प्रकार के मामले एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक प्रक्रियाएं अधिनियम आयोग को भेजे गए थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) मैसर्स टैक्समैको लिमिटेड से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उप-धारा (4) या धारा 23 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मैसर्स रेयमन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के अधिग्रहण या विलयन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है। मैसर्स रेयमन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन का आदेश दिया गया था और उस कम्पनी की परिसम्पत्तियों के निपटान का मामला, उच्च न्यायालय में अनिर्णीत है।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लोक सभा चुनावों से संबंधित दस्तावेजों का गुम हो जाना

3327. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री पी० के० कोडियन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हुए लोक सभा चुनावों से संबंधित दस्तावेज पुराना सचिवालय, दिल्ली से जून के पहले सप्ताह में गायब पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उन दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिये राष्ट्रीय अल्कोहल नीति

3328. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के अखिल भारतीय संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश में अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए एक राष्ट्रीय अल्कोहल नीति तैयार की जाये;

(ख) विगत तीन वर्षों में सीरे की उपलब्ध मात्रा की तुलना में देश में अल्कोहल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों में सीरे अथवा अल्कोहल की किसी मात्रा का निर्यात किया गया है और यदि हां, तो कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में; और

(घ) अल्कोहल के उत्पादन के लिए भारत में डिस्टिलरियों की सीरे की खपत की क्षमता क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अल्कोहल और शीरा का कुल उत्पादन निम्न प्रकार था ;

	अल्कोहल (लाख लिटरों में)	शीरा (लाख टनों में)
1976-77 (दिसम्बर 76, नवम्बर 77)	4452.300	22.15
1977-78 (दिसम्बर 77, नवम्बर 78)	5000.00	30.79
1978-79 (दिसम्बर 78, नवम्बर 79)	4379.015	25.80

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अल्कोहल और शीरे की निम्नलिखित मात्रा का निर्यात किया गया था :

	अल्कोहल		शीरा	
	टन	एफ. ओ. पी. मूल्य (रुपये लाखों में)	टन	एफ. ओ. पी. मूल्य (रुपये लाखों में)
	—	—	—	—
1977-78	शून्य	शून्य	21,402	62
1978-79	15,416	378.0	1363,237	691
1979-80	8,749	178.0	4,31,300	2659

(घ) भारत में आसवनियों की संयुक्त स्थापित क्षमता लगभग 665.5 मिलियन लिटर है।

एलम्बिक कैमिकल्स वर्क्स, बंगलौर को कच्चे माल और रसायनों की सप्लाई

3329. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने मैसर्स एलम्बिक कैमिकल्स वर्क्स, बंगलौर को कितना कच्चा माल और रसायन सप्लाई किया और इस अवधि के दौरान कंम्पनी ने कितने-कितने मूल्य की औषधों का विदेशों को, देशवार निर्यात किया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : गत तीन वर्षों के दौरान स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (सी. पी. सी.) तथा आई. डी. पी. एल. (जो जून, 1979 तक कुछ सारणीवद्ध औषध मदों की वितरक ऐजेन्सी के रूप में कार्य कर रही थी) द्वारा मैसर्स एलम्पिक कैमिकल वर्क्स, बंगलौर को किसी भी सारणीबद्ध मदों का कोई आवंटन नहीं किया गया है। सी. पी. सी. और आई. डी. पी. एल. द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर सी. पी. सी. और आई. डी. पी. एल. द्वारा 1977-78 से 79-80 की अवधि के दौरान मैसर्स एलम्पिक कैमिकल वर्क्स, बड़ौदा को सप्लाई की गई सारणीवद्ध औषध मदों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। बताई गई अवधि के दौरान सी. पी. सी. द्वारा इस एकक को औषध मदों के अलावा किसी भी सारणीवद्ध रसायन की सप्लाई नहीं की गई है।

मैसर्स एलम्पिक कैमिकल वर्क्स, बड़ौदा द्वारा गत तीन वर्षों (कलेण्डर) वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान देश-वार निर्यात की गई औषधों का मूल्य, जैसा कि कम्पनी द्वारा सूचित किया गया है, विवरण-2 में दर्शाया गया है।

विवरण–I

वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान केनेलाइजिंग एजेन्सियों (सी.पी.सी. और आई. डी. पी. एल.) द्वारा मैसर्स एलम्पिक कैमिकल वर्क्स, बड़ौदा को सप्लाई की गई औषध मदों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	मद का नाम	केनेलाइजिंग एजेन्सी का नाम	सप्लाई की गई मात्रा (कि ग्रा० में) 1977-78	78-79	79-80
1	2	3	4	5	6
1.	6 ए. पी. ए.	सी. पी. सी.	—	—	650 1450 (एन ओ सी) ×

1	2	3	4	5	6
2.	स्ट्रप्टोमाइसीन सल्फेट	सी पी सी	—	24489	242110
		आई डी पी एल	24790	—	—
3.	क्लोरोक्वीन डी-फास्फेट	सी पी सी	200	1600	800
4.	पिपराजाईन,	सी पी सी	—	—	600
	हैसाहाइड्रेट	आई डी पी एल	600	600	—
5.	टेट्रासाइक्लीन एच सी एल	सी पी सी	—	—	5250
		आई डी पी एल	4885	4885	—
6.	टेट्रासाइक्लीन बेस	सी पी सी	—	—	100
		आई डी पी एल	300	—	—
7.	एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट	सी पी सी	10	1000	3000
8.	क्लोरमफेनीकोल,	सी पी सी	735	725	450
	पामीटेट				250 (एन ओ सी) ×
9.	क्लोरमफेनीकोल पामीटेट	सी पी सी	160	220	35
10.	विटामिन बी-1 (मोनो)	सी पी सी	—	—	7
		आई डी पी एल	150	10	130
11.	विटामिन बी-1 (एच सी	सी पी सी	—	—	405
	एल)	आई डी पी एल	1400	673	120
12.	विटामिन बी-2 (रिबो)	सी पी सी	—	—	163
	(रिबो)	आई डी पी एल	520	20	—
13.	फुशेमाइड	सी पी सी	5	1	—
14.	डी पैन्थेजोल	सी पी सी	124	—	—
15.	केलसियम डी पेथोथियनेट	सी पी सी	776	102	250
16.	विटामिन सी प्लेन	सी पी सी	1230	960	—
17.	विटामिन सी कोटेड	सी पी सी	5720	6160	—
18.	विटामिन बी-6	सी पी सी	305	90	425
19.	साइट्रिक ऐसिड	सी पी सी	9000	—	—
20.	प्रेडनीसोलोन	सी पी सी	28	9.750	—
21.	फोलिक ऐसिड	आई डी पी एल	160	—	—
22.	आक्सीटेट्रसाइक्लीन	–वही–	1165	—	—
	एच सी एल				
23.	सल्फाडिमिडाइन	–वही–	715	—	—
24.	फेनिबार्बीटोन	–वही–	167	—	—

× सीधे आयातों के लिये (एन. ओ. सी.) अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

विवरण-2

क्रम सं०	देश का नाम	वर्ष		
		1977	1978	1979 (आंकड़े रुपयों में)
1.	केनिया	415182	276078	278435
2.	तन्जानिया	535750	1605300	2701650
3.	जाम्बिया	51800	—	95710
4.	अदन	29860	72080	74100
5.	सीलोन	292900	1538622	373859
6.	सिंगापुर	79950	57100	1081180
7.	फिजी	16173	2970	8425
8.	बर्मा	115445	—	—
9.	मसकट	766580	543570	211292
10.	आबू-धाबी	80037	18150	—
11.	लाइबेरिया	5307	—	12074
12.	दुबई	14325	7524	20880
13.	आस्ट्रेलिया	666667	—	—
14.	मौरिशस	562404	652245	—
15.	मेटाडी (लेयर)	—	30500	14273
16.	यू. एस. ए.	—	—	9407

इस्पात की कमी का बरौनी और पतरातू स्थित तापीय परियोजनाओं को आरम्भ करने पर प्रभाव

3330. **श्री एन० ई० होरो :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की कमी से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की विस्तार परियोजना की प्रगति अवरुद्ध है और अधिकारियों को भय है कि प्रत्येक 110 मेगावाट की चार ताप परियोजनाओं को, दो बरौनी में और दो पतरातु में आरम्भ करने में विलम्ब होगा; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के अनुसार इन परियोजनाओं को चालू करने में होने वाले विलम्ब का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) बरौनी और पतरातु परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक कारण इस्पात की कमी है। अन्य मुख्य कारण ये हैं :

(1) आनुषंगिक उपस्कर के लिए आर्डर देने में देरी;

(2) बायलर तथा टर्बो-जेनरेटर के उत्थापन का ठेका देने में देरी तथा इस्पात की आवश्यकताओं के संबंध में योजना न बनाना और इसके प्राप्त करने में देरी होना ।

इन परियोजनाओं को चालू करने का अद्यतन निर्धारण निम्नानुसार है :

बरौनी	यूनिट-6	—	12/81
	यूनिट-7	—	6/82
पतरातु—	यूनिट-9	—	12/82
	यूनिट-10	—	6/82

सिंचाई परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

3331. **श्री आर० के० महालगी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) ने महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना के लिए 21 करोड़ डालर का ऋण मंजूर किया है;

(ख) इस ऋण सुविधा की शर्तें क्या हैं;

(ग) इस सिंचाई परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यह परियोजना कब पूरी हो जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, हां ।

(ख) यह ऋण सहायता विश्व बैंक की सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के उधार देने के मानक नियमों और शर्तों के अनुसार है ।

ये शर्तें इस प्रकार हैं :

(1) इस ऋण पर ब्याज नहीं लगता । परन्तु भारत सरकार लिए गए ऋण के मूलधन की ली गई और समय-समय पर बकाया धनराशि पर विश्व बैंक को प्रतिशत के 3/4 की वार्षिक दर से सेवा-प्रभार देती है ।

(2) सेवा प्रभार प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से, 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर को देय होता है ।

(3) भारत सरकार को ऋण के मूलधन को करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 10 वर्ष बाद शुरू होने वाली छमाही किस्तों में विशिष्ठ तारीखों को चुकाना है और इस राशि की वापसी-अदायगी उसके बाद के चालीस वर्षों में की जानी है । यह ऋण भारत सरकार को दिया गया है और परियोजना की निर्धारित मदों पर व्यय करने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति की मांग अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को की जाती है ।

(ग) यह परियोजना कृष्णा, कुकाडी, अपर वर्धा, अपर पेनगंगा, वर्णा, गिरना और मूला की निर्माणाधीन स्कीमों के अन्तर्गत क्षेत्रों में सिंचाई विकास को जारी रखने के लिए है । इस परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

भाग-क : 11 बांधों पर निर्माण कार्य, लगभग 900 किलोमीटर लम्बी मुख्य और शाखा नहरों का निर्माण, वितरण प्रणालियों और ड्रेनों का निर्माण, और लगभग 620 किलोमीटर

लम्बी सम्पर्क सड़कों का निर्माण अथवा आधुनिकीकरण ।

भाग-ख : गिरना और मूला स्कीमों के क्षेत्रों में वर्तमान मुख्य और शाखा नहरों, वितरण प्रणालियों और ड्रेनों का आधुनिकीकरण ।

भाग-ग : कृषि विस्तार और व्यावहारिक अनुसंधान, आधुनिक प्रबंध सेवाओं सहित कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को सुदृढ़ करना तथा परियोजना क्षेत्र में प्रचालन और रख-रखाव ।

भाग-घ : परियोजना कार्यों तथा प्रचालन और रख-रखाव के लिए गाड़ियों और उपस्करों की व्यवस्था ।

भाग-ङ : महाराष्ट्र के बाइलट जल प्रबंध कार्यक्रम का विस्तार ।

भाग-च : परियोजना मानीटरिंग और मूल्यांकन के कार्यक्रम का आयोजन ।

भाग-छ : भूमि विकास और जल-प्रबंध विशेषज्ञों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना ।

(घ) विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करने वाली परियोजना की 5 वर्ष की समयावधि के 31 अक्तूबर, 1984 तक पूरा हो जाने की संभावना है, तथापि, समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर, 1985 है । इस अवधि के दौरान, अधिकांश बांधों के निर्माण कार्य के और मुख्य नहरों के काफी लम्बाई में पूरा हो जाने की संभावना है । गिरना और मूला आधुनिकीकरण स्कीमों के प्रथम चरण के कार्य के भी इन पांच वर्षों की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है ।

सिन्दरी स्थित भारतीय उर्वरक निगम में उर्वरकों का उत्पादन

3332. **श्री छीतूभाई गामित : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंभीर/उपयुक्तता समस्याओं के कारणगत पांच महीनों में सिन्दरी स्थित भारतीय उर्वरक निगम के उर्वरक एकक में उत्पादन बिल्कुल भी नहीं हुआ है;

(ख) यदि कोई ऐसी समस्यायें हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय इसके कार्य न करने के बावजूद आधुनिक मशीनरी को पूरी तरह कारगर बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं । यह सच नहीं है कि 183 करोड़ रुपए की लागत वाले सिन्दरी आधुनिकीकरण प्लांट ने किसी संयोजन समस्या के कारण पिछले पांच महीनों में उर्वरकों का कोई उत्पादन न किया हो, असम स्थिति के कारण ईंधन तेल/एल० एस० एच० एम० फीड स्टाक की अनुपलब्धता से प्लांट को 16.1.1980 की शाम से बन्द किया गया है ।

(ग) प्लांट के बन्द रहने के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उचित अनुरक्षण और परिवर्धन कार्य किया जा रहा है ताकि प्लांट और मशीनरी ठीक स्थिति में रहे ।

बिहार में पश्चिमी कोसी नहर का पूरा किया जाना

3333. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विहार के मधुबनी जिले में पश्चिमी कोसी नहर के पूरा किये जाने की नवीनतम स्थिति क्या है और इसके रास्ते में आने वाली बाधायें क्या हैं; और

(ख) कमला नदी के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के किसानों की नहर से सिंचाई हेतु पानी देने की निर्धारित तिथियां क्या हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडेय) : (क) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, भारत में मुख्य पश्चिमी कोसी नहर की 76 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से इस समय 46 किलोमीटर तक के भाग अर्थात कमला नदी के पूर्व तक खुदाई का कार्य किया जा रहा है। 1 मार्च, 1980 तक 22.8 प्रतिशत खुदाई का कार्य और 34 प्रतिशत लाइनिंग का कार्य पूरा हो गया था। 356 संरचनाओं में से अब तक केवल 9 संरचनाओं पर ही निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि इस परियोजना को अधिक से अधिक जून, 1987 तक पूरा करने के सभी प्रयत्न किये जाएं।

परियोजना के क्रियान्वयन में देरी इन कारणों से हुई है : अपर्याप्त वित्तीय परिव्यय, भूमि के अधिग्रहण में आई कठिनाईयां, कुछ निर्माण सामग्रियों की कमी और निर्माण-सामग्री की ढुलाई, पम्पसेटों के प्रचालन के लिए पेट्रोल, तेल और चिकनाने के पदार्थों (लूब्रिकेंटस) की कमी आदि।

(ख) इस परियोजना को जून, 1987 तक पूरा करने के लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए यह जन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

इन्डो-स्वीश सिन्थेटिक जैम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी का विलय

3334. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी० एम० सईद : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डो-स्वीश सिन्थेटिक जैम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, जो अब बन्द होने की स्थिति में है, का इन्ट्रोक फर्मासिटिकल्स लिमिटेड के साथ विलय करने की स्कीम के जरिए पुनः स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या विलय होने वाली कम्पनी ने भारत सरकार को एकाधिकार और प्रतिबन्धित व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई आवेदन भेजा है;

(ग) यदि हां, तो विलय स्कीम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस विभाग के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अनर्णीत नहीं है। तथापि, मैसर्स इण्डोस्विस सिन्थेटिक जैम मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने मैसर्स इन्ट्रोक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को फिर से चलाने के लिये कर-मुक्ति की मांग के लिये आयकर अधिनियम की धारा 72-क के अन्तर्गत विशेष प्राधिकरण को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ग) तथा (घ) उत्पन्न नहीं होता ।

केंद्र के पास उड़ीसा की विचाराधीन पड़ी हुई विद्युत परियोजना और ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें

3335. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार की कितनी विद्युत परियोजनाएं और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या उड़ीसा जैसे पिछड़े क्षेत्रों के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का कोई विशेष महत्व है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई एक बहुद्देशीय परियोजया की और चार जल-विद्युत स्कीमों को नामशः (1) भीमकुंड बहुद्देशीय परियोजना, (2) हीराकुंड चरण-3, (3) बलिमेला चरण-2, (4) अपर कोलाब विस्तार और (5) रेंगालो विस्तार की इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है । इसके अतिरिक्त, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई 14.94 करोड़ रुपए के ऋण परिव्यय को 42 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें भी 31-5-1980 की स्थिति के अनुसार, ग्राम विद्युतीकरण निगम को वित्तीय स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही थीं । इनमें से 4.39 करोड़ रुपए के ऋण-परिव्यय की 12 स्कीमें निगम में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में थीं तथा 10.55 करोड़ रुपए के ऋण-परिव्यय की बाकी 30 स्कीमों, मूल्यांकन के बाद, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दी गई थीं और ये स्कीमें संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए उनके पास लम्बित थीं ।

(ख) पिछड़े क्षेत्र में, जिनमें उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, निगम ब्याज की दरों और अदायगियों की अवधि के संबंध में तथा जीवन क्षमता संबंधी मानदण्डों के संबंध में रियायती शर्तें दे रहा है । उड़ीसा, जहां कि ग्राम विद्युतीकरण का स्तर 50 प्रतिशत से कम है, संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (आर० एम० एन० पी०) के अन्तर्गत उदार शर्तों पर ग्राम विद्युतीकरण के लिए विशेष निधियाँ लेने का भी पात्र है ।

त्रिपुरा में राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना

3336. **श्री अजय विश्वास** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी किए जाने का एक प्रस्ताव त्रिपुरा

सरकार ने जनवरी, 1979 में ऊर्जा मंत्रालय को भेजा था ताकि राज्य सरकार बिजली बोर्ड का गठन कर सके।

(ख) भारत सरकार ने प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया था।

(ग) त्रिपुरा सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन न करने का मुख्य कारण यह है कि त्रिपुरा में विद्युत प्रणाली अपेक्षाकृत छोटी है तथा 1977-78 के दौरान विद्युत का कुल विक्रय 17 मिलियन यूनिट के लगभग था तथा उपभोक्ताओं की संख्या केवल 20,000 के लगभग थी। राज्य में विद्युत उत्पादन की लागत पहले ही बहुत अधिक है तथा राजस्व की वसूली औसत दर पर्याप्त अधिक होने के बावजूद भी, प्रचालानात्मक व्यय की ऊर्जा की विक्री से पूरा करना राज्य के लिए संभव नहीं है। राज्य बिजली बोर्ड का गठन करने से ऊपरी खर्चे और बढ़ेंगे और संगठन पर अधिक लागत आएगी और इसलिए प्रस्ताव को जीवन-क्षम नहीं समझा गया था।

केरल की तारकोल की मांग और पूर्ति

3337. **श्री स्कारिया थामस** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केरल की तारकोल सम्बन्धी कुल मांग कितनी थी और उसे प्रतिवर्ष कितना तारकोल अलाट किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि केरल की तारकोल की आवश्यकता के 20 प्रतिशत मांग की ही अब तक पूर्ति की गई है;

(ग) क्या इस कारण सड़कों के अविलम्ब मरम्मत कार्य में बाधा पहुंची है;

(घ) क्या कोचीन के तेल शोधक कारखाने की इतनी क्षमता है कि वह केरल की आवश्यकता की पूर्ति कर सके; और

(ङ) यदि हाँ, तो केरल की समूची आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) केरल राज्य के लिए बिटूमन के मांग अनुमान तुरन्त उपलब्ध नहीं है। केरल के लिए बिटूमन की पिछले पाँच वर्षों में वास्तविक पूर्ति तथा 1980-81 के लिए आवंटन निम्न प्रकार है :

वर्ष	(हजार मी० टनों में) सप्लाई
1975–76	29.4
1976–77	28.1
1777–78	29.3
1978–79	32.2
1979–80	31.1
1980–81	37.0 (ईलाटमेंट)

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) कोचीन शोधनशाला का वर्तमान उत्पादन स्तर केरल राज्य की बिटूमन की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

(ङ) तेल उद्योग को कहा गया है कि वह केरल राज्य को 1980-81 के लिए किये गये आवंटन के अनुसार बिटूमन की सप्लाई विभिन्न स्रोतों से करे ।

बिहार के बुर्रूगढ़ कोयला खान में हुई दुर्घटना

3338. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के बुर्रूगढ़ कोयला खान में 14 अप्रैल, 1980 को हुई दुर्घटना में कितने खनिक मरे और घायल हुए;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला खानों में दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दुर्घटनाओं में शिकार हुए खनिकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिनांक 13-4-1980 को भारत कोकिंग कोल लि० मकी बुर्रागढ़ (बुर्रूगढ़ नहीं) कोलियरी में हुई दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और एक गंभीर रूप से घायल हुआ था । इस दुर्घटना का कारण एक खनन जिले में छत का अकस्मात तथा अप्रत्याशित रूप से गिरना था जहां पर हाईड्रोलिक के साथ कोयला निकाला जा रहा था ।

(ग) कोयला विभाग द्वारा कोयला खानों में सुरक्षा हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर कोयला खानों में निम्नलिखित समय-बद्ध सुरक्षा कार्यक्रम या तो लागू कर दिया गया है या लागू किया जा रहा है :

(1) प्रत्येक खनन कम्पनी में आन्तरिक सुरक्षा संगठन स्थापित किया गया है जिसकी अध्यक्षता एक महा प्रबंधक करेगा जो उत्पादन स्कंध से स्वतंत्र होगा ।

(2) छत तथा दीवाल गिरने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय लागू करना वन निगमों से लेकर पर्याप्त मात्रा में टिम्बर सप्लाई करना – वन निगमों से पर्याप्त मात्रा में कलरियों की सप्लाई ।

(3) लकड़ी के शहतीरों की टेक के स्थान पर इस्पात के फ्रिक्शन/हाइड्रोलिक के सहारे और अन्य विकसित प्रकार की सामग्री का उपयोग करना—सतत प्रक्रिया से ।

(4) नदियों, नालों आदि के किनारे स्वत: चेतावनी देने वाले यंत्र स्थापित करना ताकि समीपवर्ती कोयला खानों को जल स्तर खतरे के बिन्दु से ऊपर बढ़ जाने की सूचना देकर सावधान किया जा सके । इसके अलावा वर्षा ऋतु में तालाबों तथा

नदियों के जल स्तर पर निगरानी रखने के लिए चौकीदार तैनात किए जाते हैं।

(5) कामगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना —सतत प्रक्रिया से।

(6) सुरक्षा उपायों का प्रसारण——सतत प्रक्रिया से।

(7) मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा कामगार निरीक्षकों की नियुक्ति —ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जहां योग्यता प्राप्त कार्मिकों की कमी है अधिकांश क्षेत्रों में नियुक्तियां कर दी गई हैं।

(8) सुरक्षा तथा बचाव के परिष्कृत उपकरण मुहैया करना।

(घ) मृतकों के आश्रितों ने अभी हाल में ही अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की है तथा कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन प्रत्येक मृतक के लिए लगभग 30,000/– रुपए की धन राशि अब शीघ्र ही आयुक्त के कार्यालय में मृतक कामगारों के आश्रितों को देने के लिए जमा कर दी जाएगी।

दिल्ली में गोपालपुरी से हिन्डन/यमुना नदी तक नाले का निर्माण

3339, **श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में बल रूट संख्या 320 के साथ-साथ गोपालपुरी, दिल्ली से हिन्डन/यमुना नदी तक बन रहे बड़े नाले का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) क्या यमुना-पार क्षेत्र की आस-पास की गैर-मंजूरशुदा कालोनियों के निकासी नालों को बाढ़ समस्या तथा उक्त कालोनियों में यहां वहां फैले गन्दे पानी की समस्या को हल करने के लिए इस नाले से जोड़ा जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन से कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो यह कब तक पूरी हो जाएगी; और

(घ) क्या इस योजना में लोनी रोड, शाहदरा में तथा आस-पास के क्षेत्र में स्थित दुर्गापुरी, ज्योति कालोनी, जगजीवन नगर और करदरपुरी जैसी गैर-मंजूरशुदा कालोनियां भी शामिल हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गोपालपुरी के उत्तर से शुरू होने वाले बड़े ट्रंक नाला संख्या–1 का निर्माण-कार्य जून, 1981 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि यमुना-पार क्षेत्र की बाढ़ समस्या को हल करने के लिए यमुना-पार क्षेत्र की गैर-मंजूरशुदा कालोनियों के सहायक नालों को मुख्य ट्रंक नाला संख्या–1 के साथ मिलाने की योजना बनाई गई है। इस योजना में लोनी रोड, शाहदरा पर या इसके निकट स्थित गैर-मंजूरशुदा कालोनियों के जल-निकास की व्यवस्था है। आन्तरिक और सहायक नाला प्रणालियों के निर्माण और रख-रखाव की जिम्मेदारी विकास करने वाली एजेन्सियों नामशः दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। इन एजेन्सियों ने सहायक नालों के लिए अपनी-अपनी स्कीमें तैयार की हैं और गैर-मंजूर-

शुदा कालोनियों के निवासियों द्वारा विकास-प्रभार की अदायगी किये जाने के पश्चात ये एजेन्सियां इन स्कीमों को क्रियान्वित करेंगीं ।

महाराष्ट्र में खराब हुए विद्युत संयंत्रों की संख्या

3340. **श्री वेशवराव पांरधी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी से मई, 1980 के दौरान महाराष्ट्र में कितने विद्युत संयंत्र खराब हुए और किन मुख्य कारणों से उन्हें बन्द कर देना पड़ा;

(ख) क्या यह तोड़-फोड़ के कारण हुआ अथवा किसी तकनीकी खराबी के कारण उन्हें बन्द कर देना पड़ा;

(ग) क्या बिजली की कमी के कारण राज्य के अधिकांश भाग को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; और

(घ) बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) महाराष्ट्र में फरवरी से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान हुई विद्युत संयंत्रों की बन्दियों को तथा बन्दियों के कारणों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) महाराष्ट्र बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि बन्दियां मुख्यत: तकनीकी कारणों से हुई थीं और इसमें उन्हें किसी तोड़-फोड़ का संदेह नहीं है ।

(ग) राज्य में 15 से 24% तक की विद्युत की कमी के कारण राज्य के उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों पर विद्युत कटौतियां लगानी पड़ीं ।

(घ) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाए किए गए हैं और किए जा रहे हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) राज्य में विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना;

(2) राज्य में नई उत्पादन क्षमता को शीघ्रता से चालू करना;

(3) राज्य में ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले के भंडारों की मानीटरिंग करना तथा महाराष्ट्र में विद्युत केन्द्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में और गुणवत्ता के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करना;

(4) 1980-85 की अवधि के दौरान प्रतिष्ठापना के लिए 2592 मेगावाट नई क्षमता की वृद्धि करना, जिसमें 500 मेगावाट क्षमता के 1980-81 के दौरान चालू होने की संभावना है ।

(5) 1978-79 तथा 1979-80 में चालू किए गए 200 मेगावाट के सैटों के शीघ्र स्थिरीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

		विवरण	
		बन्दी की अवधि	बन्दी का कारण
1	2	3	4
	फरवरी, 1980		
1.	200/210 मेगावाट की नई चालू की गई यूनिटें-कोराडी-5, नासिक-3 और भुसावल-2	880 घंटे (कुल)	टर्बाइन संयंत्र खराबियां
2.	120 मेगावाट की कोखड़ी यूनिट-4	109 घंटे	बायलर ट्यूब में लोकेज होना
3.	30 मेगावाट की पारली यूनिट-2 खापर खेड़ा यूनिट-5	100 घंटे (कुल)	टर्बाइन/बायलर में खराबी
4.	7.5 मेगावाट की बल्लारशाह यूनिट-3	119 घंटे	बायलर ट्यूब में लोकेज
	मार्च, 1980		
1.	200/210 मेगावाट की नई चालू की गई यूनिटें—नासिक-3 और भुसावल यूनिट-2	387 घंटे (कुल)	बायलर ट्यूब लोकेज/टर्बाइन संयंत्र में खराबियां
2.	120 मेगावाट की कोराडी यूनिट 1 तथा 2	540 घंटे (कुल)	बायलर संयंत्र में खराबियां
3.	30 मेगावाट की पारली-1 30 मेगावाट की खेरझोया यूनिट-4	359 घंटे (कुल)	बायलर ट्यूब लोकेज/टर्बाइन में खराबी
	अप्रैल, 1980		
1.	200/210 मेगावाट की नई चालू की गई यूनिटें—करोडो-5, नासिक-3 तथा भुसावल-2	426 घंटे (कुल)	बायलर संयंत्र में खराबी/ टर्बाइन संयंत्र में खराबी/ टर्बाइन और बायलर में खराबियां
2.	120 मेगावाट की कोराडी-3	39 घंटे	प्रणाली रुकावटें
3.	62.5 मेगावाट की पारस यूनिट-2	70 घंटे	जेनरेटर सी० टी० के फेल हो जाने से
4.	30 मेगावाट पारली यूनिट-2 खापरखेड़ा यूनिट-4 और 5	210 घंटे	बायलर ट्यूब लोकेज कन्डन्सेर खराबी और बायलर में खराबी
5.	7.5 मेगावाट बल्लारशाह यूनिट-1	34 घंटे	टर्बाइन में खराबी
	मई, 1980		
1.	200/210 मेगावाट की नई चालू	317 घंटे	बायलर में खराबी/टर्बाइन में कुल

1	2	3	4
	की गई यूनिटें—कोरार्डा-5, नासिक-3 तथा भुसावल-2		खराबी/132 के० वी० पी० टी० का फेल होना तथा जल पम्प में खराबियां
2.	120 मेगावाट की कोराडी यूनिट-3	261 घंटे	बायलर ट्यूब में लोकेज
3.	120 मेगावाट की कोराडी यूनिट-4	346 घंटे	टर्बाइन वेयरिंग में कम्पन
4.	140 मेगावाट की नासिक यूनिट-2	136 घंटे	बायलर ट्यूब में लोकेज
5.	30 मेगावाट पारली यूनिट-2, खापरखेड़ा यूनिट-2	112 घंटे (कुल)	एक्साइटर में खराबी/बायलर में खराबी
6.	7.5 मेगावाट की बल्लारशाह यूनिट 1 तथा 2	9 घंटे (कुल)	शीतलन जल पम्प मोटर में खराबी

बम्बई हाई क्षेत्र में गैस के भंडार

3341. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई क्षेत्र के तट-दूर क्षेत्रों में कितने परिमाण में गैस के भण्डार पाए गए हैं; और

(ख) गैस के भण्डार का उपयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बम्बई हाई और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में गैस के कुल भूगर्भीय भण्डारों का अनुमान 624 मिलि घन मीटर है, जिसमें से प्राप्य भण्डार 272 मिलि० घन मीटर है ।

(ख) यह सरकार की नीति है कि समुद्री क्षेत्र से प्राप्त होने वाली गैस का प्रयोग उर्वरकों, पेट्रोरसायनों के उत्पादन और तरल पेट्रोलियम गैस के निकालने के लिए किया जाए और नकि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग अस्थायी तौर पर तभी तक किया जाए जब तक कि इस गैस का उपयोग करने के लिए उर्वरक संयंत्र पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते हैं ।

नई गैस पर आधारित परियोजनाएं पहले से ही अनुमोदित की गई हैं और योजना बनाई जा रही है जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

(1) दो उर्वरक संयंत्र जो प्रत्येक महाराष्ट्र में थल-वैशट और गुजरात में हाजिश नाम स्थान पर है ।

(2) तरल पेट्रोलियम गैस पैदा करने के लिए महाराष्ट्र में उरान नामक स्थान पर एक गैस विभाजन प्लांट ।

(3) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश/पंजाब क्षेत्र में जैसा कि सतीश चन्द्रन कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश की गई थी, 6 नये उर्वरक प्लांट/महाराष्ट्र और गुजरात तथा कहीं और उपयुक्त स्थलों पर गैस क्रेकर/पेट्रो-रसायनिक उद्योग समूह ।

(5) तरल पेट्रोलियम गैस पैदा करने के लिए गैस विभाजन प्लांट नई गैस पर आधारित उर्वरक प्लांटों के स्थलों तथा क्षेत्र आदि की मांग पर निर्भर होंगे ।

कछार और आसाम में छिद्रण कार्य

3342. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषज्ञों के अनुसार कछार जिले में तेल मिलने की संभावनाएं क्या हैं;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कछार और आसाम में किस तारीख को, किस वर्ष में और कितने स्थानों पर छिद्रण कार्य आरम्भ किया था;

(ग) क्या यह सच है कि देश के अन्य स्थानों की तुलना में कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है; और

(घ) चारगोला में छिद्रण कार्य पुनः शुरू करने के लिये, जहां गत दो वर्षों में छिद्रण मशीनरी के खराब हो जाने के कारण छिद्रण कार्य बन्द कर दिया गया है, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और सरकार का विचार देश में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक तेलों के गंभीर संकट को देखते हुए इस कार्य में किस प्रकार तेजी लाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कछार पेट्रोलियम युक्त क्षेत्र माना जाता है । स्वतन्त्रता से बहुत समय पहले इस क्षेत्र में बर्मा आयल कम्पनी का उत्पादक क्षेत्र जो बदरपुर के नाम से जाना जाता है, था ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 5. 7. 1977 में चारगोला संरचना पर प्रथम कुएं की खुदाई करके कछार क्षेत्र में खुदाई कार्य आरम्भ किया था । बराक संरचना पर दूसरे कुएं की खुदाई अभी की जा रही है । अतः तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कछार क्षेत्र में अभी तक दो स्थानों पर खुदाई शुरू की है ।

(ग) कछार में खुदाई जो अन्वेषी खुदाई है, भूतपूर्व में उस क्षेत्र के खुदाई इतिहास और भूगर्भीय दृष्टि से सन्तोषजनक है । बर्मा आयल कम्पनी को इस क्षेत्र में कई कुओं की खुदाई भूमि के उप-तल की कठिन परिस्थितिओं के कारण छोड़नी पड़ी थी । परन्तु देश के अन्य स्थलों (त्रिपुरा को छोड़कर) की तुलना में प्रगति धीमी है । यह सच नहीं है कि चारगोला में खुदाई कार्य खुदाई मशीनरी के खराब हो जाने के कारण समाप्त करने पड़े थे । वास्तव में चारगोला में खुदाई कुएं के अन्दर की अड़चनों के कारण स्थगित करनी पड़ी थी । ओ० एन० जी० सी० की चालू वर्ष के दौरान चारगोला में खुदाई दुबारा शुरू करने की योजना है । इस समय बराक संरचना पर अन्वेषी कुएं की खुदाई करने के लिए कछार में एक रिंग काम में लाया गया है । इसके अतिरिक्त कछार में 4 संरचनाओं में खुदाई के लिए 8 स्थान रिलीज किए गए हैं ।

कछार क्षेत्र में खुदाई कार्यों को तीव्र बनाने के लिए 1982-83 से एक और रिंग के कार्य में लगाने का प्रस्ताव है । 1980-85 के दौरान कछार के लिए खुदाई के लिए कुल 8 रिग वर्षों की योजना बनाई गई है ।

उड़ीसा में 500 मेगावाट और 1000 मेगावाट वाले यूनिटों का लगाया जाना

3343. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 500 मेगावाट और 1000 मेगावाट वाले एकक स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्रीय बिजली प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये स्थानों का नाम सुझाया गया है, उनके नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उड़ीसा में 500 मेगावाट और/या 1000 मेगावाट के यूनिटों की स्थापना के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला उद्योग में विदेशी सहयोग

3344. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला उद्योग के साथ विशेषत: यू० के०, फ्रांस, जापान, पोलैंड, हंगरी आदि देशों के सहयोग के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हाँ । भारत में कोयला उद्योग के विकास में सहायता देने के लिए सरकार को इंगलैण्ड, फ्रांस, पोलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, तथा रोमानिया से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) रूस के साथ किए गए करार में-भूमिगत नई खनन प्रौद्योगिकी, बड़ी ओपेनकास्ट परियोजनाओं और वाशरियों की डिजाइन, कोयला वाशरियों का आधुनिकीकरण और खानों का निर्माण शामिल है। पोलैण्ड के साथ भी करार किया गया है जिसमें शैफ्ट पैबस्त करने की डिजाइन की जानकारी देने, समतल और उर्ध्व परिवहन, खनन प्रौद्योगिकी, परियोजना निर्माण तथा देखभाल, आदि शामिल है। इस करार में भारतीय विशेषज्ञों का पोलैण्ड में प्रशिक्षण भी शामिल है ।

फ्रांस सरकार के साथ एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें कोयला खानों की डिजाइन तैयार करने और आयोजन में तकनीकी सहायता देने की व्यवस्था है । इंगलैण्ड से भूमिगत खानों में मशीनीकृत लांगवाल खनन प्रणाली शुरू करने में सहायता मिल रही है ।

मिट्टी के तेल के "नूतन" स्टोव की मांग

3345. **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कम्पनी द्वारा डिजाइन किये गये मिट्टी के तेल के "नूतन" स्टोव की कुल कितनी मांग की गई है;

(ख) क्या इस समय यह मांग पूरी की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि इस समय यह स्टोव केवल राजधानी में ही उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इसे देश के अन्य भागों में आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क)अनुमान है कि प्रति-वर्ष नूतन स्टोव की कुल मांग 15 लाख स्टोवों की होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। इसका केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा कई अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में विक्रय किया जाता है।

(घ) देश में मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन अधिकतम करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार छोटे पैमाने के क्षेत्र में इन स्टोवों का उत्पादन करने के लिये देश के विभिन्न भागों में कई एक यूनिटों की स्थापना कर रहा है।

पेट्रोलियम की खोज के लिए रूमानिया के साथ समझौता

3346. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि रूमानिया सरकार पेट्रोलियम की खोज में भारत की सहायता करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ग) क्या भारत ने अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार के समझौते किए हैं;

(घ) क्या अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी तेल की खोज में भारत को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता देने की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान भारत में किन स्थानों पर तथा किन देशों की सहायता से अन्वेषण कार्य चल रहे हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) रूमानिया के मशीन निर्माण उद्योग के मन्त्री के हाल ही के दौरे के दौरान भारत में अन्वेषी गतिविधियों में रूमानिया की रुचि लेने के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि रूमानिया के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, अन्यों के साथ ऐसे करार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) यू० के० और फ्रांस से उनके सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के माध्यम से सहयोग के प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं।

(ङ) ओ० एन० जी० सी० द्वारा त्रिपुरा में रोखिया नामक स्थान पर यू० एस० एस० आर० की सहायता से गहरी अन्वेषी खुदाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भूकम्पनीय सर्वेक्षणों के मामले में सहयोग के लिए यू० एन० एस० आर० के साथ ठेकों सम्बन्धी मामला भी विचाराधीन है।

फरक्का पर सुपर ताप बिजली घर

3347. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का पर सुपर ताप बिजलीघर के वास्तविक निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या फरक्का से बाहर, इस सुपर ताप बिजलीघर के प्रशासनिक कार्यालयों और मुख्यालयों के स्थान के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के कार्यस्थल पर, भूमि के अधिग्रहण, इंजीनियरी सर्वेक्षण तथा भू-अन्वेषण के संबंध में नव-संरचनात्मक विकास में काफी प्रगति हुई है। कार्य-स्थल पर अस्थाई टाउनशिप का कार्य प्रगति पर है। स्थल को समतल करने का कार्य भी किया जा रहा है तथा लगभग 1.40 लाख घन मीटर मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य डिजाइन तथा परियोजना गतिविधियाँ भी हाथ में ले ली गई हैं तथा इनका कार्य समय सूची अनुसार प्रगति पर है।

(ख) विद्युत केन्द्र के प्रशासनिक कार्यालयों और मुख्यालय को फरक्का के बाहर स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नरसापुर में समुद्र तट से दूर और समुद्र तट पर छिद्रण कार्य पुनः आरम्भ

3348. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में नरसापुर में समुद्र तट से दूर और समुद्र तट पर छिद्रण कार्य पुनः आरम्भ करने में विलम्ब वास्तव में किन कारणों से किया जा रहा है; और

(ख) क्या उनका विचार स्वयं उस स्थान पर जाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) आन्ध्र प्रदेश के नरसापुर भूमि क्षेत्र में तथा समुद्री क्षेत्र में खुदाई कार्य दुबारा आरम्भ करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री सम्भवतः सन 1980 के उत्तरार्ध में नरसापुर जायेंगे।

उच्च न्यायालय फीस में कमी

3349. **श्री भीकू राम जैन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाडा न्यायालयों के 14 जून, 1980 को मनाये गये शताब्दी समारोह में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में न्यायालय फीस बहुत अधिक है और उनमें काफी कमी किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो मुकदमा लड़ने वाले गरीबों के लाभ की दृष्टि से उसको पूर्णतया समाप्त करने अथवा उसे कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) काकीनाडा न्यायालयों के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते समय अन्य बातों के साथ मैंने यह कहा था कि न्यायालय फीस साधारणतया अधिक है और उसके संबंध में पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

(ख) और (ग) राज्यों के न्यायालयों में (अर्थात उच्चतम न्यायालय और संघ राज्य-क्षेत्रों के न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों में) उद्ग्रहीत न्यायालय फीस ऐसा विषय है जो राज्य सरकारों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । विधि आयोग के इस सुझाव पर कि न्यायालय फीस समाप्त कर दी जाए या उसे कम कर दिया जाए, 1975 में राज्य सरकारों के साथ विचार किया गया था किन्तु कोई भी राज्य मुख्यतः न्यायालय फीस को वित्तीय कठिनाई के आधार पर कम करने के लिए सहमत नहीं था । विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की परामर्श समिति की हाल ही में हुई बैठक में बहुमत की यह राय थी कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए तथा इस बारे में ठोस सुझाव देने के लिए कि विचारण न्यायालयों में किन मदों पर न्यायालय फीस उद्ग्रहीत की जाए, न्यायालय फीस किस दर से उद्ग्रहीत की जाए, किन मदों पर वह समाप्त कर दी जाए, मुकदमेबाजी को निरुत्साहित करने के लिए इस प्रसंग में क्या उपाय अपेक्षित हैं और किस कोटि के मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों को न्यायालय फीस से छूट दी जाए, एक उप-समिति गठित की जाए जिसमें परामर्श समिति के कुछ सदस्य हों । यह उप-समिति इस संबंध में जब अपनी सिफारिशें दे देगी तब सरकार आगे उपयुक्त कार्यवाही करेगी और राज्यों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श करेगी ।

दामोदर घाटी निगम को विद्युत योजना द्वारा कम पन-बिजली प्रजनन के कारण

3350. **श्री रेणुपद दास** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम को विद्युत योजना द्वारा वर्ष 1978-79 के दौरान इससे पहले के वर्ष की तुलना में पन-बिजली का कम प्रजनन होने का क्या कारण है;

(ख) क्या ऐसा पंचेट पन-बिजली केन्द्र के खराब हो जाने के कारण हुआ था;

(ग) उक्त खराबी क्या थी; और

(घ) इसके कार्यकरण को पुनः सामान्य बनाने में असाधारण विलम्ब क्यों हुआ ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन): (क) दामोदर घाटी निगम विद्युत प्रणाली में वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान हुआ जल विद्युत उत्पादन दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) टरबाइन ब्लेडों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पंचेत जल विद्युत यूनिट को बन्द करना पड़ा था। चूंकि मरम्मत संबंधी कार्य बड़े किस्म का था, यूनिट को पुनः चालू करने में सामान्य से अधिक समय लगा। यूनिट अब संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

विवरण

दामोदर घाटी निगम में जल विद्युत उत्पादन

(मिलियन यूनिट)

महीना	1977-78	1978-79
अप्रैल	7.0	6.0
मई	7.0	6.0
जून	16.0	8.0
जुलाई	66.0	31.0
अगस्त	66.0	34.0
सितम्बर	29.0	37.0
अक्टूबर	20.0	35.0
नवम्बर	9·0	13.0
दिसम्बर	10.0	10.0
जनवरी	10.0	11.0
फरवरी	6.0	11.0
मार्च	8.0	22.0
	254·0	224.0

आकाशवाणी के राँची केन्द्र का विस्तार

3351. कुमारी कमला कुमारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी, रांची की क्षमता का विस्तार करने का है ताकि छोटा नागपुर के लोगों को भी यह सुविधा प्राप्त हो सके क्योंकि रांची की रैंज बहुत सीमित है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) रांची के मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 10 कि० वा० से बढ़ाकर 200 कि० वा० करने की एक

योजना को कार्यान्वयन के लिए हाल ही में स्वीकृत किया गया है। इस नए ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर समूचा छोटा नागपुर मंडल इसके सेवा क्षेत्र में आ जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास विभाग के कार्य क्षेत्र की सीमा

3352. **श्री कुंवर राम :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या समुद्री तूफान तथा दैवी अथवा मानवीय. विपदाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्य को उनके मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करके मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र विस्तृत करने का कोई प्रस्ताव है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० के० यूंगोन) : जी नहीं।

विभिन्न स्रोतों से बिजली का उत्पादन

3353. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से बिजली का वार्षिक उत्पादन कितना रहा है और इन वर्षों में इसकी कितनी मांग थी;

(ख) क्या देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए यह उत्पादन पर्याप्त है; और

(ग) लोगों तथा उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या तात्कालिक कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान देश में जल-विद्युत, ताप-विद्युत और न्युक्लीय विद्युत केन्द्रों से हुए विद्युत उत्पादन को तथा विद्युत की आवश्यकता को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। 1977-78 के दौरान लगभग 15.5 प्रतिशत कमी, 1978-79 के दौरान 10.3 प्रतिशत कमी तथा 1979-80 के दौरान 16.10 प्रतिशत कमी थी।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए और किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) सुधारात्मक तथा नवीकरण कार्यक्रम तैयार करके तथा समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में इन्हें कार्यान्वित करके, केन्द्रीय क्षेत्र में वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने के लिए, ऐसी ही कार्यवाही करने में सहायता दी जा रही है।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र में नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा राज्यों को इसी प्रकार की कार्यवाही करने की सलाह देना।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले के भण्डारों की मानीटरिंग करना तथा कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(4) अधिक बिजली वाले क्षेत्रों से कम बिजली वाले क्षेत्रों में विद्युत का अन्तरण।

(5) स्वदेशी एवं विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई का प्रबन्ध करना।

(6) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए 19,000 मेगावाट से भी अधिक नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि करने की योजना बनाई जा रही है।

विवरण

(आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं)

वर्ष	उत्पादन			जोड़	आवश्यकता
	जल विद्युत	ताप विद्युत	न्युक्लीय		
1977-78	37961	51962	2273	92196	102180
1978-79	47138	53420	2770	103328	108535
1979-80	45494	57155	2876	105525	118370

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

3354. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि एक अधिनियम के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) बिना किसी प्राधिकार के मंत्रालय का केवल एक तकनीकी सचिवालय और केवल एक केन्द्रीय कार्यालय है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा के अन्तर्गत हुआ है। जैसी कि प्रारंभ में परिकल्पना की गई थी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुख्य सांविधिक दायित्व ये हैं; — विद्युत संसाधनों के नियंत्रण और समुपयोजन के संबंध में एक ठोस, समुचित और एकरूप राष्ट्रीय विद्युत नीति का विकास करना; राज्य सरकार या बोर्ड और लाइसेंसधारी या अन्य व्यक्ति के बीच उठ खड़े होने वाले मामलों में मध्यस्थता करना तथा विद्युत सप्लाई उद्योग के बारे में आंकड़े एकत्र करना, उनको रिकार्ड करना तथा ऐसी सूचनाएं प्रकाशित करना। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार की गई विद्युत परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन का भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए करना होता है कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप हैं तथा राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों का इष्टतम विकास करती हैं।

देश में विद्युत विकास को आगे बढ़ाने में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को जो महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में निभानी है, उसको मान्यता देते हुए वर्ष 1976 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दायित्वों का और विस्तार किया गया था। इन दायित्वों में ये पहलू शामिल थे; दीर्घकालीन तथा संदर्शी योजनाएं बनाना, उपलब्ध सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों तथा दूसरी संस्थाओं को सलाह देना, स्कीमों को समय पर पूरा करने के लिए सहायता देना, विद्युत सप्लाई उद्योगों में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना,

विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण की व्यवस्था करना तथा विद्युत प्रदाय उद्योग से संबंधित मामलों में अनुसंधान करना। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जो उसे अपनी पूर्ववर्ती संस्था केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (विद्युत स्कंध) द्वारा सौंपे गए हैं। इन कार्यों में विद्युत सप्लाई उद्योगों को अभिकल्प और सलाहकारी सेवाएं देना तथा विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के संबंध में कार्यवाही करना शामिल है।

प्राधिकरण का गठन इस प्रकार किया गया है कि उसमें एक अध्यक्ष तथा पांच पूर्ण-कालिक सदस्य हैं, जिनकी पदेन हैसियत क्रमशः भारत सरकार के सचिव तथा अपर सचिव, की है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दायित्वों तथा स्तर को ध्यान में रखते हुए यह मान लेना सही नहीं होगा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मंत्रालय का तकनीकी सचिवालय मात्र है अथवा ऐसा केन्द्रीय कार्यालय है जिसे कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित धन

3355. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई प्रयोजनों के लिए कितनी प्रतिशत राशि आवंटित की गई है और सिंचाई के लिए कितने प्रतिशत पानी का वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया और कितने प्रतिशत पानी का उपयोग नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप सरकार की कितनी वार्षिक हानि हुई;

(ख) इस समय राज्यवार सिंचित भूमि का प्रतिशत क्या है; और

(ग) आगामी पंचवर्षीय योजना में भूमि का कितना क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत लाये जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पान्डेय) : (क) एक विवरण–1 संलग्न है।

(ख) एक विवरण-2 संलग्न है।

(ग) छठी योजना, 1980-85 आजकल तैयार की जा रही है।

विवरण-1

(करोड़ रुपये/मिलियन हैक्टेयर)

अवधि	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी सेक्टरों पर कुल व्यय	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बृहद और मध्यम सिंचाई सेक्टर पर व्यय	प्रतिशतता	निम्नलिखित वर्षों के अन्त तक हुआ लाभ	सृजित की गई समुपयोजन क्षमता (संचित आंकड़े जिसमें योजना पूर्व लाभ भी शामिल हैं)		समुपयोजन की प्रतिशतता	इस्तेमाल की गई क्षमता का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 वीं योजना (1974-78)	14665.25	2492.26	16.99	1977-78	24.8	21.2	85.47	14.53
1978-79	5756.43	977.15	16.97	1978-79	25.8	22.0	85.27	14.73
1979-80 (प्रत्याशित)	6549.34	1079.13	16.48	1979-80	26.7	22.9	85.77	14.23

विवरण–2

सिंचित भूमि की राज्यवार प्रतिशतता (1976-77 के आंकड़े)

(हजार हेक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	सकल बुवाई क्षेत्र	सकल बुवाई क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	4,156	11,863	35.0
असम	572(ख)	3,311	17.3
बिहार	3,604	11,325	31.8
गुजरात	1,373(ग)	10,189	13.5
हरियाणा	2,698	5,282	51.1
हिमाचल प्रदेश	155	929	16.7
जम्मू व कश्मीर	380	936	40.6
कर्नाटक	1,467	9,864	14.9
केरल	373	2,934	12.7
मध्य प्रदेश	2,050	20,856	9.8
महाराष्ट्र	2,220	19,740	11.2
मणिपुर(घ)	75	208	36.1
मेघालय	46(ज)	204	22.5
नागालैंड	40	115	34.8
उड़ीसा	1,383	7,209	19.2
पंजाब	5,080	6,285	80.8
राजस्थान	2,972	16,898	17.6
सिक्किम	(उपलब्ध नहीं)		
तमिलनाडु	3,001	7,147	22.0
त्रिपुरा(ङ)	30(छ)	7,385	7.8
उत्तर प्रदेश	9,741	23,152	42.1
पश्चिम बंगाल	1,541(च)	7,632	20.2
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	33	—
अरुणाचल प्रदेश	24	130	18·5
दादर तथा नागर हवेली	1	20	5.0
दिल्ली	72	116	62.8
गोआ, दमन और दीव(घ)	12	143	8.4
लक्षद्वीप	—	3	—
मिजोरम	8(ङ)	105	7.6
पांडिचेरी	38	50	76.0
अखिल भारत	43,116	1,67,065	25.8

(ख) वर्ष 1953-54 से संबंधित

(ग) टी० आर० एस० के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित

(घ) तदर्थ अनुमान

(ङ) वर्ष 1974-75 से संबंधित

(च) वर्ष 1967-68 से संबंधित

(छ) वर्ष 1973-74 से संबंधित

(ज) वर्ष 1975-76 से संबंधित

मथुरा तेल शोधक कारखाने का स्थान बदलने के लिए की गई सिफारिश

3356. **डा० कर्ण सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु दूषण निवारक विधेयक, 1978 सम्बन्धी प्रवर समिति ने इस बात की जोरदार सिफारिश की है कि मथुरा तेलशोधक कारखाने के लिए प्रस्तावित स्थान को बदला जाये जिससे ताजमहल और मथुरा क्षेत्र को प्रदूषण से होने वाला खतरा कम से कम हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) वायु प्रदूषण निवारक विधेयक 1978 पर प्रवर समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी "सरकार को शोधनशाला की समस्या पर नये सिरे से जांच करनी चाहिए और कम से कम शोधनशाला की अधिकतम प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटों को इटावा क्षेत्र में स्थानान्तरण करने की सम्भाव्यता की जांच करनी चाहिए और आगरा क्षेत्र में पीने के पानी जो पहले ही दूषित हो चुका है उपचार किये गये तरल निस्रोव से विषैला बन जाने की सम्भावना है, अगर सम्भव हो तो उसे पाइपलाइन के जरिए भेजा जाए और आगरा अथवा इटावा की नदी में उपयुक्त स्थल पर विसर्जित किया जाए जिससे पीने के पानी को सुरक्षित रखा जा सके।"

इन सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की गई थी। यह पाया गया था कि प्रदूषण वाली यूनिटों की कहीं और स्थापना करना और मथुरा में अशोधित तेल और पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण टेंक, ब्लेंडिंग लदान और उतारने के प्रबन्धों जैसी स्थल से दूर सुविधाओं की व्यवस्था तकनीकी तौर पर सम्भव नहीं है। जहां तक शोधनशाला से उपचार किये गये निस्राव के निकलने का सम्बन्ध है यह महसूस किया गया है कि देश में काफी मात्रा में उपलब्ध ज़ानकारी तथा पहले ही अपनाये गये प्रस्तावित उपयोग को ध्यान में रखते हुए, उपचार किये गये निस्राव वाले जल का पुनः मार्ग द्वारा आगरा नदी में अनुप्रवाह करना आवश्यक नहीं होगा।

पोलावरम बांध से विशाखापत्तनम को पानी देने की व्यवस्था

3357. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम बाँध से विशाखापत्तनम को पानी देने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, हां ।

(ख) पोलावरम परियोजना रिपोर्ट चरण-एक में, जो केन्द्रीय जल आयोग को आंध्र प्रदेश सरकार से दिसम्बर, 1978 में प्राप्त हुई थी, बाएं किनारे की नहर के जरिए विशाखापत्तनम को जल सप्लाई करने की व्यवस्था है । आयोग में परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई थी और राज्य सरकार को सितम्बर और नवम्बर, 1979 में तथा मई, 1980 में टिप्पणियां भेजी गई थीं । राज्य के अधिकारियों से इन टिप्पणियों के बारे में केन्द्रीय जल आयोग के साथ विचार-विमर्श करने का और यथावश्यक स्पष्टीकरण देने का अनुरोध भी किया गया है ।

तट दूर विद्युत संयंत्र के लिए तमिलनाडु से प्रस्ताव

3358. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समुद्र से बिजली पैदा करने हेतु तट दूर विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में तमिलनाडु बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस प्रस्ताव पर कब विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) 25 मेगावाट के समुद्री ताप ऊर्जा परिवर्तन (ओ. वे. ई. सी.) संयंत्र के अन्वेषण और अभिकल्प के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक से प्राप्त हुआ एक प्रस्ताव तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने भेजा है । इस प्रस्ताव में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

1. स्थल का मूल्यांकन तथा चयन ।
2. पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी अध्ययन ।
3. विद्युत माड्युल अभिकल्प ।
4. प्लेटफार्म/शिप डिजाइन
5. शीतल जल पाइप अभिकल्प ।
6. यूटिलिटो इन्टरफेस तथा केबिल अभिकल्प ।

छः मास का प्रारम्भिक अभिकल्प सोपान पूरा करने के लिए अनुमानित लागत 373400 डालर बताई गई है । एक अटकल अनुमान से पता चलता है कि ओ. वे ई. सी. के प्रथम संयंत्र की लागत 5000 डालर प्रति किलोवाट से कम होगी और 2200 डालर प्रति किलोवाट तक कम हो सकती है परन्तु ये अटकलें स्थल के संबंध में अत्याधिक निर्दिष्ट हैं । विभिन्न विकसित देशों में ओ. वे. ई. सी. प्रौद्योगिकी अभी अनुसंधान तथा विकास की प्रक्रिया में है तथा जीवन क्षम ओ. टी. ई. सी. प्रणाली सुस्थापित करने के लिए अत्याधिक प्रौद्योगिक विकास की आवश्यकता है । इस प्रस्ताव पर कार्रवाई आरंभ नहीं की गई है ।

हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र

3359. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम कुछ भिन्न-भिन्न जिलों में देखे जा सकते हैं;

(ख) क्या उपरोक्त दूरदर्शन केन्द्र से समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) हैदराबाद, मेडक, नगोंडा और महबूबनगर जिलों के कुछ भागों में हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। हैदराबाद में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्टूडियो से 15 कि.मी. की दूरी पर है। हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र से टेलीकास्ट किए जाने वाले सभी कार्यक्रम पहले स्टूडियो में रिकार्ड किए जाते हैं और वीडियो टेपों को टेलीकास्ट के लिए ट्रांसमीटर को भेजा जाता है। क्योंकि समाचार बुलेटिन तत्क्षण और जीवन्त टेलीकास्ट होते हैं, इसलिए इनको पहले रिकार्ड करके टेलीकास्ट के लिए ट्रांसमीटर को नहीं भेजा जा सकता। समाचार बुलेटिन टेलीकास्ट करने के प्रश्न पर स्टूडियो और ट्रांसमीटर के बीच माइक्रोवेव लिंक स्थापित हो जाने पर ही विचार किया जा सकेगा। इस लिंक के 1981 में चालू हो जाने की आशा है।

सम्बलपुर दूरदर्शन केन्द्र पर कार्यक्रम

3360. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बलपुर में दूरदर्शन केन्द्र चालू हो जाने के बाद भी कार्यक्रम कटक में तैयार किए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को सम्बलपुर जिले के लोगों का सम्बलपुर में ही दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि कार्यक्रमों में वहां के स्थानीय लोग भाग ले सकें;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) उक्त केन्द्र से दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों में और अधिक स्थानीय कार्यक्रमों को शामिल करने हेतु अधिक समय की अनुमति देने का विचार है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) संसाधनों के अभाव के कारण सम्बलपुर में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करना संभव नहीं हुआ है। तथ.पि, स्थानीय विषयों पर कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए सम्बलपुर में चलती-फिरती फिल्म और वीडियो यूनिटों की व्यवस्था की गई है।

(घ) शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन 1 घंटा और 15 मिनट। हर शनिवार को फीचर फिल्म दिखाने के लिए ट्रांसमिशन की कुल अवधि तीन घंटे की है।

(ङ) जी, हां। अगस्त, 1980 से स्कूलों के लिए दोपहर में 20 मिनट का एक शैक्षिक कार्यक्रम चालू करने का प्रस्ताव है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा किया गया व्यय

3361. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विधान सभा या संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है;

(ख) क्या अत्यधिक अल्प साधन वाला गरीब अभ्यर्थी निर्वाचन में खड़ा नहीं हो सकता;

(ग) क्या सरकार को पता है कि गरीब होने के कारण वह निर्वाचन में खड़ा नहीं ह सकता है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे निर्वाचनों में अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं, परिवहन और मुद्रण सामग्री संबंधी खर्चों को वहन करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) विधि में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विधान सभा या संसदीय निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी को बड़ी धनराशि व्यय करनी चाहिए। किसी भी विधि में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो किसी व्यक्ति को निर्धनता के आधार पर ऐसे निर्वाचन के लिए खड़े होने से निरर्हित करता हो। किन्तु यह सत्य है कि ऐसे निर्वाचन के अभ्यर्थी को काफी अधिक व्यय करना पड़ता है। ऐसा होने पर भी अनेक व्यक्तियों ने जिनके साधन बहुत कम हैं किसी राजनैतिक दल या मतदाताओं की सहायता से निर्वाचन लड़े हैं और उनमें से अनेक विजयी भी हुए हैं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक में रेडियो और दूरदर्शन केन्द्र

3362. **श्री डी० एम० पुत्ते गोडा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में स्थापित रेडियो केन्द्र, शक्तिशाली नहीं है और इसी वजह से रेडियो केन्द्रों से 60 मील से अधिक की दूरी पर स्थित गांवों में रेडियो कार्यक्रम साफ सुनाई नहीं देते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बंगलौर में एक शक्तिशाली शार्ट-वेव रेडियो केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) सरकार का विचार बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र को कब तक चालू करने का है, इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र कितने क्षेत्र का मनोरंजन करेगा और क्या सरकार का विचार कर्नाटक में अन्य स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) बंगलौर के 50 कि० वा० के मीडियम वेव ट्रांसमीटर और धारवाड़ के 10 कि० वा० के मीडियम वेव ट्रांसमीटर की रेंज 60 मील से अधिक है । गुलबर्गा के 10 कि० वा० के मी० वे० ट्रांसमीटर की रेंज केवल दक्षिण-पश्चिम की दिशा में ही 60 मील से अधिक है । उदीपी के 20 कि० वा० के मीडियम वेव ट्रांसमीटर की रेंज केवल उत्तरी दिशा में लगभग 60 मील होने की आशा है । भद्रावती के 20 कि० वा० के मीडियम वेव ट्रांसमीटर, मैसूर के 1 कि० वा० के मी० वे० ट्रांसमीटर, मंगलौर के 1 कि० वा० के मी० वे० ट्रांसमीटर, बंगलौर के 1 कि० वा० के मी० वे० ट्रांसमीटर तथा धारवाड़ के 1 कि० वा० के मी० वे० ट्रांसमीटर की रेंज 60 मील से कम है ।

धारवाड़ के ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाकर 200 कि० वा० कर देने की एक स्वीकृत 'प्लान' स्कीम है जिससे राज्य में रेडियो प्रसारण सेवा में पर्याप्त सुधार हो जाएगा । तथापि, इस स्कीम का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ख) अस्सी के दशक में प्रसारण के विकास की भावी "योजना" में, बंगलौर में 50 कि० वा० का एक शार्ट-वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया है । तथापि, इस योजना का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

(ग) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के 1982-83 में चालू होने की आशा है ।

(घ) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा 18000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र कवर किए जाने की आशा है । कर्नाटक में अन्य स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

पोन्नानी से बलियानकोडी (केरल) तक समुद्र तट के साथ सुरक्षा दीवार

3363. **श्री जी० एम० बनातवाला : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समुद्री कटाव के निरन्तर भारी खतरे और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष जान और झौपड़ियों की हानि से गरीब मछेरों को बचाने के लिये पोन्नानी से बलियान-कोडी (केरल) तक एक समुद्र के साथ दीवार बनाने की जोरदार आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि पोन्नानी से वलियानकोडी तक का लगभग 12 किलोमीटर लम्बा भाग अधिक कटाव से प्रभावित नहीं होता। तीन वर्ष पहले वरथपुझा दहाने के दक्षिण में पोन्नानी शहर में पानी आ गया था। फलस्वरूप, सड़कें और झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। परन्तु तब से किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।

नदी के निकास स्थल पर वलियानकोडी में एक पूलिनरोध का निर्माण किया गया है और इससे उस क्षेत्र में भू-कटाव रोकने में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त, 1980-81 में एक किलोमीटर लम्बी समुद्री दीवार के निर्माण का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र पर राज्य सरकार द्वारा बराबर नजर रखी जा रही है और यदि आवश्यक हुआ तो और अधिक सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे।

फरक्का बाँध परियोजना

3364. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि फरक्का बांध परियोजना का काम शुरू हो गया है, हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलमग्न पड़ी हुई है और इससे गरीब किसानों को भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार गरीब किसानों को हो रही हानि के लिये क्षतिपूर्ति देने का है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फरक्का फीडर नहर के जल द्वारा प्रभावित पगला-बंसलोई बेसिन के निम्नवर्ती क्षेत्रों के विकास और रबी की खेती के लिए ऐसे क्षेत्रों को उपलब्ध करने के लिए 4.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक स्कीम स्वीकृत की गई है।

इस स्कीम में पगला और बंसलोई नदियों पर नियामकों के निर्माण और जल-प्रवाह के नियंत्रण के लिए एक नियामक सहित उत्तर की ओर जल-निकास चेनल के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम की क्रियान्विति से लगभग वही लाभ उपलब्ध होने की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाएगी, जो फरक्का फीडर नहर के प्रचालन से पहले निम्नवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त होते थे। इस स्कीम की क्रियान्विति 2½ वर्ष में होगी और इसे क्रियान्वयन के लिए हाथ में ले लिया गया है।

449 हेक्टेयर क्षेत्र में से जल-निकास के लिए दामोस बील क्षेत्र के जल-निकास की 77 लाख रुपये की लागत वाली एक अन्य स्कीम पश्चिम बंगाल सरकार से केन्द्रीय जल आयोग को जांच करने के लिए हाल ही में प्राप्त हुई है।

(घ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण

3365. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की जायेगी और उसमें कौन-कौन सदस्य होंगे;

(ख) बोर्ड को क्या जिम्मेदारियां सौंपी जायेंगीं और सरकार उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या जलयंत्रक बोर्ड के बारे में संबंधित राज्यों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने दिसम्बर, 1979 में प्रस्तुत की गई अपनी अन्तिम रिपोर्ट में, अपने निर्णय तथा निदेशों के अनुपालन और क्रियान्वयन के प्रयोजन से "नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण" नामक एक अन्तर्राज्यिक प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना करने का निदेश दिया था । केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के तन्त्र की स्थापना कर सके, इसके लिए यह जरूरी था कि अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाए । तदनुसार, इस बीच इस प्रयोजन से एक विधेयक 12.6.80 को लोक सभा में पारित किया गया है । राज्य सभा द्वारा शीघ्र ही इस पर विचार किया जाएगा राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को पारित किये जाने और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति दे दिए जाने के बाद नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, का गठन किया जाएगा ।

प्राधिकरण में 7 उच्च स्तरीय इंजीनियर-सदस्य होंगे–गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा राजस्थान के पक्ष राज्यों द्वारा एक-एक इंजीनियर-सदस्य की नियुक्ति की जानी है और अन्य 3 इंजीनियरों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा पक्ष राज्यों की सलाह से की जानी है । तीन स्वतन्त्र सदस्यों में से किसी एक सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण का अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा ।

(ख) प्राधिकरण का कार्य मुख्यत: समन्वय करने और निदेश देने का होगा । प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्य ये होंगे : निर्माण संबंधी कार्यक्रमों को चरणबद्ध और समन्वित करना ताकि इष्टतम लाभ शीघ्र प्राप्त किए जा सकें, परियोजनाओं के विभिन्न यूनिटों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करना, भूमि-अधिग्रहण, मुआवजे और पुनर्वास संबंधी मामलों में न्यायाधिकरण के आदेशों का संबंधित राज्यों द्वारा समय पर पूरा अनुपालन कराने के लिए उपयुक्त निदेश देना, जल का हिसाब-किताब रखने के लिए नियम और विनियम बनाना, मध्य प्रदेश द्वारा जल के विनियमित रिलीज की मात्रा और पद्धति, उसकी कीमत की अदायगी तथा लागत के बंटवारे के संबंध में न्यायाधिकरण के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, उपर्युक्त निश्चित अवधियों के बाद राज्यों द्वारा नर्मदा के जल के इस्तेमाल को निर्धारित करना, विद्युत के उत्पादन और पारेषण के एक चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम के बारे में तथा बाढ़-पूर्व-सूचना और बाढ़-नियंत्रण आदि की एक प्रभावी प्रणाली के निर्माण और प्रचालन के बारे में निदेश देना ।

जैसाकि न्यायाधिकरण की रिपोर्ट में व्यवस्था है, कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम और पक्ष-राज्यों पर आवद्धकर होगा । न्यायाधिकरण ने एक पुनरीक्षण

समिति गठित करने की भी सिफारिश की है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय सिंचाई मंत्री होंगे और पक्ष राज्यों के मुख्य मंत्री जिसके सदस्य होंगे। यह समिति स्वतः अथवा पक्ष राज्यों के आवेदन पर प्राधिकरण के किसी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है। पुनरीक्षण समिति का निर्णय अन्तिम और सभी राज्यों पर आबद्धकर होगा। इसके अलावा, सरदार सरोवर बांध और विद्युत कम्पलेक्स के कुशल, मितव्यतापूर्ण और शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण ने सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति स्थापित करने की भी सिफारिश की है।

(ग) केन्द्र द्वारा तीन इंजीनियर सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित सुझाव के सिवाय, संबंधित पक्ष-राज्यों से नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना के बारे में कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

कच्छ में विद्युत संयंत्र की स्थापना

3366. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्छ में लिग्नाइट संसाधनों पर आधारित एक विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का निर्णव लिया है;

(ख) इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता क्या होगी;

(ग) प्रस्तावित संयंत्र कब तक विद्युत का उत्पादन करना शुरू कर देगा, और संयंत्र की स्थापना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) क्या संयंत्र के कल-पुर्जों का आयात किया जाएगा; यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) इस केन्द्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट होगी, जिसमें 60-60 मेगावाट के दो यूनिट होंगे।

(ग) इन दोनों यूनिटों के 1985-86 में चालू हो जाने की आशा है।

(घ) इस स्कीम को क्रियान्वित करने की स्वीकृति इस आधार पर दी गई है कि संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई स्वदेशी स्रोतों से होगी।

उर्वरक के उत्पादन में आत्म निर्भरता

3367. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या उर्वरक उत्पादन के मामले में देश के आत्म-निर्भर होने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं। तथापि, उर्वरकों के उत्पादन के लिये पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता की स्थापना और वर्तमान एककों में अधिकतम उत्पादन के द्वारा उर्वरको के स्वदेशी उत्पादन और मांग के बीच पाये जाने वाले अन्तर को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे है।

विद्युत उपकरण की सप्लाई के लिए जारी किए गए विश्व-व्यापी टेंडर

3368. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित विभिन्न परियोजनाओं ने वर्ष 1978-79 और 1980 के दौरान विद्युत उपकरण की सप्लाई के लिये कितने विश्व-व्यापी टेंडर जारी किये;

(ख) क्या एक सरकारी उपक्रम, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम ने रामगुडम सुपर तापीय परियोजना के लिये विद्युत उपकरण सप्लाई हेतु इटली के ग्रुप पक्ष में निर्णय किया है;

(ग) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के विरुद्ध इसके द्वारा सप्लाई किये जाने वाले विद्युत उपकरण की घटिया किस्म, सप्लाई में विलम्ब तथा विद्युत उपकरणों में खराब सामग्री के होने के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(घ) क्या भारी उद्योग विभाग भारतीय परियोजनाओं द्वारा विश्व-व्यापी टेंडर जारी किये जाने को रोकने के बारे में सोच रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत सरकार की आयात नीति में इस बात की अनुमति है कि विद्युत उत्पादन उपस्कर के आयात के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की जाएं। इन विश्व व्यापी निविदाओं के आधार पर की गई सिफारिशों पर विचार एक शक्ति प्रदत्त समिति में किया जाता है। सचिव, भारी उद्योग विभाग इस समिति की अध्यक्षता करते हैं और अंतिम स्वीकृति देने से पूर्व यह समिति सिफारिशों की जांच करती है। वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान आमंत्रित की गई विश्वव्यापी निविदाओं के संबंध में सूचना परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त की जा रही है।

(ख) जी, हां। इस परियोजना के लिए मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के उपबंधों के अन्तर्गत यथा-आवश्यक प्राप्त हुई विश्व व्यापी निविदाओं के आधार पर।

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० ए० सी० सी० विकर्स बाबकाक और इन्सट्रमेन्टेशन लि० कोटा जैसे मुख्य-मुख्य सयंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित देशी उपस्कर पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में चालू किए गए हैं। पहले उत्पादन उपस्कर में कई प्रारंभिक समस्याएं थीं। अधिकांश केन्द्रों में इन पर काबू पा लिया गया है। मेसर्ज, भारत हैवी इलेकिट्रकल्ज लि० और इन्सट्रमेन्टेशन लि० कोटा द्वारा निर्मित दूसरा उत्पादन उपस्कर अधिक अच्छा कार्य कर रहा है और इनके बारे में शिकायतें कम हैं।

(घ) विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए उपस्कर के आयात संबंधी वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करने के प्रस्ताव को सरकार जांच कर रही है।

शोधित स्पिरिट के औद्योगिक उपयोग

3369. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलिम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आजकल शोधित स्पिरिट के क्या-क्या औद्योगिकी उपयोग हैं;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि अन्य राज्यों से केरल में प्राप्त शोधित

स्पिरिट के मुख्य उपयोग में से एक उपयोग अरचि, अन्य देशी और विदेशी शराबों जैसे पेय अल्कोहलों को तैयार करना है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में पेय अल्कोहलों के निर्माण में जहरीले अवयवों की अनुमति न दी जाय, भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय भारत में परिशोधित स्पिरिट का प्रयोग करने वाले प्रमुख उद्योगों में सिन्थेटिक रबड़, पोलीथिलीन, स्टाइरीन, पी० वी० सी० एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड, बुटानोल, इथाइल एसीटेट और 2–इथाइल हैक्सानोल शामिल हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) राज्य सरकारें अपने-अपने आवकारी कानूनों के अन्तर्गत पेय शराव के निर्माण पर कड़ी निगरानी रखती हैं ताकि पेय शराब में विषाक्त पदार्थ न मिलाया जा सके।

रासायनिकों का वार्षिक उत्पादन

3370. **श्री ए० नीनालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1975-1980 के दौरान प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित रसायनों का कुल उत्पादन कितना हुआ (एक) क्लोरल हाइड्रेट, (दो) बार्बिट टर्स्टेस, (तीन) आर्गनोफास्फोरस केमिकल्स, (चार) बेन्जीन हैवज क्लोराइड, (पांच) पोटाशियम साइनाइड, (छः) निकोटिव सल्फेट; और

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में केरल जैसे कुछ राज्यों में आबकारी ठेकेदार क्लोरल हाइड्रेट का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1975 से 1980 के दौरान निम्नलिखित विवरण पत्र उत्पादों को स्वदेशी उत्पादन निम्न प्रकार है :

	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) क्लोरल हाइड्रेड (कि० ग्रा०)	355.198	574.8	शून्य	शून्य	शून्य
(2) (फेनोवारविटोन) (टन)	13.81	13.55	27.54	20.53	26.41
(3) आर्गनो फास्फोरसरसायन (टन)					
(क) मलेथियन	1636	1873	2047	2845	2121
(ख) मेथाइल पैराथियन	4199	927	1554	2242	2533
(ग) फनिट्रोथियन	287	129	212	401	350
(घ) मेटासिस्टोक्स	67	182	164	208	140

1 2	3	4	5	6	7
(ङ) डाइमेथस्ट	462	466	645	721	804
(च) फोस्फीमिडोन	189	295	442	563	585
(छ) डी० डी० वी० पी०	182	130	207	278	218
(ज) क्विनलफोम	142	210	291	379	545
(झ) फैन्थोएट	शून्य	शून्य	शून्य	11	शून्य
(ट) मोनोफ्रोटोफोम	शून्य	शून्य	शून्य	46	441
(4) बैजीन हैक्सा क्लोराइड	23924	24590	28646	35254	31729
(5) पोटाशियम साइनाइड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(6) (निकोटिव सल्फेट) इस नाम की कोई उप-उत्पाद नहीं है, तथापि, निकोटिन सल्फेट नाम का एक उत्पाद है। जिसका उत्पादन ब्यौरा मालूम नहीं हैं।

(ख), जी, नहीं।

1975-1980 के वर्षों के दौरान कारल हाइड्रेट का वार्षिक उत्पादन

3371. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम तथा उर्वरक, रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-80 के वर्षों में कारल हाइड्रेट का वार्षिक उत्पादन क्या था;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में औषध निर्माण उद्योग द्वारा उक्त हाइड्रेट की कितनी-कितनी मांग की गई थी; और

(ग) हाइड्रेट के गैर-औषध निर्माण उपयोग क्या-क्या हैं और उपरोक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में गैर-औषध निर्माण उद्योगों ने हाइड्रेट की कितनी मात्रा की खपत की थी?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरन हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस लि०, क्लोरल हाइड्रेट का बताया गया उत्पादन क्रमशः 355.198 कि० ग्रा० और 574.8 कि० ग्रा० है। वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस लिमिटेड ने क्लोरल हाइड्रेट का कोई उत्पादन सूचित नहीं किया है।

(ख) क्लोरल हाइड्रेट का फार्मास्यूटिकल प्रयोग एक सेडेटिव के रूप में था परन्तु इसके विस्तृत विपरीत प्रभावों के कारण हमारे देश में फार्मास्यूटिकल उद्योग में सेडेटिव के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

(ग) क्लोरल हाइड्रेट के गैर-फार्मास्यूटिकल प्रयोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा की बड़ानाला सिंचाई योजना

3372. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सिंचाई मन्त्री बड़ानाला सिंचाई परियोजना के बारे में 20 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग को बड़ानाला परियोजना रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी;

(ख) इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि परियोजना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पा 56 : (क) और (ख) बड़ानाला सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को मार्च, 44.[illegible] प्राप्त हुई थी । केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियाँ अन्तिम बार जून, 1980 में राज्य सर[illegible] 79.7[illegible] भेजी गई थीं । राज्य के इंजीनियरों के साथ भी इन पर विचार-विमर्श किया गया था । 38.8[illegible] को स्वीकृति मिलना, राज्य सरकार द्वारा 73.[illegible] इन टिप्पणियों के पालन किये जाने/उत्त[illegible] जाने पर निर्भर करता है ।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं हो[illegible] 78.7 37.[illegible]

उड़ीसा के कोरापुट 29.54**ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण**

3373. **श्री गिरिधर गोमांगो:** [illegible] ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋण योजना का लाभ किन-किन खण्डों को दिया जा रहा है;

(ख) चालू वित्त वर्ष तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा उड़ीसा सरकार को मंजूर तथा जारी किये गये ऋणों का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा गांवों के विद्युतीकरण के लिये खण्डवार क्या प्रस्ताव पेश किये गये और इस योजना के अधीन अब तक कितने गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है;

(घ) चालू वित्त-वर्ष के दौरान विद्युतीकृत किये जाने वाले गांवों की योजनावार संख्या कितनी है और इस काम के लिए कितनी राशि दी गई है; और

(ङ) इन योजनाओं को क्रियान्विति में विलम्ब को रोकने के लिए उड़ीसा सरकार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने क्या उपाय किये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम लि० ने 30 जून, 1980 तक उड़ीसा के कोरापुट जिले की 23 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकृति दी है । स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है जिसमें स्कीम के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के नाम, स्वीकृत की गई ऋण-राशि, वितरित की गई ऋण-राशि, इन स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव और विद्युतीकृत गाँव बताए गए हैं ।

(घ) कोरापुट जिले के लिए स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण निगम स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान 452 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए

229.149 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रस्ताव है। स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम इस स्थिति में भी होगा कि उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम जो भी नई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें आर्थिक सहायता के लिए निगम को प्रस्तुत करे उन स्कीमों के लिए निगम अधिक ऋण दे।

(ङ) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाई जातीं और उसी के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। निगम द्वारा स्वीकृत किया गया ऋण, किस्तों में पेशगी में दिया जाता है। इसकी पहली किस्त निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तथा दूसरी और बाद की किस्तें वास्तव में हासिल की गई प्रगति के आधार पर दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करने की निगम की अपनी एक व्यवस्थित प्रणाली है और जहाँ कमियाँ पाई जाती हैं, मामला राज्य बिजली बोर्ड के साथ और जहां आवश्यक समझा जाता है वहाँ राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है ताकि स्कीमों के कार्यान्वयन में शीघ्र प्रगति हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

(च) जी नहीं।

(छ) नहीं हैं।

विवरण-I

क्र० सं०	स्कीम का नाम तथा इसके अन्तर्गत आने वाले ब्लाक	30.6.80 तक स्वीकृत ऋण (लाख रुपए में)	30.6.80 तक वितरण की गई ऋण की राशि (लाख रुपए में)	स्कीम के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित गाँवों की संख्या	31.3.80 को विद्युतीकृत गाँव
1	2	3	4	5	6
1.	कल्याणसिंहपुर, कोलनारा, सरत पी. एस.	22.820	20.070	64	57
2.	बिस्साम-कटक, अम्बाडाला	21.918	16.439	68	55
3.	जेयपोर ई० डी०, कोटपद, बेरीगुपा	4.623	—	34	राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रथम किश्त अभी प्राप्त नहीं की गई है।
4.	कोटपद, कोडींगा	45.634	42.167	109	100
5.	वोईपारीनगुण्डा, कुन्द्रा	61.894	52.609	117	82
6.	लेम्पटापुट	15.357	14.447	13	9
7.	डाबुगांव	79.648	70.184	98	78
8.	नारायणपुतना, लक्ष्मीपुर, बन्धुगांव	80.811	59.728	135	12

1	2	3	4	5	6
9.	रमनागुड, गुडारी, पदमपुर	49.628	41.853	91	54
10.	काशीपुर	13.728	6.549	11	उपलब्ध नहीं
11.	बारीगुना	31.871	29.007	59	50
12.	कलीमेला, पदिया	55.003	40.530	118	9
13.	नन्दपुर	29.920	25.722	61	29
14.	दशमतपुर	12.716	12.716	14	2
15.	रायगढ़	55.653	30.609	87	उपलब्ध नहीं
16.	नवरंगपुर, पापड़ाहान्डी	56.461	22.584	98	उपलब्ध नहीं
17.	टेंडलीकुन्ती नन्दाहान्डी	44.777	24.627	70	2
18.	झारीगोंन-चन्दाहान्डी	79.747	31.899	173	उपलब्ध नहीं
19	मलकानगिरि	38.884	15.554	64	,,
20.	मैथिली	73.723	29.489	122	,,
21.	रायपदा	78.708	31.483	214	,,
22.	कोरापुट	37.992	—	58	(राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रथम किश्त अभी प्राप्त नहीं की गई है ।)
23.	जेयपोर	29.548	---	47	
	जोड़	1021.064	618.266	1925	539

विवरण-2

क्र०सं०	ब्लाक स्कीम का नाम	1980-81 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत पहले से स्वीकृत विद्युतीकृत किए जाने वाले प्रस्तावित गांवों की संख्या	1980-81 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत पहले से स्वीकृत वितरण की जाने वाली ऋण की प्रस्तावित किश्त
1	2	3	4
			(लाख रुपए में)
1.	कल्याणसिंहपुर, कोलनारा सरत पी० एस०	7	2.310
2.	बिस्साम-कटक, अम्बाडाला	13	2.740
3.	जेयपोर ई. डी., कोटपद, बेरीगुमा	34	1,849
4.	कोटपद कोडींगा	9	3.467

1	2	3	4	5
5.	बोइपारीनगुडण, कुन्द्रा	35		9.285
6.	नैम्पटापुट्ट	4		0.900
7.	डाबुगांव	8		5.872
8.	नारायणपुतना, लक्ष्मीपुर, बन्धुगांव	13		21.779
9.	रमनागुड, गुडारी, पदमपुर	24		7.775
10.	काशीपुर	11		7.179
11.	बारीगुना	9		2.864
12.	कलीमेला, पदिया	42		8.993
13.	नन्दपुर	18		3.849
14.	दशमंतपुर	12		पूर्णतः बितरित
15.	रायगढ़	20		13.914
16.	नवरंगपुर. पापड़ाहान्डी	17		16.939
17.	टेंडलीकुन्ती, नन्दाहान्डी	11		12.401
18.	झारीगोन-चन्दाहान्डी	27		23.924
19.	मलकानगिरि	26		11.665
20.	मैथिली	50		22.117
21.	रायपदा	62		23.612
22.	कोरापुट	—		15.197
23.	जेयपोर	—		10.518
	जोड़	452		229.149

टिप्पणी : उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड जो नई स्कीमें पेश करेगा और जिन्हें निगम द्वारा स्वीकृति दी जाएगी, उन नई स्कीमों के अन्तर्गत जिला कोरापुट में 1980-81 के दौरान और गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है ।

मानव निर्मित रेशे का व्यापार करने वाले औद्योगिक गृहों के विस्तार के लिए लाइसेंस

3374. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री मानव निर्मित रेशे का व्यापार करने वाले औद्योगिक गृहों को जारी किए गए लाइसेंसों के बारे में 10 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 205 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन पत्र इस समय उनके मंत्रालय के अन्तर्गत नाइलोन फिलामेंट यार्न, एसीटेट, एकाइलिक फाइबर, विसकोस, नायलोन कार्ड, पल्प ग्रेड यार्न और मानव निर्मित अन्य प्रकार के रेशे के लिये नये उद्यमों को शुरू करने अथवा अपनी वर्तमान क्षमता का विस्तार करने के लिये आशय-पत्र जारी करने हेतु विचाराधीन पड़े हुए हैं और वे किस अवस्था में पड़े हुए हैं;

(ख) मांगें गये विस्तार का विवरण क्या है और नए उद्यमों में मात्रा कितनी है; और

(ग) इनमें से कौन से एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया से संबंधित हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) जो आवेदन पत्र विचार करने के लिए सरकार के पास रहते हैं उनके विवरण तब तक प्रकाशित नहीं किये जाते जब तक सरकार उन पर अपना निर्णय नहीं ले लेती ।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा मांगी गई रियायतें

3375. **श्री एस. एम. रामकृष्ण** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृहों ने बिजली की अपर्याप्त सप्लाई से उनके उत्पादन में आई कमी के कारण कम्पनी अधिनियम और आय-कर अधिनियम के अधीन कुछ रियायतें/छूट प्रदान करने हेतु उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होता है ।

सेंसर द्वारा पास न की गई हिन्दी फिल्में

3376. **श्री भीखाभाई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि ।

(क) कितनी और किन-किन हिन्दी फिल्मों को गत तीन वर्षों में सेंसर बोर्ड द्वारा भारत में प्रदर्शिज्ञ करने की अनुमति नहीं दी गई;

(ख) कितनी और किन-किन फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने उक्त अवधि में पुनः सेंसर किया;

(ग) क्या कुछ फिल्मों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राज्ञ दुलारी सिन्हा) : (क) निम्नलिखित 14 लघु और फीचर फिल्मों को फिल्म सेंसर बोर्ड ने कलैंडर वर्ष 1977 के शुरू से अब तक सेंसर प्रमाण-पत्र देने से इंकार कियाहै :

1. खेल खिलाड़ी का (हिन्दी)
2. दरवाजा (हिन्दी)
3. दिल और पत्थर (हिन्दी) (संशोधित)
4. लड़की जवान हो गई (हिन्दी) (संशोधित)
5. किस्सा कुर्सी का टेलर (हिन्दी)
6. प्राइवेट लाइफ (संशोधित) (हिन्दी)
7. चेतना दो राहे पर (हिन्दी)
8. जानी दुश्मन (हिन्दी)
9. आदि युग (हिन्दी)

10. तू मेरी मैं तेरा (हिन्दी),
11. "77" (हिन्दी)
12. हिंसक तत्वों से सावधान (हिन्दी)
13. "जलन" का ट्रेलर (हिन्दी)
14. "और कौन" का ट्रेलर (हिन्दी)

(ख) बाद में बोर्ड ने निम्नलिखित 8 फिल्मों को उनके उत्तरवर्ती संशोधित अथवा पुनः संशोधित रूपों में प्रमाणीकृत कर दिया :

1. खेल खिलाड़ी का (संशोधित
2. दरवाजा (संशोधित)
3. दिल और पत्थर (पुनः संशोधित)
4. लड़की जवान हो गई (पुनः संशोधिय)
5. "77" (संशोधित)
6. "जलन" का ट्रेलर (संशोधित)
7. "और कौन" का ट्रेलर (संशोधित)
8. आदि युग (संशोधित)

फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्म "जानीं दुश्मन" को बोर्ड और केन्द्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में हुए "सहमति करार" के परिणामस्वरूप निर्माता द्वारा इसमें स्वैच्छिक रूप से कांट-छांट कर दिए जाने के बाद प्रमाणीकृत किया था।

(ग) इन फिल्मों के संबंध में बोर्ड को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नही उठता।

नोहर नहर परियोजना

3377. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोहर नहर परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ख) उस पर कितनी राशि खर्च की गई है और उक्त नहर की सिंचाई क्षमता कितनी होगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने गंगानगर जिले की नोहर तहसील में 32,500 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने के लिए नोहर सिंचाई परियोजना तैयार की है। परियोजना-प्रस्ताव वर्तमान भाखड़ा नहर प्रणाली से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों के रास्ते से नोहर नहर को 269 क्यूसेक्स जल दिये जाने पर आधारित है। इसमें कुछ अन्तर्राज्यिक मामले शामिल हैं, जिन पर भारत सरकार द्वारा अक्तूबर और नवम्बर, 1979 में आयोजित एक बैठक में तीन राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक में कुछ विकल्पों का सुझाव दिया गया था लेकिन राज्य सरकारों ने अभी तक इन सुझावों का पूर्ण उत्तर नहीं दिया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना पर अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है और इसलिए अभी तक इस पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

संबद्ध कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों को लायसेंस तथा ठेके देना

3378. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने गत छः माह के दौरान अपने संबद्ध कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों को कितने लाइसेंस तथा ठेके दिये और प्रत्येक मामले में कितनी राशि अंतग्रस्त है; और

(ख) क्या सरकार इस संबंध में बेरोजगार लोगों को प्राथमिकता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत समाचार पत्र

3379. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुत अधिक परिचालन संख्या वाले समाचार पत्र एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) जिला मुख्यालयों से प्रकाशित होने वाले छोटे समाचार पत्रों के हितों को बड़े समाचार पत्रों के अतिक्रमण से बचाने हेतु क्या कदम उठाये जाने हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) समाचार पत्र एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अपनी परिसम्पत्ति, अंतः-संबंधों अथवा प्रधानता के आधार पर आ सकते हैं न कि अपनी परिचालन संख्या के आधार पर । 31-3-1980 को निम्नलिखित समाचार पत्र उपक्रम एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 20(क) के साथ पठित धारा 26 के अधीन पंजीकृत हैं या पंजीकृत किए जाने के पात्र पाए गए हैं क्योंकि अन्तःसंबंधित उपक्रमों की परिसम्पत्ति सहित उनकी परिसम्पत्ति का मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक है :

1. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्रा० लिमिटेड, बम्बई ।
2. इंडियन एक्सप्रेस (मदुरै) प्रा० लि० मद्रास ।
3. ट्रेडर्स प्रा० लि०. बम्बई ।
4. आंध्र प्रभा प्राइवेट लि०, विजयवाड़ा ।
5. न्यूजपेपर्स लिमिटेड, इलाहाबाद ।
6. तमिलनाडु, मद्रास ।
7. वैनेट, कोलमैन एंड कम्पनी लि०, बम्बई ।
8. हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।

(ग) हाल ही में घोषित की गई हमारी अखबारी कागज आबंटन नीति में छो मझोले समाचार पत्रों को अखबारी कागज का अधिक आरंभिक आवंटन तथा अधि वैधता अवधि, जो 6 महीने तक है, देने की व्यवस्था है ताकि इस वर्ग के समाचार पत्रों की रक्षा की जा सके । इसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अब के बाद इनको व

पर राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाक से अखबारी कागज समान कीमतों पर उपलब्ध किया जाएगा। ये कदम उन्हें और आत्म निर्भर बनाने में सहायक होंगे। इस वर्ग के समाचार पत्रों को उपयुक्त विज्ञापन सहायता देने के लिए सरकार की विज्ञापन नीति का भी पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रचार सामग्री, लेखों, फोटो चर्बाओं, इवोनाइड ब्लाकों, आदि की सप्लाई के मामले में सुविधाएं/रियायतें देने के प्रावधान पहले से ही हैं।

छोटे और मझौले समाचार पत्रों तथा भाषायी प्रेस के विकास के बारे में एक मद को प्रेस आयोग के संशोधित विचारणीय विषयों में शामिल करने के बारे में समुचित रूप से विचार किया जायेगा।

तट-दूर छिद्रण कार्य में विदेशों का सहयोग

3380, **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने तट-दूर छिद्रन के कार्य में आजकल किन-किन विदेशों से सहयोग लिया हुआ है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में सहयोग के लिए और देशों को भी आमन्त्रित करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार इस बात की सुनिश्चित करेगी कि देश में विद्यमान तकनीकी जानकारी और सुविज्ञता को इस सहयोग के कारण कोई हानि नहीं हो ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय समुद्री क्षेत्र में खुदाई बिना किसी विदेशी सहयोग से की जा रही है। परन्तु जहां कहीं आवश्यक होता है विदेशी ठेकेदारों तथा खुदाई में काम आने वाले जहाजों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

(ख) और (ग) विदेशी कम्पनियों को समुचित व्यापारिक शर्तों पर समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण में भाग लेने दिया जाय या नहीं, सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रही है अगर ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि स्वदेशी दक्ष पार्टियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे।

"संसद में आज" कार्यक्रम का प्रसारण

3381. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "संसद में आज" कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रसारण किन प्रादेशिक भाषाओं में होता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या सभी प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए तत्काल कोई कार्य करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) आकाशवाणी के मूलरूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले 80 केन्द्रों में से, 37 केन्द्र "टुडे इन पार्लियामेंट" रिले करते हैं और 36 केन्द्र "संसद समीक्षा" (टुडे इन पार्लियामेंट का हिन्दी प्रतिरूप) प्रस्तुत करते हैं। संसदीय कार्यवाहियों की समीक्षा केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही प्रसारित की जाती है, अन्य किसी प्रादेशिक भाषा में नहीं।

(ग) "टुडे इन पार्लियामेंट" को प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट को 40 प्रादेशिक समाचार यूनिटों को टेलीप्रिंटर से भेजने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथापि संसदीय कार्यवाहियों को दिल्ली से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों सहित सभी प्रमुख समाचार बुलेटिनों में व्यापक रूप से कवर किया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभव प्रसारित करने का कार्यक्रम

3382. **श्री नारायण चन्द पराशर** : **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से "स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभव" प्रसारित करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रसारण पहले भी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो किन स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभवों को प्रसारित किया गया है;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई सूची तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का चयन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभव/संस्मरण स्वाधीनता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1972 में रिकार्ड किए गए थे। इनमें से अनेक रिकार्डिगों का आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रमों में उपयोग किया गया था। उपयुक्त अवसरों पर इनका उपयोग अब भी किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) जिन 300 स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभवों/संस्मरणों की रिकार्डिग आकाशवाणी अभिलेखागार में उपलब्ध है उनकी सूची विवरण में संलग्न है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानियों के नाम

क्रम सं०	नाम	क्रम सं०	नाम
1.	श्री मुन्ना लाल पंचोलिया	35.	श्री के० पी० केशव मेनन
2.	,, -तथैव-	36.	,, छन्नु बीसमोगरे
3.	,, सालिग राम	37.	,, प्राण लाल शाह
4.	,, सीता राम	38.	,, खेम चन्द शर्मा
5.	,, जदु गोपाल मुखर्जी	39.	,. आर० एल० पुरूषोत्तम रेडियार
6.	श्रीमती सावित्री देबी	40.	,, अप्पाजी गांधी
7.	श्री सूर्य प्रसाद सिंह	41.	,, बी० एल० थिम्मा ग्रुदा
8.	,, महामाया प्रसाद सिंह	42.	अरूण (के० अरूणाचलम)
9.	,, श्री सुरेश्वन पाठक	43.	मोन्दर (आर० मुथियाल)
10.	,, दीपनारायण सिंह	44.	श्री पी० एस० चीनादोराई
11.	,, कैलाश नाथ द्विवेदी	45.	डा० एन० एचन्दकान्त मुदलियार
12.	श्रीमती जरा देवी	46.	श्री एस० आर० एन० शेष भगवथार
13.	श्री देवी दत्त काण्डपाल	47.	,, ए० आर० सवाई
14.	,, शंकर राव मलदापुरदार	48.	,, चरण दास
15.	,, बेनी धर कानूनगो	49.	,, लक्ष्मी चन्द मेहरा
16.	,, फकीर चन्द साहू	50.	श्रीमती मन्नू बाई
17.	,, जथेदार मोटा सिंह	51.	श्री डी० एन० जोशी
18.	श्रीमती मेमोबाई	52.	,, गोपालजी भाई
19.	,, सावित्री शर्मा	53.	,, मद देव प्रसाद
20.	श्री बूपा राव केशर राव कोयारकर	54.	,, वे० पी० चटर्जी
21.	,, माली रीवा	55.	,, टी० यू० काशीराजन
22.	,, अनावरल नावी	56.	,, के० एन० कृष्णन्
23.	,, सज्जन सिंह	57.	लाला हरदयाल
24.	चौधरी रणवीर सिंह	58.	श्री शिवराम सिंह
25.	डा० उषा मेहरा	59.	,, जुगल किशोर चतुर्वेदी
26.	श्री शालीग्राम अग्रवाल	60.	,, गोपाल लाल आसव
27.	,, हरिपद भट्टाचार्जी	61.	,, राम करण जोशी
28.	,, गुरूबख्श राय	62.	,, सुरेश भट्टाचार्जी
29.	,, लक्ष्मीचन्द मेहरा	63.	,, मणि लाल गुरूदेव
30.	,, एम० एस० शिवाराम सिंह	64.	,, ए० एन० इशवेल साहिब
31.	,, के० ए० केरलुयान	65.	,, सखानन्द मिश्रा
32.	,, क्षीतिश बसु	66.	,, विश्राम सिंह
33.	,, जगदल चौधरी	67.	,, नाहर सिंह
34.	सरदार हरिहर सिंह	68.	,, आर० एस० कुमार स्वामी

क्रम सं०	नाम	क्रम सं०	नाम
69.	श्री आर० एस० कृष्णन्	106.	श्री चन्द्रमा सिंह
70.	,, के० टी० रामलिंगम	107.	,, राम पाण्डे
71.	,, ए० आर० सवोई	108.	,, छविनाथ पाण्डे
72.	,, उधम सिंह	109.	श्रीमती देव रानी
73.	,, सखानन्द मिश्रा	110.	श्री कर्पूरी ठाकुर
74.	,, प्रतिवादी भयंकराचारी	111.	,, सूर्यनारायण सिंह
75.	,, बी० रंगा नयाकली वारंगल	112.	,, के० पी० केशव मेनन
76.	,, शाह	113.	श्रीमती ए० वी० कुट्लीमलु अम्मा
77.	,, उमा खान पाथन	114.	श्री एन० जी० फुलारी
78.	कुमारी मणि बहन	115.	,, गिरधारी सिंह सैनानी
79.	श्री शंकर नारायण जोशी	116.	,, कृष्णा स्वामी
80.	,, क्षिविश बसु	117.	श्रीमती नरिंजन कौर
81.	आचार्य के० रामलिंगम	118.	श्री गंगाचरण मौर्य
82.	श्री ए० आर० सवाई	119.	,, करतार सिंह
83.	,, सालिग राम	120.	,, आर० एस० कुमार स्वामी
84.	,, सीताराम	121.	,, सीजा राम
85.	मास्टर आदित्येन्द्र	122.	,, ए० बाला गोपाल
86.	श्री राम गिण्डोली	123.	,, कमल नाथ तिवारी
87.	ज्ञानी वीर सिंह	124.	डा० उषा मेहता
88.	रानी विद्या देवी	125.	श्री बी० पी० सिन्हा
89.	सुमिति घोष	126.	,, चन्द्रका शर्मा
90.	श्री रणबीर सिंह	127.	,, जगन नाथ प्रसाद सिंह
91.	,, बालकृष्णन् विट्ठल	128.	,, श्री केदार मणि शुक्ल
92.	,, हंस लेमा	129.	,, एच० मंजुनाथ राव
93.	,, एस० पी० आलयास	130.	,, गुलाब चन्द्र गुप्ता
94.	,, के० एल० शर्मा	131.	,, महन्त भागवत राव
95.	,, टी० एन० गोपालाचारे	132.	,, तरमेल कृष्णन्
96.	डा० टी० मासकरेनियन	133.	श्रीमती सावित्री देवी
97.	श्री लक्ष्मण दत्त	134.	श्री आखोरी नारायण सिन्हा
98.	,, बसुआनन्द राय गांधी	135.	,, लक्ष्मी नारायण सुधांसु
99.	,, रघबंस नारायण सिंह	136.	,, वैद्यनाथ चौधरी
100.	,, रंगेश शर्मा	137.	,, चवन प्रसाद साहू
101.	,,श्याम कृष्ण अग्रवाल	138.	,, सरयू प्रसाद मिश्रा
102.	,, मनोरंजन नन्दी लसन	139.	,, देव शरण
103.	,, निबरन दत्त	140.	,, राम भजन दत्त
104.	श्रीमती स्नेह लता देव	141.	,, जय नन्दन झा
105.	श्री वी० एम० विष्णुभारतीयन	142.	,, महेन्द्र शास्त्री

क्रम सं०	नाम	क्रम सं०	नाम
143.	श्री बलदेव चौधरी	179.	श्री दिगेन्द्र आचार्य
144.	मौलाना सैयद फजलुर रहमान	180.	,, हरिदेशरंजन दास
145.	श्री गुलजार पटेल	181.	,, बी० दत्त राय
146.	,, इन्द्रदीप सिंह	182.	,, विनय भूषण चौधरी
147.	,, जागेश्वर प्रसाद खालिस	183.	,, उपेन्द्र नाथ देव
148.	,, सुराग नाथ चौबे	184.	,, चितरंजन दास
149.	,, प्रफुल्ल राजन राहा	185.	श्रीमती चारूशीला देव
150.	,, चप्पु नायर	186.	श्री प्राणेश चन्द्र विश्वास
151.	,, के० शंकरण नायर	187.	,, सुरेश चन्द्र डे
152.	,, कभूति भूषण्डे	188.	,, सुशील कुमार बद्रा
153.	,, माखन लाल डे	189.	,, हीरा लाल
154.	,, वी० के० अचुतन वैद्यार	190.	,, रत्ती भगत तना
155.	श्रीमती अम्मु कुट्टीयम्मा	191.	,, रतन लाल जैन
156.	श्री एम० के० राघवन	192.	,, सर्वनन्द मिश्र
157.	,, अविनाश बसु	193.	श्रीमती राधिका उपाध्याय
158.	,, बीजेन्द्र कुमार बसु राय चौधरी	194.	श्री समर तना भगत
159.	,, बरदाकान्त भट्टाचार्जी	195.	,, राधाकृष्ण प्रसाद
160.	,, सरल कुमार सेनगुप्त	196.	,, पाण्डे वीरेश्वनाथ राय
161.	,, गागा तशेरिंग	197.	,, देवराज तिवारी
162.	,, रामरिशी देव	198.	,, महेन्द्र झा
163.	,, जगन्नाथ प्रसाद	199.	,, मंझी सिंह
164.	,, ठाकुर प्रसाद मण्डल	200.	,, रामजी प्रसाद
165.	,, मणिक चन्द्र गुप्त	201.	,, सुखदेव
166.	,, काशीनाथ मालवीय	202.	,, मुक्त धारी
167.	,, राम प्रीत सिंह	203.	,, लालु ताना भगत
168.	,, प्यारे लाल गुप्त	204.	,, सोहराइ राम
169.	,, राम जतन सिंह	205.	,, सैयद अली रजिया
170.	,, कैलाश प्रसाद	206.	,, गोपाल राम
171.	,, लाल दास गुप्त	207.	,, राम प्रसाद दूबे
172.	,, रामचरित्र मेहता	208.	,, राजेन्द्र सिंह
173.	,, अवध नारायण सिंह	209.	,, नारायण चन्द्र लाहिड़ी
174.	,, प्रोभाष चन्द्र राय	210.	,, मंगल सिंह नोनागा
175.	,, शिव मंगल सिंह	211.	,, गंगा प्रसाद
176.	श्रीमती कोयापिल्ली देवकी	212.	,, गोवर्धन राम
177.	श्री जय देव राव	213.	,, सीता राम दूबे
178.	,, मोहम्मद कोया	214.	,, उपेन्द्र प्रसाद

क्रम सं०	नाम	क्रम सं०	नाम
215.	श्री शम्भुनाथ तिवारी	251.	श्री सत्यनारायण सिंह
216.	राम देवी राम	252.	,, निशीथ नाथ कुण्डु
217.	श्री रसी भगत ताने	253.	,, एस० जी० उर्फ भौसाहेव रानाडे
218.	,, रामपूजन तिवारी	254.	,, हरिहर गुरूनाथ सलगरकराली उर्फ कविकुंज विहारी
219.	,, सरगन्धार सिंह		
220.	,, सरयू प्रसाद गुप्ता	255.	,, बापूराव भौराव काचरे
221.	,, सरस्वती प्रसाद मिश्रा	256.	,, तात्याराव देवरस देसाई
222.	,, भोला नाथ वर्मा	257.	,, दत्ताजीराव बलवन्त पाटिल
223.	,, हरपाल यादव	258.	,, श्रीनिवास शकरराव, खोट
224.	,, योगधर मिश्रा	259.	,, विष्णु वामन नेने
225.	,, उसमान गनी	260.	डा० उत्तम राव गिरिधर पाटिल
226.	,, कृष्ण मोहन साई	261.	श्री दादा अप्पाजी बार्दे
227.	,, जगन्नाथ प्रसाद	262.	,, के० एल० वैशम्पाइन
228.	,, नकुल प्रसाद सिन्हा	263.	,, दत्तात्रेय गणेश काले
229.	,, राम प्रसाद राम	264.	,, श्रीधर पुरूषोत्तम लिमये
230.	,, निकुंजु गोस्वामी	265.	,, शिवराम रघु मरदने
231.	, सत्यनारायण खण्डवाल	266.	,, सुरेन्द्र नाथ घोष
232.	,, लाल चन्द चौरिसिया	267.	,, दामोदर विष्णु एकबोते
233.	श्रीमती कुमुद रिशी	268.	,, रामचन्द्र विट्ठल निसल
234.	श्री हर्ष देव	269.	,, श्रीनिवास गोविन्दाचारी अहंकारी
235.	,, आर० के० सिन्हा	270.	,, नरहर लक्ष्मणराव कुलकर्णी
236.	,, किरण दास	271.	,, मारूति विष्णु कुलकर्णी उर्फ बाबूराव चरणकर
237.	,, हजारी सिंह		
238.	,, निशीथ नाथ कुण्डु	272.	,, बहुमिया दादुमिया बैण्डवाले
239.	,, नागेश्वर बारैक	273.	,, डी० गैंडा तामत
240.	,, बिमल कुमार दास गुप्त	274.	,, पारसमणि प्रधान
241.	,, रामदेव तिवारी	275.	,, गयाप्रसाद चौधरी
242.	,, रामानुग्रह प्रसाद	276.	,, तनुक लाल यादव
243.	,, सरजू प्रसाद पोद्दार	277.	,, लाटन शुक्ला
244.	,, शान्ति गोपाल सेन	278.	,, सिंह भवर सिंह
245.	श्रीमती भुवनेश्वरी देवी	279.	,, राजा ठाकुर
246.	श्री श्याम लाल प्रसाद	280.	,, श्यामनारायण तिवारी
247.	,, प्रतुल चन्द्र मित्रा	281.	एक नेपाली एफ० एफ० सोने के साथ इण्टरव्यू
248.	,, जिलु राम किसान		
249.	,, जग्गन सिंह	282.	श्री गरीब दास
250.	,, हरिहर सिंह कर्मयोगी	283.	,, सोनेलाल भगत

क्रम सं०	नाम	क्रम सं०	नाम
284.	,, रती लाल मिश्रा	292.	श्री मदन मोहन सिंह
285.	,, कुशेश्वर झा	293.	मेजर आबिद हसन सफरानी
286.	,, चन्द्रिका मिश्रा	294.	करमवीर नवीन चन्द्र बोरदोलोई
287.	,, जतन अली मस्तान	295.	श्री विजय नारायण सिन्हा
288.	जनाब अब्दुल रहमान साहेब	296.	सरदार कुलतार सिंह
289.	श्री उत्तम राव पाटिल	297.	श्रीमती दुर्गा भाबी
290.	,, सीताराम गोविन्द उर्फ भाओ साहेब रानाडे	298.	श्री यशपाल
		299.	,, मनमथ नाथ गुप्ता
291.	,, कृति नारायण शर्मा	300.	,, हबीबुर रहमान

साहू जैन समूह की रोहताश इंडस्ट्रीज

3383. **प्रोफेसर निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि रोहताश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो साहू जैन समूह की एक बहुउत्पाद कम्पनी है, निरंतर घाटे पर चल रही है और उसने अपने शेयरधारियों को पिछले 12 वर्षों से कोई लाभांश नहीं दिया है;

(ख) क्या पेपर बोर्ड, सीमेन्ट, क्लिकर आदि का उत्पादन और इनके शुद्ध मूल्य में प्रति वर्ष गिरावट हो रही है;

(ग) यदि हां, तो राजकोष श्रमिकों और हजारों निर्धन शेयरधारियों को आय के रूप में कितनी हानि हुई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के कार्यों की जाँच कराने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कम्पनी द्वारा गत 12 वर्षों के मध्य, कमाये गये लाभ/उठाई गई हानि, प्रदर्शित करते हुए विवरण-I में संलग्न है। इन 12 वर्षों के मध्य, कम्पनी ने केवल एक बार 1974-75 के वर्ष के लिए, लाभांश की घोषणा की, जब इसने अपने साम्य शेयरधारियों के लिए, 6 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया था।

(ख) कम्पनी के लेखा-परीक्षित लेखाओं से संलग्न निदेशकों की रिपोर्ट में प्रगट किये अनुसार इसके गत पांच वर्षों के मध्य, पेपर बोर्ड, सीमेंट, क्लिकर आदि के उत्पादन तथा शुद्ध मूल्य, के आंकड़े प्रदर्शित करते हुए विवरण-2 में संलग्न है।

(ग) इस विभाग ने उत्पादन में उतार उढ़ाव के परिणाम-स्वरूप, राजकोष, श्रमिकों तथा हिस्सेधारियों की हानि का कोई अनुमान नहीं लगाया है।

(घ) कम्पनी की लेखा-वहियों का, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209-क के अन्तर्गत एक निरीक्षण, मई, 1979 में किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट से प्रकाश में आये मामलों पर कम्पनी से सम्पर्क किया जा रहा है।

विवरण–1

(लाख रु० में)

क्रम संख्या	वर्ष	स्वच्छ लाभ	कुल हानि
1.	1967-68	—	15.97
2.	1968-69	—	30.86
3.	1969-70	136.89	—
4.	1970-71	46.60	—
5.	1971-72	—	52.91
6.	1972-73	33.68	—
7.	1973-74	156.12	—
8.	1974-75	399.16	—
9.	1975-76	36.25	—
10.	1976-77	—	78.82
11.	1977-78	—	135.45
12.	1978-79	—	215.75

विवरण-2

(टन में उत्पादन)

क्रम सं०	वर्ष	कागज और गत्ता	सीमेंट	क्लिंकर	एसबेस्टोज सीमेंट उत्पाद	वनस्पति	कास्टिक सोडा	कुल मूल्य (लाख रु० में)
1.	1974-75	59,224	1,69,542	1,53,845	26,090	19,848	5,971	1,209.73
2.	1975-76	49,510	2,05,500	2,02,600	31,019	25,491	4,775	1,245.95
3.	1976-77	51,283	2,42,150	1,94,800	26,874	27,398	3,989	1,082.05
4.	1977-78	50,947	3,30,721*	2,86,690*	26,663	28,240	3,592	946.60
5.	1978-79	55,152	2,59,000	2,40,900	21,211	33,980	3,694	739.85

*इसमें वर्ष की अवधि में अधिग्रहण की गई अशोक सीमेंट लिमिटेड की सीमेंट का जुलाई, 1977 से मार्च, 1978 तक का उत्पादन सम्मिलित है।

टिप्पणी: इस कुल मूल्य को, तुलनपत्र में प्रगट किये आंकड़ों के आधार पर, लेखाओं के भाग को टिप्पणी निर्धारित करते हुए प्रगट करने की व्यवस्था न करते हुए ह्रास और देयताओं के शेष को ध्यान में रखे वगैर गठित किया गया है।

आकाशवाणी के आर्टिस्टों के लिए पदोन्नति के अवसर

3384. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवणी में स्टाफ आर्टिस्टों के काडर में पदोन्नति के अवसर बहुत ही कम हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रोडक्शन काडर में आर्टिस्टों को, जो कि अपने आर्ट में विशेषज्ञ हैं, पदोन्नति नहीं दी जाती;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार प्रोड्यूसरों को चयन ग्रेड देने तथा उन्हें सीनियर प्रोड्यूसरों और डिप्टी चीफ प्रोड्यूसरों के पदों पर पदोन्नति देने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हा, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है तथा उससे तुरन्त कितने प्रोड्यूसरों को लाभ होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हाँ। स्टाफ आर्टिस्टों की कुछ श्रेणियों के मामले में पदोन्नति के सीधे अवसर अपेक्षाकृत कम हैं।

(ख) जी, नहीं। यह कहना सही नहीं है कि प्रोडक्शन काडर में आर्टिस्टों को पदोन्नति नहीं दी जाती।

(ग) और (घ) प्रोड्यूसरों की श्रेणी के लिए सलैक्शन ग्रेड के 36 पद पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं। प्रोड्यूसर निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार उस मुख्य प्रोड्यूसरों के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किये जाने के लिए पहले ही पात्र हैं। आकाशवाणी की कार्यक्रम सेवाओं के संवर्ग ढाँचे का अध्ययन करने के लिए सरकार ने 1977 में संवर्ग पुनरीक्षण समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति ने, और बातों के साथ-साथ, वरिष्ठ प्रोड्यूसरों का नया संवर्ग बनाने की सिफारिश की है। इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट की जाँच की जा रही है।

आकाशवाणी के केन्द्रों में प्रोड्यूसरों के रिक्त पद

3385. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 तक आकाशवाणी केन्द्रों में प्रोड्यूसरों के कितने पद रिक्त पड़े थे और इस वर्ष के अन्त तक ऐसे कितने पदों के रिक्त होने की सम्भावना है;

(ख) सरकार किन कारणों से इन पदों को रिक्त रखना चाहती है और आकाशवाणी के सभी केन्द्रों में अब तक प्रत्येक क्षेत्र में प्रोड्यूसरों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में आकाशवाणी के सभी केन्द्रों में प्रोड्यूसरों के पदों को भरने का है और क्या सरकार का विचार प्रोड्यूसरों के नये पद भी बनाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना, प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1-4-1980 को प्रोड्यूसरों के 18 पद रिक्त थे। इस वर्ष के अन्त तक 6 और पद रिक्त हो जाने की सम्भावना है ।

(ख) से (घ) प्रोड्यूसरों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही चल रही है। किसी आकाशवाणी केन्द्र/कार्यालय में प्रोड्यूसरों की संख्या वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निश्चित की जाती है। जब भी कोई पद खाली होता है, उसको भरने की कार्यवाही निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है। स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न केन्द्रों में कतिपय क्षेत्रों में प्रड्यूसरों के नये पद भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार भर्ती निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

भारतीय उर्वरक निगम के नगर सिन्दरी में अनधिकृत निर्माण

3386 **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय उर्वरक निगम के नगर सिंदरी में सभी नियमों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर मकानों को किराये पर देने, अनधिकृत निर्माण तथा निर्माणों में फेरबदल किये जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या बहुत से क्वार्टरों को प्राईवेट ठेकेदारों तथा अन्य एजेन्सियों के कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ग) क्या सिन्दरी के कुछ स्थानीय नेताओं ने भारतीय उर्वरक निगम की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के प्रबधक उक्त अनधिकृत गतिविधियों में सांठ गांठ किये हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सिन्दरी टाउनशिप में मकानों को किराये पर देने, अनधिकृत निर्माण/फेरबदल करने के कुछ मामले प्रबंध मंडल के ध्यान में आये हैं और प्रबंध मंडल ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहा है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, प्रबंध मंडल के कुछ क्वार्टर निर्माण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण और सिन्दरी आधुनिकीकरण, प्रायोजनाओं में लगे हुए ठेकेदारों को आवंटित किये थे जिनमें से अधिकांश क्वार्टर अब उन ठेकेदारों ने खाली कर दिए हैं प्रबंध मंडल ने पुलिस, तारघर विभाग, रेलवे, स्टेट बैंक, रोजगार कार्यालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि को भी क्वार्टर, दिये हैं। इस प्रकार आवंटिक क्वार्टरों की संख्या सिन्दरी एकक द्वारा निर्मित कुल क्वार्टरों के 3 प्रतिशत के बराबर है ।

(ग) प्रबंध मंडल ने एफ० सी० आई० की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, जहां आवश्यक हो, प्रबंध मंडल द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय उर्वरक निगम, सिंदरी में ठेकेदारों की संख्या और उनका काम

3387. **श्री ए० के० राय** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक में कुल कितने ठेकेदार हैं, उनके नाम क्या हैं, प्रत्येक के अन्तर्गत कितने श्रमिक हैं, उनके कार्य करने के स्थान के क्या नाम हैं और वे किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इसमें अनेक कार्य स्थायी हैं और उनका विभागीकरण करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य श्रम विभाग ने भी उनमें से कुछ कार्यों के बारे में अपने विचार दिए हैं कि उनका विभागीकरण किया जाये, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) श्रमिक आयुक्त बिहार सरकार ने एफ० सी० आई० से अनुरोध किया था कि कोक ओवन हॉट बैटरी की मरम्मत के लिए मैसर्स विनय इंजीनियरिंग द्वारा किये जा रहे ठेका कार्य को समाप्त किया जाय और ठेकेदार के कामगारों को एफ० सी० आई० में स्थायी रूप से नियुक्त किया जाये। चूंकि उक्त कार्य स्थायी किस्म का नहीं है अतः एफ० सी० आई० द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। एफ० सी० आई० ने श्रमिक आयुक्त को स्थिति से अवगत करा दिया है।

विवरण

क्र० सं०	ठेकेदार का नाम	ठेके की किस्म	ठेका कार्य का स्थान	लगाये गये श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स अग्रवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी	कोयला परिवहन	एफ० सी० आई० के बिजली घर और सिन्दरी आधुनिकीकरण प्रायोजन के निकटकोयला स्थल	33
		कोयले के साथ मिले चूरे की जांच करना और हाई कोक को अलग करना	—वही—	30
2.	मैसर्स ए० के० चक्रवर्ती	सिविल कार्य	पी० ए० पी० में हाक्सोमेटा प्लांट के निकट	5
3.	मैसर्स ए० ए० खान कनस्ट्रक्शन	रबड़ लाईनिंग को हटाना सेन्जु प्लास्टिंग और डिस्मेन्टलिंग काम	पी० ए० पी० और एस० ए० पी०	11
4.	मैसर्स एसोसियेटेड इंजीनियर्स एण्ड कनटैक्टर	सिविल कार्य	सिन्दरी आधुनिकीकरण प्रायोजना स्थल पर अमोनिया स्टोरेज टैंक के साथ	31
5.	मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिक	थामलर सं० 8 का निर्माण और उसे लगाना	बिजली घर	85

1	2	3	4	5
6.	मैसर्स अजय कनस्ट्रैक्शन	कोक स्पैलेज सहित कोयले की धूल को कोक ओवन प्लांट में किबंचिग कार्य से उठाया	कोक ओवन प्लांट	4
7.	मैसर्स भारत ट्रेडर्स एण्ड कनट्रैक्टर	अमोनिया नाइट्रेड को उठाना और अमोनिया नाइट्रेड तथा हैक्साफेटा फोस्फेट का लदान	अमोनियम नाइट्रोट	कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।
8.	मैसर्स बिहार इलैक्ट्रीकल	कोयलों को दुबारा लपेटना और उनकी मरम्मत करना	——	—वही—
9.	मैसर्स जेनाइन एक्यूरेट रिलाइबल प्रोडक्स	बिजली का कार्य	——	—वही—
10.	मैसर्स जैनसन्स	परिवहन,	गैस रिफोर्मर प्लांट	6
		भंडार रख-रखाव	केन्द्रीय भंडार	14
11.	मैसर्स ओझा ब्रदर्श	जिम्सम को श्रमिकों से उतरवाना और उसे भंडार तक ले जाना	जिप्सम भंडार (पुराना प्लाट)	21
		पाइराइटस को श्रमिकों द्वारा उतारना	एस० ए० पी० में पाइराइटस भंडार	10
		टी० एस० पी० को श्रमिकों द्वारा रिक्लेनिंग करना, बैग में भरना, सिलना, तोलना और लादना	सुव्यवस्थीकरण प्रायोजना के निकट रेलवे प्लेटफार्म	कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।
12.	मैसर्स मिश्रा कनस्ट्रक्शन	गोल छिद्रों की खुदाई	रेलवे लाइन (कारखाने के अन्दर)	—वही—

1	2	4	4	5
13.	मैसर्स विनय इंजीनियरिंग	कोक ओवन बैटरी की मरम्मत	कोक ओवन प्लांट	54
		बॉयलर सं० 6 की ओवर	बिजलीघर	65
		हार्लिंग स्टीमलाइन कार्य और एवजोबिंग टावर का नवीकरण	सलफयूरिक एसिड प्लांट	54
14.	मैसर्स सुभाष इलैक्ट्रकल	कॉयल्स को पुनः लपेटना और उनकी मरम्मत	----	कार्य आरंभ नहीं किया गया है।
15.	मैसर्स एस० कुमार मिश्र	टी० एस० पी० का लदान	फोस्फेटिक एसिड प्लांट	9
16.	मैसर्स न्यू यूनाइटेड कनस्ट्रेक्शन	फैब्रीकेशन और एरेक्शन कोयला	रेशनलाईजेक्शन प्लांट	9
		मिश्रण का फैब्रीकेशन फोस्फोरिक	टी० एस० बी०	9
		एसिड प्लांट में 1200 एन० वी०		
		गैस लाइन के पी० ए० वी०	फोस्फोरिक एसिड प्लांट	9
		में फैब्रीकेशन और निर्माण		
17.	मैसर्स सन्धू ब्रदर्श	ड्रायर का डिसमेंटलिंग और उसे जिफूम भंडार के पश्चिम की ओर रखना	डवल साल्ट प्लांट	कार्य आरम्भ नहीं किया गया।
18.	मैसर्स एस० पी० खर्हा एण्ड कम्पनी	टी० एस० पी० को बोरों में भरना, उनका लदान करना और टी० एस० पी० के बारों को साफ करना	टी० एस० सी०	20
19.	मैसर्स जिंदल रोडवेज	कोयले का परिवहन	एस० एस० पी० और बिजलीघर में कोयला स्थल	32
20.	मैसर्स राम लाल अग्रवाल	---वही---	—वही—	17
21.	मैसर्स यूनीवर्सल केरियर	—वही	·· वही—	21
22.	मैसर्स जसपाल ब्रदर्स	न्यूटलाइजेक्शन पिट का निर्माण	सल्फयूरिक एसिड प्लांट	18

जिला त्रिवेन्द्रम में पैम्परा स्थान पर कच्चा तेल का पता लगाया जाना

3388. **श्री बी० के० नायर :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला त्रिवेन्द्रम के पैम्परा स्थान पर कच्चे तेल के चिन्हों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार क्षेत्र में गहन सम-वेषण करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र में तीव्र अन्वेषण का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि भूवैज्ञानिक आधार पर केरल के तटीय क्षेत्र में व्यापारिक खनिज तेल के मिलने की सम्भावना बहुत कम मानी जाती है।

राजस्थान में कुकिंग गैस कनेक्शन

3389. **श्री वृद्धि चन्द जैन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मई, 1980 को देश में, राज्यवार, कुकिंग गैस के कुल कितने कनेक्शन थे;

(ख) राजस्थान के प्रत्येक जिले में कुकिंग गैस के कुल कितने कनेक्शन हैं; और

(ग) जिन क्षेत्रों में अब तक कुकिंग गैस के कनेक्शन नहीं हैं वहां इनको देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) देश में 31.3.80 तक दिये गये खाना पकाने वाली गैस कनेक्शनों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है :

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	दिये गये गैस कनेक्शनों की संख्या
(1)	(2)
जम्मू और काश्मीर	19,460
असम	25,387
आंध्र प्रदेश	1,97,965
बिहार	1,03,093
गुजरात	3,37,779
हरियाणा	53,904
कर्नाटक	1,22,155
हिमाचल प्रदेश	5,358
केरल	58,412
मेघालय	3,130
मणिपुर	1,263
मिजोरम	1,077
मध्य प्रदेश	1,60,483
नागालैण्ड	2,400
उड़ीसा	36,421
पंजाब	55,105
राजस्थान	44,119
सिक्किम	51,299

(1)	(2)
त्रिपुरा	1,128
उत्तर प्रदेश	2,70,630
तमिलनाडु	2,13,321
दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)	3,13,521
चण्डीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	26,757
पाण्डिचेरी (संघ शासित प्रदेश)	5,641
पश्चिम बंगाल	1,73,149
गोवा	12,150
महाराष्ट्र	8,95,377
	31,47,569

(ख) इस समय भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० राजस्थान में तरल पेट्रोलियम गैस का विपणन नहीं करता। शेष दो कम्पनियों द्वारा उनके सामने दी गई तिथि तक राजस्थान के प्रत्येक जिले में दिए गए गैस कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है :

जिला	गैस कनेक्शनों की संख्या	
	31.3.80 को इंडियन आयल कार्पोरेशन	31.5.80 को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन
जयपुर	21,094	—
अजमेर	6,326	—
जोधपुर	6,597	—
झुंझनू	2,491	—
उदयपुर	3,653	3,142
कोटा	3,958	4,038
	44,119	7,180

(ग) आशा है कि 1981 के आरम्भ में बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस निकालने की सुविधाओं के चालू होने के साथ और उसके बाद मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं से इस उत्पाद की अतिरिक्त उपलब्धता होने पर बड़े पैमाने पर नये गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। समस्त देश में इस उत्पाद के एक समान वितरण के लिए निम्नलिखित आधार पर एक योजना तैयार की जाएगी :

1. अगले वर्षों में तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता।
2. सप्लाई का स्रोत।
3. विभिन्न राज्यों में संभव मांग।
4. प्रक्रियाओं की व्यवहार्यता।

ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों का उपयोग

3390. **श्री बी० के० नायर** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू औद्योगिक तथा अन्य उपयोगों के लिये ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों की खोज करने एवं उनके उपयोग के लिये कोई गंभीर प्रयास किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है और अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) निकट भविष्य के लिये क्या योजनाएं हैं ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) ऊर्जा के स्रोतों की विभिन्न किस्मों, विशेषरूप से ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों, के अन्वपण, विकास और उपयोग की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को सरकार बढ़ावा देती रही है। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जैव द्रव्य परिवर्तन तथा ऊर्जा की अन्य गैर-परम्परागत प्रक्रियाओं में सुव्यवस्थित अनुसंधान और विकास का समन्वित कार्यक्रम भी सरकार ने हाथ में लिया है। यह एक सतत कार्यक्रम है तथा तथा इसका उद्देश्य ऐसे अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाना है जिससे, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इनका व्यावहारिक उपयोग किया जा सके। इस दिशा में किए गए प्रयत्न संक्षेप में नीचे दिए गए हैं। सौर विद्युत के अनुसंधान और विकास तथा इसके भावी उपयोग को और जैव-गैस संयंत्रों की स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है।

सौर ऊर्जा

2. सौर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा में होने वाली सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, विकेंद्रीयकृत आधार पर, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसके उपयोग पर विशेष बल देते हुए, व्यावहारिक उपयोग के व्यापक क्षेत्र के लिए भारत सरकार का विचार सौर ऊर्जा प्रोद्यौगिकियों के विकास को उच्च प्राथमिकता देने का है। प्रोद्यौगिकी संस्थानों, सी० एस० आई० आर० की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० के अनुसंधान और विकास प्रभाग, सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड आदि जैसी कई एजेंसियों द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं का समन्वय करने के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

3. इस समय की जा रही कार्यवाही का उद्देश्य, सौर प्रोद्यौगिकी के निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों पर बल देते हुये, इस कार्यक्रम का विस्तार करने का है :

(क) सौर विकीरण के तापीय प्रभावों के आधार पर सौर ताप विद्युत यंत्रों तथा प्रणालियों का विकास करना;

(ख) सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टाइक यंत्रों और प्रणालियों का विकास करना;

(ग) जैव-द्रव्य तथा जैव परिवर्तन प्रोद्यौगिकी।

जैव-द्रव्य (बायो-पास) ऊर्जा

4. एक समयबद्ध अखिल भारतीय समन्वय कार्यक्रम आरंभ किया गया है तथा इसे सोपानबद्ध रूप में हाथ में लिया जाएगा। देश में अनेक अन्तर-विधा वाले अनुसंधान केंद्र इसमें

भाग लेंगे । प्राणियों के मल का समुपयोजन किए जाने के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा परिवार के लिये व्यवहार्य गोबर गैस संयंत्र के कुछ अभिकल्प तैयार किये गये हैं तथा आगे अनुसंधान कार्य चल रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामुदायिक किस्म के संयंत्रों के विकास पर अब जोर दिया गया है । निर्दशन परियोजनाओं की भी योजना बनाई गई है । पायलर परियोजनाओं के रूप में सामुदायिक किस्म के कई गोबर संयंत्र चुने हुये स्थानों पर निर्माणधीन हैं । जैव-द्रव्य ईंधन/फीड-स्टाक के उत्पादन से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की जांच करने, पता लगाने तथा लागू करने के लिये एक नेशनल स्टियरिंग कमेटी गठित की है । जैव-द्रव्य से ऊर्जा उत्पादन करने की प्रोद्यौगिकियों के मूल्यांकन के लिये विशिष्ट परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं । देश में छोटे आकार के जैव गैस संयंत्र पहले ही प्रतिष्ठापित किये जा चुके हैं । इन संयंत्रों की संख्या लगभग 70,000 है ।

वायु विद्युत

5. देश में प्रोटो-टाइप पवन चक्कियों का विकास करने के लिये कुछ अनुसंधान तथा विकास कार्य हाथ में लिये गये हैं । नीदरलैण्ड सरकार के सहयोग से पूर्वी उत्तर-प्रदेश में एक समेकित ग्राम किकास परियोजना प्रगति पर है । इस परियोजना में पम्प के जरिये पानी निकालने के लिये प्रोटो-टाइप पवन चक्कियों की स्थापना करना शामिल है । कई पवन चक्कियाँ स्थापित की जा चुकी हैं तथा इस समय उनका क्षेत्र परीक्षण तथा मूल्यांकन किया जा रहा है । केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान तथा नेशनल एरोनाटिक्स लि० बंगलौर द्वारा भी इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है । एक आड़ी धुरी वाली पवन चक्की का विकास तथा क्षेत्र परीक्षण कर लिया गया है । कम लागत वाली पाल वाली नाव की किस्म की चक्कियां तथा खड़ी धुरी वाले पवन जेनरेटर के लिये अनुसंधान और विकास कार्य चल रहे हैं । कम उत्पादन वाली तथा बहुब्लेड वाली पवन चक्की पर भी एक परियोजना आरंभ की गई है ।

भू-तापी ऊर्जा

6. देश में भू-तापीय क्षेत्र की गतिविधियां विद्युत उत्पादन तथा तापीय ऊर्जा के अन्य संभाव्य प्रयोगों के लिए आशाप्रद जल-तापीय भण्डारों का पता लगाने की दिशा में चलाई जा रही हैं । जम्मू और कश्मीर में पुगा घाटी में तथा हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में विस्तृत अन्वेषण कार्य चल रहे हैं । भू-तापीय क्षेत्र में सीधे ही अन्वेषणात्मक तथा अन्य कार्य-कलापों की समीक्षा करने के लिए एक भू-तापीय समन्वय समिति गठित की गई है ।

ज्वारीय विद्युत

7 ज्वारीय विद्युत के विकास की सम्भाव्यताओं के बारे में सलाह देने के लिए कुछ प्रारम्भिक अन्वेषण किए जा चुके हैं तथा ज्वारीय विद्युत के विकास की सम्भाव्यताओं के बारे में सलाह देने के लिए यू० एन० डी० पी० के एक विशेषज्ञ ने भी 1975 में इस देश का दौरा किया था । पश्चिमी तट पर खंभात और कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन में गंगा के मुहाने के क्षेत्र ऐसे सम्भावित क्षेत्र हैं जहां ज्वारीय रेन्ज काफी ऊंचा है तथा जहां ज्वारीय विद्युत के उत्पादन की संभाव्यताएं विद्यमान हैं । ज्वारीय ऊर्जा के संबंध में मुख्य समस्याएं प्रारंभिक उच्च लागत की घटने-बढ़ने वाले किस्म के उत्पादन की तथा इस विद्युत को सुनिश्चित करने में निहित तकनीकी और आर्थिकी समस्याओं से संबंधित हैं । आगे की कार्यवाही पर विचार

करने तथा देश में ज्वारीय विद्युत के विकास से संबंधित अन्वेषण और अध्ययनों का कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में मई, 1979 में किया गया था। 5 वर्ष की अवधि के दौरान 207.11 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अन्वेषण करने के लिए समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इनमें लगभग 2,00,000 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा वाला भाग शामिल नहीं है। समिति ने यह सिफारिशें की हैं : (1) अत्यकालिक क्षेत्रीय अन्वेषण, (2) प्रयोगशाला अध्ययन तथा (3) दीर्घकालिक क्षेत्रीय अन्वेषण। अन्वेषण कार्य अभी शुरू नहीं किए गए।

समुद्र ताप ऊर्जा परिवर्तन (ओ० टी० ई० सी०) संयंत्र तथा लहर विद्युत

8. ओ० टी० ई० सी० प्रोद्यौगिकी का अनुसंधान तथा विकास विश्व में अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए प्रारंभिक स्तर पर कुछ विचार हुआ है तथा विश्व में इस प्रोद्यौगिकी के विकास की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए, हाथ में ली जाने वाली अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के स्वरूप और क्षेत्र पर निर्णय लेने के लिए इस क्षेत्र में और विस्तृत जांच करना अपेक्षित है।

विधि आयोग द्वारा कानूनों की समीक्षा

3391. **श्री एन. डेनिस** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने कलेंडर वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में किसी कानून की समीक्षा की है; और

(ख) इन वर्षों में आयोग ने किस प्रकार का कार्य किया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी, हाँ। विधि आयोग ने प्रश्नगत वर्ष के दौरान विभिन्न अधिनियमों के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत की :

(1) 1977–78

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 पर 69वीं रिपोर्ट।
2. संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 पर 70वीं रिपोर्ट।

(2) 1978–79

1. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 पर 71वीं रिपोर्ट–असमादेय विवाह भंग, विवाह विच्छेद का एक आधार।
2. संविधान के अनुच्छेद 220 पर 72वीं रिपोर्ट–स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि व्यवसाय पर निर्बन्धन।
3. न्यायालय द्वारा कुछ अधिनियमितियों या विधि नियमों के अधीन पत्नी को मंजूर किए गए भरण-पोषण और स्थायी निर्वाह व्यय का संदाय करने में पति द्वारा असफल रहने के लिए दाण्डिक दायित्व पर 73वीं रिपोर्ट।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन के प्रस्ताव पर 74वीं रिपोर्ट जिससे कि जांच आयोगों और अन्य कानूनी प्राधिकरणों के समक्ष साक्षियों द्वारा कुछ कथनों को ग्राह्य बनाया जा सके ।

5. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अनुशासन संबंधी अधिकारिता पर 75वीं रिपोर्ट ।

6. माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 पर 76वीं रिपोर्ट ।

7. विचारण न्यायालयों में विलम्ब और बकाया मामलों पर 77वीं रिपोर्ट ।

8. जेलों में विचाराधीन कैदियों की बहुत अधिक संख्या पर 78वीं रिपोर्ट ।

(3) 1979-80

1. उच्च न्यायालयों और अन्य अपील न्यायालयों में विलम्ब और बकाया मामलों पर 79वीं रिपोर्ट ।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति की रीति पर 80वीं रिपोर्ट ।

3. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 पर 81वीं रिपोर्ट ।

4. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अधीन नाम निर्देशन के प्रभाव पर 82वीं रिपोर्ट ।

5 संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 और हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1356 के कुछ उपबन्धों पर 83वीं रिपोर्ट ।

6. बलात्संग और सम्बद्ध अपराधों पर 84वीं रिपोर्ट मूल विधि, प्रक्रिया और साक्ष्य के कुछ प्रश्न ।

7. मोटर यान अधिनियम 1939 के अध्याय 8 के अधीन प्रतिकर के लिए दावों पर 85वीं रिपोर्ट ।

कर्नाटक की सिंचाई परियोजना

3392. **श्री ओस्कर फर्नान्डीज** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई उन सिंचाई परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है, जो अभी अधूरी हैं और जिनके विषय में केन्द्र सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब-कब से विचाराधीन है और इन परियोजनाओं के बारे में कब तक स्वीकृति दिए जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) तकनीकी मंजूरी लेने तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कर्नाटक सरकार से केन्द्रीय जल आयोग को 5 बृहद तथा 2 मध्यम सिंचाई स्कीमों की परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । इन सभी स्कीमों के बारे में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए

हैं। इन योजनाओं को मंजूरी मिलना राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर देने/अनुपालन करने तथा जहां आवश्यक हो वहां अनिर्णीत विषयों को तय करने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों को भेजे जाने पर निर्भर करता है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें लम्बित पड़ी परियोजनाओं के नाम, उनके प्राप्त होने की तारीख, तथा केन्द्रीय जल आयोग में जांच की वर्तमान स्थिति दी गई है।

उपर्युक्त 7 स्कीमों के अलावा कर्नाटक सरकार ने 14 स्कीमों (6 बृहद तथा 8 मध्यम) की परियोजना-रिपोर्टें भेजी हैं, जिनमें कावेरी जल का उपयोग किया जाना है। ये परियोजनाएं केवल अन्तर्राज्यिक दृष्टिकोण से कावेरी जल के प्रयोग के निपटारे के पश्चात ही प्रगतिशील हो सकती हैं।

विवरण

कर्नाटक राज्य की लम्बित स्कीमें

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त होने की तारीख	जांच की स्थिति
1	2	3	4
(क)	**बृहदपरियोजनाएं**		
1.	करांजा (बीदर)	15-11-76	राज्य सरकार को टिप्पणियां अगस्त, 1977 में भेजी गईं जिनका उत्तर अभी राज्य सरकार से आना है।
2.	रामथल लिफ्ट सिंचाई (बीजापुर)	7-10-77	राज्य सरकार को टिप्पणियां दिसम्बर, 1978 में भेजी गईं जिनका उत्तर अभी राज्य सरकार से आना है।
3.	भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम (गुलबर्गा)	दिसम्बर, 1977	राज्य सरकार को टिप्पणियां सितम्बर, 1978 में भेजी गईं जिनका उत्तर अभी राज्य सरकार से आना है।
4.	वराही परियोजना (उत्तरी केनरा)	11-5-1978	राज्य सरकार को टिप्पणियां जुलाई, 1979 में भेजी गई जिनका उत्तर अभी राज्य सरकार से आना है।
5.	वेन्नीथेरा (गुलबर्गा)	17-3-1979	सभी निदेशालयों/विभागों (सी० एम० डी० डी० को छोड़कर)

1	2	3	4
			को टिप्पणियां राज्य सरकार को सितम्बर, 1979 और दिसम्बर, 1979 में भेजी गईं जिनका उत्तर अभी राज्य सरकार से आना है।
(ख)	**मध्यम परियोजनाएं**		
1.	कागना सिंचाई (स्कीम गुलबर्गा)	16-4-1979	राज्य सरकार को टिप्पणियां अगस्त, 1979 में भेजी गई जिनका उत्तर अभी आना है।
2.	नरिइल्ला (बेल्लारी)	12-7-1979	राज्य सरकार को टिप्पणियां सितम्बर, 1979 में भेजी गई जिनका उत्तर अभी आना है :

एलेम्बिक कैमिकल्स वर्क्स बंगलौर और बड़ौदा

3393. **श्री निहाल सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या एलेम्बिक कैमिकल्स वर्क्स बंगलौर और बड़ौदा की स्थापना के समय कितने भागीदार थे और इसमें कितनी पूंजी लगी हुई थी तथा कितने भागीदारों ने अब तक अपनी पूंजी वापस ले ली है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : एलेम्बिक कैमिकल्स वर्क्स कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1907 में पंजीकृत की गई थी तथा बड़ौदा में उसकी केवल एक फैक्ट्री है। कम्पनी के रूप में, इसके कोई भागीदार नहीं हैं। कम्पनी के 31–12–1978 के नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्रों के अनुसार, कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी 353.92 लाख रु० थी। कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के स्थापना के समय के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि एकक भागीदारी फर्म नहीं है, अतः यह प्रश्न कि कुछ भागीदार अपनी पूंजी वापिस ले रहे हैं, उत्पन्न नहीं होता है।

दस प्रमुख औद्योगिक गृहों की आस्तियों में वृद्धि

3394. **श्रीमती कृष्णा साही : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दस प्रमुख औद्योगिक गृहों की आस्तियों में गत 10 वर्षों में 20 गुणा वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) ; (क) 1969 से 1978 तक के नौ वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, उत्तर नाकारात्मक है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें

3395. **श्री एन० ई० होरो** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा वित्त प्रदान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) सिंचाई राज्य-विषय है। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समूची विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है। राज्य-योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है जिनका विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र या परियोजना से संबंध नहीं होता।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल की खपत

3396. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि प्रयोजनों के लिये डीजल की कितनी खपत होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्ध करने का है कि किसानों को समय पर डीजल की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध हो; और

(ग) यदि हाँ, तो यह वितरण प्रणाली कब तक लागू की जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1979-80 के दौरान देश में हाई स्पीड डीजल तेल (एच० एस० डी०) की कुल खपत लगभग 9.33 मि० मी० टन थी। मेरा मन्त्रालय अक्तूबर 1979 से राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को किसी निर्धारित कोटे के बिना ही हाई स्पीड डीजल का मासिक आबंटन कर रहा है। यह राज्य सरकार के लिए ही है कि वह अपने राज्य के अन्दर के विभिन्न उपभोक्ताओं को डीजल का आगे और आबंटन करें। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे डीजल के आबंटन के लिए कृषि आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। इसलिए कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल की खपत के आंकड़े मेरे मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने आयात करके तटीय स्थलों पर डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये गये हैं। देश की शोधनशालाओं में उत्पादन को अधिकतम किया गया है और उपलब्ध परिवहन क्षमता का इष्टतम प्रयोग किया जा रहा है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल की सप्लाई पहले ही बढाई गई है। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को परामर्श दिया गया है कि वे कृषि के लिए डीजल की सप्लाई को अधिकतम प्राथमिकता दें।

गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कष्टप्रद अनुभव

3397. **श्री नवीन रबाणी :**

श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा संचाजित खानों से ठीक समय पर अच्छी किस्म के कोयले को प्राप्त करने के उद्देश्य से गैर सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयला क्षेत्र में सरकारी कोयला कम्पनी अधिकारियों, खान कर्मचारियों, ढुलाई कर्त्ताओं और स्थानीय दादाओं जैसे लोगों को शीघ्र काम करवाने की एवज में धन ("स्पीडमनी") अथवा मुंह-भराई (" हश-मनी") का भुगतान करने के कष्टप्रद अनुभव से गुजरना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; क्या सरकार का इस विषय में जांच करवाने और ठोस उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) इस प्रकार सताने का कोई निश्चित उदाहरण सरकार के सामने नहीं आया है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार के बारे में किसी भी शिकायत की तत्परता से जांच कोयला कम्पनियों के सतर्कता संगठन द्वारा की जाती है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है। संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण निश्चित समय पर कर दिया जाता है।

उर्वरकों का उत्पादन

3398. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-79 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं। उर्वरकों का उत्पादन जो वर्ष 1976-77 में 19 लाख टन नाइट्रोजन और 4.80 लाख टन पी-2 ओ-5 था, वर्ष 1977-78 में नाइट्रोजन और पी-2 ओ-5 के मामले में क्रमश: 320 लाख टन और 6.70 लाख टन तक बढ़ गया तथा वर्ष 1978-79 में इससे भी आगे क्रमश: 21.70 लाख टन तक बढ़ गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल तट पर समुद्री कटाव से क्षति

3399. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल तट पर बड़े पैमाने पर समुद्री कटाव के कारण भूमि की समृद्ध पट्टियों और समृद्ध भूमि को क्षति हुई है;

(ख) समुद्री कटाव के कारण, जिससे समृद्ध भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस भारी हानि को रोकने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय का भू-संरक्षण एकक मामले में महासागरीय अनुसंधान संस्थान, गोवा से कोई सलाह ले रहा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) केरल सरकार ने समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में समुद्र कटाव के कारण भूमि और सम्पत्ति की हानि होने की सूचना दी है। समुद्र-कटाव से प्रभावित होने की आशंका वाले कुल 320 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट में से 225 किलोमीटर लम्बे भाग में समुद्र-कटावरोधी निर्माण कार्य मार्च, 1980 के अन्त तक किए जा चुके थे। शेष भाग में ये कार्य अगले पांच वर्षों के दौरान पूरे किए जाने प्रस्तावित हैं।

(ग) शायद, माननीय सदस्य गोवा में स्थित राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान का उल्लेख कर रहेहैं। यह संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित समुद्र-तट कटाव बोर्ड का सदस्य है और इस प्रकार देश में समुद्र-कटाव की समस्या से निपटने के काम से सम्बद्ध है।

भेषज उद्योग में अनुसंधान कार्य का विकास

3400. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भेषज उद्योग में वर्तमान प्रवृतियों के संदर्भ में अपनी वर्तमान औषध नीति को संशोधित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब;

(ख) उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई उपबंध किया गया है कि भेषज उद्योग में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य कम्पनियों के लाभ का कुछ प्रतिशत देश में अनुसंधान तथा विकास कार्य में निवेशित किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो महत्वपूर्ण पहलू पर निरंतर निगरानी रखने के लिए व्यवस्था की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान औषध नीति, जो औषध और भेषज उद्योग पर हाथी समिति की सिफारिशों पर आधारित है, कार्यान्वयनाधीन है। उद्योग के कार्य के विभिन्न पहलुओं पर लगातार नजर रखी जा रही है।

(ग) मार्च, 1980 के औषध नीति विवरण पत्र के पैराग्राफ 41 में विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा अनुसंधान और विकास सुविधाओं के लगाये जाने के बारे में विशेष जोर दिया गया है। उसमें निहित अनुसंधान और विकास सुविधाओं की ओर निवेश आवश्यकताओं को विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम (फेरा) के अन्तर्गत शर्तों के रूप में निगमित किया जा सकता है और या ऐसी विदेशी कम्पनियों को समेकित औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी दी जाये।

(घ) यह तभी आवश्यक होगा यदि विदेशी कम्पनियों पर अनुसंधान और विकास अनिवार्यता थोपी जाती है।

जल संसाधनों का उपयोग

3401. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि : ब्राह्मणी नदी के जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए कोई समेकित योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : राज्य सरकार द्वारा एकीकृत योजना तैयार की जा रही है ।

बिहार के गया जिला में 'मुहाने जलाशय योजना'

3402. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया (बिहार) में 'मुहाने जलाशय योजना' पर सरकार ध्यान दे रही है;

(ख) उसकी कार्य प्रगति की स्थिति क्या है; और

(ग) इसकी सिंचाई क्षमता कितनी होगी और इस योजना के पूरी हो जाने पर कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत मोहाने जलाशय एवं बराज स्कीम की तकनीकी जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई है और राज्य सरकार को अगस्त, 1976 जून, 1977 और नवम्बर, 1977 में टिप्पणियां भेजी गई थीं । राज्य सरकार के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) इस स्कीम में गया जिले में खरीफ के मौसम में 30,000 हेक्टेयर और रबी के मौसम में 9000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने की परिकल्पना की गई है ।

बड़े औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि

3403. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में बड़े औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियों में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और प्रथम 35 बड़े औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं और गत दो वर्षों में उनकी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन औद्योगिक गृहों को एकाधिकारी शक्ति पर रोक लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत बृहद् औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां 1976 में 8999.37 करोड़ रुपयों से, 1978 में 10,739.66 करोड़ रुपये तक बढ़ गई ।

(ख) शीर्षस्थ 35 घरानों की 1976 तथा 1978 के वर्षों की परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अध्याय 3 में सारवान विस्तार, नवीन उपक्रमों की स्थापना, संविलियन, एकीकरण, तथा अवाप्ति आदि से संबंधित वृहद् औद्योगिक घरानों के सभी प्रस्तावों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्व संवीक्षा तथा अनुमोदन, के प्रावधान हैं। इन उपबन्धों का प्रशासन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 28 में वर्णित मार्गदर्शक नियमों एवं लागू औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुये किया जाता है।

विवरण

(1978 की परिसम्पत्तियों के आधार पर श्रेणी बद्ध)

क्रम सं०	घराने का नाम	परिम्पत्तियां (करोड़ रुपये में)		वृद्धि की प्रतिशत
		1976	1978	
1	2	3	4	5
1.	बिड़ला	974.63	1171.15	20.2
2.	टाटा	980.77	1102.11	12.4
3.	मफतलाल	256.54	317.86	23.9
4.	जे० के० सिंघानियां	241.23	299.57	24.2
5.	थापर	202.24	344.06	20.7
6.	आई० सी० आई०	198.99	228.73	14.7
7.	बांगुर	195.33	220.86	13.1
8.	श्रीराम	171.70	204.79	19.3
9.	आयल इण्डिया	202.59	203.24	0.3
10.	सिंधिया	177.08	202.81	14.5
11.	लार्जन एण्ड टूबो	147.74	194.51	31·7
12.	ए० सी० सी०	160.21	186.62	16.5
13.	भिवन्डीवाला	166.43	178.38	7.2
14.	किर्लोस्कर	152.47	176.25	15.6
15.	हिन्दुस्तान लीवर	122.51	157.15	28.3
16.	चौगुले	80.15	149.96	87.1
17.	खटाऊ (बम्बई)	100.22	143.12	42.8
18.	कस्तूरभाई लालभाई	109.63	140.00	27.7
19.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	126.06	137.18	8.8
20.	वालचन्द	129·42	135.70	4.9
21.	टी० वी० एस० आय्यंगर	105.78	135.23	27.8
22.	मोदी	117.79	134.72	14.4
23.	मैकनील एण्ड मैगर	113.35	134.15	18.4
24.	साराभाई	116.73	129.09	10.6

1	2	3	4	5
25.	आई० टी० सी०	105.08	129.06	22.8
26.	बजाज	101.51	123.07	21.2
27.	डनलप	99·10	108.87	9.9
28.	गोदरेज	65.17	100.16	53.7
29.	एस्कोर्टस	64.54	96.74	49.9
30.	ब्रुक बांड	65.67	93.55	42.5
31.	पैरी	91.11	92.81	1.9
32.	सालगावकर	71.19	88.59	24.4
33.	यूनियन कार्बाइड	71.31	86.46	21.2
34.	अशोक लेलैंड	61.51	83.08	35.1
35.	जी० के० डब्ल्यू०	74.42	82.17	10.1

टिप्पणी : कुछ मामलों में जहां कुछ कम्पनियों के उस वर्ष से सम्बन्धित तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं थे उसके लिये पिछले वर्ष के अनुवर्ती आंकड़ों को दोहराया गया है।

उड़ीसा को मिट्टी का तेल और डीजल का आवंटन

3404. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को गत तीन महीनों के दौरान अधिक मात्रा में डीजल और मिट्टी का तेल आबंटित करने के लिए लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मेरे, अप्रैल 1980 में उड़ीसा के दौरे के दौरान उडीसा सरकार ने नोट प्रस्तुत किए जिसमें उन्होंने डीजल का लगभग 20,000 मी० टन तथा मिट्टी के तेल का 8,000 मी० टन का मासिक आवंटन करने का अनुरोध किया था।

(ख) उड़ीसा के लिए अप्रैल और मई 1980 के लिए डीजल का आबंटन 15,700 मी० टन तक बढ़ाया गया था। जून 1980 के लिए 12,500 मी० टन का आबंटन है। अप्रैल, मई और जून 1980 के आबंटन द्वारा पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों के डीजल के वास्तविक विक्रय की तुलना में करीब 31 प्रतिशत, 29 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रदर्शित की गई थी।

इसी तरह मिट्टी के तेल का अप्रैल और मई के लिए आवंटन फरवरी 1980 तक प्रति मास 6000 मी. से 6500 टन के विक्रय की तुलना में प्रत्येक मास 8500 मी. टन बढ़ाया गया था। जून 1980 के लिए आवंटन 5490 मी. टन है। यह आवंटन अप्रैल, मई, जून, 1980 के लिए पिछले वर्ष की तदनुरूपी महीनों में मिट्टी के तेल के वास्तविक विक्रय की तुलना में क्रमशः 47 प्रतिशत, 52 प्रतिशत और 5 प्रतिशत वृद्धि दर प्रदर्शित करते हैं।

उर्वरक निगम कामगार संघ के पदाधिकारियों तथा प्रबंधकों के बीच वार्ता

3405. **श्री ए. के. राय** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक निगम कामगार संघ के दो पदाधिकारियों को प्रबंधकों ने वहां ठेका-श्रमिकों की समस्याओं पर वार्ता करने के लिए जून के प्रथम सप्ताह भारतीय उर्वरक निगम के सिन्द्री कारखाने में बुलाया था;

(ख) क्या यह सच है कि संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने वाले अधिकारी तो अनुपस्थित थे और इनके स्थान पर ठेकेदारों के गुण्डे उन प्रतिनिधियों का इन्तजार कर रहे थे जिन्होंने वहां कार्यालय में उन पर पाशविक आक्रमण कर दिया;

(ग) क्या उसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में भारी तनाव पैदा हो गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसमें अंतर्ग्रस्त अधिकारियों, सुरक्षा कर्मचारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) तथा (घ) मैसर्स अशोक इंजिनियरिंग कार्पोरेशन, जो कि मैसर्स वी.एच.ई. एल. के उप ठेकेदार हैं, के कार्यालय के सामने कारखाना अहाते के अन्दर दिनांक 5-6-80 को ठेकेदारों के कर्मचारियों और कामगार यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप टाउनशिप और आसपास के क्षेत्रों में तनाव पैदा हो गया । स्थानिक प्राधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में अपने लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की है । पुलिस जांच पड़ताल हो रही है । समाज के सब वर्गों के सदस्यों को लेकर एक शान्ति समिति भी स्थापित की गई है ।

बिजली संकट को हल करने के लिए दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों के संगठन द्वारा प्रस्ताव

3406. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बिजली संकट को हल करने के उद्देश्य से दामोदर चाटी निगम कर्मचारी संगठन द्वारा श्रमिक घोषणा दिवस 7 मई, 1980 को पेश किपे गए अल्पावधि तथा दीर्घावधि के प्रस्तावों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की प्रत्येक मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दामोदर घाटी निगम में उत्पादन सुधारने के लिए एक छपा हुआ पैम्पलेट जिसमें विभिन्न तकनीकी सुझाव थे दामोदर घाटी निगम कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा मंत्रालय तथा दामोदर घाटी निगम के प्रबंध, दोनों को ही, भेजा गया था । सुझावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है । दामोदर घाटी निगम प्रबंध को कहा गया है कि प्रत्येक सुझाव की जांच करें तथा जहां अपेक्षित हो वहां उपयुक्त कार्रवाही करें ।

(ख) सरकार देश में विद्युत की स्थिति में सुधार करने के बारे में सभी क्षेत्रों के सहयोग का स्वागत करेगी ।

विवरण

दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र

1. लाइम और ब्लीचिंग फीडिंग की व्यवस्था सहित वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र में सुधार करना ।
2. पम्पों की ग्लेंड लीकेज दूर करना तथा वार्षिक अनुरक्षण या निवारक अनुरक्षण की व्यवस्था करना ।
3. इन्टेक पम्प हाउस का नवीकरण ।
4. फायर पम्प प्रतिष्ठापन में सुधार करना ।
5. राख संयंत्र के संबंध में शीघ्र उपचारी कदम उठाना ।
6. सील वाटर पम्प/राख जल पम्प के संबंध में शीघ्र उपचारी कदम उठाना ।
7. इजेक्टर के निवारक अनुरक्षण के लिए व्यवस्था शुरू करना ।
8. स्लरी पम्प का नेमी अनुरक्षण हाथ में लेना ।
9. एयर कम्प्रसर को काम हेतु उपयोगी बनाना ।
10. सभी सर्विस एयर कम्प्रेसरों को ठीक करना ।
11. डिमिनरलाइजेशन संयंत्र का नवीकरण करना ।
12. मल्टी पोर्ट वाल्व की स्थिति के बारे में जांच करना ।
13. एक्सचेजर के पुनः उत्पादन के लिए शीघ्र आयोजना कार्य हाथ में लेना ।
14. डिगेसीफायर टैंक के स्तर को नियन्त्रित करने के लिए तथा केशन एक्सचेंजर के प्रवाह को बनाए रखने के लिए लेवल कन्ट्रोलर व्यवस्था के लिए आयोजना ।
15. लोनिक कम्पनी द्वारा बनाए गए अभिकल्पों के कार्य परिणामों की जांच करना तथा उनके द्वारा प्रतिष्ठापित उपकरणों की भी जाच करना ।
16. मैसर्ज बर्ड कम्पनी द्वारा बनाए गए डी/एम संयंत्र के लिए अतिरिक्त बैटरी के कार्य-परिणामों की जांच करना ।
17. यह सुनिश्चित करना कि दो बुस्टर पम्प शीघ्र ही उचित ढंग से कार्य करें ।
18. मिल की क्षमता में सुधार करना । कोयले की सभी पाइपें शीघ्र बदली जानी चाहिए ।
19. कोयला बंकर क्षेत्रों के लिए सुनियोजित निवारक अनुरक्षण करना ।
20. ग्राइंडर (रोलर तथा बाउल प्लेट) का नवीकरण तथा प्रारम्भिक रोलरों को लगाना ।
21. अनुरक्षण कार्य के लिए तीन पारियां चलाना ।

22. आई. डी. फैन ब्लेड्स के कटाव को कम करने के लिए यूनिट एक और दो के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसेपिटेटर को प्रतिष्ठापित करना ।

23. ठीक कम्बश्शन के लिए हवा के सही मापन के लिए 'मोनो' रिकार्डर की प्रतिष्ठापना करना (1, 2 और 3 यूनिटें) ।

24. गुणवत्ता में सुधार करना ।

25. बायलर 1 और 2 में घुसने वाली अनावश्यक हवा को रोकना तथा बायलरों की दीवारों, ऊंची छतों की मरम्मत ।

26. यूनिट 1 और 2 के फायरिंग जोन में ट्यूबों को बदलना तथा ट्यूब के आन्तरिक भाग को तेजाब से साफ करना ।

27. (1 और 2 यूनिट) की वायु नलिकाओं के दोष दूर करना ।

28. स्वचालित नियंत्रण (1 और 2 यूनिटों) के लिए सभी प्रकार के नियंत्रक उपकरणों को ठीक रखना ।

29. बायलर 3 की हाइड्रोजन से पूर्णतः एमब्रेटल्ड ट्यूबों को बदलना ।

चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र अल्प अवधि कार्यक्रम

1. 35% से कम राख की मात्रा वाले तथा कम से कम 18 प्रतिशत वी. एम. की मात्रा वाले और शेल, पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों से रहित कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करना ।

2. वर्ना समस्याओं को कम करने के लिए एफ० ओ० के स्थान पर एल० डी० ओ० की सप्लाई करना ।

3. स्वदेशी यूनिटों पर 'नवीकरण समिति' की सिफारिशों को कार्यान्वित करना ।

4. डी० एम० संयंत्र तथा तीसरे डी० एम० स्टोरेज टैंक को पूरा करना ।

5. यूनिट 6 की बी० एफ० पम्प की रिसर्कूलेशन के स्थान पर परखे हुए तथा उत्तम संघटक लगाना ।

6. लीकेन्जों का पता लगाना तथा यूनिट 1, 2, 3 तथा 4 के कन्डेन्सर वैक्यूम को सुधारना ।

7. जल के शाक ट्रीटमेंट के लिए क्लोरिन की नियमित सप्लाई करना ।

8. 100 मेगावाट का दूसरा आटो-ट्रांसफार्मर प्रतिष्ठापित करना ।

9. चौथे क्लेरीफ्लोकुलेटर का प्रतिष्ठापन करना ।

10. तीन शिफ्टों में अनुरक्षण काम चालू करना ।

दीर्घकालीन कार्यक्रम

1. यूनिट 1, 2 और 3 की एच० पी० हीटरों की ट्यूबों को बदलना ।

2. यूनिट 1, 2 और 3 की बायलर फीड पम्पों का नवीकरण करना ।

3. यूनिट 1, 2 और 3 में बी० एफ० पी० रिसर्कूलेशन, आइसोलोटिंग वाल्व तथा नान-रिटर्न वाल्वों को आयातित अच्छी गुणवत्ता के वाल्वों से बदलना ।

4. आई० डी० फैन्स का नवीकरण करना ।

5. दूसरी वाटर इन्टेक को पूरा करना ।

6. 1, 2 और 3 यूनिटों के वायलर में एयर प्री-हीटर एलीमेंटों को बदलना ।

7. प्रत्येक दो यूनिटों के लिए एक चौथे हाइड्रोवैक्टर पम्प की व्यवस्था करना ।

8. जलाशयों को गाद रहित करना ।

9. ब्लैन्डिंग प्लांट की कोयला फीड करने वाले व्यवस्था की पुनः इंजीनियरी करना ।

बोकारो ताप विद्युत केन्द्र

1. कोयला कनवेयिंग की पुनः इंजीनियरी करना ।

2. गैस और वायु की ओरस्टेट वर्गीकरण की नियमित व्यवस्था करना ।

3. आई० डी० फैन्स का नवीकरण करना ।

4. वैक्यूम में सुधार करना ।

5. सर्विस जल दबाब को सुधारना ।

6. मिलों के निष्पादन में सुधार करना ।

7. कन्डेन्सर वैक्यूम के लीकेजों का पता लगाना तथा सुधार करना ।

8. कोयला तोलने की स्पष्ट प्रणाली को शुरू करना ।

9. क्रशर तथा विजातीय सामग्री अलग करने वाले संयंत्र में सुधार करना ।

10. राख साफ करने की प्रणाली तथा वायलर को साफ करने की प्रणाली के तरीकों में सुधार करना ।

11. तीन पारियों में अनुरक्षण कार्य शुरू करना ।

12. बांध जलाशय की गाद निकालना ।

ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का कोयला उत्पादन लक्ष्य

3407. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड का कोयला उत्पादन का वर्ष-वार लक्ष्य क्या था;

(ख) इसी अवधि में लक्ष्य पूरा करने में कितनी सफलता मिली; और

(ग) केन्द्र ने उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि का आबंटन किया ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ईस्टर्न

कोलफील्ड के लिए कोयला उत्पादन का गत तीन वर्षों में लक्ष्य तथा कोयले का वर्षवार वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :

(मि०टन)

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य	किया गया उत्पाद
1979-80	26.06	20.52
1978-79	28.30	22.05
1977-78	27.80	25.23

(ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में वर्षवार निवेश नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए)

1979-80	58.70
1978-79	42.29
1977-78	40.01

मध्य प्रदेश में सुपर तापीय विद्युत केन्द्र

3408. **श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सुपर तापीत विद्युत केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इन केन्द्रों को कहां-कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इनमें से प्रत्येक केन्द्र में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता होगी;

(ग) केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे देगी;

(घ) उक्त एकक कब तक अपना उत्पादन आरंभ कर देंगे; और

(ङ) इन परियोजनाओं पर संभवतः कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत की तेजी से बढ़ती हुई मांग को समुचित रूप से पूरा करने के अपने योजना कौशल के एक भाग के रूप में केन्द्रीय सरकार ने मिट-हैडों पर वृहत ताप विद्युत केन्द्रों का निर्माण करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। ये केन्द्र जिन्हें सामान्यतः सुपर ताप विद्युत केन्द्र कहा जाता है, देश में अपने-अपने विद्युत क्षेत्रों के विभिन्न राज्यों को लाभ पहुंचाएंगे तथा अपने-अपने क्षेत्रों में विद्युत संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन करेंगे। इस नीति के अनुसार इस समय पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले में कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र का विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से जोकि सरकारी क्षेत्र की एक यूटीलिटी है, एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने छिन्दवाड़ा जिले में पेंच घाटी क्षेत्र में एक नए ताप विद्युत केन्द्र के लिए अपेक्षित अन्वेषण करके व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया है।

(ख) कोरबा विस्तार स्कीम की प्रतिष्ठापित क्षमता 1000 मेगावाट करने की योजना है अर्थात् 500-500 मेगावाट के दो यूनिट तथा पेंच घाटी क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता प्रारंभ में 630 मेगावाट की योजना है ।

(ग) कोरबा विस्तार परियोजना की स्वीकृति के लिए कार्यवाही केन्द्रीय सरकार में आरंभ हो चुकी है । पेंच घाटी परियोजना पर विचार इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जा सकेगा ।

(घ) बोरबा विस्तार परियोजना के दो यूनिटों की व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इन यूनिटों को क्रमशः वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में चालू करने की योजना है । पेंच घाटी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले विद्युत केन्द्र को चालू करने की समय-सूची व्यवहार्यता अध्ययन पूरे होने के पश्चात ही बनाई जा सकेगी ।

(ङ) कोरबा विस्तार परियोजना पर 407.81 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । दूसरी परियोजना पर होने वाला संभावित व्यय अभी निश्चित नहीं हुआ है ।

उपनोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से निम्न-लिखित ताप विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टें भी प्राप्त हुई हैं ।

1. बीरसिंगपुर ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मेगाबाट)
2. विंध्याचल (सिंगरौली) (2×500 मेगावाट)
3. पेंच ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मेगावाट)

इनसे से बीरसिंगपुर ताप विद्युत केन्द्र को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 27-5-1980 को दे दी है । इस परियोजना की दो यूनिटों को क्रमशः 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है और इसकी कुल अनुमानित लागत 232.43 करोड रुपये है ।

अन्य दो स्कीमों की तकनीकी-आर्थिक जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

सरणी में सुपर तापीय बिजली केन्द्र

3409. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सारणी, मध्य प्रदेश में गत वर्ष एक 400 मेगावाट क्षमता के एक सुपर तापीय बिजली केन्द्र का उद्घाटन किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त एकक में अभी तक बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने इस बारे में एक उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सतपुड़ा (सरनी) ताप विद्युत केन्द्र में 210 मेगावाट का एक यूनिट पिछले वर्ष चालू किया गया था और इसका उद्घाटन जुलाई, 1979 में किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश की मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाएं

3410. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जहां की मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) ऐसे जिलों और योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इनका अनुमोदन कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) इस समय ऐसी 4 बृहद और 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं, जिनसे मध्य प्रदेश के 8 जिलों को लाभ पहुंचेगा । एक विवरण संलग्न हैं, जिसमें इन स्कीमों और लाभान्वित होने वाले जिलों के नाम दिये गये हैं । इसके अलावा 20 जिलों को लाभ पहुंचाने वाली 11 बृहद और 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग को टिप्पणियों के उत्तर के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं । 4 जिलों को लाभ पहुंचाने वाली अन्य 5 बृहद और 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी अन्तर्राज्यिक पहलुओं की दृष्टि से अन्य राज्यों की सहमति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं ।

(ग) तीन स्कीमें नामशः कोलार, हलाली तथा बुढाना नाला स्कीमें योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई हैं । योजना आयोग का अनुमोदन अभी जारी किया जाना है । 3 अन्य परियोजनाओं के बारे में, तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणियों पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।

विवरण

विचाराधीन स्कीमों और उनसे लाभान्वित होने वाले जिलों के नाम

क्रम सं०	स्कीम का नाम	लाभान्वित होने वाले जिले
1.	कोलार परियोजना (बृहद)	सोहोर
2.	हलाली (बृहद)	विदिशा और रायसेन
3.	बुढाना नाला (मध्यम)	शिवपुरी
4.	माही परियोजना (बृहद)	झाबुआ और धार
5.	लखुन्दर बांध परियोजना (मध्यम)	शाजापुर
6.	कोसरटोडा ताल परियोजना (बृहद)	बस्तर

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मध्यम सिंचाई योजना

3411. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विदिशा जिले की बाह तथा सागर नामक दो मध्यम सिंचाई योजनाएं गत दो वर्षों से केन्द्र सरकार के विचाराधीन पड़ी हुई हैं;

(ख) उनको कब तक मंजूरी दे दिये जाने की आशा है; और

(ग) इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और उनके पूरा होने में संभवतः कितने वर्ष लगेंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार नाथ पाण्डेय) : (क) और (ख) प्रश्न का सम्बन्ध संभवतः मध्य प्रदेश के विदिशा जिलों की बाह और सागर मध्यम सिंचाई परियोजना से है। योजना आयोग द्वारा इन परियोजनाओं को मई, 1980 में मंजूरी दी गई थी।

(ग) बाह परियोजना पर 13.98 करोड़ रुपए और सागर परियोजना पर 10·63 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों में बाह परियोजना के 7 वर्षों और सागर परियोजना के 5 वर्षों की अवधि में पूरा होने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम

3412. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कितने कर्मचारियों ने गृह निर्माण अग्रिम के लिए के आवेदन भेजे थे और उनमें से कितने कर्मचारियों को अब तक ऋण मिल चुका है;

(ख) शेष कर्मचारियों को कब तक ऋण मिलने की सम्भावना है और अब तक उन्हें ऋण न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए गत वर्ष कितनी धनराशि का प्रावधान था और चालू वर्ष के लिए कितना प्रावधान किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नौ (9) कर्मचारियों ने गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन किया था और इनमें से सात (7) कर्मचारियों को ऋण स्वीकृत किया गया था, इनमें से छः (6) को, नियमों के अनुसार देय किस्तों के आधार पर भिन्न-भिन्न राशियां वितरित की जा चुकी हैं।

(ख) 1979-80 के दौरान, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र और परियोजना के लिये गृह निर्माण अग्रिम हेतु किसी निधि का आवंटन नहीं किया गया था। अतः बदरपुर केन्द्र में कार्यरत दो कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत करना, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए सम्भव नहीं था। तथापि, बदरपुर के कर्मचारियों, को, गृह निर्माण के लिए ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव था।

आकाशवाणी दिल्ली में हिन्दी तथा अंग्रेजी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित समय

3413. **श्री भीखा भाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली "क" और दिल्ली "ख" स्टेशनों से हिन्दी तथा अंग्रेजी कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग कितना समय निर्धारित है;

(ख) अंग्रेजी कार्यक्रमों को अधिक समय देने के क्या कारण हैं जबकि हिन्दी कार्यक्रम सुनने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है; और

(ग) क्या हिन्दी कार्यक्रमों की लोकप्रियता को देखते हुए हिन्दी कार्यक्रमों के समय को बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो कितना समय बढ़ाया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) दिल्ली केन्द्र के "क" और "ख" चैनलों पर प्रसारित दैनिक कार्यक्रमों का भाषा-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है (इसमें वाद्य संगीत की अवधि शामिल नहीं की गई है) :

	दिल्ली "क"	दिल्ली "ख"	योग
हिन्दी	694 मिनट	240 मिनट	934 मिनट
अंग्रेजी	5 मिनट	317 मिनट	322 मिनट
पंजाबी	10 मिनट	80 मिनट	90 मिनट
उर्दू	35 मिनट	30 मिनट	65 मिनट
संस्कृत	10 मिनट	— —	10 मिनट
अन्य	13 मिनट	30 मिनट	43 मिनट

(ख) और (ग) ऊपर (क) से यह देखा जा सकेगा कि अंग्रेजी के कार्यक्रमों को अधिक समय नहीं दिया जा रहा है। हिन्दी के कार्यक्रमों की वर्तमान मात्रा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिन्दी फिल्मों का निर्यात

3414. **श्री भीखा भाई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान किन किन देशों को हिन्दी फिल्मों का निर्यात किया गया और प्रत्येक देश को कितनी कितनी फिल्मों का निर्यात किया गया;

(ख) उन फिल्मों के नाम क्या हैं और उनके निर्माताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन फिल्मों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई और इनका प्रदर्शन किन-किन देशों में हुआ ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

अंग्रेजी फिल्मों का आयात

3415. **श्री भीखा भाई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 3 वर्षों के दौरान कितनी अंग्रेजी फिल्मों का आयात किया गया;

(ख) देश में अंग्रेजी फिल्मों का आयात करने वाले वितरकों के नाम क्या हैं; और

(ग) कुल आयातित फिल्मों में से कितनी फिल्मों को सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रदर्शन के लिए पास नहीं किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामं दुलारी सिन्हा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अंग्रेजी की 352 फीचर फिल्मों का निम्नानुसार आयात किया गया था :

1977-78	103
1978-79	140
1979-80	109

इनमें मैसर्स सोवेक्सपोर्ट फिल्म द्वारा आयात की गयी फीचर फिल्में, जो रूसी भाषा में है, किन्तु अंग्रेजी, हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में इसको डब किया जाता है/इसके उप-शीर्षक दिए जाते हैं, या लघु फिल्में जिनके आयात की खुले सामान्य लाईसेन्स के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है, शामिल नहीं हैं।

(ख) अंग्रेजी की फिल्मों का आयात करने वाले वितरकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ।
2. कोलम्बिया फिल्म्स आफ इण्डिया लि० ।
3. पैरामाउण्ट फिल्म्स आफ इण्डिया लि० ।
4. ट्वन्टीयथ सैन्चुरी फोक्स कारपोरेशन (इण्डिया) प्रा० लि० ।
5. यूनाइटिड आर्टिस्ट्स कारपोरेशन ।
6. वार्नर ब्रदर्स (एफ० ई०) इन्क ।
7. एलाइड आर्टिस्ट्स आफ इण्डिया इन्क ।
8. मैट्रो गोल्डविन मैजर इण्डिया लि० ।
9. यूनिवर्सल पिक्चर्स इण्डिया प्रा० लि० ।

(ग) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 30 फिल्मों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से स्वीकृति नहीं दी गयी :

1977-78	12
1978-79	8
1979-80	10

दरभंगा आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता

3416. **भोगेन्द्र झा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दरभंगा (मिथिला) प्रसारण केन्द्र की केवल 10 किलोवाट क्षमता है;

(ख) क्या यह केन्द्र स्थापित करने के समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि बाद में ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाई जायेगी और यदि हां, तो क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) दरभंगा से विभिन्न भाषाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को कुल कितना समय दिया जाता है और क्या मैथिली भाषा को समाचार और अन्य प्रसारणों का मुख्य माध्यम बनाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) आकाशवाणी, दरभंगा से विभिन्न भाषाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों (रिले होने वाले संगीत और समाचारों को छोड़कर) को प्रति मास दिया जाने वाला कुल समय इस प्रकार है :

भाषा का नाम	अवधि (भाषित कार्यक्रम, आदि)	
	घंटे	मिनट
हिन्दी	33	05
मैथिली	28	20
उर्दू	20	09
अंग्रेजी	17	27
संस्कृत	00	45

दरभंगा से समाचार बुलेटिनों को मूलरूप से प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रसारणों का संबंध है, मैथिली को यथोचित स्थान और महत्व दिया गया है।

उर्वरक उद्योग को उत्पादन की हानि से बचाना

3417. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उर्वरक उद्योग को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए एक द्रुत योजना बनायी है जिससे इस उद्योग को बिजली और कच्चे माल के अभाव में उत्पादन में होने वाली भारी हानि से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार उन अनेक संयंत्रों का पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है जिन्हें मई और जून, 1980 के दौरान बन्द करना पड़ा था; और

(घ) उनमें से कितने संयंत्रों में उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) नैफथा ईंधन तेल/ एल० एस० एच० एस० जैसे कच्चे मालों और विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण उर्वरक के उत्पादन में लगातार हानि से सरकार बहुत चिन्तित है और स्थिति की देख-

रेख कर रही है। यदि मानसून सामान्य हुई तो जुलाई में विद्युत उपलब्धता में सुधार होने की आशा है। कच्चे माल की उपलब्धता की समस्या के दो कारण हैं : एक तो असम क्रुड पर आधारित शोधनशालाओं के बन्द होने के कारण कच्चे माल की कमी और दूसरा परिवहन में कठिनाई के कारण/उपलब्धता को अधिकतम करने के लिए तेल/एल० एस० एच० एस० जैसे कच्चे माल के परिवहन की निरंतर आधार पर देख-रेख की जा रही है।

(ग) और (घ) मई और जून, 1980 में बन्द किये गए उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन की बहाली विद्युत कटौती और कच्चे माल की अनुपलब्धता जैसे बाधाओं के दूर होने पर निर्भर करती है।

तापीय परियोजनाओं के निर्माण-कार्य की प्रगति की निगरानी करना

3418. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल रही तापीय परियोजनाओं के निर्माण-कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय अन्तर्मंत्रालय समिति का गठन किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति को नियुक्त करने का मुख्य कारण यह था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम को विद्युत उपकरणों की वितरण (डिलीवरी) अनुसूची को बनाये नहीं रखा जा सका हैं;

(ग) यदि हां, तो इस नये समिति के मुख्य कृत्य क्या हैं; और

(घ) चल रही तापीय परियोजनाओं कें निर्माण-कार्य की प्रगति में इस समिति के गठन से कहां तक सहायता मिली है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मैक्सिको और ईराक के द्वारा तेल की सप्लाई

3419. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सिको ने वर्ष 1980-81 के दौरान तेल की सप्लाई करने के भारत के अनुरोध को मान लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) क्या ईराक, जिसके प्रतिनिधि-मण्डल ने जून, 1980 में भारत का दौरा किया था, भारत की कच्चे तेल सम्बन्धी समूची मांग को पूरा करने के लिये सहमत हो गया था;

(घ) मैक्सिको ईराक और तेल का निर्यात करने वाले अन्य देश मई-दिसम्बर, 1980 की अवधि के लिये कुल कितना तेल देने के लिए सहमत हुए हैं;

(ङ) कच्चे तेल की स्थिति में कहां तक सुधार होने की सम्भावना है; और

(च) उक्त समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बाद अब तक भारत में कुल कितना कच्चा तेल पहुंच चुका है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 1980-81 के दौरान भारत को खनिज तेल के सप्लाई के लिए मैक्सिको के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अनुमान है कि मई-दिसम्बर, 1980 के दौरान लगभग 10.8 मिलियन मी० टन खनिज तेल का आयात किया जायेगा।

(ङ) और (च) अप्रैल, 1980 के अन्त तक करीब 5.2 मिलियन मी० टन खनिज तेल का आयात किया गया था। 1980-81 के दौरान हमारी अनुमानित पूर्ण आवश्यकता के आयात में कोई कठिनाई नजर नहीं आती।

बल्क औषधियों का सरकारी क्षेत्र में उत्पादन

3420. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "बल्क" औषधियों के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का अंश 1976-77 की तुलना में काफी गिर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उसके कारण क्या हैं;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1976-77 से बल्क औषध के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र की मात्रा निम्न प्रकार थी ?

(रुपए करोड़)

	1976-77	1977-78	1978-79
सरकारी क्षेत्र का उत्पादन	48	47	49
कुल बल्क औषध उत्पादन	150	164	200

2. यद्यपि सरकारी क्षेत्र के एककों में बल्क औषध आम तौर पर बढ़ा है, कुल उत्पादन में उनकी मात्रा में गिरावट आई है जबकि भारतीय गैर सरकारी क्षेत्र ने अपने उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि की है।

3. वर्तमान उत्पादन एककों में कुछ विस्तार परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और 1980-81 के दौरान चालू होने की आशा है। उसके बाद सरकारी क्षेत्र की मात्रा में वृद्धि होने की आशा है।

पैट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

3421. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि डोजल, पैट्रोल, मिट्टी का तेल तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों को काला बाजार में बेचा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों का अतिरिक्त आयात करके, उत्पादों का रेलवे, मार्ग (सड़क) तथा पाईप-लाइन के माध्यम से परिवहन करके, देश के विभिन्न भागों में पैट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाए किए हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों प्रशासनों को परामर्श दिया गया था कि जहां तक सम्भव हो, इन उत्पादों की सप्लाई को नियमित किया जाए। उन्हें यह भी परामर्श दिया गया है कि काला बाजारी और जमाखोरी आदि दुराचार जो आम तौर पर कमी के समय अनुभव किये जाते हैं, को कम किया जाए। राज्य सरकारों को आगे और यह परामर्श दिया गया है कि जो पैट्रोलियम उत्पादों में मिलावट कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानून के अधीन कार्यवाही की जाए। तेल कम्पनियों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे अपने फुटकर विक्री केन्द्रों (पैट्रोल पम्पों) पर कड़ी निगरानी रखें और उन डीलरों की सप्लाई स्थगित करें जिनके विरुद्ध दुराचार का स्पष्ट मामला हो, और बाद में उनकी डीलरशिप को समाप्त किया जाए।

दूरदर्शन केंद्रों वाले श्रेणी "ए" के नगर

3422. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में श्रेणी "ए" के ऐसे कौन-कौन से नगर हैं जिनमें पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र हैं;

(ख) क्या शेष नगरों में भी दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) वहां पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में लक्ष्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भारत में श्रेणी "ए" के सात नगर हैं अर्थात् बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद और बंगलौर। इनमें से, बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र हैं। हैदराबाद में "साइट" उत्तरवर्ती दूरदर्शन ट्रांसमीटर और बेस प्रोडक्शन सेंटर, जो गुलबर्गा के "साइट" उत्तरवर्ती ट्रांसमीटर के लिए भी कार्यक्रम तैयार करता है, हैं।

(ख) से (ग) बंगलौर और अहमदाबाद में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वीकृत "योजना" स्कीमें हैं। इनके क्रमश: 1982-83 और 1983-84 में चालू होने की संभावना है। हैदराबाद ट्रांसमीटर के लिए एक स्थायी स्टूडियो के निर्माण की भी स्वीकृत "योजना" स्कीम है। इसके 1982-83 में चालू होने की संभावना है।

पन बिजली एककों की स्थापना में विदेशी सहयोग

3423. **श्री एन० ई० होरो :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पूर्वी योरुपीय देशों ने पन बिजली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस संबंध में अब तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाएं

3424. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री के साथ विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के बारे में 5 अप्रैल, 1980 को हुई बातचीत के बाद उन्होंने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री के साथ 5 अप्रैल, 1980 को कलकत्ता में पश्चिम बंगाल की जिन सिंचाई परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था वे स्वर्णरेखा परियोजना और अपर कंसवती परियोजना थीं ।

जैसी कि बैठक में सहमति हुई थी, पश्चिम बंगाल की स्वर्णरेखा परियोजना को भी विश्व बैंक के वित्तीय वर्ष 1982 (जुलाई, 1981 से जून, 1982) के दौरान विश्व बैंक की उधार सहायता को पाइप लाइन में शामिल कर लिया गया है अपर कंसवती परियोजना को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसे योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अपनी 7-6-1980 को हुई बैठक में स्वीकार्य पाया गया है ।

दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिए नालों का निर्माण

3425. **श्री चन्द्रपाल पौलीनी :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिये यमुना पार, शाहदरा की लोनी रोड और घोंडा बस्तियों में गत वर्ष अर्थात् वर्ष 1979 में ही नालों का निर्माण शुरू कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य को उसी वर्ष अचानक बन्द कर देने के क्या कारण हैं और ये नाले अब तक क्या अपूर्ण तथा बेकार पड़े हुए हैं;

(ग) क्या नालों का निर्माण कार्य दुर्गापुरी तथा लोनी रोड शाहदरा में भी शुरू किया गया था और क्या उक्त कालोनी में भी नाला पूरा नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन बस्तियों में बाढ़ आने के अवसरों को कम करने के लिये इन नालों का निर्माण कार्य पुनः शुरू किया जाएगा; और यदि हां, तो कब ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली में यमुना-पार क्षेत्र के लिए लोनी रोड और घोंडा रोड पर स्थित नालों का पुनर्रूपण किया जाना है। इन नालों से केवल गाद निकलने का कार्य आंशिक रूप से 1979 के दौरान किया गया था। लोनी रोड पर स्थित कालोनियों (इनमें दुर्गापुरी भी शामिल है) को कवर करने वाले नालों के पुनर्रूपण का मुख्य कार्य इस वर्ष शुरू किया गया था और घोंडा रोड के साथ की कालोनियों को कवर करने वाले नालों के पुनर्रूपण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। पुनर्रूपण कार्य कभी बन्द नहीं किया गया क्योंकि 1979 के मानसून से पहले पुनर्रूपण का कार्य शुरू नहीं किया गया था।

रामागुण्डम में उर्वरक संयंत्र

3426. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रामागुण्डम स्थित उर्वरक संयंत्र में उत्पादन आरम्भ हो गया है,

(ख) यदि हां, तो कब से और उसका दैनिक उत्पादन कितना है और उसकी क्षमता क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ख) उर्वरक संयंत्र रामागुण्डम की यूरिया की 1500 टन प्रतिदिन की क्षमता है। संयंत्र यांत्रिक रूप से पूरा हो चुका है किन्तु वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है।

(ग) राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अपर्याप्त बिजली की सप्लाई के कारण दीर्घावधि से चालू होना और वाणिज्यक उत्पादन रुका पड़ा है। अब यह आशा की जाती है कि प्रायोजना का दिसम्बर, 1980 से वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ होगा।

एल० पी० जी० सिलिण्डरों की मांग

3427. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक लाख उपभोक्ताओं की मांग संतोषजनक ढंग से पूरी करने के लिए कितने एल० पी० जी० सिलिंडरों की आवश्यकता होती है;

(ख) इस समय देश में एल० पी० जी० उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ग) आगामी दो वर्षों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के उरान गैस संयंत्र पूरा हो जाने और मथुरा तेल शोधक कारखाने आदि के चालू हो जाने के बाद कितने नये कनेक्शन दिये जाने की संभावना है;

(घ) कितने एकक एल० पी० जी० सिलिंडरों का निर्माण कर रहे हैं और उनकी निर्माण क्षमता कितनी है;

(ङ) भविष्य में एल० पी० जी० सिलिंडरों की अनुमानित मांग क्या होगी जब नये एल० पी० जी० कनेक्शन दिये जायेंगे; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; अथवा करने का विचार है कि सिलिंडरों की कमी के कारण एल० पी० जी० की सप्लाई में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) करीब 1.5 लाख सिलेन्डर।

(ख) 31 मार्च, 1980 को करीब 31 लाख।

(ग) बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पैट्रोलियम गैस निकालने की सुविधाएं चालू होने के साथ और उसके बाद मथुरा शोधनशालाओं से इस उत्पाद की अतिरिक्त उपलब्धता होने पर करीब 30 लाख नये कनेक्शन रिलीज करना संभव होगा।

(ग) इस समय 7 स्थापित सिलिंडर निर्माता निम्नलिखित विवरण के अनुसार तरल पैट्रोलियम गैस के सिलिन्डरों का उत्पादन कर रहे हैं :

क्र० संख्या	निर्माता का नाम	निर्माता की मांग (सं०) के अनुसार 1980-81 में योजनाबद्ध कुल उत्पादन
1.	हिन्दुस्तान जनरल इन्डस्ट्रीज लि०, नांगलोई दिल्ली।	1,20,000
2.	इंडियन गैस सिलेण्डर्स, फरीदाबाद।	3,50,000
3.	केनन डंकरली एण्ड कं० लि० बम्बई।	2,50,000
4.	हैदराबाद एलिवन मैटल वर्क्स लि०, हैदराबाद।	5,50,000
5.	कोसन मैटल प्रोडक्टस प्राईवेट लि०, कल्मेश्वर।	2,40,000
6.	यूनीवर्सल सिलेण्डर्स लि०, अलवर।	2,23,000
7.	स्टैंडर्ड सिलेण्डर्स प्रा० लि०, गुड़गांव।	1,60,000
	कुल:	18,08,000

(ङ) प्रति वर्ष 8 लाख गैस कनेक्शन देने के कार्य-क्रम के साथ नए सिलेण्डरों के लिए तेल उद्योग की अनुमानित आवश्यकता 15 से 16 लाख होगी जिसमें से 12 लान सिलेण्डर नए कनेक्शनों के लिये होंगे और 3 से 4 लाख सिलेण्डर प्रति वर्ष पुराने सिलेण्डर की प्रति स्थापना के लिये होंगे।

(च) सिलेन्डरों के लिये आर्डर दिये जा रहे हैं और जहां तक सम्भव है उन्हें पहले से इकट्ठा किया जा रहा है। क्षमता के विस्तार के लिये कुछ नये यूनिट स्थापित किए जाने की आशा है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का पुनर्गठन

3428. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोग के काम को निपटाने के लिये एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) गत वर्ष कितने मामले आयोग को भेजे गये थे;

(ग) उनमें से कितने मामले आयोग द्वारा निपटा दिये गये हैं; और

(घ) आयोग द्वारा निपटाये गये कितने मामलों में सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 5 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो से कम नहीं और आठ से अधिक नहीं, सदस्य, होने चाहियें। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष व दो सदस्य हैं, जो अभी तक पर्याप्त समझे गये हैं।

(ख) से (घ) 1979 के कलैंडर वर्ष के मध्य, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21/22 के अन्तर्गत, तीन मामले, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को पुनः जांच एवं रिपोर्ट के लिये संदर्भित किये गये थे। आयोग ने सभी तीनों मामलों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, एवं ये रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन हैं।

बम्बई हाई गैस का आग लग कर उड़ना

3429. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसका कोई मूल्यांकन किया गया है कि गत कुछ वर्षों में बम्बई हाई और अन्य केन्द्रों में कितनी गैस आग लगकर उड़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी गैस में आग लगी और उसका मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न अध्ययनों को समाप्त करने और इस गैस का विभिन्न राज्यों में उपयोग आरम्भ करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) गैस ईंधन से किन राज्यों को और किन परियोजनाओं को लाभ पहुंचाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

गुजरात द्वारा बम्बई हाई गैस की मांग

3430. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अहमद एम० पटेल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में उर्वरक इकाईयों के प्रयोग के लिये बम्बई हाई-गैस को गुजरात राज्य को देने की जोरदार मांग की है;

(ख) यह मांग कब से की जा रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1977 ।

(ग) गुजरात राज्य में हजीरा नामक स्थान पर समुद्री गैस पर आधारित दो बड़े आकार के उर्वरक कारखानों की स्थापना करने का पहले ही निर्णय लिया गया है ।

"गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी" ने गैस पर आधारित "भड़ौच" स्थित उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिए एक संशोधित सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है । "इन्फ्रास्ट्रक्चर" की उपलब्धता, भविष्य में मांग की प्रवृत्ति, पाइपलाइन द्वारा गैस के परिवहन की अपेक्षा रेलवे की क्षमता को विचार में रखते हुए उर्वरकों के परिवहन के अपेक्षाकृत आर्थिक लाभ जैसे घटकों को विचार में रखते हुए समुचित तकनीकी, आर्थिक दृष्टि से इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा ।

आसाम में प्रव्रजन करने वाले बंगला देश के शरणार्थी

3431. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के कितने शरणार्थियों ने 1947 से आज तक आसाम में प्रव्रजन किया है;

(ख) कितने परिवारों को राज्य सरकार के तन्त्र के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के ऋण एवं अनुदान राशि के साथ आसाम में बसाया गया है; और

(ग) क्या आसाम सरकार ने इन पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये इन ऋणों को किसी शर्त के साथ अथवा बिना शर्त स्वीकार किया था ।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) विभाजन से लेकर 25 मार्च, 1971 तक लगभग 7.02 लाख व्यक्ति ।

(ख) लगभग 4.64 लाख व्यक्ति ।

(ग) विस्थापित व्यक्ति परिवारों के पुनर्वास के लिए ऋण राज्य सरकार के परामर्श से दिए जाते हैं जो कि सहायता के निर्धारित पैमाने के अनुसार होते हैं ।

उड़ीसा के पुरी जिले के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

3432. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978-79 के दौरान पुरी जिले में कुण्डा ब्लाक में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड को 12.523 लाख रुपए के ऋण दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो वे गांव कौन-कौन से हैं जिनके विद्युतीकरण के लिए यह ऋण दिया गया था; और

(ग) क्या इन सभी गांवों को बिजली पहुंचा दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1978-79 में ग्राम विद्युतीकरण निगम ने पुरी जिले के खुर्दा ब्लाक में पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए 12.523 लाख रुपये की लागत की एक ग्राम विद्युतीकरण स्कीम स्वीकृत की थी।

(ख) पहले से ही विद्युतीकृत 600 गांवों के सघन विद्युतीकरण के अतिरिक्त, उपरोक्त योजना में ऐसे 11 गांवों में विद्युत के विस्तार की परिकल्पना है, जो अभी तक विद्युतीकृत नहीं किए गए हैं। इन 11 गांवों के नाम हैं —(1) रसंगा (2) गागलाकान्ता (3) कुमुन्दी (4) रनतानपुर (5) धानासानी (6) पाटेचन्दीपरसाद (7) भिकरीपाडा (8) कुन्डीलो (9) मकाडापोदार (10) व्रसाबन्ध और (11) तलाडीह।

(ग) खुर्दा ब्लाक की ग्राम विद्युतीकरण स्कीम के लिए, जो सोपानबद्ध रूप में 4 वर्ष की अवधि में पूरी होनी है, ग्राम विद्युतीकरण निगम तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था की जा रही है। राज्य बिजली बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम से फरवरी, 1980 में ऋण की पहली किस्त लेने के बाद स्कीम का कार्य शुरू कर दिया है।

उड़ीसा के पुरी जिले के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

3433. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979-80 के दौरान उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड को उड़ीसा में पुरी जिले के अन्तर्गत जटनी और भुवनेश्वर ब्लाकों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए क्रमश: 12.535 लाख रुपये और 16 लाख रुपये दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो वे गांव कौन से हैं जिनके लिए ऋण दिए गए थे;

(ग) क्या इन सभी गांवों को बिजली पहुंचाई जा चुकी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1979-80 में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को स्वीकृत किए गए ऋणों में ये शामिल थे। (1) पुरी जिले में जटनी और भुवनेश्वर ब्लाकों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीम के लिए 12.535 लाख रु० की राशि का ऋण, (2) पुरी जिले में भुवनेश्वर, बलिअन्ता, बटीपतना ब्लाकों में तथा कटक जिले में निआली, कान्तापाडा, कटक सदर तथा बारंग ब्लाकों में गांवों के पम्पसेटों के ऊर्जन हेतु बिजली का विस्तार करने के लिए 12.024 लाख रुपये की राशि का

ऋण तथा (3) ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए भुवनेश्वर में एक वर्कशाप की स्थापना हेतु 4.60 लाख रुपये की राशि का ऋण ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में क्रम सं० (1) और (2) में निर्दिष्ट स्कीमों में 76 नए गांवों के विद्युतीकरण की तथा पहले से विद्युतीकृत 69 गांवों में सघन विद्युतीकरण की परिकल्पना है । 76 गांवों के नाम, जो अब तक विद्युतीकृत नहीं किए गए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट स्कीमें अभी फरवरी/मार्च, 1980 में स्वीकृत की गई थीं तथा शुरू होने के बाद ये चार/पाच वर्ष की अवधि में सोपानबद्ध रूप में पूरी होंगीं ।

विवरण

76 नए गांवों की सूची

1. पुरी जिले में जटनी तथा भुवनेश्वर ब्लाकों में ग्राम विद्युतीकरण की स्कीम के अन्तर्गत आने वाले 46 अतिरिक्त गांवों (गैर-विद्युतीकृत) के नाम :

भुवनेश्वर ब्लाक	जटनी ब्लाक
1. नन्दपुर	19. झिकरनाडा सनतारा सासना
2. नरसिंगपुर	20. असोरायपुर
3. रेतांग	21. बाराकुडा
4. रणसिंहपुर	22. जगसरा
5. संतरापुरपत्तान	23. बड़ा रघुनाथपुर
6. नाखर पत्तन	24. हरपुर
7. कृष्णपुर	25. ओगलापाड़ा
8. सरदेईपुर पत्तान	26. अलाकर
9. खाटुपाड़ा	27. कौड़ाकाशीपुर
10. पाथरगडिया	28. गोपालपुर
11. श्यामसुन्दरपुर	29. ऊपरबस्ता
12. सुन्दरपुर	30. भीमपुर
13. हरिदामादा	31. गोपीनाथपुर
14. धौआ	32. ओरगारा ससना
15. नौबंटा	33. छैलड़ा
16. सिंगडा	34. बुधपाड़ा
17. कृष्णपुर	35. आरगल
18. रघुनाथपुरजल्ली	36. पौडापाड़ा

37. हरिपुर
38. कंसपाड़ा
39. हरिदामादा
40. दिउलाबसता
41. पश्चिनाद्वारपत्तन
42. रायपुरपत्तन
43. पण्डियाबिल्ली
44. बुधनगर
45. पलासपुर
46. पनिओरा

2. पुरी जिले में भुवनेश्वर बलिअन्टा और बलिपत्तन ब्लाकों में तथा कटक जिले में निआली, कान्तापाड़ा, कटक सदर और बारंग ब्लाकों में पम्पसेट के ऊर्जन के लिए बिजली का विस्तार करने की स्कीम के अन्तर्गत आने वाले 30 अतिरिक्त गांवों (गैर-विद्युतीकृत) के नाम :

भुवनेश्वर ब्लाक

1. दोमना
2. बटिया
3. कल्याणपुर
4. गिरिंगपुर
5. इंजमा
6. बड़ीमुण्डा
7. कान्तावल
8. भोला
9. कुजीमहल
10. केसुरा
11. दासपुर

बारंग ब्लाक

12. सालेश्वर
13. कुरुंग-सासना
14. निरजा
15. वच्छीपुर
16. रामदासपुर
17. गणेश्वर
18. करुत्ती

कटक सदर

19. उत्तामपुर
20. नौगढ़
21. बिसवालपाड़ा
22. उराली
23. मुगभंग
24. रातगढ़लोकहंसाई
25. भुवनपुर

निआली ब्लाक

26. बड़ीमण्डी
27. शहनाजपुर

बलिपत्तन ब्लाक

28. रामचन्द्रपुर

बकवन्त ब्लाक

29. दुदुराबसता
30. अनन्तपुर

जयंत विटामिन कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

3454. **श्री निहाल सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जयंत विटामिन कंपनी रतलाम की स्थापना कब की गई थी और इसके गठन के समय उसके कितने साझीदार थे और उसकी संख्या अब कितनी है; और

(ख) क्या इस कंपनी के साझीदार कंपनी अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और क्या इस कंपनी के खिलाफ़ कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जयंत विटामिन लिमिटेड, रतलाम "सुनीता विटामिन्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड" के नाम और आकृति के अन्तर्गत 15 जनवरी, 1971 को निगमित की गई थी और उसका नाम जयंत विटामिन लिमिटेड में 28 नवम्बर, 1973 को परिवर्तित कर दिया गया था। चूंकि यह लिमिटेड कम्पनी है इसलिये इसके कोई हिस्सेदार नहीं हैं और कम्पनी का निदेशक मंडल द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। निगमन के समय पर निदेशकों की कुल संख्या 5 थी और इस समय 11 है।

(ख) तथा (ग) : जबकि कम्पनी के विरुद्ध अभी हाल ही में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, यह देखा गया है कि 30-6-1979 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा विनिर्मित विशाल औषधियों की लागत लेखा-परीक्षा सम्पन्न करने में लागत-लेखा-परीक्षक को सम्बन्धित विवरण-पत्रों को प्रस्तुत न करके कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 233-ख की उपधारा (6) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। इस सम्बन्ध में कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को बोनस

3435. **श्री निहाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूर-दर्शन के कर्मचारियों को बोनस देने के मामले पर विचार किया है और क्या इस सम्बन्ध में सरकार को एसोसिएशन की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। मामला विचाराधीन है।

हरदुआगंज बिजली घर में आग लगने की दुर्घटनाएं

3436. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या हरदुआगंज बिजलीघर में पहले भी आग लगने की दुर्घटनाएं हुई थीं और यदि हां, तो कब-कब और प्रत्येक मामले में कितनी कितनी हानि हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती

3437. **श्री दयाराम शक्य** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी नगरों में बिजली की कटौती समान रूप से की जाती है;

(ख) नागरिक क्षेत्रों में बिजली की जो सप्लाई की जाती है उसका घंटों में जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलावार बिजली की सप्लाई कितने घंटों के लिये की जाती है;

(घ) क्या सरकार को सूखे की व्याप्त स्थिति में बिजली की भारी कटौती करने के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है;

(ङ) जिलावार बिजली की कटौती करने से कितने और कौन से कोल्ड स्टोरेज प्रभावित हुए हैं; और

(च) सरकार उत्तर प्रदेश में शहरी और ग्रामीण लोगों की बिजली की समूची मांग पूरी करने में कितना समय लेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि नगरों में विद्युत कटौती में, 1971 की जनगणना के अनुसार, उनके स्तर तथा जनसंख्या के अनुसार, विभिन्नता होती है ।

(ख) राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों को विद्युत सप्लाई नीचे दिए अनुसार होती है :

	प्रतिदिन विद्युत सप्लाई के घंटे
1. केवल टाउन, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ	22
2. अन्य जिला-टाउन तथा 20,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर	21
3. 10,000 से अधिक और 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगर	9
4. शेष नगर	5

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत सप्लाई करने के लिए राज्य को चार ग्रुपों में विभाजित किया गया है । प्रत्येक ग्रुप प्रतिदिन क्रम-क्रम से 5 घंटे विद्युत सप्लाई प्राप्त करने का हकदार है । जून, 1980 में, उपर्युक्त कार्यक्रम की तुलना में, प्रतिदिन विद्युत की वास्तविक सप्लाई 9 घंटे थी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) शहरी बस्तियों में स्वतंत्र फीडरों वाले सभी कोल्ड स्टोरेजों को प्रतिदिन 16 से 18 घंटे विद्युत सप्लाई की जाती है। ग्रामीण फीडरों से सम्बद्ध कोल्ड स्टोरेजों को, प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताए अनुसार ग्रामीण कार्यक्रम के अनुसार विद्युत सप्लाई की जा रही है।

(च) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कई उपाए किए गए/किए जा रहे है। इन उपायों में ये सम्मिलित हैं :

(1) केन्द्रीय क्षेत्र में वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने के लिए सुधारात्मक तथा नवीकरण कार्यक्रम तैयार करने तथा इन्हें कार्यान्वित करने तथा अनुरक्षण प्रबंध को कारगर और सरल बनाने के लिए कृत्रिम बलों का गठन राज्य सरकारों को भी अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने के लिए ऐसी ही कार्यवाही करने में सहायता दी जा रही है।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र में नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा राज्यों को सलाह देना कि ऐसे ही विस्तृत परियोजना कार्यक्रमों को तथा मानीटरिंग प्रणालियों को अपनाएं। देश में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की मानीटरिंग तथा समन्वय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी ध्यानपूर्वक करता है तथा नई यूनिटों से चालू करने के लिए संबंधित स्रोतों से आवश्यक सहायता की व्यवस्था यथा-समय करायी जा रही है।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले के भंडारों की मानीटरिंग करना तथा कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(4) अधिक बिजली वाले क्षेत्रों से कम बिजली वाले क्षेत्रों में विद्युत का अन्तरण।

(5) स्वदेशी रुथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई का प्रबंध करना।

इन कदमों के उठाने से यह आशा है कि कुल मिलाकर विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक होगी।

बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र को बिजली की सप्लाई

3438. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र को बिजली की सप्लाई के लिए दामोदर घाटी निगम पद्धति की वर्तमान उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो बिजली की उत्पादन क्षमता, आवश्यकता और वास्तविक उत्पादन करना है; और

(ग) यह कमी पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : दामोदर घाटी निगम प्रणाली के अप्रतिबंधित भार को पूरा करने के लिए 1100 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता की आवश्यकता है। दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अन्तर्गत, दामोदर घाटी निगम का दायित्व घाटी अर्थात अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर ही भार को पूरा करने तक ही सीमित है। इस बात

को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी निगम की रचना समस्त भार को पूरा करने के लिए नहीं की गई है. क्योंकि यह परिकल्पना की गई थी कि 1969 तक, घाटी के बाहर के समस्त भार संबंधित राज्य बिजली बोर्डों नामशः बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ले लिए जाएंगे। तथापि, चूंकि इन दो राज्य बिजली बोर्डों ने घाटी के बाहर के भारों को हाथ में लेने में अभी अपनी असमर्थता व्यक्त की है, अतः उनके अनुरोध पर, इस बात पर सहमति हुई है कि आगे आने वाले कुछ और समय तक अथवा जब तक संबंधित बोर्ड अपना दायित्व संभालने की स्थिति में नहीं हो जाते तब तक के लिए दामोदर घाटी निगम के घाटी के बाहरी भारों की सप्लाई जारी रखी जाए।

अगले कुछ वर्षों की अवधि के दौरान दामोदर घाटी निगम की विद्युत उत्पादन क्षमता में काफी मात्रा में वृद्धि करने के लिए उपाय शुरू किए गए हैं। अधिक उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से, प्रतिष्ठापित यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए भी उपाय शुरू किए गए हैं। दुर्गापुर में 210 मेगावाट के चौथे यूनिट के चालू हो जाने से स्थिति में और सुधार होने की आशा है।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लि० का आधुनिकीकरण

3439. **श्री वी० एस० विजयाराघवन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० को आधुनिक बनाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) एफ० ए० सी० टी० के आधुनिकीकरण के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तथापि कम्पनी ने अपने उद्योग मंडल एकक में उत्पादन के विविधीकरण के लिए प्रतिवर्ष 50,000 टन की क्षमता वाले एक कैप्रोलैक्टम प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन आरम्भ किया गया है और इस मूल्यांकन के पूरा होने के बाद ही उस पर अन्तिम रूप से विचार किया जायेगा।

फरक्का बांध के नीचे की ओर गंगा के दायें किनारे में कटाव

3440. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, पश्चिम बंगाल में मुर्शीदाबाद जिले में फरक्का से लालगोला तक फरक्का बांध के नीचे की ओर, गंगा के दायें किनारे में हो रहे निरन्तर कटाव को रोकने हेतु स्थायी परिवालों तथा तटबंधों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायतार्थ अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि गंगा के तट में उक्त कटाव से भागीरथी पर बने जागीपुर बांध की सुरक्षा का गम्भीर खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में गंगा के तट में कटाव से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने में राज्य सरकार की सहायता के लिए कोई निर्णय किया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह दोनों ओर के भू-कटाव-रोधी कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया किया गया है कि वे फरक्का बराज के अनुप्रवाह में गंगा के दाहिने किनारे के लिए अपेक्षित भू-कटाव-रोधी कार्यों के बारे में वित्तीय सहायता के लिए अलग से एक स्वतःपूर्ण नोट तैयार करे। यह नोट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि राज्य सरकारें अपनी संबंधित योजना-धनराशि में से बाढ़-नियंत्रण कार्यों को तैयार और क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए गंगा द्वारा होने वाले कटाव को रोकने के लिए उन स्थलों के आवश्यक निर्माण-कार्यों को, जो फरक्का बराज परियोजना से संबंधित नहीं हैं, सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा ही स्वीकृति देनी पड़ेगी।

(ख) जंगीपुर बराज और इसके एफलक्स बंध के निकट भू-कटाव होता देखा गया है। केन्द्रीय सरकार ने जंगीपुर बराज और इसके संबंधित निर्माण-कार्यों की सुरक्षा के लिए इस भू-कटाव को रोकने के लिए पहले ही उपाय कर लिए हैं।

तरल पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी० की उपलब्धता

3441. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वितरण हेतु तरल पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) सभी स्रोतों से कुल कितनी मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) उपरोक्त तरल पेट्रोलियम गैस की कितनी मात्रा घरेलू उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है और इसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1980 में तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता में (एक) बम्बई हाई, (दो) मथुरा तेल शोधक कारखाना, (तीन) बरौनी, रिफाइनरी (चार) कोयाली तेल शोधक कारखाना, (पांच) बंगाल तेल शोधक कारखाना और (छः) आयात से वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस गैस की वितरण की क्या योजना है और यह गैस कितने नए उपभोक्ताओं (घरेलू) को वितरित की जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1979-80 में वितरण के लिए सभी स्रोतों से उपलब्ध तरल पेट्रोलियम गैस की कुल मात्रा 4.16 लाख मीटरी टन थी।

(ख) कुल मात्रा की करीब 80 प्रतिशत खपत घरेलू उपयोग में की जाती है और शेष तरल पेट्रोलियम गैस का औद्योगिक तथा व्यापारिक उपयोग किया आता है। राज्यवार आँकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) 1981 के आरम्भ से बम्बई हाई समबद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस निकालने की सुविधाएं चालू होने तथा उसके बाद मथुरा एवं कोयला शोधन शालाओं से इस उत्पाद के अतिरिक्त उपलब्धता से बड़े पैमाने पर नये गैस कनेक्शन दिये जाने की आशा है। उपरोक्त सुविधाओं के चालू होने के साथ करीब 30 लाख नये गैस कनेक्शन दिये जाने की आशा है।

निम्नलिखित आधार पर समस्त देश में इस उत्पाद के एक समान वितरण के लिए एक योजना तैयार की जायेगी ।

(1) अमले वर्षों के दौरान तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता ।

(2) सप्लाई का स्रोत ।

(3) विभिन्न राज्यों में संभव माँग ।

(4) सप्लाई का संभार तन्त्र और

(5) प्रक्रियाओं का व्यवहार्यता ।

सांविधिक और स्वायत्तशासी केन्द्रीय विद्युत बोर्ड का निर्माण

3342. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समूचे देश में विद्युत प्रजनन का कार्य समन्वित करने के लिए एक सांविधिक और स्वायत्तशासी केन्द्रीय बिजली बोर्ड का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को राज्याध्यक्ष समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या आल इण्डिया पावर इन्जीनियर्स फेडरेशन ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ङ) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(च) सरकार ने समूचे देश में विभिन्न एककों द्वारा बिजली पैदा करने के कार्य को समन्वित करने और विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) समस्त देश के विद्युत उत्पादन का समन्वय करने के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण पहले से ही है, जो विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है । जैसी कि प्रारंभ में परिकल्पना की गई थी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुख्य सांविधिक दायित्व ये हैं—विद्युत संसाधनों के नियंत्रण और समुपयोजन के संबंध में एक ठोस, समुचित और एकरूप राष्ट्रीय विद्युत नीति का विकास करना, राज्य सरकार या बोर्ड और लाइसेंसधारी या किसी अन्य व्यक्ति के बीच उठ खड़े होने वाले मामलों में मध्यस्थता करना तथा विद्युत सप्लाई उद्योग के बारे में आंकड़े एकत्र करना, उनका रिकार्ड रखना तथा ऐसी सूचनाएं प्रकाशित करना राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार की गई विद्युत परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए करना होता है कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप हैं तथा राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों का इष्टतम विकास करती हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय में गठित की गई विद्युत समिति ने अन्यों के साथ-साथ आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फैडरेशन के प्रतिनिधियों से भेंट की थी। विचार-विमर्श के दौरान फैडरेशन के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था कि विद्युत का उत्पादन, पारेषण और वितरण का पूर्णतः केन्द्रीकरण किया जाए और विद्युत प्रदाय उद्योग का संचालन तीन-स्तरीय व्यवस्था के आधार पर किया जाए। इस तीन स्तरीय व्यवस्था में अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण हो तथा प्रत्येक अंचल के लिए एक आंचलिक विद्युत प्राधिकरण हो और राज्य स्तर पर वितरण का प्रबंध करने के लिए क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण हो। विद्युत समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही उपलब्ध होने वाली है और रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् सरकार इन सभी प्रश्नों पर राय बनाएगी।

(च) देश में विद्युत उत्पादन को समन्वित करने तथा उसमें वृद्धि करने के कई उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) केन्द्रीय क्षेत्र में मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से इसी प्रकार अधिकतम उत्पादन करें।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र में नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा ऐसे ही उपाय करने की सलाह राज्य सरकारों को देना।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले के भण्डार को मानीटरिंग करना तथा कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(4) फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अन्तरण।

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(6) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना।

(7) डिजायन, उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाना और इनमें दोष सुधार/प्रतिस्थापन आदि के लिए कई ताप विद्युत केन्द्रों पर परियोजना नवीकरण कार्यक्रम हाथ में लेना।

पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न की एकक खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाना

3443. **श्री नवीन रवाणी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न एककों की स्थापना हेतु लाइसेंसों के लिये बड़े गृहों सहित गैर-सरकारी पार्टियों से कुल कितने आवेदन-पत्र उनके मंत्रालय को अब तक प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे लाइसेंसों के लिए मानदण्ड एवं शर्तें क्या हैं; और इन आवेदन-पत्रों की संवीक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने केवल उन्हीं को लाइसेंस देने का फैसला किया है जो यार्न की कीमत कम कर सकें; और

(घ) इस मद के सम्बन्ध में छठी योजना में क्षमता का क्या लक्ष्य है और इस समय सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की एककवार कार्यक्षमता क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1978, 1979 और 1980 (जून तक,) ऐसे 29 आवेदन पत्रों का पंजीकरण किया गया है।

(ख) नए यूनिटों के लिए न्यूनतम आर्थिक आकार 6000 मि० टन प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। विभिन्न तकनीकी आर्थिक पहलूओं से इन आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है।

(ग) न्यूनतम आर्थिक आकार के यूनिटों में कम लागत पर पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न का उत्पादन किया जा सकेगा।

(घ) क्षमता के लक्ष्यों की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के उत्पादन की यूनिटवार वर्तमान लाइसेंसीकृत क्षमता निम्न प्रकार है :

यूनिट	क्षमता/मी ट्रिक टन प्रतिवर्ष
मैसर्स जे० के सिन्थैटिक्स लि०	960
मैसर्स निरलोन सिन्थेटिक्स फाईबर एण्ड केमिकल्स लि०	922
मैसर्स गारवेयर नाईलोन लि०	576
मैसर्स मोदी पान लि०	576
मैसर्स सन्चेरी एनका लि०	360
मैसर्स बड़ोदा रायन कारपोरेशन लि०	576
मैसर्स श्री सिन्थैटिक्स लि०	576
मैसर्स स्ट्रैंच फाईबर लि०	135
मैसर्स पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि०	3500

विदेशी कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

3444. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी कम्पनियों की कितनी और किन-किन शाखाओं और सहायक कम्पनियों ने कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन किया है और वित्तीय अनियमितताएं की हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : यह विभाग अलग से विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और उनकी सहायकों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के सम्बन्ध में सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रख रहा है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

3445. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) का गठन कब किया था;

(ख) इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था; और

(ग) ये उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, जो एक सांविधिक संस्था है, 1974 में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का विभाजन होने पर एक पूर्णकालिक संस्था बन गई इससे पहले तक और 1951 से इसने अंशकालिक संस्था के रूप में कार्य किया।

(ख) जैसी कि प्रारम्भ में परिकल्पना की गई थी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुख्य सांविधिक दायित्व ये हैं :– विद्युत संसाधनों के नियंत्रण और समुपयोजन के संबंध में एक ठोस, समुचित और एकरूप राष्ट्रीय विद्युत नीति का विकास करना, राज्य सरकार या बोर्ड और लाइसेंसधारी या किसी अन्य व्यक्ति के बीच उठ खड़े होने वाले मामलों में मध्यस्थता करना तथा विद्युत सप्लाई उद्योग के बारे में आंकड़े एकत्र करना, उनका रिकार्ड रखना तथा ऐसी सूचनाएं प्रकाशित करना। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार की गई विद्युत परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए करना होता है कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप हैं तथा राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों का इष्टतम विकास करती हैं।

1976 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दायित्वों का और विस्तार किया गया। इन दायित्वों में ये पहलू शामिल थे –दीर्घकालीन तथा संदर्शी योजनाएं बनाना, उपलब्ध सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों तथा दूसरी संस्थाओं को सलाह देना, स्कीमों को समय पर पूरा करने के लिए सहायता देना, विद्युत सप्लाई उद्योगों में लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना, विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए व्यवस्था करना, तथा विद्युत प्रदाय उद्योगों से संबंधित मामलों में अनुसंधान करना। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को कुछ ऐसे अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं जो उसे अपनी पूर्ववर्त्ती संस्था केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग (विद्युत स्कंध) द्वारा सौंपे गये हैं। इन कार्यों में, विद्युत सप्लाई उद्योगों को अभिकल्प और सलाहकारी सेवाएं देना तथा विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के संबंध में कार्रवाही करना शामिल है।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विश्लेषणात्मक अध्ययनों तथा अन्वेषनात्मक अध्ययनों से तथा मानीटरिंग व अभिकल्प संबंधी कार्यों से विद्युत सप्लाई उद्योग को, समग्र रूप से, बहुत सहायता मिली है। यद्यपि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सीधे ही किसी परियोजना को कार्यान्वित या प्रचालित नहीं करता, यह सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और कार्य-निष्पादन को तथा राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य-निष्पादन को मानीटर करता है और इन कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में यह विद्युत सप्लाई उद्योग की प्रचालन क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

कलकत्ता दूरदर्शन केंद्र के लिए भवन

3446. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छः वर्ष बीत जाने के बाद भी कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र का अपना भवन नहीं है;

(ख) क्या यह सच हैं कि मिदनापुर, मुर्शीदाबाद और आसनसोल में तीन रिले केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता में प्रसारण अवधि देश के प्रमुख शहरों की तुलना में सबसे कम है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) दुर्भाग्य से कलकत्ता में स्थायी दूर-दर्शन स्टूडियो भवन के निर्माण का कार्य शुरू करने में कुछ देरी हुई है। इसका मुख्य कारण यह था कि स्टूडियो भवन का डिजाइन प्रतियोगिता के आधार पर प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय वास्तु प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। निर्माण कार्य के अब शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।

(ख) स्वीकृत छठी "योजना" (1978-83) की स्कीमों में आसनसोल और मुर्शीदाबाद में रिले केन्द्रों की स्थापना शामिल है। आसनसोल रिले केन्द्र के लिए स्थान प्राप्त कर लिया गया है और ट्रांसमीटर के लिए बी० ई० एल० को आर्डर दे दिया गया है। इस प्रायोजना के 1983 तक चालू होने की उम्मीद है। मुर्शीदाबाद रिले केन्द्र के लिए स्थान चुन लिया गया है। जहां तक मिदनापुर का संबंध है वहां पर रिले केन्द्र स्थापित करने की योजना को संसाधनों की कमी के कारण "योजना" स्कीम में शामिल नहीं किया जा सका। तथापि, डाक-तार माइक्रोवेव लिंकों के माध्यम से मिदनापुर में रिले केन्द्र स्थापित करने की सम्भाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। महानगरों के दूरदर्शन केन्द्रों के साप्ताहिक प्रेषण घंटे इस प्रकार हैं :

दिल्ली	35 घंटे 20 मिनट	(लगभग)
बम्बई	31 घंटे 30 मिनट	(,,)
मद्रास	26 घंटे 40 मिनट	(,,)
कलकत्ता	21 घंटे	(,,)

इस समय कलकत्ता दूरदर्शन स्टूडियो अन्तरिम एकल स्टूडियो ढांचे के रूप में कार्य कर रहा है। विद्यमान सीमित सुविधाओं के साथ केन्द्र के लिए यह संभव नहीं है कि वह नियमित आधार पर प्रति दिन तीन घंटे से अधिक की अवधि के कार्यक्रम तैयार कर सके। प्रेषण घंटों में वृद्धि करने के बारे में विचार करना तभी संभव होगा जब कार्यक्रमों को तैयार करने की अतिरिक्त सुविधाओं सहित स्थायी स्टूडियो चालू हो जायेगा।

चलचित्र वित्त निगम द्वारा उत्तम फिल्मों के निर्माण के लिए दिए गए ऋण

3448. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र वित्त निगम द्वारा 1977-78 और 1978-79 के दौरान उत्तम किस्म की फिल्मों के निर्माण के लिए किन-किन पार्टियों को ऋण दिए गए, प्रत्येक मामले में कितना ऋण दिया गया तथा उक्त ऋण दिए जाने की कसौटी क्या है और क्या इन सभी ब्यौरे से युक्त एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ख) इनमें से किन-किन पार्टियों द्वारा ऋण की सारी राशि लौटाई जा चुकी है; और

(ग) इस बारे में अभी कितनी राशि बकाया है और इसे कब तक वसूल कर लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) फिल्म वित्त निगम द्वारा 1977-78 और 1978-79 में उत्तम किस्मों की फिल्मों के निर्माण के लिए जिन पार्टियों को ऋण दिए गए उनके नामों, प्रत्येक मामले में दिए गए ऋण की राशि जिन पार्टियों ने ऋण की सारी या आंशिक राशि पहले ही लौटा दी है उनके नामों तथा बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। ऋण देने की मुख्य कसौटी फिल्म का आलेख और विषय हैं निर्माता निर्देशक और तकनीकी दल/कलाकारों की पृष्ठभूमि/अनुभव को भी ध्यान में रखा जाता है। आलेखों की जांच जाने-माने फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, आलोचकों, सिने लेखकों, इत्यादि पर आधारित एक आलेख समिति द्वारा की जाती है अधिकांश मामलों में दिए गए ऋण लौटाए जाने के लिए देय नहीं हुए हैं। यह ठीक ठीक बताना कठिन है कि बकाया ऋण कब तक वसूल हो जायेंगे।

विवरण

क्रम सं०	उन पार्टियों के नाम जिन्हें ऋण दिए गए	स्वीकृत किया गया ऋण	दिया गया ऋण	लौटाया गया ऋण	मुख्य ऋण बकाया
		1977-78 के दौरान दिए गए ऋण			
1.	के. प्रेम सिंह वर्मा	4,50,000	3,81,683/-	—	3,81,683/-
2.	मैसर्स चित्रा भारत, मद्रास	3,00,000	2,44,406/-	—	2,44,406/-
3.	अली सरदार जाफरी, बम्बई	50,000	50,000/-	50,000/-	—
4.	शिवेन्द्र सिन्हा, बम्बई	32,000	32,000/-	32,000/-	—
5.	राजकुमार अडवाणी, बम्बई	1,50,000	1,50,000/-	—	1,50,000/-
6.	युक्त फिल्म को-आप., लि०, पुणे	4,50,000	4,30,066/-	—	4,30,066/-
7.	बिमल दत्त, बम्बई	4,50,000	4,49,864/-	—	4,49,864/-
8.	मुजफ्फर अली, बम्बई	4,50,000	4,44,731/-	—	4,44,731/-
9.	बी. डी. गर्ग, बम्बई	70,000	63,217/-	63,217/-	—
10.	सराया प्रोड्क्शन्स, बम्बई	50,000	11,000/-	—	11,000/-
11.	फली बिलीमोरिया प्रोड., बम्बई	50,000	50,000/-	50,000/-	—

विवरण

क्रम सं०	आवेदक का नाम	स्वीकृत किया गया ऋण	दिया गया ऋण	लौटाया गया ऋण	मुख्य ऋण बकाया
		1978-79 के दौरान दिए गए ऋण			
1.	श्री रविन्द्र गुप्ता, बम्बई	4,50,000/-	388,198/-	—	3,88,198/-
2.	श्री बी. डी. गर्ग, बम्बई	83,000/-	83,000/-	83,000	—
3.	श्री एस. सुखदेव, बम्बई	1,00,000/-	86,612/-	—	86,612/-
4.	श्री जहानु बरूआ, बम्बई	3,50,000/-	2,27,819/-	—	2,27,819/-
5.	श्री नाचिकेट पटवर्धन, पुणे	3,50,000/-	3,30,177/-	—	3,30,177/-
6.	श्री नारायण जे. केनी.	3,50,000/-	3,50,000/-	—	3,50,000/-
7.	श्री एम. एस. साहु, बम्बई	3,50,000/-	3,30,432/-	—	3,30,432/-
8.	मैसर्स संचार फिल्म को-आप., सोसायटी	3,50,000/-	2,67,887/-	—	2,67,887/-
9.	श्री सीताकांत मिश्र कलिंगा फिल्म इंटरनेशनल, कटक	4,12,000/-	4,09,844/-	—	4,09,844/-
10.	श्री सईद मिर्जा, बम्बई	3,50,000/-	3,35,960/-	—	3,35,960/-

नोट : इसके अलावा, 5 और पार्टियों, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, के लिए ऋण स्वीकृत किए गए थे किन्तु उन्होंने उन ऋणों को अभी तक नहीं लिया है :

आवेदक का नाम	स्वीकृत किए गए ऋणों की राशि
	रुपए
1. होमी होरमोसजी, बम्बई	4,50,000
2. मोविन अंसारी, बम्बई	4,50,000
3. कविता नागपाल, नई दिल्ली	2,15,300
4. विनोद चौपड़ा, बम्बई	4,50,000
5. इन्द्र टेकचन्दानी, बम्बई	4,50,000

फोटो डिवीजन पर खर्च

3449. **श्री मूलचंद डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान फोटो डिवीजन में संस्थापन और फोटोग्राफी पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) कथित डिवीजन में किन अवसरों और किन परिस्थितियों में फोटो खींचे जाते हैं और ये फोटो कब और कहां ले जाये जाते हैं और उनका प्रयोजन क्या होना है तथा उसके लिए क्या कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कांग्रेस के शासन में आने के बाद से लेकर आज की तारीख तक फोटो डिवीजन ने कुल कितने फोटो खींचे हैं और उनमें क्रमशः मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के कितने-कितने फोटो हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क)

	1977-78	1978-79
	रुपए	रुपए
स्थापना पर व्यय	1345000	1422000
फोटोग्राफी पर व्यय	844000	819000

(ख) फोटो प्रभाग पत्र सूचना कार्यालय के सामंजस्य से ऐसे सभी अवसरों के फोटो लेता है जो मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्दिष्ट हैं या सामारिक महत्व के समझे जाते हैं । फोटो प्रभाग के फोटोग्राफर स्थल पर फोटो तभी लेते हैं जब इस आशय का अनुरोध प्राप्त होता है और पत्र सूचना कार्यालय इस प्रकार के अवसर के फोटो लेने की सिफारिश करता है ।

इस प्रकार फोटो लेने का प्रयोजन सामान्यतया देश के विभिन्न भागों में चल रही उन विभिन्न विकासात्मक, सांस्कृति और सामाजिक गतिविधियों, जो सार्वजनिक महत्व की होती हैं, का सचित्र प्रचार करना होता है। राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न सरकारी गतिविधियों का यथा संभव अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए देश-भर के सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, भाषायी पत्रों, नियतकालिक पत्रों और पत्रिकाओं को इस प्रकार के अवसरों के फोटो सप्लाई किए जाते हैं । फिलहाल जिन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण किया जा रहा है उन पर संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

(ग) 14-1-80 (कांग्रेस सरकार के कार्यभार संभालने की तारीख) से 30-6-1980 तक कुल 2352 फोटो लिए गए । इनमें से, 1659 फोटो समाचारों से संबंधित थे, 620 लेखों में, 41 केन्द्रीय मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोहों के थे और केवल 32 मंत्रियों के चित्र थे ।

विवरण

लिखित शब्दों के माध्यम से प्रचार की अनुपूर्ति करने के लिए सरकार की गतिविधियों के बारे में बड़ी संख्या में फोटो सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों को सप्लाई किए जाते हैं । पंच-वर्षीय योजनाओं के अधीन विभिन्न विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में तस्वीरें इस सेवा का आवश्यक अंग हैं । फोटो लेने की पहली कसौटी यह है कि विषय समाचारों के योग्य होना अनिवार्य है । किन विषयों को फोटोग्राफिक प्रचार दिया जाना चाहिए, इस बात का निर्धारण करने के लिए विवेक का उपयोग किया जाता है । महत्व की बैठकों और सम्मेलनों को साधारण-तया सरकारी फोटो द्वारा कवर किया जाता है । पूर्णतः सचिवालयीय और सरकारी प्रचार के

हितों की तस्वीरों पर अधिक बल नहीं दिया जाता। समाचार फोटोग्राफिक सेवा उन घटनाओं पर आधारित होती है जो सारे देश में घटित होती हैं, न कि केवल उन घटनाओं पर जो दिल्ली में घटित होती हैं। व्यक्तित्व के हितों की तस्वीरों की अपेक्षा विकासात्मक क्षेत्र के ठोस समाचारों की तस्वीरों पर बल दिया जाता है। तथापि, इस प्रकार के अवसरों, जो फोटो लेने के योग्य होते हैं, का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) विभागीय प्रचार अधिकारी फोटो अधिकारियों को अपने मंत्रालयों के कार्यों के बारे में फोटो लेने और पालम हवाई अड्डे पर फोटो लेने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। सौंपी गई परियोजना के फोटो लेने के अतिरिक्त फोटो अधिकारी समीप की अन्य परियोजनाओं के भी अद्यतन फोटो लेते हैं।

(2) स्वाधीनता दिवस और गणतन्त्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर सरकारी समारोहों के फोटो लेने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जाते हैं। इन अवसरों पर लोगों के भाग लिए जाने को दिखाने के लिए कुछ सामान्य तस्वीरें जारी की जाती हैं।

(3) मंत्रिवों द्वारा दिए जाने वाले भोजों जैसे सामाजिक समारोहों के फोटो लिए जाते हैं, किन्तु जब इस प्रकार की पार्टियां अधिकारियों द्वारा दी जाती हैं तो इनके फोटो लेने से बचा जाता है। यदि इस प्रकार के समारोहों के फोटो लिए जाते हैं तो उनको केवल "फैमिना", "अनालुकर" और "ईव्ज वीकली" जैसी पत्रिकाओं को दिया जाता है।

(4) जिस अखिल भारतीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री भाग लेते हैं, उसके बारे में सभी मुख्य मंत्रियों को दिखाने वाले फोटो लेने की व्यवस्था की जाती है न कि केवल एक या दो मुख्य मंत्रियों को दिखाने की।

(5) राजदूतों तथा हाई कमिश्नरों के आगमन और प्रस्थान तथा उनके द्वारा राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए जाने के समय के फोटो लेने की व्यवस्था की जाती जाती है। किन्तु वाणिज्य दूतों और सन्देशवाहकों के आगमन और प्रस्थान के फोटो लेने की व्यवस्था नहीं की जाती।

(6) विदेशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और महत्वपूर्ण मंत्रियों जैसे आगन्तुक गणमान्य व्यक्तियों के सभी कार्यक्रमों के फोटो लिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों के विदेशों में आने-जाने के कार्यक्रमों के फोटो लिए जाते हैं।

पाकिस्तान से बाड़मेर (राजस्थान) की सीमा पार करके आने वाले शरणार्थी

3450. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच की सन् 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान से बाड़मेर (राजस्थान) आने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन शरणार्थियों को कितनी अवधि तक शिविरों में रखा गया था और उन पर कितना दैनिक तथा वार्षिक व्यय किया गया था; और

(ग) इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गई है और उन पर सरकार द्वारा अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगोन). (क) भारत-पाक संघर्ष, 1971 के दौरान लगभग 0,250 विस्थापित व्यक्ति पाकिस्तान से राजस्थान में आ गए। उनमें से 45,200 विस्थापित व्यक्तियों के 8608 परिवारों ने शिविरों में प्रवेश लिया--बाड़मेर के शिविरों में 8419 परिवार, जैसलमेर के शिविरों में 25 परिवार तथा जैलोर के शिविरों में 164 परिवार।

(ख) उन्हें 1971-72 से राहत शिविरों में रखा गया है। 1979-80 के दौरान 4300 परिवार पुनर्वास स्थलों पर भेजे गए और शेष परिवार अभी शिविरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं। शिविरों में इन विस्थापित व्यक्ति परिवारों के भरण-पोषण पर 1971-72 से 1979-80 तक किया गया औसत वार्षिक तथा दैनिक व्यय क्रमशः 157 लाख तथा 00.43 लाख रुपए है।

(ग) पुनर्वास स्थलों पर भेजे गए और भेजे जाने वाले अधिकांश परिवारों को कृषि व पशुपालन योजनाओं में बसाया जाएगा जबकि कुछ परिवारों को गैर कृषि व्यवसायों में बसाया जाएगा। इन योजनाओं पर कुल लगभग 11.40 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

राजस्थान के पाली जिले में पेट्रोल/डीजल पम्पों का आवंटन

3451. **श्री मूलचंद डागा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों की किन-किन श्रेणियों को पेट्रोल और डीजल पम्प लगाने की अनुमति दी जाती है और उसके लिये निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हुये हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान राजस्थान के पाली जिले में किन-किन स्थानों पर डीजल पम्प और पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति दी गई थी; और

(घ) क्या राजस्थान के पाली जिले में पेट्रोल पम्प और डीजल पम्प लगाने से संबंधित आवेदन अभी तक विचाराधीन पड़े हैं और यदि हां, तो कितने तथा कब से और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) एवं (ख) पेट्रोल तथा डीजल पम्पों की डीलरशिप सहित डीलरशिपें/ऐजन्सियां दिये जाने के लिये हाल ही में तैयार की गई नीति के अनुसार सभी नये डीलरों/एजेन्टों की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न वर्गों के लिए निम्नलिखित आरक्षण निर्धारित किये गये हैं :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25 प्रतिशत
युद्ध में अपंग हुये सैनिकों तथा युद्ध में शहीद हुये सैनिकों की पत्नियों के लिये	10 प्रतिशत
शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों के लिये	10 प्रतिशत

बेरोजगार स्नातकों/बेरोजगार इंजीनियरों के लिये	25 प्रतिशत
व्यापारिक आधार पर	30 प्रतिशत

इससे पहले सभी एजेन्सी/डीलरशिपों का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये और 2 प्रतिशत शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों के लिये आरक्षित रहता था और शेष 73 प्रतिशत व्यापारिक आधार पर दी जाती थी ।

किसी भी ऐसे व्यक्ति को नई डीलरशिप/एजेन्सी नहीं दी जायगी यदि उसके पति, पत्नी, भाई या पुत्र आदि जैसे निकट संबंधी के पास पहले से किसी तेल कम्पनी की डीलरशिप है। सम्बद्ध क्षेत्र में प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के पश्चात सभी नियुक्तियां की जानी चाहिएं । प्रत्याशियों में से चयन सम्बद्ध तेल कम्पनियों द्वारा इस उद्देश्य के लिये विधिवत रूप से गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा ।

(ग) एवं (घ) पाली जिले में दो फुटकर बिक्री केन्द्र, एक सेंडरू में और एक जैतपुर में वर्ष 1977-78 के दौरान स्वीकृत किये गये थे और यह वर्ष 1977-78 के दौरान चालू हुये थे।

पाली जिले में पिपलाया कलां में एक और फुटकर बिक्री डीलरशिप केंद्र के लिये 39 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। इनमें से 29 प्रार्थी 19.10.1979 को साक्षात्कार के लिये आये थे। इस बीच सरकार ने पेट्रोल पम्पों के डीलरों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया था जोकि अब उठा लिया गया है। सम्बद्ध तेल कम्पनी इस डीलरशिप के दिये जाने के लिये अन्तिम निर्णय लेने की कार्यवाही कर रही है।

जम्मू क्षेत्र में दुल-हस्ती पन-बिजली परियोजना

3452. **डा० कर्ण सिंह :** क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में जम्मू प्रदेश में दुल-हस्ती पन-बिजली परियोजना पर कार्य आरम्भ करने पर दृढ़ निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य कब आरम्भ होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) 5 फरवरी, 1979 को आयोजित एक बैठक में, जिसमें जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री ने भाग लिया था, यह निर्णय लिया गया था कि दुल-हस्ती परियोजना को क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय क्षेत्र में लिया जाए। इस परियोजना पर चालू वर्ष के दौरान कार्य शुरू हो जाने की आशा है।

पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर से विस्थापित व्यक्ति

3453. **डा० कर्ण सिंह :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर से बहुत से विस्थापितों के दावे अभी तक भारत सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किये गये हैं और उनका भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) और (ख)

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के शरणार्थियों के सबंध में कोई दावा पंजीकृत नहीं किया गया है। तथापि, पात्र आवेदकों को 31,683 रुपये का अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया गया है।

गुजरात में तीसरा उर्वरक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव

3459. **श्री अहमद एम. पटेल** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में तीसरा उर्वरक संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रस्ताव को अविलम्ब क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) गुजरात के हाजिरा नामक स्थान पर गैस पर आधारित दो उर्वरक संयंत्रों, 1350 टन प्रति दिन अमोनिया और लगभग इतनी क्षमता के साथ यूरिया, की स्थापना का निर्णय पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त गैस पर आधारित अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिए मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी ने सितम्बर 1978 में आवेदन किया था जिसके लिये कार्य प्रणाली के अनुसार आवश्यक व्यवहार्यता रिपोर्ट मार्च 1980 में प्रस्तुत की गई है। प्रस्ताव में 1350 टन प्रति दिन अमोनिया और 1800 टन प्रति दिन यूरिया की क्षमता के साथ वहरौच में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना सम्मिलित है।

(ग) परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता और सतीश चन्द्रन समूह, जिसने वेस्ट-कोस्ट आफशेर क्षेत्रों में गैस पर आधारित भावी उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न की जांच की है, की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर (एफ. ए. सी. टी.) उद्योग मंडल का उत्पादन

3455. **श्री बी० के० नायर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर उद्योग मंडल का उत्पादन और कुल बिक्री कितनी थी;

(ख) क्या वर्ष 1979-80 एक कीर्तिमान का वर्ष था;

(ग) क्या कम्पनी ने नवीकरण विस्तार और नया रूपकरण के लिये प्रस्ताव भेजे थे;

(घ) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है; और

(ङ) क्या इन अर्जियों पर विचार करते समय, हाल के पिछले कुल समय के कम्पनी के निष्पादन को अन्य उर्वरक इकाइयों की तुलना में उचित महत्व दिया जाएगा ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उद्योग मंडल प्रभाग और फेक्ट का कुल मिलाकर उत्पादन (न्यूट्रिसेन्टस के मामले में) नीचे दिया गया है :

उद्योग मण्डल प्रभाग

(टन)

	1975-76	1976-77	19777-78	1978-79	1979-80
नाइट्रोजन	45261	43080	49611	50594	51007
पी$_2$ ओ$_5$	21869	23333	27071	27793	28449
फेक्ट कुल मिलाकर					
नाइट्रोजन	112718	119276	133654	149977	163476
पी2 ओ5	21869	25475	55934	66797	59219

गत वर्षों के लिये फेक्ट की बिक्री निम्न प्रकार है :

वर्ष	रुपये करोड़ों में
1975-76	65.28
1976.77	66.33
1977-78	83-33
1978-79	87-35
1979-80	97-60

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) फेक्ट ने अपने उद्योग मण्डल एकक में उत्पादन के विविधीकरण के लिए प्रति वर्ष 50,000 टन क्षमता के साथ एक केप्रोलैक्टस संयंत्र के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । प्रस्ताव के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन शुरू किया गया है अन्तिम निर्णय इस कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात ही करना सम्भव होगा ।

(ड.) कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार करते समय कम्पनी की तकीनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को मुख्य तथ्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा ।

पाराद्वीप में उर्वरक संयंत्र

3456. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए पराद्वीप के अतिरिक्त किन अन्य स्थानों के बारे में विचार किया गया;

(ख) क्या प्रौद्योगिकीय जाँच के अनुसार पाराद्वीप सर्वोत्तम स्थान है; और

(ग) संयंत्र को स्थापित करने के स्थल के बारे में अन्तिम निर्णय लिये जाने के बारे में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) मांग को पूरा करने के लिए फास्फेटिक उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन अपर्याप्त होने के कारण छठी योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त फास्फेटिक उर्वरक संयंत्रों को लगाने के उपायों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन संयंत्रों के लिए पारादीप एक संभाव्य स्थल है और मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा पारादीप में संयंत्र लगाने की विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट को प्रोसेस किया जा रहा है।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण

3457. **श्री ब्रजमोहन महन्ती** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि पूरी राशि वितरित नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1978-79 के दौरान 3.73 करोड़ रुपये तथा 1979-80 के दौरान 3.50 करोड़ रुपये निर्धारित किये थे। दोनों वर्षों के दौरान निर्धारित समस्त राशि संवितरित भी कर दी गई थी।

उड़ीसा की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में गाद जमना

3458. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई जानकारी है कि अन्तर्राज्यीय नदी घाटी मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण के लिये पर्याप्त उपाय न किये जाने के कारण उड़ीसा की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में गाद जम रही है और इन प्राकृतिक परियोजनाओं की कार्यवाही तेजी से घट रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी वित्तीय दायित्व वहन करने में उपेक्षा के कारण इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जलाशयों में गादीकरण को कम करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भारत सरकार, कृषि विभाग ने नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्राज्यिक वाह्यक्षेत्रों में भू-संरक्षण को केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम प्रारम्भ की है। इस स्कीम के अन्तर्गत हीराकुंड (मध्य प्रदेश और उड़ीसा में), मचकुंड (उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में) और रेंगाली-मन्दिरा (बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में) को शामिल किया गया है। हीराकुंड और मच कुंड वाह्यक्षेत्रों में भू-संरक्षण का कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किया गया था जबकि रेंगाली-मन्दिरा का कार्यक्रम पांचवीं योजना के दौरान आरम्भ किया गया था। कृषि विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, हीराकुंड और मचकुंड जलाशयों में आने वाले और वहां से जाने वाले जल के आधार पर किए गये तलछटीकरण सर्वेक्षणों से पता चलता है कि गादीकरण की गति कम हुई है।

(ख) जी, नहीं । 1978-79 तक यह स्कीम राज्यों को दिये जाने वाले 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण से क्रियान्वित की जा रही थी । लेकिन बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार इस स्कीम को केन्द्र और राज्य के बीच 50 : 50 की हिस्सेदारी के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी के बदले ईरान से तेल की सप्लाई

3459. **श्री भीकूराम जैन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान ने भारतीय प्रौद्योगिकी के लिये अपना तेल देने की इच्छा व्यक्त की थी और इन दो देशों के बीच दीर्घकालिक करार के लिये बातचीत चल रही थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ईरानी प्रतिनिधि मंडल के भारत के दौरे के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी के बदले कच्चे तेल की सप्लाई के लिए लम्बी अवधि के समझौते के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्र से बिजली पैदा करने के लिए विद्युत संयंत्र

3460. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्र से बिजली पैदा करने के लिए एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे विद्युत संयंत्र किन तटीय स्थानों पर स्थापित किये जा सकते हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विद्युत उत्पादन में प्रयोग में आ सकने वाले समुद्री ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों यथा ज्वारीय विद्युत लहर विद्युत समुद्री ताप ऊर्जा का परिवर्तन तथा समुद्री प्रवाह में से विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर, ज्वारीय विद्युत ही उपयोग में लाये जाने योग्य है । ज्वारीय विद्युत के विकास की संभाव्यता पर विगत समय में प्रारंभिक अध्ययन किए गए थे तथा इस मामले में सलाह देने के लिये यू० एन० डी० पी० के एक विशेषज्ञ ने 1975 में इस देश का दौरा भी किया था । पश्चिमी तट पर कच्छ और खम्भात की खाड़ियाँ तथा पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र वे अभिज्ञात क्षेत्र हैं जहां पर ज्वारीय रेंज बहुत अधिक है और जहां पर ज्वारीय विद्युत का विकास किया जा सकता है । इसके विकास की स्कीमों को अन्तिम रूप देने तथा उनकी व्यवहार्यता तथा आर्थिक औचित्य सुनिश्चित करने के लिये विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण करने के लिये एक अन्तर-विधा युक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसके लिए विभिन्न संगठनों का सहयोग आवश्यक है । देश में

ज्वारीय विद्युत विकास के संबंध में अन्वेवण और अध्ययन के लिए आगे की जाने वाली कार्रवाई पर विचार करने तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में मई, 1979 में एक समन्वय समिति का गठन किया गया था।

समिति ते 207-11 लाख रुपयों के अनुमानित लागत से अन्वेषण करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसमें 5 वर्ष की अवधि के दौरान व्यय की जाने वाली लगभग 200,000 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा वाला भाग शामिल नहीं है। समिति ने ये सिफारिशें की हैं : (i) अल्पकालिक क्षेत्रीय अन्वेषण (ii) प्रयोगशाला अध्ययन (iii) दीर्घकालिक क्षेत्रीय अन्वेषण।

अन्वेषण कार्य अभी शुरू नहीं किए गए हैं।

मुजफ्फरपुर में एक औषध कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

3461. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर विहार में मुजफ्फरपुर स्थान पर एक औषध कारखाने की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक की जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) इन्डियन ड्रांस एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लि० ने मुजफ्फरपुर, उत्तरी बिहार में एक औषध कारखाना लगाया है जो शीघ्र ही चालू होने वाला है।

खाड़ी के क्षेत्र के तेलशोधक कारखानों से अशोधित तेल का आयात करने के बारे में निर्णय

3462. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खाड़ी के क्षेत्र में किसी तेल शोधक कारखाने में प्रोसेज किये जाने वाले लगभग 10 टन अशोधित तेल को प्राप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में निर्णय कब लिया गया था और तेल शोधक कारखाने का नाम क्या है और वह कहां स्थित है; और

(ग) उक्त व्यवस्था की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पीपल्स डेमोक्रेटिक गणतंत्र यमन की अदन स्थित एक तेल शोधनशाला से 1 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल के शोधन के प्रबन्ध किये गये हैं। समझौते पर 27-7-1979 को हस्ताक्षर किए गए।

(ग) समझौते की शर्तें बताना भारतीय तेल निगम के वाणिज्यिक हितों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के विपरीत होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रोजगार का आरक्षण

3493. **श्री छोतू भाई गामित** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभागों तथा सरकारी एककों में एककवार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए रोजगार का कितना प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है; और

(ख) क्या इस कोटे को बढ़ाने और उनके मंत्रालय के अन्तर्गत इसके समान करने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :. (क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न यूनिटों में अनुसूचित जातियों तथा/अनुसूचित जनजाति के लिए रोजगार आरक्षण कोटे रखे जा रहे हैं जोकि सम्बन्धित श्रेणियों के लिए रिक्तियों का 15 प्रतिशत तथा 7½ प्रतिशत हैं। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, इतर माध्यमों से श्रेणी III और IV के पदों/सेवाओं के लिए स्थानीय तथा क्षेत्रीय आधार पर की गई भर्ती के मामले में ये प्रतिशतताएं राज्य विशेष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात की प्रतिशतता पर आधारित होती है।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशता निर्धारित करना या इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार आरक्षण

3464. **श्री छोतू भाई गामित** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन विभागों तथा सरकारी एककों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार आरक्षण का प्रतिशत क्या है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय के अधीन इस कोटे में वृद्धि करके इनमें एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पान्डेय) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत स्थिति पर विचार करने के लिए दिल्ली में आयोजित बिजली मंत्रियों का सम्मेलन

3465. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में विद्युत स्थिति की कठिनाईयों के बारे में दिल्ली में हाल में आयोजित मंत्रियों के सम्मेलन में कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या वर्ष 1980-81 और उसके बाद की अवधि में राज्य में विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए उड़ीसा सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क से (ग) राज्यों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य था राज्य बिजली बोर्डों को अपने कार्य दक्षता पूर्वक करने में नई दिशा देना। बहुत से महत्वपूर्ण मामलों में आम सहमति थी जैसे जिन विद्युत केन्द्रों का कार्य निष्पादन मानक स्तर से कम है उनमें से प्रत्येक केन्द्र के लिए सुधार एवं नवीकरण दलों का गठन करना, प्रत्येक नई या निर्माणाधीन परियोजना के लिए कार्यान्वियन संबंधी एक व्यापक समय सूची तैयार करना तथा मुद्रा प्रवाह सम्बन्धी आवश्यकताओं की व्यापक सूची तैयार करना, विभिन्न विधाओं का व्यावसायिकरण, वित्त प्रबंध में और सप्लाईकर्त्ताओं के साथ कार्य व्यवहार में वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाना आदि। निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा इस सम्मेलन में की गई थी ताकि परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वियन करने में बाधा डालने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके।

उड़ीसा राज्य की विद्युत शक्यता को काम में लाने के लिए उड़ीसा सरकार के किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर इस सम्मेलन में विचार-विमर्श नहीं हुआ था यद्यपि उपर्युक्त विचार-विमर्श का एक हिस्सा उड़ीसा की स्कीमें भी थीं।

गुजरात द्वारा गैस पर रायल्टी की मांग

3466. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गैस पर रायल्टी में वृद्धि करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस समय गुजरात राज्य में गैस पर कितनी रायल्टी दी जाती है और कितनी वृद्धि की मांग की गई है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई गणनाओं में कुछ गलतियों के बारे में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उनका अन्तिम परिणाम क्या रहा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) गैस पर रायल्टी की अदायगी 6.60 रुपये प्रति 1000 घन मीटर की दर पर की जाती है और यह मांग की गई थी कि रायल्टी बढ़ा कर 20 रुपए प्रति 1000 घन मीटर की जाए।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टील सन्स प्राईवेट लिमिटेड के विरुद्ध जाँच आयोग

3467. **श्री निहाल सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील सन्स प्राइवेट लि० के विरुद्ध दिसम्बर, 1973 में धारा 237 (ख) के अन्तर्गत जांच आयोग नियुक्त किया गया था, यदि हां, तो इस बात के क्या कारण हैं कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है; और

(ख) इस कम्पनी के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा ऐसी कार्यवाही किन-किन तारीखों को की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्देशनों के अनुसरण में, स्टील सन्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्य कलापों की, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (क) (2) के अन्तर्गत जांच के लिए एक निरीक्षक नियुक्त किया गया था। जांच पूर्ण हो गयी है, एवं रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

(ख) जांच रिपोर्ट की एक प्रति, प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 241 (2) (घ) के पालनार्थ, दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, भेजी गई है। जांच रिपोर्ट की परीक्षा की जा रही है, एवं इस परीक्षा के पूर्ण हो जाने के पश्चात्, इसमें जो भी कार्यवाही औचित्यपूर्ण होगी, की जाएगी।

बम्बई उत्तरी प्लेट फार्म पर कार्य स्थगित होना

3468. **श्री राम विलास पासवान :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री : यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उत्तरी प्लेट फार्म पर कुछ समय के लिए कार्य स्थगित कर दिया गया था; यदि हां, तो किसके आदेश से;

(ख) क्या इससे प्रति दिन 120 लाख रुपए की हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो वास्तव में कितनी हानि हुई और उसमें से कितनी राशि विदेशी ठेकेदारों को दी गई; और

(घ) इस हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उत्तर बम्बई प्लेट फार्म पर निर्माण कार्य कभी स्थगित नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विटामिनों का देशीय उत्पादन

3469. **श्री ए० नीलालोहिथादसन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विदेशी तकनीकी जानकारी और सहयोग का प्रयोग किए बिना भारत में आजकल पूर्ण रूप से औषध-निर्माण ग्रेड के कौन-कौन से विटामिनों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या भारत में अभी किन्हीं विटामिनों आदि अथवा विटामिनों और जीवन रक्षक औषधियों और औषधियों के उत्पादन के लिए रसायनिक इण्डरमिडीयेटस का आयात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो 1975-80 तक के वर्षों में प्रत्येक वर्ष, कुल कितने मूल्य का ऐसा आयात किया गया था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) फिलहाल भारत में सिर्फ डी० एल० पैन्थेनोल और विटामिन के^{3} का वगैर विदेशी जानकारी के उत्पादन किया जाता है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) वर्ष 1975-76 से 1979-80 के दौरान एन्टीबायोटिक्स के विटामिन और मध्यवर्ती का कुल आयात निम्न प्रका है :

(रुपये लाखों में)

वर्ष	आयात का कुल मूल्य
1975–76	276.93
1976–77	300.47
1977–78	778.55
1978–79	961.45
1979–80 (अप्रैल से फरवरी तक)	1025.90

पेट्रोलियम उत्पादों में कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावट करने वाले व्यक्ति

3470. **श्री के० मालन्ना :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मई 1980 के दौरान विभिन्न राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के कितने चोर बाजारियों, जमाखोरों और मिलावट करने वालों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी वस्तुओं का वितरण का कार्य सहकारी क्षेत्र समितियों और इसी प्रकार की अन्य स्वयंसेवी संगठनों को देने का विचार है ताकि लोगों को यह वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित दरों पर मिल सकें; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) अपेक्षित आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । जब भी सुपरबाजार सहकारी समितियां खुदरा एजेंट नियुक्त होने के लिए दिये गये विज्ञापनों के संदर्भ में आवेदन करते हैं, उन पर भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है ।

राजस्थान में सिंचाई के लिए गंगा तथा यमुना से नहरों द्वारा पानी ले जाना

3471. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्या केन्द्र सरकार राजस्थान के झुनझुनु, चूरू, सीकर तथा नागौर जिलों में सिंचाई के लिए नहरों द्वारा गंगा तथा यमुना नदियों का पानी ले जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि इन स्थानों को सिंचाई के लिए 30 हजार क्यूसेक पानी की सप्लाई के लिए एक योजना तैयार की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) 1975 में राजस्थान के मुख्य इंजीनियर ने चुरू लिफ्ट सिंचाई स्कीम की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें राजस्थान के चुरू और झुनझुनू जिलों में 1.39 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की परिकल्पना की गई थी । इस स्कीम में 3,000 क्यूसेक जल के—अंशतः गंगा से और अंशतः यमुना से—के उपयोग का प्रस्ताव है । उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उनकी प्रस्तावित स्कीमों के पूरा हो जाने के बाद गंगा में कोई फालतू जल नहीं बचेगा । जहां तक यमुना के जल का संबंध है, उसे संबंधित बेसिन राज्यों के बीच बांटने के प्रश्न को अभी सुलझाया जाना है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि वेत्ता कांग्रेस की "दिल्ली घोषणा"

3472. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1959 में नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विधि वेत्ता कांग्रेस में, जिसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पारित "दिल्ली घोषणा" को क्रियान्वित करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की है;

(ख) इस कांग्रेस की कितनी सिफारिशों को न्यायिक प्रक्रिया में अपनाए जाने के लिए कानूनी रूप दिया गया था;

(ग) "न्यायिक प्रक्रिया" विषयक सामग्री का इस देश में क्या परिणाम रहा; और

(घ) क्या सरकार इसके पूर्ण तथ्य सभा पटल पर रखेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) "दिल्ली

घोषणा'' अथवा वह घोषणा जो ''दिल्ली की घोषणा'' के नाम से ज्ञात है जनवरी, 1959 में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय विधि-वेत्ता कांग्रेस द्वारा पारित की गई थी। इस कांग्रेस में 53 देशों के 185 न्यायाधीश, विधि व्यवसाय करने वाले वकील और विधि शिक्षक थे। इसका आयोजन विधि वेत्ताओं के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के तत्वाधान में हुआ था। यह अन्तर्राष्ट्रीय आयोग स्वयं एक गैर सरकारी निकाय है किन्तु इसे संयुक्त राष्ट्र आयोग की परामर्शी प्रास्थिति प्राप्त है। इस कांग्रेस के निष्कर्ष सभी सरकारों को लागू होते हैं और वे अत्यंत साधारण प्रकृति के हैं। जिनका संबंध विधान मण्डल कार्यपालिका, दान्डिक प्रक्रिया और न्यायपालिका के कार्यकरण, विधि व्यवसाय तथा विभिन्न अन्य विषयों से, वहां तक होता है जहां तक उनका संबंध विधि शासन से है। इस कांग्रेस की सिफारिशों अथवा उसके निष्कर्षों की प्रकृति अत्यन्त साधारण होती है और वे सभी सरकारों को सम्बोधित होते हैं। यह कांग्रेस स्वयं एक ऐसा निकाय हे जिसका संगठन, स्थापना या संयोजन भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए भारत सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को स्वीकार करने और उन्हें कानूनी रूप देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हमारा संविधान विधि-शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा पर आधारित है। सरकार के सभी अंग विधि की प्रमुखता को स्वीकार करते हैं और हमारी सम्पूर्ण विधि और न्याय पद्धति का लक्ष्य विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतन्त्रता तथा प्रास्थिति और अवसर की समानता जो हमारे संविधान के मुख्य उद्देश्यों में से है, की रक्षा करना और विधि-शासन को सम्यक् अर्थ प्रदान करना है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधियों, दवाइयों और पेय ऐल्कोहल के विनिर्माण पर निगरानी

3473. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को औषधियों तथा पेय ऐल्कोहलों के विनिर्माण पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों द्वारा सम्बन्धित राज्यों में उपरोक्त वस्तुओं के विनिर्माण पर रखे जाने वाले नियंत्रण से सम्बन्धित ब्यौरा प्राप्त हो गया है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में बने ठर्रे और विदेशी शराब में एल-पडीहाइडस और फयूसंसालोल की हानिकारक प्रतिशतता निहित होती है जिनसे सेवन करने वालों में जिगर की बीमारी हो जाती है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अन्तर्गत और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत औषधों के उत्पादन और विक्रय पर नियंत्रण, राज्य सरकारों को सौंपा गया है। औषध निरीक्षकों द्वारा उत्पादन और विक्रय अहातों के लाइसेंसिंग और निरीक्षण पद्धति के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। जहाँ तक औषध के उत्पादन पर नियंत्रण का सम्बन्ध है सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा दिये गये लाइसेंस के

अतिरिक्त किसी भी औषध या दवाई का उत्पादन नहीं किया जा सकता है । औषध और प्रसाधन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत औषधों और दवाईयों के उत्पादन के लिए लाइसेंस मंजूर करने से पूर्व लाइसेंसिंग अधिकारी को अपने आप को सन्तुष्ट करना है कि उत्पादन के लिए आवेदक के पास पर्याप्त जगह उपकरण और विहित योग्यता के सक्षम तकनीकी कर्मचारी हैं और उन्होंने अपने द्वारा उत्पादित औषध और अपने उत्पाद में प्रयुक्त कच्चे माल के परीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की है । लाइसेंस की मंजूरी के बाद लाइसेंसधारी का लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करना है और इस उद्देश्य के लिए औषध निरीक्षकों द्वारा उनके उत्पादन अहाते के निरीक्षण की भी शर्त है । औषध निरीक्षकों द्वारा उत्पादन और विक्रय दोनों अहातों से परीक्षण के लिए औषधों/दवाइयों के नमूने लिये जाते हैं जिससे परखा जा सके कि वे अधिनियम और नियमों के विहित मानक के सदृश्य हैं कि नहीं ।

जहां तक पेय अल्कोहल के उत्पादन का सम्बन्ध है, उसे राज्य उत्पाद विभाग के पर्यवेक्षण में किया जाता है ।

(ग) केरल में उत्पादित ठर्रा और विदेशी शराब में अलडीहाइडस और फसालोल में निहित हानिकारक प्रतिशतता के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । केरल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य उत्पाद विभाग की कड़ी निगरीनी में शराबों का उत्पादन किया जाता है ।

नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिये योजना की अवधि निरन्तर बढ़ाते रहने के आशय

3474. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली सप्लाई की भारी कमी को देखते हुए नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिजली लगाने की योजना की अवधि निरन्तर बढ़ाते रहने के आशय क्या हैं; और

(घ) 19,000 मेगावाट की अतिरिक्त प्रजनन क्षमता पैदा करने के लिए सरकार ने किस विशिष्ट आधार पर काम करने की योजना बनाई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण एक सतत कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत उद्योगों, कृषि पम्पसेटों/ट्यूबवैलों और घरेलू उपयोग तथा वाणिज्यिक कार्यों आदि के लिए बिजली का विस्तार किया जाता है । विद्युतीकरण के कार्यक्रम बनाते समय विद्युत उत्पादन के वर्तमान स्तर को और नई परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त बिजली को भी ध्यान में रखने के लिए पूरे-पूरे प्रयास किए जाते हैं । साथ ही, चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होने के समय से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत सप्लाई का विस्तार मुख्यतः सिंचाई पम्पसेटों/ट्यूबवैलों को उर्जित करने के लिए किया जाता है ताकि कृषि कार्यकलापों को बढ़ावा मिले । गांवों का विद्युतीयकरण केवल आनुषंगिक कार्य है । ऐसा भी देखा गया है कि अधिकांश राज्यों में कृषि भारों के कारण समकालिक अधिकतम मांग का अनुमान कुल संबद्ध भार के 35% से 40% के बीच लगाया गया है । समस्त देश में विद्युत की आम कमी को मद्देनजर रखते हुए, देश के विभिन्न राज्यों में उद्योगों पर भिन्न-

भिन्न स्तर की 10 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की विद्युत की कटौतियां लगाई गई थीं। तथापि सभी राज्यों में कृषि भारों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित प्राथमिकता दी जा रही है। इसका ध्यान रखते हुए यह महसूस किया जाता है कि देश के और क्षेत्रों को विद्युतीकृत करने के लिए विद्युत सप्लाई की स्कीम का विस्तार करने में ज्यादा कठिनाइयां नहीं हैं।

(ख) विद्युत विकास के लिए योजना बनाना एक सतत प्रक्रिया है। पंचवर्षीय योजनाएं बनाते समय विद्युत की अनुमानित मांग का ध्यान रखा जाता है और भावी समयावधि में मांग को पूरा करने के लिए नई परियोजनाएं अभिज्ञात की जाती हैं। आगामी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए भी परियोजनाएं अभिज्ञात की जाती हैं, क्योंकि विद्युत परियोजनाओं को पूरा होने में लम्बा समय लगता है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, 1980-85 की समयावधि के दौरान स्वीकृत और निर्माणाधीन स्कीमों से 19,303 मेगावाट की वृद्धि होने की संभावना है। विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग भी नजदीक से केन्द्रीय स्तर पर की जाती हैं।

कोयले की कमी के कारण बम्बई में सूती कपड़ा मिलों का चन्द होंना

3475. **श्री आर० के० महालगी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कोयले की अत्याधिक कमी के कारण बम्बई में अनेक सूती कपड़ा मिलें बन्द होने को हैं;

(ख) इन सूती कपड़ा मिलों का कोयले का सामान्य उपभोग कोटा कितना है और जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 1980 के दौरान उनको वास्तव में कितनी मात्रा की सप्लाई की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि यदि ये मिल बन्द हो जाते हैं तो रक्षा विभाग के लिए तथा निर्यात के लिए किये गए करारों को पूरा न होने के अतिरिक्त हजारों मिल मजदूर अपनी मजूरी से हाथ धो बैठेंगे; और

(घ) उनको कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए तथा इस प्रकार जबरन उनको बन्द न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयले की कमी के बारे में बम्बई की सूती मिलों से रिपोर्टें मिली हैं। किन्तु, कोयले की कमी से कोई मिल बन्द हुई है इसकी रिपोर्ट नहीं मिली।

(ख) बम्बई क्षेत्र में सूती मिलों को कोयले की सप्लाई का कार्यक्रम तथा गत चार महीनों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से की गई वास्तविक सप्लाई इस प्रकार है :

('000 टन)

	कार्यक्रम	प्रेषण
जनवरी, 80	49.4	19.7
फरवरी, 80	50.1	29.0
मार्च, 80	52.2	22.3
अप्रैल, 80	54.1	19.6

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० जो कि बम्बई वस्त्र उद्योग के लिए कोयले का सप्लायर है कोयले को संचलन के अधिकतम करने के लिए रेलवे के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखता है। इसके अलावा प्रायोजित मात्रा का जो कोयला रेलवे संचलन से बच जाता है उसे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० सड़क द्वारा ले जाने की अनुमति देती ही है ।

कोयले के रेल संचलन की सभी स्तरों पर देखरेख की जाती है, इसमें उद्योगों के लिए आधारभूत सामग्री हेतु गठित मंत्रिमंडल समिति भी शामिल है ।

उपभोक्ताओं और उद्योगों को कम दरों पर कोयले की सप्लाई

3476. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य उपभोक्ताओं और उद्योगों को सस्ती दरों पर कोयला सप्लाई करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां । उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर साफ्ट कोक की उपलब्धि बढ़ाने की दृष्टि से कोल इंडिया लि० ने कुछ महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों में कोयला डम्पों द्वारा साफ्ट कोक के वितरण के लिए योजनाएं लागू की हैं ।

केरल में केप्रोलेक्ट परियोजना स्थापित करना

3477. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नायलोन के लिए आधारभूत मूल कच्चे माल केपरोलेक्टम बनाने के लिए एक प्रतिष्ठित परियोजना जी. एस. पी. सी. के उसकी वर्तमान क्षमता का विस्तार करने सम्बन्धी दावे की अवहेलना करके केरल में स्थापित की जायेगी;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारत में नया संयंत्र स्थापित करने की तुलना में जी. एस. पी. सी. में प्रसार सुविधा प्रदान करने पर कम विदेशी मुद्रा खर्च होगी और केपरोलेक्टम की प्रति टन कुल पूंजी लागत भी कम होगी;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि जी. एस. पी. सी. 30 महीने की अल्पावधि में प्रसार कार्य पूरा कर सकती है जबकि कोई अन्य कम्पनी इस काम के लिए 72 महीने लगायेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने निर्णय में फेर बदल करने या पुनर्विचार करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) केप्रोलेक्टम के उत्पादन के लिये अतिरिक्त सुविधा उत्पन्न करने तथा स्थान निर्धारण करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) केप्रोलेक्टम के उत्पादन के लिये मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी द्वारा अपने वर्तमान प्लांट के विस्तार करने के प्रस्ताव सहित अतिरिक्त सुविधा उत्पन्न करने के विभिन्न विकल्पों के गुणों का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

पेट्रोलियम और डीजल पर भारत की ऊर्जा संबंधी निर्भरता

3478. **श्री रेणु पद दास :** क्या **ऊर्जा और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: पेट्रोलियम और डीजल की खपत में असामान्य वृद्धि दर तथा इनके भारी आयात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत में ऊर्जा की मांग को जलाऊ लकड़ी, कृषि अवशेष, पशुओं के गोबर जैसे परम्परागत (गैर-वाणिज्यिक) स्रोतों से तथा ऊर्जा के आधुनिक प्रकार (वाणिज्यिक स्रोतों) से जैसे कोयला, तेल उत्पाद तथा बिजली आदि दोनों तरह से पूरा किया जाता है। ऊर्जा की गैर-वाणिज्यिक किस्मों का योगदान ऊष्मा उपयोगिता के रूप में ऊर्जा की कुल खपत का लगभग 60 प्रतिशत है। 1953-54 से लेकर 1978-79 तक की अवधि के दौरान ऊर्जा की खपत, मूल यूनिटों में नीचे सारणी में दी जाती है :

	वाणिज्यिक ऊर्जा			गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा		
वर्ष	कोयला (मीटरी टन)	तेल (मीटरी टन)	बिजली (यूनिट)	जलाऊ लकड़ी (मीटरी टन)	कृषि अवशेष (मीटरी टन)	पशु गोबर (मीटरी टन)
1953-54	28.7	3.7	7.6	86.3	26.4	46.4
1960-61	40.4	6.7	16.9	99.6	30.6	54.6
1970-71	51.4	15.0	48.7	117.9	36.3	64.6
1975-76	71.0	17.8	66.0	133.1	41.0	73.0
1978-79	68.8	21.7	84.4	—	—	—

एक व्यापक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का निर्धारण करने के लिए ऊर्जा स्थिति की विस्तृत समीक्षा 1975 में आरंभ की गई थी। 1976 से, जब भारत सरकार द्वारा ऊर्जा नीति अपनाई गई थी, ऊर्जा के क्षेत्र में देश और विदेशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में अपतटीय गैस की जो खोजें हुई हैं तथा अपतटीय क्षेत्र से तेल के उत्पादन में जो प्रगति हुई और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों और उपलब्धता के बारे में जो अनिश्चितता है उसकी पृष्ठभूमि में, ऊर्जा स्थिति की विस्तृत समीक्षा करने, ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एक परिप्रेक्ष्य का विकास करने तथा उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम समुपयोजन के लिए उचित नीति संबंधी उपायों की सिफारिश करने के लिए तत्कालीन सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1979 में प्रस्तुत की है। इष्टतम स्तर के अनुसार ही ऊर्जा की मांग सीमित रखने के लिए काफी संख्या में उपाय तथा ऊर्जा की प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु देश में ऊर्जा

संसाधनों के विकास के लिए नीति संबंधी सुझाव इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। इन उपायों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

(1) घरेलू ऊर्जा उत्पादन (कोयला, जल विद्युत तथा न्युक्लीय इत्यादि) को अधिकतम करना तथा पुनः पूर्ति किए जाने वाले ऊर्जा संसाधनों पर अधिक भरोसा करना।

(2) ऊर्जा के दूसरे स्रोतों को प्रयोग में लाकर तेल की खपत की वृद्धि को नियंत्रित करना।

(3) ऊर्जा के समुपयोजन में दक्षता-कुशलता लाकर ऊर्जा के उपयोग का संरक्षण; तथा

(4) ऊर्जा के नए स्रोतों का विकास करना।

कार्यकारी दल की सिफारिशों से उत्पन्न हुए सभी प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए फरवरी, 1980 में एक मंत्रिमण्डलीय ऊर्जा समिति गठित की गई है। इस समिति को (फरवरी, 1980 में ही गठित) सचिवों की समिति की भी सहायता प्राप्त है। ऊर्जा के संरक्षण के लिए तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता में कमी करने के उपायों के लिए दीर्घकालीन निर्माण क्रिया-कलाप आवश्यक हैं तथा यह आवश्यक है कि वृद्धि के लिए योजना कौशल का सहारा लिया जाए तथा मांग सीमित रखने के लिए नीति संबंधी विशिष्ट उपाय किए जाएं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

ल्यूब आयल का पुनः परिष्करण किये जाने का प्रस्ताव

3479. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के एपलाइड मैकेनिक्स विभाग के प्रो० वी० वी० ए० राव ने उप-उत्पादों के उत्पादन के लिए ल्यूब आयल का पुनःपरिष्करण और पुनः-शोधन करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस पहलू का अध्ययन किया है; और

(ग) क्या रेलवे, विद्युत एकक और सरकारी उपक्रम तेल का पुनःपरिष्करण नहीं करते, यदि हां तो देश में प्रतिवर्ष इस्तेमाल किये हुए ल्यूब तेल की मात्रा कितनी होती है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस पहलू का अध्ययन किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पास पुनः शोधन करने वालों के पंजीकरण की एक योजना तैयार की गई है और स्नेहक तेलों के अनुशासित ढंग से पुनः शोधन करने को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है।

(ग) कुछ एकक इस समय स्नेहक तेलों का आंशिक रूप से पुनःपरिष्करण करते हैं। प्रयोग हुए तेलों की पुनः शोधित सही-सही मात्रा के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ईरान से सस्ती दरों पर तेल की सप्लाई

3480. **श्री नवीन रवांणी :** क्या पेट्रोलियम, उर्वरक, तथा रसायन मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय ईरानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारिक विनियम के लिए हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) क्या अमरीका तथा कुछ यूरोपीय देशों द्वारा ईरान पर लगाये गये व्यापार प्रतिबन्ध के बाद भारत को ईरान से तेल की और सप्लाई सस्ती दरों पर मिलेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) इसका प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के समय विशेष रूप से जिक्र नहीं हुआ ।

बागपत की घटना के बारे में लोक सभा में हुई कार्यवाही का जालन्धर के उर्दू समाचार पत्र द्वारा कथित गलत विवरण प्रकाशित किया जाना

कई माननीय सदस्य खड़े हुए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कोई सभा का समय नहीं ले सकता । पहले आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बा) श्रीमान, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हां, अब आप बोलिए ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : आप किस नियम के अधीन अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से प्रश्न मत पूछें । मैंने उन्हें अनुमति दे दी है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह हम सभी के लिए उदाहरण बन जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें नियमों के अनुसार अनुमति दी है । उन्होंने नोटिस दिया था और मैंने अनुमति दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, मेरा निवेदन उन चार घटनाओं के बारे में है, जोकि पिछले दिनों घटी हैं·····

अध्यक्ष महोदय : मुझे घोषणा करनी है । कृपया आप बैठ जाइए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरी बात सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुनें । मुझे दो घोषणाएं करनी हैं ।

30 जून, 1980 के श्री मनी राम बागड़ी ने सभा में शिकायत की थी कि जालन्धर के उर्दू दैनिक 'हिन्द समाचार' ने उनके बागपत काण्ड के बारे में वक्तव्य को गलत रूप से छापा । मैंने

देखा है कि पी. टी. आई. ने समाचार को सही ढंग से सम्मिलित किया तथा उक्त समाचार पत्र ने उसे गलत ढंग से प्रकाशित किया। समाचार पत्र से श्री वागड़ी के वक्तव्य के गलत रूप में प्रकाशित करने के लिये स्पष्टीकरण मांगा गया था।

मुझे 'हिन्द समाचार' के सम्पादक का पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की है। 'हिन्द समाचार' के सम्पादक द्वारा खेद प्रकाशन को स्वीकार कर लिया जाये और इस मामले को बन्द कर दिया गया समझा जाये।

(व्यवधान)

———

स्थगत प्रस्ताव के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु : *

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। मेरे पास बहुत से स्थगत प्रस्ताव आए हैं। ये श्री हरिकेश बहादुर, श्री राम विलास पासवान, श्री अटल विहारी वाजपेयी, श्री मनी राम बागड़ी, श्री चित्त बसु, श्री निरेन घोष, श्री वसुदेव आचार्य, आचार्य, श्री मुकन्द मंडल, श्री अजित कुमार शाह, श्री रूप चन्द पाल, श्री दीनेन भट्टाचार्य से प्राप्त हुए हैं। ये सभी सदस्य तथा अन्य माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें।

मुझे कमजोर वर्गों विशेष रूप से हरिजनों की स्त्री-पुरुषों के जीवन और सम्मान की रक्षा करने में सरकार की असफलता, आदिम जाति महिलाओं के कथित बलात्कार और कुछ महिलाओं पर पुलिस की ज्यादतियों तथा अत्याचारों के बारे में बहुत से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन अत्याचारों से सभी सदस्य तथा आम जनता उत्तेजित है। यद्यपि कानून तथा व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य सरकारों का विषय है, परन्तु हरिजनों तथा कमजोर वर्गों पर अत्याचार के मामले कई राज्यों में हुए हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि सभा में शीघ्र इन पर विचार किया जाना चाहिए। हम 15 से 17 तक गृह मंत्रालय की मांगों पर 10 घंटे की चर्चा करना पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर चर्चा के लिए इस अवसर का उपयोग करें।

इसलिए इन हालात में मैं स्थगन प्रस्तावों के रूप में इन मामलों पर चर्चा पर अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय दसु : श्रीमान, आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं अथवा नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप निर्णय पर क्यों पहुंचते हैं। मुझे अभी भी कुछ कहना है। आप मुझे इस प्रकार चुनौती नहीं दे सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं भी आपसे तथा उनसे चुनौती को स्वीकार नहीं करता।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीरेन घोष : मेरा एक निवेदन है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए । मुझे पूरे सदन की इच्छाओं का पता है । हम सभी इन मामलों से उत्तेजित हैं । ऐसी बातें नहीं होनी चाहिएं ।

(व्यवधान)

आप व्यवधान क्यों डालते हैं ? इस प्रकार नहीं (व्यवधान) आप पुनः व्यवधान डाल रहे हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं देता.....

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : यदि आप इतने उत्तेजित हैं तथा पूरे सदन में इस मामले पर चिन्ता है तो आप स्थगन प्रस्ताव पर सहमत क्यों नहीं हो जाते । इसमें हानि ही क्या है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । श्री चन्द्र शेखर, हम इस मामले पर तीन चार बार चर्चा कर चुके हैं और पुनः हम कर रहे हैं.....

श्री चन्द्र शेखर : क्या आपने इस मामले में गृह मंत्री से बातचीत की है । क्या वह इस मामले पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं ? क्या आप सरकार से इसके लिए समय निकालने को कहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कर सकता हूं । कृपया सुनिए । यदि आप इस पर चर्चा करने को इतने उत्सुक हैं तो मैं गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा पहले करा देता हूं । क्या आप इसे पसंद करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं जी ।

श्री चन्द्र शेखर : यदि आप ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय दे देते हैं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास 10 घंटे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : क्या आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव बोल रहे हैं । कृपया उन्हें सुनें ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने ठीक ही कहा है कि पूरे सदन को इसकी चिन्ता है । मुझे खुशी है कि आप पूरे सदन की चिन्ता को समझते हैं । मैं 10 दिन पूर्व आपके कक्ष में आपसे मिला था । मैंने आपसे निवेदन किया था कि सभी विपक्षी नेताओं की गृह मंत्री और यदि आवश्यक हो तो प्रधान मंत्री के साथ बैठक की व्यवस्था करें क्योंकि हमारी महिलाओं की भारी बेइज्जती हो रही है । हमारे राष्ट्र के लिए यह शर्म की बात है । पूरे देश में महिलाओं के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार के समाचारों पर ध्यान दें । (व्यवधान) यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति के साथ अत्याचार का नहीं है । श्रीमान, देश में बहुत बुरी एवं बर्बरतापूर्ण घटनाएं हो रही हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मंत्री से बैठक बुलाने को कहा था तथा वह सहमत हो गये हैं.....

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा प्रश्न है कि क्या आप इस मामले पर अब चर्चा नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले चर्चा कर लेने दें।

श्री चन्द्रजीत यादव : गृह मंत्री ने सभा को बताया था कि कार्यवाही की जा रही है। अब क्या वह हमें बतायेंगे कि क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर)* :

अध्यक्ष महोदय : यह गलत है। अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बिना प्रमाण के तार को प्रमाणिक नहीं मान सकता। मैं सुनी सुनाई बातों पर इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ (कानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पूरा सदन इन घटनाओं से चिन्तित है। सभी को इस बात की फिक्र है, सभी की यह कोशिश है, सरकार की सबसे ज्यादा कोशिश है कि इस तरह की घटनायें न हों। लेकिन काम रोको प्रस्ताव निन्दा के प्रस्ताव के बराबर होता है इसलिए उसकी ग्राह्यता का प्रश्न है, वह ग्राह्य हो सकता है या नहीं। (व्यवधान) जब सरकार अपने संवैधानिक दायित्व पूरे करने में नाकामयाब हो तभी कामरोको प्रस्ताव आ सकता है और शांति-व्यवस्था का जो दायित्व है वह राज्य सरकारों का है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : आपके इस सुझाव से कि इस मामले पर गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय चर्चा कर ली जाये, काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप सहमत होंगे.....

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर तीन बार चर्चा कर चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु नई घटनाएं हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : पूरे मामले पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पूरा सदन उत्तेजित है क्योंकि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इसलिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय इस पर चर्चा करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। मंत्री महोदय उपस्थित हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, कि वह वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं तथा क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्यों ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं। सवाल सदन की चर्चा का नहीं है, यह सदन इस देश का आईना है और इस देश के प्रतिनिधि लोक सभा में बैठ करके उनकी तकलीफों का निराकरण करते हैं। काम रोको प्रस्ताव सरकार की निन्दा है और निन्दा करने के लिए ही रखा गया है। यह प्रस्ताव सिर्फ बहस के लिए नहीं है, यदि उधर के सदस्य यह समझते हैं, तो यह बात गलत है और इससे बड़ी नाकामयाबी और कोई नहीं हो सकती । ऐसी बात नहीं है कि औरत के ऊपर दूसरी बार चर्चा हो रही है..... (व्यवधान).....हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए।

श्री वी० किशोरचंद्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : आमतौर पर इन बातों पर अलग से चर्चा की जाती है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इसे गृह मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों से जोड़े जाने से वाद-विवाद का उद्देश्य पूरी तरह समाप्त हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं समझता हूं कि सदस्य पसंद करेंगे कि सभा नियमों के अनुसार चले.....(व्यवधान).....यह सभा का व्यवहार रहा है कि जब संबद्ध मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होती है तब नियम 184 अथवा 192 की अनुमति नहीं दी जाती। व्यावहारिक स्थिति यह है कि जब सभा में चर्चा होती है तब दूसरा अवसर नहीं दिया जाता। गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है तथा इन मामलों का संबद्ध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के साथ है, इन सब पर उसके अन्तर्गत चर्चा की जा सकती है।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : आनरेबल स्पीकर साहिब, हाउस के सम्मान योग्य मैम्बर साहेबान का एजीटेटिड होना कुदरती बात है।.....

श्री हरिकेश बहादुर : आप रिजाइन कर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं, सारे बीच में बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : इस पक्ष के लोग ही क्यों.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किसी बात को गलत मत समझिये..(व्यवधान)...देखिये—यह रेसिप्रासिटी है...चन्द्रशेखर जी, यही बात है...मेरा किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, मेरे लिये सारा हाउस बराबर है...मेरी बात सुनिये...हरिकेश बहादुर जी बीच में बोले, तब जाकर यह गड़बड़ शुरू हो गई। मैंने इतना कहा है—आप सारे चुप रहें, तो यह बात करें...यह करने के लिए तो मैंने गृह मंत्री महोदय से कहा था। अतः मत जानिए कि मैं किसी के साथ भेद-भाव कर रहा हूं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो हर व्यक्ति को बोलने का हर सम्भव अवसर दे रहा हूं। इस सदन में बिना किसी भेद-भाव के मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं। मैं दो दिन इस सदन में आया हूं--एक दिन पहले और एक दिन आज...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने अनुमति दी है...और उनका नाम बुलाया है...नहीं...

श्री चन्द्र शेखर : और दोनों दिन आपने जिस गुस्से का इजहार किया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये आप को सुनाने के लिये जोर से बोलता हूं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं।

श्री चन्द्र शेखर : सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चले और प्रतिष्ठा-पूर्वक चले, यही मेरा इरादा है...

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : आप* बोलते हैं कि दो बार आये...

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं* बोलता हूं। कम से कम कांग्रेस पार्टी की नेता और ज्ञानी जैल सिंह यह साहस आज तक नहीं कर पाये कि मुझको कहें कि मैं* बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द ठीक नहीं है, यह गलत बात करते हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा है--वह एक्सपंज कर दिया जाय । उस शब्द को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री चन्द्र शेखर : आप हमको रोक सकते हैं--लेकिन ऊंची आवाज से मुझको रोका नहीं जा सकता...

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, मैं तो सुनना चाहता हूं, रोकना नहीं चाहता हूं। इसीलिये आप दूसरे लोगों को भी समझाइये...

श्री चन्द्र शेखर ; मैं माननीय ज्ञानी जैल सिंह से कहना चाहता हूं कि यह समस्या एक गम्भीर समस्या है, इसको पार्टी का मामला न समझें। यह निन्दा का सवाल नहीं है, चिन्ता का सवाल है। इसलिये इस पर, ज्ञानी जी, अच्छा होगा अगर इस मामले पर तुरन्त बहस करें और देश को बतलायें...

(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : इस ओर के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। इस पर मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। उस ओर के माननीय सदस्य,

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु को तरह उठकर, यदि उन्हें पीठ अनुमति दे देता है तो, परन्तु इस ओर के लोग नहीं, हम घाटे में हैं।

श्री जैल सिंह : आनरेबिल स्पीकर साहब, ऐसी दुर्घटनाओं के प्रति आनरेबिल मेम्बर साहबान का बेचैन होना कुदरती बात है और मैं इस बात के लिये ..(व्यवधान)...आप सुन तो लीजिये...इस बात की जितनी भी निन्दा की जाय, मैं उनके साथ हूं। मगर देखना यह है कि कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें गलत हैं। कुछ बातें बढ़ा-चढ़ा कर कही गई हैं और कुछ बातें दुरस्त कही गई हैं।... (व्यवधान)... और आनरेबिल स्पीकर साहब, हमारे आनरेबिल मेम्बर श्री ज्योतिर्मय बसु हमेशा इसी बात की कोशिश करते हैं कि वे बड़े जोर से और लच्छेदार शब्द बोलकर दबाव डालें लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि वे फँस भी जाते हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनें और शान्ति से सुनें।

(व्यवधान)

आनरेबिल स्पीकर साहब, आपने दो, तीन बार दो, तीन अच्छे मौके दिये और इस सबजेक्ट पर डिस्कशन हुआ और मुझे इस बात की खुशी है कि उस डिस्कशन में पालीटकल बातों को छोड़कर सिद्धान्त रूप में अपने देश की परम्परा को कायम रखने के लिए और देश में स्त्री जाति, वीकर सेक्शन्स, बच्चों और जो दूसरे लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए हमको उपाय करने चाहिए उसके लिए मेम्बरों ने सुझाव दिये लेकिन मैं यह कहता हूं कि इन बातों पर हमारा सबका ध्यान जरूरी है। इसके अलावा सब से ज्यादा जिम्मेदारी जो है वह गृह मंत्री की है, यह मैं मानता हूं पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं यह प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप कृपा करके हाऊस के मेम्बर साहबान को बताएं कि ये बातें जो हो रही हैं क्यों वे प्रान्तीय सरकारों से ताल्लुक रखती हैं या नहीं, यह स्टेट सब्जेक्ट है या नहीं ?···(व्यवधान)···मैं तो इस बात के लिए भी तैयार हूं। जो भी आप कहते हैं, मैं मान लेता हूं, मगर···

"खलके खुदा तुमको कुछ और कहती है।"

मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि अगर हम स्टेट सब्जेक्ट पर, सेन्टर स्टेट सब्जेक्ट पर बार-बार दखल देगा, तो रियासतों और केन्द्र के जो ताल्लुकात हैं, उनमें बिगाड़ आएगा। आज तमाम प्रान्तों की एसेम्बलियों के सेशन हो रहे हैं, यह डिस्कशन वहां उन सेशन्स में होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जैल सिंह : पासवान जी, आपको तो कुछ शान्त रहना चाहिए। आप अच्छे भले आदमी मालूम होते हैं। आप इतनी गर्मी में क्यों आते हैं। आप चाहे जो भी हो कहें।

(व्यवधान)

श्री जैल सिंह : मैं बागपत की बात को जानता हूं। आप भी जानते हैं और इसका क्या नतीजा निकलेगा, वह भी जानते हैं। पालीटिकल पार्टीज उसका क्या फायदा उठाना चाहती हैं, यह भी मैं जानता हूं। मासूम औरत की इज्जत को लेकर अपने हाथ में आप उसको उछाल रहे हैं। मैं इसको भी जानता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि क्या मतलब था जलूस निकालने का, क्या मतलब था जलसा करने का। आप बताइए। अगर आप यह नहीं बताते, तो आप क्या करेंगे।

एक माननीय सदस्य : पुलिस अफसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप स्टेट्स होम मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाएंगे । अगर यह स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप स्टेट्स के होम मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाइए और इस पर कार्यवाही कीजिए ।

श्री जैल सिंह : मैं आनरेबल श्री चन्द्रजीत यादव के सुझाव को पूरे गौर से देखूंगा । लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट के लिए कानून कड़े करने के लिए, मजबूती से हाथ डालने के लिए, समाज की कोआप्रेशन लेने के लिए, इन बातों को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैंने एक पत्र भी लिखा है । तमाम प्रान्तीय सरकारों और होम सेक्रेटरी की मीटिंग बुलायी है । उसमें हम इस पर विचार करेंगे । अगर जरूरत पड़ी तो होम मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टरों की मीटिंग भी बुलायी जाएगी और अपोजिशन के नेताओं से भी बात कर ली जाएगी । इससे मुझे खुशी होगी । लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि कुछ टाइम मिलना चाहिए । हमें इन बातों को भी देखना चाहिए, और आपको मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में कुछ ऐसी बातें होती रही हैं कि ऐसी घटनाओं को थानों में रजिस्टर नहीं किया जाता था । (व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं, आप कह लीजिए । (व्यवधान) स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर कुछ कहना चाहते हैं, वह क्या कहना चाहते हैं, पहले वह कह लें । (व्यवधान) आप बताइये, मैंने आपकी बात सुनी नहीं है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । जो कुछ भी वे कह रहे हैं कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए ।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचना

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7(क) के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 361 की एक प्रति, जो दिनांक 29 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 1979 की अधिसूचना संख्या 1013 में कतिपय संशोधन किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1037/80)

कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) तीसरा संशोधन नियम, 1980, कम्पनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की समीक्षार्थ विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत, (निक्षेप की स्वीकृति) तीसरा संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 24 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 380 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।
(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० -1028/80)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की समीक्षा संबंधी उच्च-अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन* (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० -1029/80)

नामरूप-III उर्वरक परियोजना और थाल वैसट उर्वरक प्रायोजना के बारे में श्वेत पत्र

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नामरूप-III उर्वरक प्रायोजना के बारे में श्वेत पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1030/80)

(2) थाल वैसट उर्वरक प्रायोजना के बारे में श्वेत पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालव में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1031/80)

वर्ष 1980-81 के लिए रक्षा मन्त्रालय की विस्तृत मांगें और रक्षा सेवाएं प्राक्कलन, 1980-81

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1980-81 के लिये रक्षा मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० -1032/80)

(2) रक्षा सेवाएं प्राक्कलन, 1980-81 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० -1033/80)

"इस समय पर श्री ज्योतिर्मय बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन छोड़कर चले गये ।"

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 30-8-78 को सभा पटल पर रखा गया था ।

वर्ष 1980-81 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी—1034/80)

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त तथा विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1977-78 और 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुन्गन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) प्रत्यावासी सहकारी वित्त तथा विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1035/80)

(2) प्रत्यावासी सहकारी वित्त तथा विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1036/80)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने का समाचार

अध्यक्ष महोदय : श्री वापूसाहेब पुरुलेकर। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। श्री रामावतार शास्त्री। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। डा० सरदिश राय। माननीय उपस्थित नहीं हैं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के० लकप्पा (तुमकूर): मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर स्वास्थ्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मेरा निवेदन है कि वे उस पर एक वक्तव्य दें;

दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में कनिष्ठ डाक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का समाचार जिससे शहर के अनेक अस्पतालों में अनिवार्य सेवाओं में विघ्न पड़ा है।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री : महोदय, लगभग पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत डाक्टरों ने किसी न किसी बहाने से करीब बारह बार हड़तालें कीं। केवल हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जूनियर डाक्टर 54 दिनों तक हड़ताल पर रहे थे। ईन्टर्नों ने भी कई बार इन हड़तालों में हिस्सा लिया।

2. अस्पतालों में कार्यरत यह तथाकथित जूनियर डाक्टर वास्तव में जूनियर और सीनियर रेजीडेंट्स हैं। जूनियर रेजीडेंट्स वे एम० बी० बी० ऐस० स्नातक हैं जो स्नातकोत्तर डिग्रियां लेने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार सीनियर रेजीडेंट्स वे स्नातकोत्तर डाक्टर हैं जो दूसरे स्तर की विशेषज्ञता अथवा अर्हताएं प्राप्त करने के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन्टर्नस वे हैं जो एम० बी० बी० एस० डिग्रियां लेने से पहले अनिवार्य व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार यह पता चलेगा कि इन्टर्न तथा यह जूनियर डाक्टर मूल रूप से छात्र तथा प्रशिक्षणार्थी हैं। इस तथ्य के बाबजूद भी इन जूनियर डाक्टरों को हर मास 800 से 1400 रुपये तक का पारिश्रमिक दिया जाता है और इनमें अधिकांश को निःशुल्क आवास भी दिया जाता है जो देश के अनेक अन्य हिस्सों में उनके साथियों को मिलने वाले पारिश्रमिक से काफी अधिक है !

3. इन जूनियर डाक्टरों का वर्तमान आन्दोलन मुख्यतः इस बात को लेकर है कि उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों के बराबर माना जाए जबकि वे किसी भी रूप में नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। जैसाकि सदन को मालूम है कि सरकारी डाक्टर स्थापित प्रक्रिया के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। विस्तृत प्रतियोगिता चयन का ऐसा तरीका जूनियर डाक्टरों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए दाखिले पर लागू नहीं होता है विशेषकर जबकि दिल्ली में उनमें से बहुत बड़ा प्रतिशत आरक्षण के आधार पर दाखिल किया जाता है। अतः किसी भी सूरत में इन डाक्टरों को नियमित रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के समान नहीं माना जा सकता।

4. यह हड़ताल दिल्ली में जूनियर डाक्टरों द्वारा 5 जुलाई, 1980 से की जा रही है जिसमें अधिकांश इन्टर्न भी शामिल हो गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोग इन अस्पतालों में रोगी परिचर्या के लिए रखे गये 1500 व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रहे और उन्हें वे सब असुविधाएं और कष्ट उठाने पड़ रहे हैं जिनसे वे बच सकते थे। इस परिस्थिति में यद्यपि अस्पताल की सेवाओं को पूर्ण रूप से चलाए रखना संभव नहीं है फिर भी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित कदम उठाये हैं कि इमरजैंसी तथा अन्य ऐसी अनिवार्य परिचर्या सेवाओं को, जिनमें बाह्य रोगी सेवाएं भी शामिल हैं अधिक फेर बदल किये बिना चलाये रखा जाये। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए डाक्टरों को भर्ती करने के उपाय भी किए जा

चुके हैं। लोगों को कम से कम असुविधा हो इसके लिए इमरजैंसी चिकित्सा सेवाएं उनके घरों के निकट उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं से जनता को अवगत भी करा दिया गया है ।

5. मैंने इस स्थिति के सभी आवश्यक तथ्य मूल्यांकन हेतु माननीय सदस्यों के समक्ष रख दिये हैं। पीड़ित लोग डाक्टरों से यह अपेक्षा करते हैं कि यह डाक्टर सब बातों से ऊपर रोगी की देखभाल और उसकी तकलीफों को दूर करने के कार्य को महत्व दें । मुझे आशा है कि यह डाक्टर रोगियों के हित में तथा अपने भविष्य के हित में अपनी इस हड़ताल को समाप्त कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

श्री के० लकप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, जब...

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मेरे नाम का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष महोदय ने आपको बुलाया तो आप अपने स्थान पर उपस्थित नहीं थे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह गलत प्रक्रिया है मैं यहां उपस्थित था ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष महोदय ने आपका नाम पुकारा तो आप अपने स्थान पर नहीं थे । अतः उन्होंने श्री लकप्पा का नाम पुकारा ।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मैं सदन में ही था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको विशेष रूप से बुलाया जायेगा ।

डा० सरदीश राय : मैं तो सदन में ही था परन्तु मेरा नाम नहीं पुकारा गया ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : उपाध्यक्ष महोदय, आपके तशरीफ लाने से पहले अध्यक्ष महोदय यहां बैठे थे । जब हाउस से वाकआउट हुआ और उसके बाद कालिंग अटैंशन मोशन स्पीकर साहब ने लिया तो उन्होंने शुरू से एक-एक करके नाम बुलाया । यहां सारे सदस्य मौजूद हैं आप इसकी जानकारी ले सकते हैं । जब स्पीकर साहब ने इनको बुलाया तो यह यहां सदन में मौजूद नहीं थे, यह वाक–आउट कर चुके थे ।

इस हाउस में सदन का यह फंक्शन है, प्रैक्टिस है और कायदा रहा है कि जब किसी सदस्य को बुलाया जाता है, अगर वह एपसेंट हो तो दूसरे को बुला लिया जाता है और फिर दोबारा उसे नहीं बुलाया जाता है । मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या आप इस फंक्शन के तरीके और प्रैक्टिस को तोड़ना चाहते हैं और क्या हाउस में एक मेम्बर को एक दफे बुलाने के बाद, अगर वह नहीं है और दोबारा आ जाता है तो क्या उसको दोबारा बुलाया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मामले पर विचार करूंगा । तब तक श्री लकप्पा बोलेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : या आप कहें कि अब हमें नहीं बोलना चाहिए । आप स्पष्ट निर्णय दीजिए कि इन लोगों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । आप इस पर अपना विनिर्णय दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं थोड़ी देर बाद विनिर्णय दूंगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : महोदय, हमें अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह तो नहीं कहा कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी । अब मैं अपना विनिर्णय देता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा नाम दूसरा है पहला नाम अनुपस्थित था । उसके बाद सभा पटल पर पत्र रखे गये और कुछ लोग उठ कर सदन से बाहर चले गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पहले से ही बोल रहे हैं और वे अब मध्य में पहुंच गए हैं । उन्हें अपनी बात समाप्त करने दो तब मैं आपके निवेदन पर अपना विनिर्णय दूंगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : पहले आप निर्णय लेकर अपना विनिर्णय दें ।

उपाध्यक्ष महोदय: रामावतार शास्त्री जी क्या आप यह निवेदन कर रहे हैं कि चूंकि आप यहां उपस्थित नहीं थे आपको बोलने का समय दिया जाए ?

श्री रामवतार शास्त्री : यथार्थतः ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह निवेदन पीठ से है ?

श्री रामावतार शास्त्री : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर विचार किया जाएगा । अब श्री लकप्पा जी ।

श्री रामवतार शास्त्री : उस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं है । प्रश्न यह है कि मुझे अनुमति पहले मिलनी चाहिए । यही मेरा निवेदन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आपकी अनुपस्थिति में मैं श्री लकप्पा को पहले ही बोलने के लिए कह चुका हूं और अब वे अपनी आधी बात कह चुके हैं और मंत्री महोदय पहले ही उत्तर दे चुके हैं अब आप सभा में उपस्थित हो गए हैं और पीठ से निवेदन कर रहे हैं । आप एक उदार व्यक्ति की तरह फिर से सदन में आ गए हैं और आप निवेदन कर रहे हैं । (व्यवधान) । आप अपना जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं और मैं इस बात की सराहना करता हूं । यद्यपि आप सदन से उठकर चले गए थे परन्तु मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि चूंकि आप जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं । मैं उस स्थिति को समझता हूं और उसका सम्मान करता हूं । इसलिए श्री लकप्पा को बोलने दिया जाए । मैं आपके निवेदन पर निर्णय लूंगा । अब श्री लकप्पा जी ।

डा० सरदीश राय : मैं इस सदन में तो उपस्थित था, यद्यपि अपने स्थान पर नहीं था । पेपर पर मेरा नाम परिचालित किया गया था । परन्तु आपने मेरा नाम नहीं बुलाया और इस लिए आपने मुझे अनुमति नहीं दी है ।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इनसे यह पूछिए कि इन्होंने वाकआउट किया है या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरदीश जी, मेरे विचार से आपका नाम भी पुकारा गया था और आप सदन में उपस्थित नहीं थे ।

डा० सरदीश राय : मैं सदन में उपस्थित था, परन्तु मेरा नाम नहीं पुकारा गया। विरोधस्वरूप अब मैं इस सदन से उठकर जाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बुलाया तो आपको गया था, परन्तु आप उपस्थित नहीं थे।

(तत्पश्चात माननीय सदस्य डा० सरदीश राय और एक अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गये।)

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्री निरेन घोष सदन से उठकर चले जाने के बाद, लौटकर सदन में आये तथा श्री सरदीश राय और श्री रामावतार शास्त्री को सदन से उठकर चले जाने की धमकी दी। धमकियों के बावजूद श्री रामावतार शास्त्री ने तो बाहर जाने से मना कर दिया पर उनकी पार्टी के सदस्य श्री सरदीश राय सदन से उठकर चले गये। मैं व्यवस्था के इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य जो वाक आउट कर गया हो, फिर से सदन में आकर उन सदस्यों को डरा धमका सकता है जिन्होंने वाक आउट नहीं किया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। श्री लकप्पा।

श्री रामावतार शास्त्री : खड़े हुये·····

उपाध्यक्ष महोदय : आप जिद्द न करें। मैं बीच में आपको नहीं कह सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका अपना विचार हो सकता है किन्तु मुझे सभा की कार्यवाही उन नियमों और विनियमों के अनुसार चलानी है जिसके लिये आप और मैं उत्तरदायी हैं।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : माननीय स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य को मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ा है।

हम देखते हैं कि गत कुछ दिनों में शहर के अस्पतालों की दशा पूर्णतः अस्तव्यस्त हो गई है। जो कुछ हो रहा है उस पर इस देश के लोगों को विचार करना चाहिये। अस्पतालों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही के कारण 31 रोगियों की मृत्यु हुई है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या जहां तक ऐसी आवश्यक सेवाओं का सम्बन्ध है जो रोगियों की सेवा में लगी हुई हैं, उन्हें हम अस्पतालों को अस्त-व्स्वत करने के लिए संगठित प्रयास करने दें।

मेरी डाक्टरों की अधिक वेतन, सुविधाओं की मांगों के प्रति काफी सहृदता है किन्तु मैं नहीं समझता कि उन्हें अपनी मांगों के लिए अस्पतालों के कार्य को अस्तव्यस्त करने दिया जाये। मंत्री महोदय के वक्तव्य में उन सुविधाओं का उल्लेख भी किया गया है जिनकी उन्होंने मांग की है। अपनी मांगों पर जोर देने का उनका वैध अधिकार है किन्तु क्या उन्हें अस्पतालों के कार्य को अस्तव्यस्त करने दिया जाये, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने दिया जाये जिसमें रोगी दाखिल न हों और सेवा के अभाव में दाखिल रोगियों की मृत्यु हो ? आज यही स्थिति है।

लोग बार-बार अपने प्रतिनिधियों को स्मरण कर रहे हैं कि अस्पतालों का प्रशासन सुधारा जाये। अतः समय आ गया है कि मंत्री महोदय इस स्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करें।

दुर्भाग्यवश गत दो वर्षों में स्वास्थ्य मंत्रालय एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया था जो न विचारशील थे और न उन्हें इस बारे में ज्ञान था। वह अस्पतालों को धर्म शालाओं की तरह चला रहे थे। वे अस्पतालों तथा प्रशासन में अपनी पसंद के लोग लाये और बड़े-बड़े अस्पताल अभी भी ऐसे लोगों से भरे हुए हैं। मैं यह बात स्वास्थ्य मन्त्री के ध्यान में लाया और मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार समस्त देश में तथा स्वास्थ्य मंत्रालय में अस्त-व्यस्त स्थिति है। सौभाग्य से लोगों ने अपना निर्णय दिया है और अब स्वास्थ्य मंत्रालय एक गतिशील नौजवान के प्रभार में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे समस्त अस्पतालों के कार्यचालन की समीक्षा करने जा रहे हैं तथा उनके प्रशासन में सुधार ला रहे हैं।

अस्पतालों में काफी अनुशासनहीनता है और जहां तक अस्पतालों के कार्यकरण का सम्बन्ध है सेवा सम्बन्धी मामलों में बहुत ज्यादा भेद-भाव है। यदि डाक्टरों की उचित शिकायतें हैं तो मंत्रालय तक उन्हें पहुंचाने अथवा अस्पताल के सम्बद्ध अधिकारियों को उनकी जांच करने के लिए कहने का एक तरीका है। किन्तु जो कुछ उन्होंने किया है वह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल उनके मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और वे डाक्टरों को हड़ताल करने के लिए उकसा रहे हैं जिससे हस्पतालों में न केवल अनुशासनहीनता ही पैदा हो किन्तु सरकार भी इसमें ऐसी बने और सरकार के विरुद्ध कीचड़ उछाला जाये।

इस मामले की बारीकी से जांच की जानी चाहिए क्योंकि अस्पतालों में ऐसे अधिकारी हैं तथा प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं। उनकी आपस में प्रतिद्वन्दता है और ये प्रतिद्वन्दी युवा डाक्टरों को भड़का रहे हैं तथा ये युवा डाक्टर इनके जाल में और इस षड्यंत्र में फंस गये हैं। इस प्रकार ये वामपंथी राजनीतिक दल ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं और इस प्रयत्न में हैं कि समस्त अस्पताल का कार्यकरण अस्त-व्यस्त हो। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में इसकी अनुमति है? इस देश के लोग दुख उठा रहे हैं। वे अधिक चिकित्सा सुविधाओं, चिकित्सा सहायता, अधिक दवाइयों और अस्पतालों की मांग कर रहे हैं किन्तु दुर्भाग्यवश अस्पतालों में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वे भी उन्हें नहीं दी जा रही हैं। लोगों को अस्पतालों में डाक्टरों से अथवा सम्बद्ध अधिकारियों से आवश्यक इलाज नहीं मिल रहा है।

जहाँ तक डाक्टरों की समस्याओं का सम्बन्ध है तथा कनिष्ट डाक्टरों का सम्बन्ध है जो प्रशिक्षण के दौरान अस्पतालों में ड्यूटी देते हैं और सेवा करते हैं गत कई वर्षों में कई बार बात-चीत हुई है। इस सारी स्थिति से देश में एक धूमिल तस्वीर बन गई है पिछली सरकार के दौरान कई बार बातचीत असफल रही थी। इसका कारण स्थिति को तथा डाक्टरों की वास्तविक शिकायतों और मांगों को न समझना हो सकता है। देश के सीमित एवं उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत इन्हें सभी सुविधाएं देने में हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सारी स्थिति की समीक्षा करेंगे जिसे पिछली सरकार ने गत 2-3 वर्षों में अस्पतालों तथा प्रशासन को चलाने में पैदा किया था तथा क्या वह समस्त प्रशासन में आमूल सुधार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पतालों में अधिक अच्छा वातावरण बने तथा स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं में इस प्रकार की हड़तालें न हों। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस स्थिति के टकराव के आधार पर नहीं किन्तु परस्पर सूझ-बूझ से निपटें। मेरा उनसे यह भी निवेदन है कि वह डाक्टरों से अपील करें कि वे हड़ताल

न करें जिसका आवश्यक सेवा पर असर पड़ता है और जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का सम्बन्ध है एक स्वस्थ वातावरण बनाएं तथा प्रशासन और लोगों के बीच विश्वास पैदा करें मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने इस स्थिति से निपटने के लिए वास्तव में क्या कदम उठाये हैं और उठाने का विचार है तथा हड़ताली डाक्टरों और प्रशासन के बीच समझौते का तथा विश्वास का वातावरण बनाने और स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों के समस्त प्रशासन में आमूल सुधार करने तथा उसे स्वच्छ बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं। इससे जनता के दिमाग में विश्वास पैदा होगा जिससे आज कठिनाई हो रही है।

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से रोगियों की समस्या तथा दिल्ली के लोगों के दुखों को सभा के ध्यान में लाया गया है।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री लकप्पा दुखी जनता के कल्याण तथा डाक्टरों की शिकायतों से बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं। देश को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हमें लोगों के कल्याण की चिन्ता नहीं होती और जब तक हमारा उद्देश्य लोगों की सेवा करना नहीं होता है, स्थिति में सुधार नहीं होगा। डाक्टरों और अस्पतालों का काम समाज की सेवा करना है। अस्पताल लाभ कमाने वाली संस्थाएं नहीं हैं। ये फैक्ट्रीयां या मिलें नहीं हैं जहां तक मालिक और कर्मचारियों के बीच औद्योगिक सम्बन्ध होते हैं और जहां कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मालिक मजदूर या कर्मचारी के परिश्रम से धन कमाता है। किन्तु यहां लाभ कमाने की कोई धारणा नहीं है। यदि कोई धारणा है तो यही है कि समाज की सेवा करनी है। दुखी मनुष्यों की सेवा करना ही अस्पतालों का उद्देश्य है। मुझे खेद है कि डाक्टर अपने आपको फैक्टरियों में मजदूरों की बराबरी पर ला रहे हैं। एक डाक्टर का आदर्श दुखी मनुष्यों की सेवा करना है यही बात उसके मन में सर्वोपार होनी चाहिए। यही कारण है कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि डाक्टरों के दिमाग में इस विचार को, जो कि एक आदर्श विचार है, महत्व देना चाहिए और उन्हें काम पर वापस आना चाहिए।

मैंने आपसे कहा है कि ये डाक्टर नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। सभा को मालूम है कि उनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है किन्तु अन्य लोगों को जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग से की जाती है निःशुल्क आवास नहीं दिया जाता है। सभा मुझे एक भी ऐसा मामला बताएं जिसमें सघ लोक सेवा आयोग से भर्ती किये गये किसी कर्मचारी को निःशुल्क आवास मिला हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। किन्तु इस मामले में कनिष्ट रिहायशी डाक्टरों को हम निःशुल्क आवास, पानी तथा बिजली दे रहे हैं और हम उन्हें काफी अच्छा वेतन दे रहे हैं क्योंकि हमें उनके प्रशिक्षण के दौरान उनकी सेवा मिलती है। सभा इस बात को देखे कि डाक्टरों की मांगें क्या हैं और क्यों उन्होंने हड़ताल की है। पहली मांग यह है कि उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी माना जाये और उन्हें रोजगार तथा पदोन्नति की वे सभी सुविधाएं दी जानी चाहिएं जो नियमित सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त हैं तथा वे सभी सेवा शर्तें जो नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है उन पर भी लागू होनी चाहिए। दूसरी माँग कार्य के घंटों के बारे में है तथा तीसरी मांग आवास समस्या के बारे में है।

जहां तक आवास का सम्बन्ध है. उनकी लगभग 80 प्रतिशत समस्या का समाधान हो चुका है। हम रातों रात मकान नहीं बना सकते। देश की अर्थ-व्यवस्था कठिनाइयों से गुजर रही है

और अस्पतालों की अर्थ-व्यवस्था समस्त देश की अर्थ-व्यवस्था से अलग नहीं है। काम के घंटों तथा आवास सम्बन्धी समस्याओं पर सरकार द्वारा सहृदयता से विचार किया जाना चाहिए और हमने इन मांगों पर विचार करना बन्द नहीं किया है। वास्तव में सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी.....

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यदि आपने विचार करना बन्द नहीं किया है तो आप क्यों उनके साथ बात नहीं करते और मामले को नहीं निपटाते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। कृपया उन्हें मेरे पास लाइए। मैंने दरवाजे बन्द नहीं किये हैं। वास्तव में यदि आपको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रिहायशी डाक्टरों से बात करने का अवसर मिला होता जिन्होंने अभी अपनी हड़ताल समाप्त की है तो आपको मालूम होता कि मैं कितना सहृदय हूं। उन्होंने मुझे उनके प्रति मेरी सहृदयता के बारे में लिखा है।

श्री जी० एम० बनातवाला : कृपया उस सहृदयता को जूनियर डाक्टरों के प्रति भी दिखाएं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं दिखाने के लिए तैयार हूं किन्तु आना तो उनको है और उन्हें इसे लेना है।

अतः इन परिस्थितियों में मैं डाक्टरों की शिकायतों पर विचार करने के लिए तैयार हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि वे अपनी हड़ताल समाप्त करें और तब मेरे पास आयें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान, जो मेरे पत्र के जवाब में उन्होंने उत्तर दिया है, इस पत्र की कुछ लाइनों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं :

"मैंने माननीय सदस्यों के विचारार्थ स्थिति की कुछ आवश्यक बातें बता दी हैं। मरीज लोग यह आशा करते हैं कि डाक्टर सभी बातें भूल कर उनका धैर्य के साथ दुःख दूर करें। मैं आशा करता हूं कि जो डाक्टर हड़ताल कर रहे हैं वह मरीजों की चिकित्सा करने तथा अपने भविष्य के हित में हड़ताल समाप्त कर देंगे।"

मैं यह कहना चाहता हूं, जो आपने सलाह दी है वह तो बड़ी नेक सलाह है और मैं समझता हूं कि आप इसी विशालता से आगे भी सोच रहे हैं। 1975 में जब डाक्टरों ने 96 दिनों के लिए हड़ताल की थी, तब उस समय भी स्वास्थ्य विभाग ने उनको आश्वासन दिया था, क्या वे आश्वासन पूरे हुए ? जो करतार सिंह कमेटी ने जांच की थी, क्या वे आश्वासन भी पूरे हुए ? आपको डाक्टरों ने 5 जून, 1980 को एक ज्ञापन दिया, एक मैमोरेंडम दिया, लेकिन 5 जून से लेकर 20 जून तक आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर 4 जुलाई, 1980 को श्री बजाज, एडिशनल डायरेक्टर जनरल को फिर एक मैमोरेंडम दिया, लेकिन 5 जुलाई को भी वे उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। आज हैल्थ मिनिस्टर की एक बात तो ठीक है कि आज जो हालत हास्पिटल्स की हुई है, वह हम जानते हैं।

कल टी० वी० पर एक ऐसा फोटो आया कि जहां पर डाक्टर मरीजों का इलाज कर रहे थे वहीं पर श्री ओ० पी० खुल्लर का भी इलाज हो रहा है, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि

टेलीविजन में उनके पति को डाक्टरों एवं नर्सों से घिरा हुआ दिखाया गया है, जबकि वहां केवल फोटो खिचवायी गई थी और मेरे पति को किसी डाक्टर ने नहीं देखा है । यह काम की प्रोपैगेंडा पर्यंजेज के लिए अच्छा है ।

मैं एक बात स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे शिक्षा मंत्री होते हुए भी आज आप अपने हृदय की विशालता का परिचय दे रहे हैं कि आप उनसे बात करना चाहते हैं; लेकिन 20 जून तक आपने डाक्टरों से बात नहीं की । वे चाहते हैं कि हमारी बात सुन ली जाये । न उनकी बात डायरेक्टर जरनल सुनता है, न एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुनता है, उनकी बात कोई नहीं सुनता है । उनसे 48 घण्टे काम लेते हैं .....

श्री एम० एम० ए० मलिक खां : यह बात गलत है ।

श्री मूल चन्द डागा : डाक्टरों ने 36 घण्टे की कम्पलेंट की है, लेकिन 48 घण्टे उन्होंने बतलाया है । आज हिन्दुस्तान में 18,000 डाक्टर हैं, वे विदेशों में जाने की कोशिश करते हैं, क्यों ? क्योंकि हम उनको सुविधायें नहीं दे सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें—मैं यह जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हूं—कि वे टाक्टरों को बुलाकर उनकी बात सुन लेगें और उनकी बात को सुनकर यह आश्वासन देंगे कि जो बात सही होगी, तो जो न्याय वे दे सकते होंगे, वे देगें ।

मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टर आज भी मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आपका रवैया और आपके विभाग का रवैया उनके प्रति अनुकूल नहीं है । 5 जून, 1980 को नोटिस देने के बाद भी 20 जून तक आपने उनकी सुनवाई नहीं की । मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक्टरों को बुलाकर यदि आप उनसे बात करें और आश्वासन दें, तो वे हड़ताल वापिस लेने के लिए तैयार हैं । लेकिन यह कहां का न्याय है कि 1600 जूनियर डाक्टर्स अपनी बात कहना चाहते हों और ज्ञापन देने के बाद भी आप उनकी बात नहीं सुनें ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस लोक कल्याणकारी राज में हर आदमी के कुछ अधिकार होते हैं और अधिकारों की रक्षा करना, उनकी मांग को सुनना हमारा फर्ज है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक बैठ कर बात कर लें और वे स्ट्राइक वापस लेने को तैयार हैं । क्या आप इसका आश्वासन देंगे ? मैं इस काम के लिये जिम्मेदारी लेता हूं, वे डाक्टर आप से आकर बात करना चाहते हैं, आप टाइम दीजिये, वे स्ट्राइक वापस लेने को तैयार हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य, श्री मूलचन्द डागा श्रमिक नेता हैं और वह इन समस्याओं में रुचि लेते हैं और उन्हें सामूहिक सौदेबाजी और बात-चीत में रुचि है वह इस बात में विश्वास रखते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने रेजिडेन्ट डाक्टरों की ओर से बोलने का दायित्व लिया है ।

उन्होंने अनेक प्रश्न उठाये हैं । उन्होंने कहा है कि रेजिडेन्ट डाक्टरों ने 5 जून को स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया पर 20 जून तक उनसे कोई नहीं मिला ।

सदन को याद होगा कि जब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेन्ट डाक्टर हड़ताल पर थे और हम सभी लोग उनकी समस्याएं सुलझाने में संलग्न थे, उसी अवधि में यह

बात हुई और दुर्भाग्य से इस बारे में मुझे नहीं बताया गया। यही सब कुछ हुआ, जिससे सदन अवगत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के रेजिडेन्ट डाक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। इस तथ्य से ही यह पता चलता है कि स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनके प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाया। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि हम उनकी सभी समस्याओं पर विचार करेंगे और उनका समाधान खोजेंगे। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया तो उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेन्ट डाक्टर हमारी इस सहानुभूति के बारे में जानते हैं और अन्य रेजिडेन्ट डाक्टर, जिन्होंने उन डाक्टरों की हड़ताल की सहानुभूति में हड़ताल की थी, वह भी इस सहानुभूति के बारे में जानते हैं। यह बात स्पष्ट है और सबको मालूम है। मैंने बार-बार कहा है कि मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरा दिल खुला है और मेरे मन में इन युवा डाक्टरों के लिये सहानुभूति का कोई अभाव नहीं है जो दुःखी जनता की सेवा कर रहे हैं।

श्री डागा ने श्री ओ० पी० खुल्लर के नाम का उल्लेख किया है—मुझे इस बारे में मालूम नहीं कि उनका केवल फोटो लिया गया और उनकी चिकित्सा नहीं की गई। मेरे विचार से इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि श्री डागा तथा यह सदन जानता है कि किस प्रकार इन अस्पतालों के वरिष्ट डाक्टर कार्य कर रहे हैं। वह दिन-रात कार्य कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। इस हड़ताल के कारण वह एक मिनट का भी आराम किये बगैर दिन-रात लगातार कार्य कर रहे हैं और दुःखी जनता की सेवा कर रहे हैं और हमें इस प्रकार की कोई बात नहीं कहनी चाहिए, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अतः मैं श्री डागा से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने मन से इस बात को निकाल दें कि यह मात्र प्रदर्शन है और चिकित्सा नहीं की जा रही है। हमें ईमानदारी के साथ इस बात की प्रशंसा करनी चाहिये कि ये डाक्टर हड़ताल के इन दिनों में बिना आराम किये दिन-रात काम कर रहे हैं और दुःखी जनता की सेवा कर रहे हैं। (व्यवधान) अस्पताल कोई मिल नहीं है .....

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान होने वाले व्यवधानों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या मैं वायदा कर सकता हूं। महोदय, मैं इस बात का वचन देता हूं कि डाक्टरों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं खुले दिल से उनकी समस्याओं पर नियमानुसार विचार करने को तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह श्री रामावतार शास्त्री के अनुरोध पर है।

श्री रामावतार शास्त्री तथा डा० सरदीश राय ने यह प्रश्न उठाया है कि उन्हें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस आरम्भ करने के लिये कहा जाना चाहिये था। मैंने उन्हें सूचित कर दिया है कि जब इससे पूर्व अध्यक्ष महोदय ने उनके नाम बुलाये थे, तो वह सदन में उपस्थित नहीं थे, अतः श्री के० लकप्पा, जिनका सूची में चौथा नाम था, को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने के लिए कहा गया।

मुझे ऐसा कोई मामला याद नहीं जिसमें उन सदस्यों को, जो सदन में पहले उपस्थित नहीं थे, बाद में प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई हो जब वह सदन में लौट आये हों। श्री रामावतार शास्त्री ने मुझसे तथा अध्यक्ष महोदय से विशेष अनुरोध किया है। मैं उन्हें विशेष

मामले के तौर पर प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं। इसे भविष्य के लिए दृष्टान्त न माना जाए। श्री रामावतार शास्त्री,

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या वह सदन से उठकर बाहर जाने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं वाक-आऊट पर गया था, नहीं तो पहले न बोलता।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : अच्छा प्रीसीडेन्ट बन रहा है। दूसरों को भी मौका देना पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : जब मौका आएगा, तब मांग लीजिएगा, अभी तो चुप रहो। ...(व्यवधान)...अगर मैं राम हूं, तो लक्ष्मण की राय हुई और मैं बोल रहा हूं। इसमें और क्या बात है।

आचार्य भगवान देव : तो भगवान को भी मौका मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम लोगों में कुछ समझौता हो गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वक्तव्य मंत्री जी की तरफ से सदन में रखा गया है, इसे रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहिए। यह अहंकार से भरा हुआ है। सरकार कितनी अहंकारी बन गई है, इसका द्योतक यह वक्तव्य है। इससे डाक्टरों की हड़ताल को समाप्त करने में मदद नहीं मिलेगी बल्कि डाक्टरों को उकसाने की कोशिश हमारे मंत्री जी ने की है। तो इस वक्तव्य के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)...माननीय सदस्य बीच-बीच में बोलकर उकसा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, किसी भी व्यवधान का उत्तर मत दीजिये। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री रामावतार शास्त्री : इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : प्रश्न पूछिये।...

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : फिर झंझट होगा। अगर इस तरह से काम करते रहेंगे।

श्री वृद्धि चन्द जैन : मेहरबानी करके आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं डिप्टी स्पीकर साहब की परमिशन से बोल रहा हू। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिए।

श्री वृद्धि चन्द जैन : विशेष प्रश्न पूछे जाने चाहिये।

श्री रामावतार शास्त्री : ठीक है, कोई बात नहीं है। इस तरह से आप हाऊस चला लीजिए, अगर आप यही समझते हैं। ठीक है ? आप भी यहां हैं। हम भी यहां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुझे सम्बोधित करिये।

श्री रामावतार शास्त्री : कृपया आप सदन पर नियन्त्रण रखिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं । वह आपका ध्यान हटाने का प्रयास करेंगे किन्तु आप प्रश्न पूछते रहिए । कृपया रुकिये नहीं । (व्यवधान) शान्ति...शान्ति ।

श्री गिरिधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप अकेले यह बात कर रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अकेले कह रहा हूं । यहां पर और लोग भी बैठे हुए हैं ।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, आप रामावतार शास्त्री जी के लिए कोई टाइम निश्चित कीजिए । कितनी बार ये मर्यादा के बाहर चले जाते हैं । कितना टाइम यह बोलेंगे ।...

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय यहां हैं, आप चिन्ता क्यों करते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार है, यह जो श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार चल रही है, यह नियमों का पालन नहीं कर रही है । यह तीन 'ता' पर चल रही है । ये हैं, अदूरदर्शिता हठवादिता और हृदयहीनता । इस हड़ताल में ये तीनों चीजें शामिल हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप तो कवि बन गये हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : इन तीनों 'ता' के विरोध में दिल्ली के जो 6 बड़े अस्पताल हैं, जो सबसे बड़े अस्पताल हैं, जहां पर 1600 डाक्टर अपनी सही सप्तसूत्री मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई में जाने के पहले उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बातों से उनकी समस्याएं हल हो जाएं । उनमें से कुछ बातों का जिक्र डागा जी ने किया और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । उन्होंने 4 तारीख की शाम को साढ़े चार बजे तक डाइरेक्टर से मिलने की कोशिश की, डिप्टी डाइरेक्टर से मिलने की कोशिश की । जूनियर डाक्टरों की फैडरेशन के कौन पदाधिकारी हैं, कितने उसके मेम्बर हैं, यह सब उनको मालूम है । जब डाइरेक्टर नहीं मिले, तो डिप्टी डायरेक्टर, कोई डा० बजाज हैं, उनको देकर के चले आये । उस समय तक अगर मंत्री जी उनसे मिल लिये होते तो कोई रास्ता निकल आता । लेकिन ये रास्ता निकालना नहीं चाहते हैं । ये डण्डे के बल पर जैसे औरों को दबाते हैं, वैसे ही जूनियर डाक्टरों को भी दबा रहे हैं ।

19 सौ जूनियर डाक्टर हैं । उनमें से तीन सौ की परीक्षा होने वाली है, उनको फेडरेशन ने एग्जेम्प्ट कर दिया है । तीन और अस्पतालों में जिनमें काम हो रहा है उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया है । लेकिन बाकी जगह पूर्ण हड़ताल है । 16 लोग मर गये हैं उनको सर्टिफिकेट देने के लिए भी डाक्टर नहीं मिलते हैं । डा० राममनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल में मरने के तीन घंटे के बाद सर्टिफिकेट दिया गया ।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, ये वही सब करा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, हर आदमी जानता है कि सफदरजंग अस्पताल, जयप्रकास नारायण अस्पताल, राममनोहर लोहिया अस्पताल, सुचेता कृपलानी अस्पताल, कलावती शरण अस्पताल, पंत अस्पताल में काम नहीं हो रहा है और हजारों लोगों के जीवन को खतरा है। डा० लोहिया अस्पताल में श्री व्रजनन्दन सिंह मर गये । उनको कोई देखने वाला नहीं मिला। (व्यवधान) इसके बाद भी सरकार और अधिकारी क्लेम क्या कर रहे हैं ? सब ठीक हैं। अखबारों में गलत खबरें छपवायी जा रही हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि सब ठीक है। इससे काम चलने वाला नहीं है। दमन चक्र चल रहा है। सफदरजंग अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट डा० सत्यानन्द जी ने 22 रजिस्ट्रारों से कहा कि अगर तुम हड़ताल खत्म करके ड्यूटी पर नहीं आओगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टरों को धमकी दी गयी कि हम तुम्हारी थीसिस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वरना चले आओ और हमारे सामने आत्म समर्पण कर दो, फेडरेशन का साथ मत दो। हड़ताल में शामिल मत रहो।

अब उनकी मांगें क्या हैं ? उनके बारे में इस ब्यान में कुछ नहीं कहा गया। अगर सरकार नेकनीयत होती, उसकी नीयत अच्छी होती तो मांगों के बारे में कहती। लेकिन उनकी मांगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उनकी सात मांगें हैं :

पहली मांग है कंटीन्युटी आफ रेजीडेंसी स्कीम। दूसरी मांग है बेनिफिट्स आफ रेजीडेंसी स्कीम। तीसरी मांग है जोव एवेन्यूज आफटर रेजीडेंसी । चौथी मांग है वर्किंग कंडीशन्स में सुधार की। वे 70 घंटे काम करते हैं। एक में हफ्ते 48 घंटे काम करने की मांग है। पांचवीं मांग है रेशनेलाइजेशन आफ पे स्केल्स इसमें इन्होंने कहा है कि इन्टर्नस को 750 रुपए मिलना चाहिए। आप कहते हैं कि 14 सौ दे रहे हैं। उनकी आगे मांग है कि जो अनमेरिड जूनियर डाक्टर हैं उनको एक कमरा दें। क्या आप उनको एक कमरा भी नहीं दे सकते ? इसमें क्या कठिनाई है ? अभी तो आपने कहा था कि यह उनका कर्त्तव्य है, सेवा करना उनका धर्म है। हमारा और आपका क्या धर्म है ? खाते जाओ, लूटते जाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते जाओ। आपके लिए भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए। (व्यवधान) शादी शुदा डाक्टर मांगते हैं कि भइया हमें दो कमरे दे दो। इसमें क्या झंझट है ? अध्यक्ष जी उनकी ये सात मांगें हैं। लेकिन ये उन्हें देना नहीं चाहते जो कि इन्हें देना चाहिए। उन्होंने 20-6-80 को नोटिस दिया है कि हम पांच तारीख से हड़ताल करेंगे। अगर चाहते थे कि हड़ताल न हो तो आप बैठे क्यों रहे ? मंत्री महोदय बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे मित्र हैं। इसमें कोई बात नहीं है।

इस हड़ताल का समर्थन केवल लैफ्टिस्ट नहीं कर रहे हैं। आल इन्डिया मैडिकल एसोसिएशन लैफ्टिस्ट संगठन नहीं है डाक्टरों की यह अखिल भारतीय संस्था है, प्रभावशाली और इज्जतदार संगठन है। आप कह सकते हैं कि आल इन्डिया स्टुडैंट्स फैड्रेशन, स्टुडैंट्स फैड्रेशन आफ इन्डिया आदि का पोलिटिकल पार्टीज से सम्बन्ध है और ये लोग भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आल इन्डिया मैडीकल एसोसिएशन भी इनकी मांगों का समर्थन कर रही है और कहती है कि इनकी मांगें बिल्कुल जायज हैं। आप मिल करके उनसे बात तो कर सकते थे।

इस पृष्ठभूमि में मैं प्रश्न कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि दमन का रास्ता बन्द करें और उनसे मिल-जुल कर रास्ता निकालें जिसकी तरफ हमारे डागा जी ने आपका ध्यान खींचा

है । मेरा सवाल यह है कि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए क्या सरकार जूनियर डाक्टर्ज फैड्रेशन के साथ फौरन वार्ता के द्वारा झगड़े को निपटाने का इरादा रखती है, अगर नहीं तो क्यों नहीं और क्यों वह डंडा चलाना चाहती है ?

क्या सरकार जूनियर डाक्टरों की मांगों को किसी कमेटी का गठन कर उसके सुपुर्द करना चाहती है ताकि वह कमेटी जो फैसला करे उसको डाक्टर भी मानें और सरकार भी माने, अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

क्या सरकार ने जो यह फैसला किया है कि 150 नए डाक्टर भरती किए जाएं, इसको वह फौरन रद्द करेगी और क्या सरकार अखबारों में गलत ब्यानबाजी की नीति को बन्द करेगी ?

अन्त में मैं जानना चाहता हूं कि क्या रोगियों की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार डाक्टरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को तैयार है और ऐसा करने के लिए वह फौरन नैगोसिएशन टैबिल पर बैठना चाहती है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मेरे माननीय मित्र श्री रामावतार शास्त्री संसद के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं । उनका इस देश में बड़ा ही लम्बा संसदीय जीवन है । वह हमेशा से श्रमिक समस्याओं में रुचि लेते हैं । किन्तु जब वह रद्दी की टोकरी, आदि की बात करते हैं तो मैं उन्हें समझने में असफल हो जाता हूं । वह रद्दी की टोकरी की बात सोच सकते हैं—किन्तु मैं इस प्रकार की बातें सोचने का आदी नहीं हूं । मुझे फूलदान आदि की सुन्दर बातें सोचने की आदत है । उन्होंने कहा है कि मेरा वक्तव्य बेकार है । और उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए । सरकार अभिमान से भरी है–ऐसा उन्होंने कहा है । मुझे यह नहीं मालूम कि क्या उन्होंने मेरे वक्तव्य को पूरी तरह समझा है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं आती हैं...

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने जो कहा है, उसे आप नहीं समझे हैं । आपने पढ़ा होगा.....

श्री रामावतार शास्त्री . आपका दिमाग मेरे दिमाग से भिन्न है ।

श्री बी० शंकरानन्द : पढ़ लेना एक बात है और उसे समझ लेना दूसरी बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु दिमाग एक जैसा होता है ।

श्री शंकरानन्द : उन्होंने हिन्दी के तीन 'ता' बात कही है –अदूरदर्शिता, हठवादिता और हृदयहीनता ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : श्री रामावतार शास्त्री जी हम उनके प्रति सहानुभूति रवैया अपनाते रहे हैं । कृपया आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रजिडेन्ड डाक्टरों के पास जाइये और उनसे पूछिये कि सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय ने उनके साथ किस प्रकार सहानुभूति का रवैया अपनाया है । आप यह बात कैसे कहते हैं कि वे इन तथा कथित कनिष्ट डाक्टरों के ही अंग हैं । आप ऐसा नहीं कह सकते हैं । माननीय सदस्य की प्रमुख शिकायत प्रतीत होती है कि हम रेजिडेन्ट डाक्टरों से मिलना नहीं चाहते, यह बात सही नहीं है । मैं आज सदन से वायदा

क्रता हूं कि मैं उन्हें मिलने के लिए तैयार हूं, उनकी शिकायतों को सहानुभूति से सुनने के लिए तैयार हूं और यथासम्भव नियमानुसार उन पर विचार करने को भी तैयार हूं।

महोदय, श्री शास्त्री ऐसी बात कर रहे हैं कि मानो डाक्टर लोग अस्पतालों में होने वाली मृत्यु के मामलों पर प्रसन्न हैं और माननीय सदस्य स्वंय भी उस सम्बन्ध में प्रसन्न हैं। क्या डाक्टरों का यही रवैया है ? मुझे इस बात का पता नहीं है कि क्या श्री शास्त्रीजी डाक्टरों की ओर से बोल रहे हैं। मेरे विचार से डाक्टर इस मामले में खुशियां नहीं मना रहे हैं। किन्तु मैं तो यह कहूंगा कि वह बहुत चिन्तित हैं वह मरीजों की सेवा तथा देख-भाल करना चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो माननीय सदस्य इस सदन में दोष लगा सकते हैं। वह यह दोष लगा रहे हैं कि सरकार संचार साधनों के माध्यम से बातें करके तथा सूचना देकर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं यह बात सही नहीं है। सरकार दु खी जनता की देख भाल करने और उसका ध्यान रखने के लिए है हमें यह प्रबंध करने है कि रोगियों की अस्पतालों में आवश्यक देख-रेख हो सके और इसके लिए माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि हम इस मामले में अड़े हुए हैं और हम हड़ताल को दबा रहे हैं। उनका कहना है कि अखिल भारतीय चिकित्सा संघ भी हड़ताल का समर्थन कर रहा है ।

श्रीमान माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था हड़ताल के पक्ष में नहीं है। हड़ताल के बारे में जो उन्होंने समाचार पत्र में पढ़ा है वह अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के बारे में नहीं है बल्कि कुछ और है, हो सकता है दिल्ली किकित्सा संस्था के बारे में हो। मुझे मालूम नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह अखिल भारतीय संस्था का एक भाग है ।

श्री बी० शंकरानन्द : श्री शास्त्री जी, क्या आपको मालूम है कि हड़ताल के दौरान अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के रेजिडेन्ट डाक्टरों की हड़ताल के दौरान अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के प्रतिनिधि मेरे पास आये और कहा कि उन्होंने उस हड़ताल को समर्थन नहीं दिया। यह आपकी जानकारी तथा सभा की जानकारी के लिए है। अब अगर कोई भी किसी तरह से इस हड़ताल में समर्थन देता है तो श्रीमान मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं परन्तु वह पीड़ित जनता के हितों में नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति सरकार से इस बात का संकेत करके कि हड़ताल के दौरान अस्पताल में मौतें हो रही हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि वे सरकार से कुछ भी प्राप्त करने के हकदार नहीं है। मैं केवल यह सुझाव देता हूं कि डाक्टरों को हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए और मेरे पास चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। मैं उनकी मांगों पर विचार करने को तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ज्योतिर्मय बसु अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देंगे। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के कुछ नगरों में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा का समाचार

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के आलोट, खचरोद और महिदपुर नगरों में दूरभाष सेवा लम्बे समय से काफी असंतोषजनक है। इस संबंध में विभाग को जानकारी दी गई है, किन्तु दूरभाष सेवा में तनिक भी सुधार नहीं हुआ है। दूरभाष की बिगड़ी हुई व्यवस्था के कारण उपभोक्ताओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः माननीय संचार मंत्री से आग्रह है कि कृपया आलोट, महिदपुर और खाचरोद में दूरभाष सेवा में तुरन्त सुधार किया जावे और स्वतंत्र, सक्षम, दूरभाष केन्द्र स्थापित किये जाये। साथ ही उज्जैन नगर के स्वचालित दूरभाष केन्द्र को अधिक कार्यक्षम बनाने की व्यवस्था की जावे।

(दो) नीलांचल सुपरफास्ट गाड़ी के देर से चलने का समाचार

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन निम्नलिखित को प्रकाश में लाना चाहता हूं :

नीलांचल सुपरफास्ट ट्रेन 1.4.80 से दिल्ली और पुरी के बीच चल रही है जो उत्तरी भारत के प्रायः सभी तीर्थ स्थलों से होकर जाती है। इस रेल गाड़ी से उड़ीसा का राष्ट्रीय राजधानी से सम्पर्क हो गया है परन्तु यह देखने में आया है कि अधिकांश दिनों में यह घंटों देर से चलती है और जब वह बिहार और उत्तर प्रदेश से गुजरती है तो पानी की सप्लाई पर्याप्त नहीं होती है। रेलगाड़ी में भोजनालय कार की आवश्यकता है। खाद्य पूर्ति सन्तोषजनक नहीं है उन यात्रियों की सुविधा के लिए इस गाड़ी के साथ जोड़ने के लिए एक चेयर कार की तुरन्त आवश्यकता है जो प्रथम श्रेणी की यात्रा का खर्च देने में समर्थ नहीं हैं। रेल मंत्रालय से उक्त गाड़ी में इन सुविधाओं को दूर करने का आग्रह है।

(तीन) दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल का समाचार

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के पांच हजार कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गत 2 जुलाई को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की तथा कुलपति के सामने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि गत अप्रैल में 19 दिनों तक हुई उनकी हड़ताल के दिनों को उनकी छुटिटयों में शामिल न किया जाये, उनके लंबित मांगपत्र को स्वीकार किया जाये तथा रामलाल आनन्द कालेज के सैक्शन (एकाउंटस) अधिकारी श्री सी. एल. यादव की वर्षों से चली आ रही मुअत्तिली को समाप्त कर उन्हें अपने पद पर बहाल किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि कुलपति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हड़ताल की अवधि छुट्टियों में नहीं गिनी जायेगी।

श्री सी. एल. यादव अपनी नौकरी को बहाल करने की मांग को लेकर गत 1 जुलाई से अपनी पत्नी तथा छोटे छोटे बच्चों के साथ कुलपति के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। भूख हड़ताल के कारण उनकी शारीरिक स्थिति खराब हो रही है।

यूनिवर्सिटी एंड कालेज कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी उक्त मांगों को 16 जुलाई तक स्वीकार नहीं किया गया, तो कर्मचारियों को विवश होकर पुनः हड़ताल करनी पड़ेगी।

ऐसी गम्भीर स्थिति में मेरा अनुरोध होगा कि शिक्षा मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप कर कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करें तथा अनशन पर बैठे श्री सी. एल. यादव एवं उनके परिवार के लोगों के प्राणों की रक्षा करें।

(चार) राजस्थान के बाड़मेर जिले में सीमेंट की तत्काल सप्लाई करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत साल लूनी नदी की बाढ़ से राजस्थान प्रान्त के बाड़मेर जिले के 125 ग्राम बाढ़ग्रस्त हुए थे। उन ग्रामों में सैकड़ों मनुष्य एवं हजारों पशु मृत्यु के शिकार हुए थे। हजारों मकान बालोतरा नगर एवं उन ग्रामों में एवं हजारों सिचाई के कुए ढह गये थे और क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत केन्द्र द्वारा राजस्थान राज्य को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट की सप्लाई न किए जाने के कारण वे अपने कुओं को सम्पूर्ण तौर से बना नहीं सके हैं और न पूरी तरह से मरम्मत कर सके हैं और बालोतरा नगर एवं ग्रामों की जनता मकानों की मरम्मत एवं सुधार पूरी तरह से नहीं कर सकी है, जिसके कारण उसमें पूरा रोष है। वह जल्दी से जल्दी सीमेंट चाहती है, जिसके कारण उसे बड़ा नुकसान हो रहा है और उसके कारण उसमें पूरा रोष है। अतः केन्द्र एवं राज्य सरकारों से नम्रतापूर्वक आग्रह है कि वे दोनों मिल कर जल्दी से जल्दी उन्हें पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध करा कर उनकी आवश्यक मांग की पूर्ति करें।

(पांच) विदेशी जहाजों द्वारा चोरी से मछलियों को पकड़ने से भारतीय मछुओं की रक्षा

श्री के० टी० कोसलराम (तिलिचेड्डुर) : उपाध्यक्ष महोदय, तिरूनेलवली रुचेंडुजिला में मन्नर तट की गल्फ तमिलनाडु रामनद और कन्याकुमारी जिलों में रहने वाले एक लाख मछियारों के लिए मछली को बेचने के लिए नाव पर बैठ कर जाना ऐसा है जैसे कि लड़ाई के लिए जा रहे हैं इस क्षेत्र में विदेशी मछली पकड़ने वाले जलपोत उन्हें उलट देते हैं और शिकार समेत उनके जालों को छीन लेते हैं और कभी कभी उनकी नौकाओं को भी डुबा देते हैं। यह कोई विचित्र बात नहीं है कि उनके बेडें इन यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा अलग अलग कर दिये जाते है। यह एक सामान्य बात हो गयी है कि श्रीलंका नौ सैनिक अचावक इस क्षेत्र में आ जाते हैं और मछियारों को उनका पीछा करने का आदेश देते है और जैसे ही वे श्री लंका के समुद्री क्षेत्र के भीतर आ जाते हैं तो वे जहाजों पर चढ़ जाते है और शिकार को लूट लेते हैं। केवल एक महीने में श्रीलंका नौ सैनिकों ने उनकी 64 नौकायें पकड़ी थीं।

तमिलनाडु के मत्स्य पालन उद्योग के उप-निदेशक ने हाल में ही विभिन्न किस्म की मछली वाले एक ताईवानी मछली पकड़ने वाले जलपोत के पकड़ने की घोषणा की है जिसमें लगभग 70,000 रु० के मूल्य की मछली हैं। इस जलपोत के कप्तान ने यह बताया है कि लगातार 2 व 3 महीनों में हिन्द महासागर में 3500 मछली पकड़ने वाले जलपोत हैं। इस अवधि में उन्होंने हिन्द महासागर में मिलने वाली 'जीगा' विशेष मछली को अपने जहाज में हस्तांतरित कर दी जो हिन्द महासागर से बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहा था और जिसकी कीमत अनुमानतः लगभग 1 करोड़ रु० थी; एक वर्ष के भीतर उन्होंने जो मछली पकड़ी उसकी कीमत लगभग

6 करोड़ रुपये थी। यह पकड़ा गया ताईवान जलपोत अभी भी तूतीकोरन बन्दरगाह पर खड़ा हुआ है।

इस प्रकार प्रति वर्ष 6 करोड़ रु० की हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति को हमारे क्षेत्रीय समुद्रों से मछली पकड़कर विदेशी जलपोतों ने ऐंठ लिया है। राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि के अतिरिक्त उस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 1 लाख मछियारों की भी इन जलपोतों ने उनकी जीविका से वंचित कर दिया है।

मैं माँग करता हूं कि कृषि मंत्री महोदय इस मामले में रक्षा मंत्री महोदय के साथ कार्यवाही करें तथा इस क्षेत्र को भारतीय नौसेना के जलपोतों द्वारा 24 घंटे सुरक्षार्थ गश्त लगाने को सुनिश्चित करें; इस प्रकार हमारे मछियारों को संरक्षण मिलेगा तथा हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति की भी रक्षा होगी।

(छः) बिहार के किशनगंज नगर में जी०आर०पी० द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का समाचार

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

प्राप्त समाचारों के अनुसार पता चला है कि किशनगंज रेलवे जी० आर० पी० के एक सिपाही (शिवशंकर सिंह) द्वारा एक हरिजन परिवार की एक महिला के साथ काफी शर्मनाक क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है जिसके कारण पूरे नगर में काफी सनसनी फैली हुई है। घटना इस प्रकार बताई जाती है कि उक्त महिला के पीछे जी. आर. पी. के कुछ सिपाही कई दिनों से लगे हुए थे। मौका पाकर एक दिन वे दल बल के साथ रात्रि 8 बजे के लगभग महिला के घर में घुस आए तथा उसके पति रेलवे हरिजन कर्मचारी के सामने ही महिला के साथ दुर्व्यवहार करने लगे जिसका उसके पति ने विरोध किया। विरोध करने पर जी. आर. पी. सिपाहियों द्वारा उसके घर के सामने ही पोल में उसे बांध कर काफी मारा पीटा गया जिससे वह बेहोश होकर बंधा पड़ा रहा। उसी समय उसके सामने ही उसकी साड़ी खोल दी गई, ब्लाउज फाड़ दिया गया तथा साया खोलकर चोटी पकड़ कर घसीट कर वे उसे अन्धेरे में किसी अज्ञात स्थान पर ले गए जहां उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया तो स्त्री ने अचेतावस्था में भी इसका विरोध किया, फलस्वरूप उस सिपाही ने लोहे की एक मोटी छड़ लाकर गरम कर उसके शरीर के कई स्थानों को जलाया। कई स्थानों से बदन को जलाकर अन्त में उसी गरम छड़ को उक्त महिला के निजी अंगों में घुसेड़ दिया फलतः महिला रोती तड़पती बेहोश हो गई जिसे निर्वस्त्र ही नदी में फेंक दिया गया क्योंकि सिपाहियों ने समझा था कि शायद वह मर गई हो। परन्तु दूसरे दिन सुबह वह महिला नदी के किनारे अचेतावस्था में रिक्शा चालक को मिली। रिक्शा चालक उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। उधर उसके पति को भी बस्ती के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। अभी भी वह महिला एवं उसके पति की हालत चिन्ताजनक बताई जाती है।

इस कांड से सम्बन्धित सिपाहियों की भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पता चला है कि रेलवे दरोगा उक्त भ्रष्ट सिपाहियों को हिरासत में लेकर बचाव में लगे हुए हैं। सुना जाता है कि रेलवे के कई सिपाही इसी प्रकार बलात कई भोली भाली युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं जिसके कारण जनता में काफी असंतोष व्याप्त है।

गृह मंत्री से अनुरोध है कि इस पर एक वक्तव्य देकर पूर्ण स्थिति से सभी को अवगत करायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई अन्य भाषण न दीजिए, आपको वही पढ़ना चाहिए जो लिखा है और दिया है । अन्य बातें कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं की जाएंगी ।

अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1980-81

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा आगे चर्चा करने और विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर मतदान करने के लिये कार्यवाही करेगी ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश विदेश नीति उन पहलुओं अथवा राष्ट्रीय राजनैतिक जीवन के क्षेत्रों में से एक है जहाँ एक व्यापक सहमति है और उन तेज राजनैतिक मतभेदों को जिन्हें कोई राष्ट्रीय जीवन के बहुत से दूसरे पहलुओं में देखते हैं, यहां स्थान नहीं मिलता है । यह कहा जाता है कि विदेशी नीति कुल मिलाकर राष्ट्रीय सहमति से बनी है । यह कहा जाता है कि किसी देश के दूसरे देशों के साथ लेन देन अन्तर्राष्ट्रीय संबंध स्वतंत्र तथा परिवर्तनशील नहीं हैं परन्तु उन पर कार्य कर रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय हित कहते हैं । राष्ट्रीय हित स्वयं भौगोलिक अनिवार्यताओं तथा ऐतिहासिक परम्पराओं की देन हैं और राष्ट्रीय हित मूलरूप से स्थिर रहते हैं और सरकारों के बदलने के साथ नहीं बदलेंगे । इसलिए सही कहा जाये तो विदेशी नीति जब तक स्थिर रहेगी जब तक कि यहां पर क्रान्ति न हो और क्रान्ति के मामले में भी सामान्य विदेश नीति के मामलों में कोई मूलभूत या पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होता है ।

कल, श्री चन्द्रजीत यादव, लोक दल के नेता ने इस सभा को बतलाया कि हमारी विदेश नीति पं० जवाहर लाल नेहरू ने प्रतिपादित की थी । वे आधुनिक भारत की विदेश नीति के निर्माता थे जैसाकि श्री वाजपेयी कहा करते थे । किन्तु इस नीति के बुनियादी सिद्धान्त को आज लगभग ढाई वर्षों के अन्तराल के बाद फिर बताने की आवश्यकता है तथा पुनराबृति करने की आवश्यकता है । ये बुनियादी सिद्धान्त है कि यह देश दूसरे देशों की विचार धारा अथवा राजनीति की ओर ध्यान दिये बिना सब देशों के साथ मैत्री संबंध कायम करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को उनके अलग-अलग गुणावगुणों पर विचार करेगा । मैं कह चुका हूं कि 1946 से निरन्तर यही नीति रही है जब पं० जवाहर लाल नेहरू अन्तरिम सरकार के सदस्य बने और उनकी विदेशी संबन्धों का काम सौंपा गया और मार्च, 1977 तक उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता रहा । इस मूलभूत नीति से किसी एक भी मुद्दे पर इधर-उधर जाने का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता ।

जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं मार्च, 1977 में भी, जब नयी जनता पार्टी सरकार सत्ता में आयी, विदेश मंत्री तथा सरकार के अन्य नेताओं तथा दल ने इस विदेश नीति को जारी रखने में बड़ा दबाव दिया था, उन्हें यह कहने में बड़ी परेशानी हुई कि जो विदेश नीति पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी जिनको श्री वाजपेयी प्रायः भारत की आधुनिक विदेश नीति के निर्माता कहते हैं वह नीति जारी रहेगी । उन्होंने ऐसा कहा । इस बात पर ध्यान देना वास्तव में

दिलचस्प है कि जब कि पहले सरकार इतना आग्रह कर रही थी और कह रही थी तथा कम से कम शब्दों से विदेश नीति को जारी रखने को सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी परन्तु यह सरकार अपने आप सहयोग न देना का प्रयास करती है, मुझे विदेश नीति बिल्कुल ठीक ऐसी समझना चाहिए जिसे वास्तव में पहली जनता पार्टी सरकार ने व्यवहार में अपनाया था गुट निरपेक्षता तथा पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के बारे में बात करना तो बहुत अच्छा है परन्तु मार्च, 1977 से जनवरी, 1980 तक के अनुभव ने व्यवहार तथा व्यवसाय के बीच बातों और कार्यों के बीच गहरी खाई सिद्ध कर दी। उसने यह दिखा कि इस नीति को क्रियान्वित करना कितना कठिन है और यदि इस नीति का अनुसरण करना है तो इस नीति के लिए कितने साहस, पक्के इरादे, राजनैतिक इच्छा तथा किसी उद्देश्य के बारे में कितनी निश्चितता अपेक्षित है। गुट-निरपेक्षता की नीति का रास्ता सीधा और तंग है और हर समय इस पर प्रहार तथा विरोध किये जाते हैं तथा बड़ी शक्तियों द्वारा इसे समाप्त करने की मांग की जाती है। कल श्री चन्द्रजीत यादव ने इस क्षेत्र में अमरीका के हस्तक्षेप, गुट-निरपेक्ष नीति को समाप्त करने का समय-समय पर अमरीका के हित, आजादी के दिनों से इन गुट-निरपेक्ष देशों में, जो तीसरी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। जो उनके क्षेत्र में आते हैं इस नीति को लाने से इंकार करने के अमरीका के प्रशासकों तथा नेताओं के हितों के बारे में बताया। उस समय से जब से हमने अपने लिये स्वतंत्र भूमिका का दावा के साथ कहना शुरू किया, उस समय से जब से हमने यह घोषणा करनी शुरू की कि गुट-निरपेक्ष देशों को गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करना चाहिये और दोनों गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, 1950 के शुरू से ही उनकी नीति इस देश को नियन्त्रित करने की रही है, जिसको उन्होंने विश्व भूमिका के प्रतिपूर्ण निर्भीक दावेदार के रूप में माना है। 1950 में उन्होंने पाकिस्तान को हथियार दिये। उन्होंने कई देशों को हथियार दिये। क्या यह पाकिस्तान के प्रेम के लिये थे ? क्या यह उन देशों के प्रेम के लिये था जिन्हें हथियार दिये गये थे ? ऐसा नहीं था। हमारे पड़ौसी देशों समेत इन देशों से प्रतिनियुक्ति सिपाही के रूप कार्य करने की आशा की गई थी, अप्रत्यक्ष रूप से तथा अमरीका की ओर से इन क्षेत्रों की गस्त लगाने और उस भूमिका को नियंत्रित करने तथा रोकने की आशा की गई थी जिस भूमिका को यह देश अदा करने का प्रयास कर रहा था और भूमिका अदा कर दी गई है।

1960 में हिन्द महासागर में सैनिक, नौसैनिक हरकतें शुरू हुई। जैसाकि मैं कह चुका हूं, शुरू से ही अमरीका इस देश का बैरी रहा है। परन्तु बंगला देश के संकट के समय यह बात इतनी साफ और स्पष्ट हो गई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी जब कि अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता खुलकर इस देश के विरोध में आ गये थे और उन्होंने अपना भेदभाव प्रदर्शित किया था और इसकी जल सेना ने खुल्लम-खुल्ला इस समुद्री क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी थी।

इस क्षेत्र में अमरीका द्वारा उठाया गया नवीनतम कदम है दियागो गार्शिया की किले बंदी करना और उसको मजबूत बनाना है। इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से गश्त करने में अब अमेरिका का विश्वास नहीं रह गया है। अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है और वह वहां अपनी सेनाएं पहले ही भेज चुका है। दिमागो गार्शिया जो एक पूरक सैनिक अड्डा अथवा ऐसी ही कुछ रूप में शुरू हुआ था, अब सर्वाधिक शक्तिशाली अमेरिकन सैनिक अड्डा बन गया है अथवा हिन्द महासागर के इस समूचे क्षेत्र में किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण विषय बन गया है। अमेरिका ने इसे अड्डा क्यों

कारण स्वयं उनके वक्तव्यों से सामने आया है। वह यह है कि अमेरिका उन सरकारों का, जो उसके समर्थक नहीं है, घेराव करने और उन्हें चेतावनी देने के लिए वहां अपनी सैन्य उपस्थिति को काफी सुदृढ़ करना चाहता है। वहां अमेरिका अपना सैनिक अड्डा और अपनी सैन्य शक्ति इसलिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करना चाहता है कि वह ऐसे शासकों को अपना सहयोग दे सके जिन पर उसका विश्वास है लेकिन जिन पर उनके अपने ही देश के लोगों का विश्वास नहीं है। इसी कारण से अमेरिका ने दियागो गार्शिया में सैनिक अड्डा बनाया है और वह दियागो गार्शिया को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है।

मैंने कहा है कि यह सहज एक कल्पना नहीं है। स्वयं अमेरिकन सैनिक अधिकारियों ने यह बात कही है। उन्होंने ही यह तथ्य उजागर किया है और दियागो गार्शिया के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

1974 में नौ सेना संचालन के कनिष्ठ प्रमुख श्री एडमिरा एलमो रसैल जुम्वाल्टर्न ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट की विदेश समिति के समक्ष बोलते हुए यह कहा था। दियागो गार्शिया और पेट्रोल ब्रिटेन के सम्बन्ध में यह विवरण था। श्री जुम्बालट ने कहा :

> "मेरे विचार में उन सरकारों को जिनके साथ अमेरिका के मैत्री पूर्ण सम्बन्ध हैं, अपनी सैन्य उपस्थिति से प्रोत्साहित करके संरक्षण देने में हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है। मेरे विचार में वहां अमेरिकी सेना की अनुपस्थिति से इस बात की संभावना बनी रहेगी ऐसी सरकारें समाप्त कर दी जाएंगीं अथवा बदल दी जाएंगी जिनसे हमारे कम मैत्री पूर्ण संबंध हों।"

समूचे हिन्द महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डों का यही उद्देश्य है। यही कारण है कि अमेरिका ने दियागो गार्शिया में सैनिक अड्डा इन सभी देशों को डराने-धमकाने और खास तौर पर इस महान देश को डराने धमकाने के लिए कायम किया है। अमेरिका इस देश की महानता से बेचैन है और इसके साथ प्रेमभाव रखता है।

आज प्रात: के इस समाचार को पढ़कर मैं भी सदन के साथ अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि मारिशस ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिकन से दियागो गार्शिया उसे वापस करने की मांग की है। केवल मारिशस और श्री राम गुलाम ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। अफ्रीकी एकता के समूचे संगठन ने उस मांग का समर्थन किया है। मैं सरकार का आह्वान करता हूं कि वह वहां मांग के पक्ष में मजबूती के साथ पहल करे और इस सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य दे कि वह इस मांग का समर्थन कर रही है। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने भी इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त की है जो न तो इस मांग के पक्ष में है और न विपक्ष में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से इसकी जांच कराए जाने से इन्कार नहीं कर रही हैं। परन्तु उन्होंने बड़ी ही विचित्र बात कही है कि ब्रिटिश सरकार संधि के अनुबंध पत्र के संदर्भ में इस मांग की जांच करेगी। कौन सा संधि अनुबंध पत्र ? जिस समय मारिशस स्वतंत्र होने वाला था उस समय ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ संधि की थी। यह एक नृशंस कानूनी प्रस्ताव है कि जब एक सरकार दूसरे देश को स्वाधीनता प्रदान करने जा रही हो अथवा स्वाधीनता प्रदान करने के लिए बाध्य हो, तो वह किसी तीसरे देश के साथ संधि करती है और स्वाधीन होने वाले देश की ओर से कुछ सीमा क्षेत्र सम्बन्धी रियायतें देती है। यह स्पष्ट है कि इन स्थितियों में, वह देश जो स्वाधीनता प्रदान कर रहा है, और जो एक न्यासधारी

की क्षमता रखता है । इस सीमा क्षेत्र को उस देश का विश्वास पात्र बनकर अपने पास रखता है जो कि स्वाधीनता प्राप्त कर रहा है । नव स्वतंत्र देश को उसके सीमा क्षेत्र से वंचित करने में कोई भी शर्त आड़े नहीं आ सकती । मुझे आशा है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री और ब्रिटिश सरकार समूची स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे और तथाकथित उस संधि अनुबंध को भूल जाएंगे जो अनुबंध-पत्र बिल्कुल है ही नहीं क्योंकि जहां तक यह मारिशस की क्षेत्रीय अखंडता के अतिक्रमण के संबंध में है, यह संधि कोई संधि नहीं है ।

दियागो गार्शिया हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । इसलिए, हमें इस समाचार का अनुमोदन करना चाहिए कि फ्रांस के एक प्रवक्ता ने फ्रांस की सरकार की ओर से यह बताया है कि समूचे हिन्द महासागर का विसैन्यीकरण करने के प्रयोजन से इस क्षेत्र के सभी देशों का सम्मेलन आयोजित करने में फ्रांस की रुचि है । स्पष्ट रूप से इस पहल का अनुमोदन किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती उसे अवश्य आगे आना चाहिए । समूचे विश्व के लोग और विशेषकर गुट-निरपेक्ष देशों के लोग आपको नेतृत्व की ओर देख रहे हैं । विदेश मंत्री और प्रधानमन्त्री को इस आन्दोलन में वह नेतृत्व प्रदान करना चाहिए जो इस नई सरकार के सत्तारूढ़ होने से पूर्व ढाई साल के दौरान स्थगित हो गया था अथवा उभर नहीं पाया था ।

श्री वाजपेयी द्वारा किए गए गुट-निरपेक्षता में दावों के सन्दर्भ में मैंने दियागो गार्शिया का उल्लेख किया है । दावे किए गए है परन्तु जहां तक दियागो गार्शिया का सम्बन्ध है, उन्होंने क्या किया ? उन्होंने क्या पहल की ? सदन के अन्दर और सदन के बाहर चालबाजी भरे वक्तव्य देने के अलावा, जनता सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम क्या थे ? प्रत्येक बात यही जाहिर करती है और प्रत्येक को यह बात कहनी चाहिए भले ही कितनी ही पीड़ादायक क्यों न हो, कि जहां तक अमेरिका का सम्बन्ध है, जनता पार्टी की सरकार की नीति पूरी तरह तुष्टीकरण की नीति थी, सब कुछ देने की लेकिन उसके बदले में कुछ न लेने की नीति । न केवल दियागो गार्शिया के मामले में अपितु अन्य अनेक मामलों में यह बात सामने आई है ।

अमेरिकी प्रशासन ने इस देश के साथ, हमारे तारापुर बिजली संयंत्र के लिये अत्यावश्यक अणु ईंधन की सप्लाई करने के लिये एक औपचारिक अनुबंध किया है । पश्चिम भारत का बहुत बड़ा भाग अपने औद्योगिकीकरण के लिए तारापुर बिजलीघर पर निर्भर करता है । औपचारिक अनुबंध के बावजूद, पिछले शासन काल के दौरान अमेरिका ने बार-बार इस अनुबंध का उल्लंघन किया । जनता सरकार ने क्या किया ? जनता पार्टी सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य सचिव श्री जोसेफ को आमन्त्रित किया । वह यहां आए । उन्होंने आणविक ऊर्जा आयोग के निदेशक श्री सेठना के साथ बातचीत की । उन्होंने हमारे सभी आणविक संस्थानों की यात्रा की, उन परमाणु संस्थानों की भी जो कि इस समझौते के क्षेत्र में नहीं आते जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र । यह सब उन्होंने किया, वह हमारे परमाणु संस्थानों, हमारी समूची आणविक प्रगति के बारे में सभी कुछ जान गये, लेकिन अभी तक परमाणु ईंधन नहीं मिला । सरकार की ओर से प्रधानमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई । जब प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई से इस संबंध में पूछा गया, उन्होंने कहा "अच्छी बात है । हम प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं । हम और कुछ नहीं करेंगे, हम और कुछ कर नहीं सकते ।" कुछ दिनों पूर्व सदन को यह जानकर धक्का पहुंचा । हमारे विदेश मंत्री ने और प्रधान मंत्री ने इसराल के तत्कालीन विदेश

मंत्री श्री मोशे दयान के साथ गुप्त वार्ता की थी। यह स्पष्ट तौर पर सदन में की गई उन सभी घोषणाओं और वक्तव्यों के विपरीत था कि अरब देशों तथा इसरायल के सम्बन्ध में हमारी नीति यथावत बनी रहेगी। उन्होंने गुप्त वार्ताएं कीं। हम जानते हैं कि जनता पार्टी के शासन में आने से पूर्व जनसंघ धड़े ने सदन में इस बात के लिये हमेशा ही संघर्ष किया और घोषित किया कि भारत के इसरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध अवश्य रखने चाहिए। हम जानते हैं कि जब राष्ट्रपति कार्टर भारत की यात्रा पर आए, उन्होंने प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई को – जैसा कि बताया गया—यह सलाह दी कि इसरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाये जाएं या कम से कम इसरायल के साथ राजनयिक सम्बन्धों को सुधारा जाये। इसलिए, गुप्त बैठकें की गई। मैं तथा यहां उपस्थित हम सभी यह समझते हैं कि श्री वाजपेयी और श्री मोरारजी देसाई इस संसद के प्रति वचनबद्ध हैं, श्री वाजपेयी इस संसद के प्रति और श्री मोरारजी देसाई देश के प्रति यह बताने के लिए वचनबद्ध हैं कि उन्होंने इसरायल के विदेश मंत्री के साथ जो तथाकथित गुप्त वार्ताएं कीं उनमें वस्तुतः क्या-क्या बाते हुईं।

उन्हें अवश्य ही हमें बताना चाहिये कि वास्तव में क्या हुआ, उस बैठक के क्या कारण थे और उसका क्या परिणाम निकला। श्रीमान् जी, किसी प्रामाणिक स्पष्टीकरण के न होने से, इस देश में विभिन्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये हैं। एक कारण यह है कि जनता सरकार वास्तव में अपने संबंधों को सुधारना चाहती थी अथवा इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित भी करना चाहती थी किन्तु वह उस समय सार्वजनिक रूप से यह नहीं बता सकी क्योंकि जनता पार्टी अधिकांशतः उत्तरी भारत के मतों के आधार पर सत्तारूढ़ हुई थी जहां पर मुसलमानों की आबादी काफी अधिक है और इसराइल के साथ संबंधों को मजबूत करने या इसरायल को मान्यता प्रदान करने से मुसलमान नाराज हो जाते। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि हम तेल की सप्लाई के लिए अरब देशों पर निर्भर हैं और अरब देश इसे अच्छा नहीं समझेंगे और वास्तव में उन्होंने इस प्रकार की किसी बातचीत को अच्छा समझा भी नहीं। तब तक यही कारण हैं 'जो ठीक लगते हैं, अथवा जब तक कि श्री वाजपेयी अथवा श्री देसाई वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं करते हैं।

आज हमारे देश में ऐसी सरकार सत्तारूढ़ है जिसे हम एक मजबूत सरकार कहते हैं। यह वास्तव में न केवल एक मजबूत सरकार है, बल्कि इसे देश की बड़ी संख्या और अधिक वर्गों एवं प्रायः फभी वर्गों के लोगों का समर्थन भी प्राप्त है। यह एक ऐसी सरकार है जो अपनी जिम्मेदारियों को जानती है; यही सरकार है जो कि दृढ़ता एवं संकल्प से परिपूर्ण है और इस सरकार को राजनीतिक इरादा भी प्राप्त है, इसकी प्रधान मंत्री ऐसी हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी क्षमता को प्रमाणित कर दिया है। यद्यपि हमें श्री किसिंजर से किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है फिर भी श्री किसिंजर को श्रीमती इन्दिरा गांधी की कुशलता एवं राजनीतिक प्रतिभा को स्वीकार करना पड़ा। हमारे यहां इस समय ऐसे विदेश मंत्री हैं जिनकी योग्यताओं को किसी ने भी अस्वीकार नहीं किया है और सभी उनकी योग्यताओं को जानते हैं।

अब, श्रीमान् जी, यह महत्वपूर्ण है कि हम फिर से पहले की नीतियों को अपनायें और हम कमजोर घुटने टेक नीतियों के दुखद अध्याय को भूल जायें जो मार्च 1977 से जनवरी 1980 तक मौजूद था और अपनी पहले वाली स्थिति को अपनायें :

इस सरकार पर बार-बार यह दोष लगाया गया हैं कि इसका झुकाव सोवियत संघ की ओर है। मुझे तो सोवियत संघ के प्रति किसी प्रकार के झुकाव अथवा किसी प्रकार के अनुचित झुकाव का कोई प्रमाण दिखाई ही नहीं देता जिसे हमें दिखाया जा सकता है जिससे हम इस बारे में विश्वास कर सकें। हमें तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी अपेक्षा सोवियत संघ का झुकाव भारत की ओर हुआ है और इस झुकाव के लिये हमारे ऊपर दोष नहीं लगाया जा सकता। इसमें इस देश का कोई दोष नहीं है। यदि सोवियत संघ ने हमें हमारी औद्योगिक योजनाओं में सहायता दी है। तो हमसे प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती। यदि सोवियत संघ ने काश्मीर अथवा गोआ और बाद में चीन के साथ हमारे मतभेदों के मामलों के सम्बन्ध में हमारी सहायता की है, तो हम शिकायत नहीं कर सकते। हालांकि हम यह नहीं भूल सकते कि सोवियत संघ की बड़ी शक्ति के रूप में अपनी मजबूरियां हैं और ये हमारी अपनी नीतियों से अथवा उस मामले गुट-निरपेक्ष देशों के हितों के साथ मेल नहीं खातीं। यह बात सच है कि सोवियत संघ की नौसेनायें हिन्द महासागर में बार-बार घूमती ही हैं सोवियत संघ में एक अन्तर है जो कि नौसैनिक अड्डे और नौसैनिक उपस्थिति की बीच में अन्तर दर्शाने वाली एक तर्कसंगत बात है। अर्थात इसका इस क्षेत्र में कोई नौसैनिक अड्डा नहीं है, प्रत्युत उसकी केवल नौसैनिक उपस्थिति है। यद्यपि यह कम खतरनाक बात है तो भी अन्तर केवल मात्रा का है न कि प्रकार का। इससे इस क्षेत्र के लोगों तथा राष्ट्रों के हितों से महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने के लिये कोई भी अन्तर नहीं है।

1981 में कोलम्बो में हिन्द महासागर के समूचे मामले पर संयुक्त राष्ट्रसंघ में चर्चा करने की योजना बनाई गई है, किन्तु पहले ही इस सम्मेलन को बेकार करने के प्रयास शुरू किये जा चुके हैं। विशेषकर कि पश्चिमी राष्ट्रों एवं संयुक्त राज्य अमरीका जो कारण इस सम्मेलन में न शामिल होने के लिए बता रहे हैं, वह मेरे विचार से मिथ्या हैं। यह इस देश के हित में है. और मैं सरकार से प्रार्थना एवं अनुरोध करूँगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह सम्मेलन हो और कि इस सम्मेलन के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय मत भी बने।

अफगानिस्तान की घटनायें हम सभी के लिये एक चिन्ता का कारण बनी हुई हैं और अफगानिस्तान की घटनाओं से मेरा अभिप्राय वहां सोवियत हस्तक्षेप से है। सोवियत संघ कहता है कि कुछ वर्ष पूर्व उस देश के साथ सोवियत संघ का सौहार्द, मैत्री एवं पारस्परिक सहायता की एक संधि हुई थी जिसके अनुसार यदि अफगानिस्तान की सरकार द्वारा प्रार्थना करे तो सोवियत संघ से सैनिक सहायता की पेशकश करना अपेक्षित है। वे यह भी कहते हैं कि श्री करमल ने नहीं; बल्कि श्री अमीन द्वारा वहां सेनाओं के भेजे जाने की प्रार्थना की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत संघ ने हमारी सरकार को यह आश्वासन दिया है कि यदि केवल पाकिस्तान उस देश को सशस्त्र विद्रोही नहीं भेजता, तो वह अपनी सेनाओं को वहां से हटाने के लिये तैयार है। यह एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है, किन्तु तब भी यह तथ्य तो है ही कि अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की उपस्थिति समूचे क्षेत्र के लिए तनाव का कारण बनी हुई है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करने चाहिये, ठोस पग उठाने चाहिये कि सोवियत संघ अपनी सेनाओं को वहां से यथाशीघ्र हटा ले। हमारी सरकार ने ऐसा करने का प्रयास किया भी है। बैठकें हो रही है, हमारे उच्च अधिकारी उस क्षेत्र में तथा कई

अन्य देशों में जाते रहे हैं। वे एक ही बात में सफल रहे हैं, किन्तु हम अपने प्रयासों में ढील नहीं कर सकते और हमें इस बारे में प्रगति करनी ही होगी, क्योंकि मैं अनिवार्य रूप से बार-बार यह बात कहना चाहता हूं कि इस विश्व के अधिकांश देश हमारे नेतृत्व की ओर समाधान ढूंढ करके इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये देख रहे हैं। कुछ दिन पूर्व एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए हमारे विदेश मंत्री महोदय ने हमारे चले आ रहे मतभेदों को सुलझाने के सम्बन्ध में चीन गणराज्य के साथ हो रही बातचीत के बारे में एक वक्तव्य इस सभा में दिया था। उन्होंने हमें बताया है चीन ने सुझाव दिया है कि दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रित सीमा रेखा के आधार पर अपने-अपने रवैये में नरमी का रुख अपनाना चाहिये, अर्थात चीन को सीमा के पूर्वी क्षेत्र में और भारत को पश्चिमी क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण में नरमी लानी चाहिये; ताकि समग्र समझौते की योजना के रूप में चीन-भारत सीमा प्रश्न का समाधान किया जा सके।

मेरे विचार में सीमा विवाद ही मुख्य बात नहीं है। मेरा विचार तो यह है कि चीनी नेतृत्व में विश्वास को बहाल करना ही मुख्य बात है। हमारे साथ बार-बार धोखा किया गया हैं। बाद की एक घटना लीजिये जो किसी भी तरह एक मात्र घटना नहीं है, जब श्री वाजपेयी सभी प्रकार की सदभावना तथा सादगी के साथ चीन गये थे, तब भी हमारा यह विचार था कि उनका वहां जाना सामयिक नहीं था, तो उनका वहां **निरादर** किया गया था। जब उनका **निरादर** हुआ तो हम सब का निरादर हुआ। जब वह वहां थे, तो चीन ने उन्हें विश्वास में लिये बिना ही वियतनाम पर आक्रमण कर दिया।

मैं तो यह कहूंगा कि सीमा विवाद के अतिरिक्त, सीमा विवाद की अपेक्षा अधिक महत्व-पूर्ण बात यह है कि चीन के नेतृत्व में विश्वास को बहाल किया जाये। हम कठोर नियन्त्रण वाले समाज में नहीं रह रहे हैं। हमें अपने लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि चीन के रवैये में परिवर्तन आ गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार जो पग उठा रही है, वे निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से हमें न केवल चीन के साथ, बल्कि दूसरे देशों, अर्थात् पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों को बहाल करने के लिये हर सम्भव प्रयास अवश्य ही करना चाहिये, क्योंकि जब हमारे देश और चीन जैसे अन्य देशों को अपने आर्थिक विकास के लिये अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है, तो हम जो धन व्यय सैनिक शस्त्रों पर कर रहे हैं, वह व्यय करते रहने में हम समर्थ नहीं हैं।

सरकार को चाहिये कि भारत और चीन के बीच शेष रह रहे मतभेदों को भी ध्यान में रखे। चीन का काश्मीर के बारे में क्या रवैया है? चीन काश्मीर के लिये आत्मनिर्णय के तथाकथित अधिकार की बात कहता रहा है। ऐसा कहना उसका काम नही है। यह इस देश की आन्तरिक घरेलु समस्या है। चीन का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त जहां तक सिक्किम का सम्बन्ध है, कुछ दिन पूर्व एक अमरीकी मान-चित्र में सिक्किम को एक स्वतंत्र देश के रूप में दिखाया गया था। चीन का भी वही रवैया है। यह संयोग की बात है। किन्तु यह बात केवल संयोग की ही नहीं हो सकती। अमरीका और चीन दोनों ने यह घोषणा की है कि सिक्किम एक स्वतंत्र देश है।

चीन का भूटान के साथ सीमा विवाद है। इसका कुछ हजार मील का क्षेत्र चीन के

अवैध कब्जे में है। भूटान एक स्वतंत्र देश है। यह अपना ध्यान रखने में समर्थ नहीं है। यह हमारे लिये भी चिन्ता का विषय है, क्योंकि भुटान हमारा पड़ोसी देश है। इस बारे में चीनी नेताओं के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। जहां हम चीन के साथ इस बातचीत का स्वागत करते हैं, वहां हम आशा करते है कि अपने पूर्व अनुभव को देखते हुये भारत सरकार सतर्कता बरतने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेगी।

अन्त में मैं दो मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा जो इस मामले से पूरी तरह असंबंधित नहीं हैं। श्री वाजपेयी से पूर्व कभी भी हमारे यहां ऐसा कोई विदेश मंत्री नही था जो इतने अधिक देशों में गया हो।

एक माननीय सदस्य : 'वायेज–पेयी'।

स्री एडुआर्डो फैलीरो : 'वायेज–पेयी' कहना ही पर्याप्त होगा। उसके बावजुद मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि श्री वाजपेयी को अफ्रीका में तनजानिया को छोड़ कर किसी अन्य देश में कभी जाने का समय नहीं मिला। वह संयुक्त राज्य अमरीका में कम से कम दो बार गये, किन्तु वह लातीनी अमरीका के किसी देश में एक बार भी नहीं गये। मुझे यहां यह अनुरोध करना चाहिये कि अपने दबावों को देखते हुये एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों नैतिक मामले एवं विश्व भर में शान्ति बनाये रखने की दृष्टिगत रखते हुये हमें बड़ी शक्तियों के साथ अपने संबंध बनाये रखने चाहियें—मैं न्यूनतम स्तर पर चीन को भी न केवल एशिया के अन्य देशों के साथ बल्कि अफ्रीका एवं दक्षिण अमरीका के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने के लिये ध्यान केन्द्रित करने की कात को शामिल करता हूं, जिनकी हमने बड़ी सीमा तक उपेक्षा की है।

मैं सेशल्स नाम के देश में अपने देश की मिशन स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करता हूं। यह एक सही कदम है। मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे कि इन क्षेत्रों में अधिकांश लोग हमारे साथ मैत्री की स्थापना के लिये उत्सुक हैं। मुझे यह कहना चाहिये कि वे अपने संयुक्त एवं समान हित में इस देश का नेतृत्व प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे विश्वास हैं कि यह सरकार पंडित नेहरू और श्री कृष्ण मेनन की, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के सम्मान को चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया, नीतियों को नहीं छोड़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय से संबंधित मांगों के बारे में मुझे बोलने का अवसर देने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी क्षेत्रों में, संभवतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कभी कभी बहुत तेजी से और दूरगामी परिवर्तन होते हैं। जैसे भूकम्प भूस्पंद नये उत्केन्द्रों से आकर असंतुलन पैदा करते हैं एवं शक्ति के संतुलन को बदलते हैं। इन आघात रूपी तरंगों को जो समय-समय पर उठती रहती हैं रोकने के लिये यह आवश्यक है कि हम आंतरिक रूप से मजबूत रहें। मैं स्वर्गीय श्री संजय गांधी के उस कथन को उदघृत करता हूं जिसे उन्होंने अपने अंतिम प्रेस-साक्षात्कार में अपनी दुखद मृत्यु से कुछ दिन पूर्व कहा था :

"यदि हम मजबूत हैं तो लोग हमारी ओर देखेंगे ही। यदि हम कमजोर व बिखरे हुये रहेंगे तो हमारी कही हुई बात पर ध्यान न देकर कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा।"

दुर्भाग्यवश जनता पार्टी के तीन साल के जमावड़े ने हमें उस दुखद स्थिति में छोड़ दिया जहां न केवल हम आंतरिक रूप से कमजोर हो गये बल्कि हमारी विदेश नीति भी कमजोर हो गई। 1977 में नई सरकार के शुरू के दिनों में भी मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने जो बाधाएं थीं उन्हें बताया था और उस समय मैंने जो भाषण में कहा था उसे उद्धृत करता हूं :

"श्री वाजपेयी ने शुरू के दो माह में अपने पद में रहते हुए अच्छा काम किया है। परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि वह अविवाहित हैं और अविवाहित व्यक्ति को प्रणय-गाचन की आदत होती है।"

मैं न चाहते हुये भी व्यक्तिगत खतरा मोल लेकर, क्योंकि यह बात मेरी पत्नी के कानों तक पहुंच ही जायगी, अपना ही उदाहरण देता हूं :

"हालांकि, एक विवाहित व्यक्ति होने के नाते मैं उन्हें यह सलाह देना चाहता हूं कि केवल मधुमास के समाप्त होने पर ही दीर्घकालीन सम्बन्धों को बनाये रखने के लिये एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त होता है।"

और यही श्री वाजपेयी और जनता पार्टी पूर्णतः असफल रहे।

जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रघाती लहरें उपकेन्द्रों से उठती हैं। करमाल के शासन के कमजोर होने के कारण अफगानिस्तान भी एक ऐसा ही केन्द्र बन गया है और छापामारों की गतिविधियां बढ़ जाने के कारण सोवियत संघ को सेनाओं की वापिसी में बड़ी कठिनाई हो रही है। मेरे विचार से अल्पकालीन और दीर्घकालीन दृष्टि से जो भी संभव था हमारी सरकार ने अच्छा ही किया है। अल्प-कालीन दृष्टि से हमें यह देखते रहना था कि पहले समस्या को नियन्त्रण में लाया जाये और वह आगे न बढ़े, क्योंकि फैलना पूरे उपमहाद्वीप के लिए बहुत खतरनाक बात है और अफगानिस्तान से ही अन्तर्राष्ट्रीय विनाश की शुरूआत हो सकती है।

दूसरा महत्वपूर्ण काम जो हमारी सरकार ने अल्पकालीन दृष्टि से किया है वह यह है कि इसकी स्थिति ऐसी है जिससे भारत अब भी एक अच्छे मध्यस्थ के रूप में काम कर सकता हैं। जब माननीय विदेश मंत्री सोवियत संघ गये तब उन्होंने वक्तव्य देने में वही सावधानी बरती और उसके लिये उन्हें मैं बधाई देता हूं। यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान की स्थिति है जिससे हम इस समस्या का समाधान करने में प्रमुख भूमिका अदा कर सकेंगे। दीर्घकालीन दृष्टि से मैं केवल इतना ही कह सकता हू कि आज जो स्थिति है उसे वास्तविक ढंग से देखना होगा। वर्तमान स्थिति में जब तक खतरे को दूर नहीं किया जाता जिसका सामना वे कर रहे हैं तब तक सोवियत संघ से बिना शर्त सेना वापस बुलाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अतः कोई भी प्रस्ताव सोवियत संघ के पास रखा जाता है उसमें दो बातें होनी चाहिये। पहला आदर व विश्वास के साथ सेना को वापस बुलाना तथा दूसरा यह है कि यदि किसी समझौते के परिणाम-स्वरूप बनी सरकार औपचारिक दृष्टि से सोवियत समर्थक या साम्यवादी न हो तो एक प्रकार की गारंटी हो कि भविष्य में अफगानिस्तान सोवियत विरोधी सरकार नहीं बनायेगा। ये दो बातें हैं जिनको हमें किसी समझौते में शामिल करना होगा। और सबसे अच्छी चीज जिसकी पश्चिमी देश आशा कर सकते हैं वह वास्तविक दृष्टिकोण से अफगानिस्तान सोवियत संघ का अंग उसी

अर्थ में न हो जिस अर्थ में वारसा की संधि देश हैं और सोवियत संघ शीघ्र अफगानिस्तान छोड़कर जाना शुरू कर दे । यद्यपि वर्तमान समय में काबुल सरकार का रूस की ओर झुकाव है भविष्य में अफगान राष्ट्रवाद पुनः गुट-निरपेक्ष देशों में शामिल होगा । इसी चीज की आशा पश्चिमी देश कर सकते हैं । और यदि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाये तो हम समस्या का हल कर सकते हैं । अन्यथा, मुझे इस समस्या के समाधान की कोई आशा किरण नजर नहीं आती है ।

सरकार को वातावरण को दूषित करने वाली शक्तियों को रोकना चाहिये । पाकिस्तान को पुनः शस्त्र देना ऐसा ही एक कदम है । उपमहाद्वीप में अस्त्रों की होड़ शुरू हो जाएगी, शिमला समझौते की भावना के अनुरूप पाकिस्तान युद्ध न करना स्वीकार करता है तो अच्छा होगा और अगर कोई शक्तियां रूस-अफगान के भय से पाकिस्तान की सहायता करना चाहती हैं तो उन्हें पश्चिमी सीमा पर सड़क पुल और बिजली के माध्यम से पाकिस्तान की रक्षा सम्बन्धी कारखानों को मदद देते हुये करनी चाहिये जिसके लिये भारत को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में अफगानिस्तान के लिये विद्रोह की कार्यवाहियां शुरू करने का अड्डा बनाने से रोकना चाहिये और चीन एवं अमरीका से अस्त्रों को भेजने से रोकना चाहिये । अन्यथा, सारी स्थिति ही पाकिस्तान के लिये ही हानिकारक हो सकती है क्योंकि अगर रूसी लोग कभी भी पाकिस्तानी क्षेत्र में उन विद्रोहियों का पीछा करने के लिये घुसते हैं तो यह स्थिति जो पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीय संकट के आशंकाओं से पूर्ण है, एक अन्तिम विस्फोटक के रूप में साबित होगी ।

संक्षेप में, जैसा कि मैंने कहा है तीनों कदम उठाये जाने चाहिये । पहले, विद्रोहियों के आंदोलन को समाप्त करना चाहिये, दूसरे, रूस को अपनी सेना धीरे धीरे करके अफगानिस्तान से वापस बुलाने को तैयार करना चाहिये, और तीसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में पर्यवेक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करके महाशक्तियों के हस्तक्षेप को रोका जाये ।

निःसन्देह अफगानिस्तान, क्षेत्रीय अस्थिरता एवं महाशक्तियों के हस्तक्षेप का एक स्थायी साधन बनकर खतरा पैदा करता है । इस संदर्भ में भारत चीन विवाद को मैत्रीपूर्ण एवं पारस्परिक सम्मान की भावना से हल करने के चीन के प्रस्ताव का हमारी सरकार द्वारा स्वागत किया गया है । श्री फैलीरो का कथन बिलकुल ठीक है कि आंदोलन क्रमिक होना चाहिए और अन्य विभिन्न बातों को, जिनको हमारे बीच वातावरण दूषित हो रहा है, चीन को बंद करनी चाहिये । इस मामले को पूर्वोत्तर एवं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थिति को दबाने के लिए चीन के उप-प्रधान मंत्री डेंग सियाओ, पिंग के प्रस्ताव के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए । प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत कितनी भूमि खोता है या चीन को कितनी भूमि मिलती है । इस प्रस्ताव में वह विचार प्रतिविम्ब होता है उसका हमें उत्तर देना चाहिए और यही हमारी सरकार कर रही है । दुनियां की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के बीच सम्बन्ध बनाने की प्रक्रिया शुरू करने में समस्या के निराकरण करने के लिए पेकिंग ने पहली बार रुचि दिखाई है । निहित स्वार्थों के कारण निःसंदेह ऐसे सम्बन्ध बनाने में रुकावट आयेगी क्योंकि अगर हम इस विशेष मामले पर बिना किसी बचन-बद्धता के दोस्ती स्वीकार करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इन दो देशों का जो प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न हैं जिनके पास बड़ी आबादी है, जिनके पास बड़े बाजार हैं जो सैन्य दृष्टि से मजबूत हैं, जो प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उभरे हैं और जिनके पास आणविक जानकारी है, का मेल

दुनियां में शांति और स्थायित्व के लिये एक बड़ी चीज साबित होगी और एक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय घटना होगी । अतः इसमें निहितस्वार्थ होंगे जो हमें रोकेंगे। परन्तु मैं चीन प्रस्ताव पर सरकार के रुख का स्वागत करता हूं ।

जहां तक महाशक्तियों के साथ हमारे सम्बन्धों का सवाल है मैं जनता पार्टी और श्री वाजपेयी के वाक्यांश 'वास्तविक गुट-निरपेक्षता को बिलकुल नहीं समझता हूं । 'वास्तविक गुट-निरपेक्ष' है और 'गुट निरपेक्ष क्या है ?' यह इस तरह से है जैसे कोई पुरुष अपनी स्त्री से वास्तविक रूप से विश्वास पात्र रहने को कह रहा हो। इसका क्या अर्थ है ? हमें इस बात को मानना होगा कि आज हमारा संसार द्विध्रुवीय से अनेक ध्रुवीय हो गया है अमेरिका और रूस दो महान पारम्परिक शक्तियां दो प्रथक शक्तियां ध्रुव हैं । परन्तु अमेरिका से अलग चीन और पश्चिमी पश्चिमी यूरोप की महाशक्तियों के रूप में अभ्युदय, होना द्विध्रुवीय एकाधिकार की स्थिति के लिये सहायक नहीं हैं अतः सरकार इन प्रत्येक महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय अच्छे सम्बन्ध बनाकर ठीक ही कर रही है । निःसंदेह यह अफ्रीकी महाद्वीप एशिया या दक्षिण अमेरिका की उपेक्षा करके नहीं होना चाहिये ।

भौगोलिक स्थिति के कारण यह स्वाभाविक है, और हमारा सोवियत संघ की ओर ज्यादा झुकाव इसलिये है क्योंकि हमें दोनों को इससे लाभ है । उन्होंने हमें 1971 में मुसीबत के समय में जो सहायता दी थी उसे हम नहीं भूल सकते हैं। इसलिए उनकी तरफ हमारा झुकाव स्वाभाविक है । परन्तु मैं अपने विदेश मंत्री को बधाई दूंगा जिन्होंने यह ध्यान दिलाया है कि यह सम्बन्ध दबावपूर्ण न हो। यह बात महत्वपूर्ण है ।

जहां तक अमरीकन नीति का सम्बन्ध है, हमेशा की तरह वे पुराने तरीके से कल्पना लोक में विचरण कर रहे हैं । नव सेना शस्त्रागार या सैनिक औजारों को ढोने वाले जहाजों के निर्माण करने के निर्णय का उल्लेख हम घबराहट के साथ करते हैं । मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री फैलीरो ने डिएगोगार्सिया के बारे में विस्तृत चर्चा की है वास्तव में 1971 में विदेशी मामलों पर बोलते हुये मैं ही वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने इस सदन में डिएगोगार्सिया की चर्चा की थी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री फैलोरी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिये पुरजोर कोशिस करनी चाहिये कि स्वेज के पूर्व में यह भी संघर्ष का प्रमुख क्षेत्र न बने । हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रतिद्वन्दिता की प्रक्रिया को हमें रोकना चाहिए । जैसा कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि 'हम न तो अमेरिका के समर्थक हैं न रूस के, हम केवल भारत-समर्थक हैं।' और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इसे कार्य रूप में परिणित कर रही है ।

अन्त में, नेपाल के साथ हमारे बहुत पुराने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं । यह हिमालय के दक्षिण में उपमहाद्वीप का एक आवश्यक भाग है । अतः उनका हमारी तरफ झुकाव स्वाभाविक ही होगा । साथ ही नेपाल के साथ लम्बी सीमा से जुड़े होने के कारण बहुत संघर्ष भी हो सकता है और इसलिए नदी जल के उपभोग के लिये अच्छी भावना पैदा कर सम्बन्ध मजबूत बनाने की आवश्यकता है । उदाहरण के लिए करनाली और कोसी परियोजनाओं की 45,00 मेगावाट और 3,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है । परन्तु हमारी सरकार

की पेशकश के बावजूद भी इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है । यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यह भारत पर बाढ़ के प्रकोप को रोकेगा और यह एक बड़ा बिजली का स्रोत होगा जिसकी हमें अगले दशक में आवश्यकता होगी । साथ ही नेपाल का हमारे साथ व्यापार असंतुलन को दूर करने में सहायता मिलेगी जैसे कि उन्हें इससे बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी । नेपाल के वित्त मंत्री ने अपने बजट में नेपालियों के दृष्टिकोण से भारत और नेपाल के बीच बिगड़ते हुए व्यापार संतुलन की चर्चा की थी । इसलिये इन नदियों के जल के उपयोग दोनों पक्षों से होने वाले बड़े लोगों के बारे में नेपाल को विश्वास दिलाने के लिये बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है । नेपाल के साथ इस मैत्रीपूर्ण संबंध को सुनिश्चित करने के लिए बड़े अनुरक्षण प्रयास की आवश्यकता है और नदी के जल संबंधी समझौते की प्रगति से इस दिशा में बहुत बड़ी सफलता मिल पायेगी ।

श्रीमती गांधी के नेतृत्व तथा हमारे विदेश मंत्री, श्री नरसिंह राव की अनुभवी तथा संतुलित अध्यक्षता ने उस गतिशीलता को बहाल किया है जिसकी हमारी विदेश नीति में कमी थी । हमारी नीति, हमारे लक्षित उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए, एक बार फिर गतिशील नीति बन रही है । यह प्रतिक्रियाशील नीति मात्र नहीं बन रही है, अधिक कार्य की नीति बन रही है । यह प्रतिक्रिया की नीति मात्र नहीं बन रही है, यह वास्तविक राजनीति की नीति बन रही है । यह हठधर्मी की नीति नहीं बन रही है । एक बार फिर सम्पूर्ण विश्व हमारी विवाद-ग्रस्त मामलों को शान्त कर देने के लिये सलाह तथा पहल की प्रतीक्षा कर रहा है । मुझे कोई सन्देह नहीं है कि हमारी प्रधान मंत्री महोदया के नेतृत्व में हम एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावी तथा रचनात्मक भूमिका अदा करेंगे ।

धन्यवाद

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने विदेश मंत्री महोदय को कल इस सभा में कम्पुचियन सरकार को मान्यता देने की उनकी घोषणा पर बधाई देना चाहूंगा । परन्तु मैं नहीं समझ पाया कि भारत सरकार ने निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगाया जो सरकार को पहले ही ले लेना चाहिए था । सम्पूर्ण विश्व के लोग विशेष रूप से वे लोग जो साम्राज्यवाद तथा नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं हमारे ऊपर कड़ी निगरानी रख रहे हैं । इसलिए इस अनावश्यक विलम्ब ने लोगों में सन्देह उत्पन्न कर दिया है । सम्भवतः भारत सरकार कुछ ताकतों को सन्तुष्ट करने का प्रयास कर रही थी जो सरकार को नहीं करना चाहिये था । इसलिए भारत सरकार द्वारा सही कदम उठाया गया है हालांकि विलम्बित है, जिसके लिए मैं भारत सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के विश्व में एक देश विशेष की विदेश नीति महत्वपूर्ण है । हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां राष्ट्र अगल-थलग हैं । अब राष्ट्रों के अलग रहने का समय नहीं रहा है । तकनीकी, आर्थिक, वाणिज्यिक तथा वैज्ञानिक प्रगति के कारण विश्व बहुत छोटा हो गया है और इसलिये किसी विशेष देश की विदेश नीति का बहुत महत्व है । इसलिये मेरा कहना है कि हमारी विदेश नीति महत्वपूर्ण है । अब प्रश्न यह है कि हम अपनी विदेश नीति का निर्णय कैसे करें ? मैं अपने कुछ मित्रों को प्रतिद्वन्दी बड़ी शक्तियों के बारे में बातचीत करते हुये सुनता हूं । मैं विश्व की राजनीति की ऐसी व्याख्याएं सुनता हूं मानो विश्व की राजनीति पर उन बड़ी-

शक्तियों का आधिपत्य है जिनके पास आयुद्ध सामग्री है विशेष रूप से परमाणु हथियार हैं। उन्हीं का विश्व पर प्रभुत्व है। परन्तु क्या यह सच है या यह सच नहीं है कि हम आज जो कुछ भी देख रहे हैं वह साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष है? क्या यह सच नहीं कि आज का मुख्य संघर्ष साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध है? यदि हम लेटिन अमेरिका के देशों, अफ्रीका के देशों तथा एशिया के देशों पर नजर डालें तो हम देखेंगें कि आज भी इन देशों के व्यापक संसाधनों का साम्राज्यवादियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। विश्व के अधिकांश लोग अब भी भूख, गरीबी और बीमारी के शिकार हैं। इसका कारण साम्राज्यवादी देशों द्वारा इनका शोषण करना है। अब हमें जो पता लगा है वह यह है कि अमेरिका में 1950 से 1965 में 1,60,00,00 लाख डालर की शुद्ध पूंजी आयी। यद्यपि पुराने किस्म का शोषण समाप्त हो चुका है परन्तु अब नई किस्म का नव-उपनिवेशवाद के रूप में शोषण दिखाई देता है। अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देश जो कुछ भी हमें सहायता देते हैं उससे वस्तुतः हमें कोई सहायता नहीं मिलती। वे हमें इसलिए सहायता देते हैं जिससे हम सदा उन पर निर्भर रहें। यदि हम विश्व की अर्थ व्यवस्था का विश्लेषण करें तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी। प० जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा फ्रांस की अर्थ-व्यवस्था विश्व के इन अविकसित तथा विकसित देशों के शोषण पर आधारित है। इस सन्दर्भ में हमें अपनी विदेश नीति का विश्लेषण करना है कि हमारा उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में कौन-सा स्थान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हमें अपनी गुट-निरपेक्ष नीति की भी जांच करनी होगी। अन्ततः, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि विश्व के सभी देशों के आर्थिक तथा राजनैतिक विकास ही एक अत्याधिक महत्वपूर्ण बात है। हमें तोपों के बल पर डराने धमकाने की कूटनीति आज खत्म हो चुकी है। साम्राज्यवादी शक्तियों को यह मालूम है कि वे सीधे तरीके से इन अविकसित तथा विकसित देशों के मानव तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वे कठपुतली राज बनाना चाहते हैं, इसलिए सशस्त्र आधार बनाना चाहते हैं और यह एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के जल्दी आजाद हुये देशों के लिये खतरनाक है। वास्तव में ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद से साम्राज्यवादी देशों की मुख्य रूप से अमेरिका की यह नीति रही है। वह मि० फोस्टर डलस थे जिन्होंने वास्तविक रूप से साम्यवाद को नियंत्रित करने के नाम पर सम्पूर्ण विश्व में अमेरिकी सैनिक अड्डे स्थापित किये तथा उनका विस्तार किया। कोई भी विकासशील देश जो अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था उस पर साम्यवादी की मोहर लगा दी गई। उसके जीवन-काल के दौरान नियंत्रण की इस नीति को मुक्ति मिलने तक बढ़ा दिया गया था। वे अरबों डालर "स्वतंत्रता" की गारन्टी देने के नाम पर खर्च कर रहे थे। परन्तु वे यह सब कुछ नवोदित अर्द्ध विकसित देशों को दास बनाने तथा पूर्वी यूरोपीयन देशों को बर्बाद करने के लिये कर रहे हैं।

आज साम्राज्यवादी शक्तियां इन विकसित और विकासशील देशों के आर्थिक स्रोतों पर अपना अधिकार जमाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से योजना बना रही हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार — विशेष रूप से विदेश मंत्री महोदय इस संदर्भ में हमारी भूमिका निर्धारित करें। हमारी क्या स्थिति है? हमारे कौन-कौन मित्र हैं? हमारे कौन-कौन दुश्मन हैं? मुझे याद है, आजादी प्राप्त होने के बाद हमने ठीक ढंग से यह निर्णय किया कि हमें अपने स्वतंत्र आर्थिक विकास के लिए गुट-निरपेक्षता को अवश्य अपनाना चाहिए। गुट-निरपेक्षता का अर्थ ऐसा नहीं

होना चाहिए जैसा कि मेरे कुछ मित्र इसका अर्थ लगाना चाहते हैं कि हमें दो शक्तियों के बीच में होना चाहिए। गुट-निरपेक्षता का अर्थ सन्तुलन करना नहीं होना चाहिए। गुट-निरपेक्षता का यह अर्थ होना चाहिए कि हमें साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध दृष्टिकोण अवश्य अपनाना चाहिए। जैसा हमने बंडुंग सम्मेलन में किया है। मुझे यह देखकर दुःख है कि भारत सरकार को श्रेणी-स्थिति के कारण तथा पाश्चात देशों पर हमारी अर्थ-व्यवस्था की निर्भरता के कारण हम उपनिवेशवाद-विरोधी तथा साम्राज्यवाद-विरोधी भूमिका पर दबाव देने की स्थिति में नहीं हैं। एक बार आप साम्राज्यवादी शक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में रियायत देते हैं तो आप राजनैतिक क्षेत्र में उन्हें रियायत देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तारापुर के बारे में सोचिये। अमेरिका बचनबद्ध है। परन्तु देखिये वहां क्या हो रहा है। वे हमारे ऊपर कैसे दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह खतरनाक है कि हम आर्थिक रूप से किसी देश विशेषकर साम्राज्यवादी देशों पर निर्भर रहें। इसलिए मुझे इस बात पर अवश्य बल देना चाहिए कि यदि हम सही मानों में गुट-निरपेक्षता को अपनाना चाहते हैं तो हमें उस गुट-निरपेक्षता को बनाये रखने के लिये इस आर्थिक शक्ति को भी अवश्य प्राप्त करना चाहिए अन्यथा साम्राज्यवादियों को राजनैतिक रियायतें देने का खतरा बना रहेगा।

अब इस सन्दर्भ में मुझ यह अवश्य कहना चाहिए कि यह खतरनाक है इस सभा में इस पर चर्चा हो चुकी है कि पहली सरकार ने मोशे डेआन से कुछ वार्ता की थी। यह मोशे डेआन कौन था? क्या वे मध्य एशिया में उन सब साम्राज्यवादी साजिशों के जिम्मेदार नहीं थे? क्या यह सच नहीं है कि इस्राइल अरब विश्व में अमेरिका के साम्राज्यवादियों का आधार है? क्या यह सच नहीं है कि इस्राइल को अरब के लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया है और अब विश्व के लोग हमारा कैसे निर्णय करेंगे जबकि हमने मोशे डेआन जैसे व्यक्ति से वार्ता कर ली है? उसके बारे में हमें सोचना है।

श्रीमान्, मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि यहाँ कुछ मित्र हैं जो रूसी सेना की मौजूदगी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि जब कभी हमने किसी साम्राज्यवादी-विरोधी आधार को लेने का प्रयास किया तो अमेरिका रास्ते में आया। कश्मीर समस्या में हमारे साथ कौन था? वह रूस था। रूस की अमेरिका के साथ बराबरी करना या समाजवादी गुट की पाश्चात देशों के साथ बराबरी करना खतरनाक है। अन्ततः हमें देशों के उन कार्यों से जायजा लेना है जो वे करते हैं; क्या वास्तविक रूप से वे संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में हैं? क्या वास्तविक रूप से स्वतंत्रता के पक्ष में हैं? क्या उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद तत्वों के विरुद्ध हमारे संघर्ष में वे हमारे साथ हैं।

अब श्रीमान्, मैं एक मिशाल दूं। बंगला देश के मुक्ति आन्दोलन के बारे में कुछ लोग हिन्द महासागर में रूसी सेना की मौजूदगी की बात कर रहे हैं। श्रीमान् जब बंगला देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, भारत सरकार ने उसका साथ दिया। यह अमेरिका का 7वाँ बेड़ा था जो बंगला देश में घृणित राज की सुरक्षा करने के लिये वहां पहुंचा। यह एक मात्र रूस के बेड़े की मौजूदगी थी जिसने स्थिति संभाली। इसलिये हमें इन दो शक्तियों की आपस में बराबरी नहीं करनी चाहिए। यदि हम इस तरह से इन दो शक्तियों की बराबरी करते हैं तो हमारे लिये भी खतरा होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

राष्ट्र संघ में सभी अवसरों पर समाजवादी राज्य विश्व के संघर्ष करने वाले लोगों के साथ रहे। क्या आप कोई भी मिसाल दे सकते हैं जब रूस का वीटो विश्व के संघर्ष करने वाले लोगों के विरुद्ध गया हो ? नहीं, मेरे मित्र इस सभा में अफगानिस्तान में रूसी सेना की मौजूदगी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि रूसी सेना अफगानिस्तान में भेजनी पड़ी थी ? रूसी सेना की मौजूदगी इस तथ्य के कारण है कि वहां तनावपूर्ण स्थिति है ? नहीं। सच यह है। जिस क्षण सरकार बदली थी सरकार कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सुधारों को करने के लिये बचनबद्ध थी – अमेरिका ने अपने ऊपर यथा पूर्व स्थिति में वापस जाने की जिम्मेवारी ली। उन्होंने पाकिस्तान को हथियार दिये हैं। पाकिस्तानी क्षेत्र का प्रति-क्रान्तिकारी बलों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रयोग किया गया। लगभग 3.50 लाख प्रति-क्रान्तिकारी, सशस्त्र थे और उनमें से अनेक को अफगानिस्तान भेजा गया। इस स्थिति को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता से पैदा किया इसी कारण सोवियत सेना को वहां आना पड़ा।

मेरे मित्र ने वहां सोवियत सेना की उपस्थिति का जिक्र किया है, दक्षिण कोरिया में 1950 से लेकर अमरीकी सेना की उपस्थिति रही है। इस वर्ष के आरम्भ में एक सांझा अभ्यास किया गया और सेना की उपस्थिति का प्रयोग साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले विद्यार्थियों और लोगों के विरुद्ध किया गया (व्यवधान)। किसी भी देश में विदेशी सेना की उपस्थिति के हम विरुद्ध हैं। मेरा दल इस बात को स्पष्ट कर चुका है और मेरा भी यही कहना है। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में पश्चिमी देशों ने यह शोर मचाया है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया है। संयुक्त राज्य अमरीका साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किये गये भ्रम के बावजूद भी लोग संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता से पाकिस्तान पर सैनिक हस्तक्षेप सम्बन्धी तथ्यों को जानने के लिए आ रहे हैं।

सोवियत संघ यह मांग कर रहा है। ऐसी गारंटी क्यों नहीं दी जाती कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अफगानिस्तान के लोगों को अपने भाग्य का फैसला करने दिया जाये। सोवियत संघ वहां के लोगों के भाग्य का फैसला नहीं करना चाहता। लेकिन साथ-साथ अमरीका को भी यह गारंटी देनी चाहिए कि यह पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षेप नहीं करेगा। यह एक उचित मांग है। जब सोवियत संघ ने प्रस्ताव किया कि यह गारंटी होनी चाहिये कि बाहरी हस्तक्षेप न हो, उन्हें वहां से हटना चाहिए और करनाल सरकार से वार्ता होनी चाहिए तो वाशिंगटन ने पहले घोषणा की कि उनकी पेशकश में कुछ सार है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल लिया और उनके प्रवक्ता ने यह कहा – 'हम इस पर विचार नहीं करेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ ? आज संयुक्त राज्य अमरीका शीतयुद्ध तेज करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका हर जगह अपनी सैनिक उपस्थिति मजबूत कर रहा है। हम सब के लिए यह असली खतरा है। भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए और अमरीका की नवीनतम गतिविधियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना चाहिए। वे संघर्ष का क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

समाजवादी देशों के संयम तथा अमरीका के उचित रवैये के कारण तनाव में शिथिलता आयी थी। लेकिन ये सब समझौते छिन्न भिन्न हो गये हैं। संयुक्त राज्य अमरीका ने "एस० ए० एल० टी–II" समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। यह असली खतरा है। भारत एक बड़ा देश है और हमारी विदेश नीति का विश्व राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव

पड़ेगा, इसी कारण हमारा गुट-निपेक्षता का सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दल ने भारत सरकार की नीति का समथन किया है। जब भी सरकार ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध कदम उठाया, हमने उसका हमेशा समर्थन ही किया है, हमने गुट–निर्पेक्षता का भी समर्थन किया है । लेकिन खतरा यह है कि कुछ कमियों के कारण आप साम्राज्यवादी शक्तियों को समर्थन देंगे, जिससे खतरा पैदा हो सकता है।

अब मैं हिन्दमहासागर की बात पर आता हूं. आप जानते हैं कि अमरीका वहां नौ सैनिक तथा हवाई अड्डा बना चुका है। किस लिए ? कुछ मित्र कहते हैं कि सोवियत संघ हिन्दमहासागर तथा फारस की खाड़ी में प्रवेश करना चाहता है। जी नहीं, अमरीका ही दिएगो गार्शिया को अड्डे के रूप में उपयोग करना चाहता है। मध्य-पूर्व में क्या हो रहा है ? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्राइल की सेनायें हटाने के लिए प्रस्ताव किया था। अब संयुक्त राज्य अमरीका ने सादात सरकार को इस्राइल के साथ द्विपक्षीय समझौता करने के लिए फुसलाया। अब वे अरब ब्लाक में एक उद्देश्य से हस्तक्षेप कर रहे हैं और यह बात अमरीका द्वारा स्पष्ट कर दी गयी है कि वे विश्व के उस भाग में दिलचस्पी रखते हैं और इसीलिए वे इस्राइल का उपयोग कर रहे हैं। अब वे मिस्र का उपयोग कर रहे हैं यही उनकी नीति है।

यह बात अच्छी है और हम खुश हैं कि चीन की सरकार ने हम से सामान्य सम्बन्ध कायम करने की इच्छा प्रकट की है और यह बात भी खुशी की है कि हमारी सरकार की भी इस बारे में अच्छी प्रतिक्रिया है। दो देशों के बीच कोई भी मतभेद हो; हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन के साथ हमारी सीमा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हम चीन के साथ हमेशा के लिए वैर भावना से नहीं रह सकते। यह सम्भव नहीं है। मैं इसके गुणावगुणों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन वास्तव में हमें चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने पड़ेंगे। इससे हमें दो प्रकार के लाभ होंगे। पहला लाभ तो यह है कि इससे हमारे रक्षा व्यय का बोझा कम होगा। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि हमें चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने चाहिए, क्योंकि इससे विश्व के एक बड़े भाग में तनाव कम होगा। मेरे विचार में हम उनके साथ बैठ कर बात कर सकते हैं और सारे मामले को निपटा सकते हैं, क्योंकि हमारे दल की नीति हमेशा पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने की रही है।

एक माननीय सदस्य : आपका दल कौन सा है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मुझे खेद है कि आपको इस बात का भी पता नहीं हैं अब हम चीन से स्थायी रूप से वैर भावना में नहीं रह सकते और इसीलिए मेरे दल का हमेशा यही दृष्टिकोण रहा है कि पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें जायें और अब भारत सरकार भी यही कुछ करने जा रही है।

संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान को हथियार क्यों दे रहा ? इसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने अपने सैनिक अड्डों को भारत के विरुद्ध प्रयोग करने की अनुमति दे दी है और इसने एशिया और अफ्रीका के संघर्षशील लोगों के विरुद्ध भी रवैया अपना लिया है। फिर भी मैं अपनी सरकार से अच्छे सम्बन्ध रखने तथा यह ध्यान रखने के लिए कहूंगा कि शिमला समझौते को कार्यान्वित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदया, यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि अफ्रीका में क्या हो रहा है। एक लम्बे संघर्ष के बाद जिम्बाबवे सरकार बनी है लेकिन साम्राज्यवादी शक्तियां दक्षिण अफ्रीका को अपने अड्डे के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। यह बात सचमुच आश्चर्यजनक है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अपनी जाति भेद की नीति को कैसे जारी रखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी के मत हैं कि वे इसके विरुद्ध होते हैं, लेकिन एक छोटा देश विश्व जनमत को कैसे टाल सकता है जब तक कि साम्राज्यवादी ताकतों का समर्थन न हो ? साम्राज्यवादी ताकतें विश्व जनमत को गुमराह करने के लिए बोलते कुछ हैं लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जातिभेद वाली सरकार का बचाव करती हैं हमें इस बात को स्पष्टतः समझ लेना चाहिए और साम्राज्यवादियों और नव-उपनिवेशवादियों को कहना चाहिए कि "अफ्रीका से दूर रहें" अफ्रीका के लोग बहुत समय से लोगों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते आ रहे हैं। हमें अफ्रीका के संघर्षशील लोगों का साथ देना चाहिये।

क्यूबा को छोड़कर लैटिन अमरीका जैसे विश्व के कुछ भागों का उपयोग साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमरीका कच्चे माल के उपयोग के लिए कर रहा है। हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए और हमें साम्राज्यावदियों को बताना चाहिए कि उन्हें लैटिन अमरीका के देशों की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

इस्लामाबाद में इस्लामिक सम्मेलन हुआ था। मुझे इस्लाम के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है; वे सम्मेलन कर सकते हैं। वे कह रहे थे कि "अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ है; उन्हें वहां से हटना चाहिये :" मैं कहना चाहूंगा कि उनके बीच कितने देशों में प्रजातंत्रीय सरकारें हैं। जो राज्याध्यक्ष अपने लोगों को कुचल रहे हैं; वे अफगानिस्तान से लोगों के रक्षक बनकर सामने आये हैं। यह मामला खेदजनक है।

भारत सरकार ने गुट-निरपेक्ष देशों की एकता और इनके सम्मेलन करने के बारे में कुछ ठोस काम उठाये हैं। हमारा विश्वास है कि भारत सरकार के इस दृष्टिकोण का विश्व घटनाओं तथा विश्वशांति जो हम चाहते हैं, पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम अपने आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक विकास के लिये शांति चाहते हैं। शांति को खतरा पहुंचाने वाली हर शक्ति भारत की शत्रु है जैसा कि मैं कह चुका हूं कि गहरायी से खोजने पर पता चलता है कि अमरीका की हाल की गतिविधियां विश्वशांति के लिये खतरनाक हैं वे आज खुली तरह से कह रहे हैं कि इस बारे में उनकी नीति कड़ी होनी चाहिये, उन्हें क्रियाशील होना चाहिये और वे संघ तथा समाजवादी को दूर करना चाहते हैं। सरकार को इस असली खतरे से सचेत रहना चाहिये।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की गुट-निरपेक्षता की नीति का समर्थन करते हुए दो महान शक्तियों अमरीका तथा सोवियत संघ को बराबर मानने की सरकार की कमजोरी को मुझे अवश्य बताना चाहिये। इस हेतु समाजवादी देश समूचा समाजवादी ब्लाक विश्व के सभी देशों में शान्ति आजादी तथा स्वतंत्र विकास का समर्थन करता है। इन सभी के संयुक्त राज्य अमरीका तथा साम्राज्यवादी ब्लाक के समान समझना खतरनाक है। मैं विदेश मंत्री से इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध करता हूं। हमारे सामने रखे गए प्रतिवेदन से पता चलता है कि दो महान शक्तियां विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ होने की होड़ में व्यस्त हैं जो विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है। यह समीक्षा का एक अच्छा तरीका नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि इसे विश्व के लोगों

का साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद, सेना के जमाव, शीतयुद्ध की स्थिति पैदा करने, आणविक विनाश के विरुद्ध संघर्ष समझा जाना चाहिए अतः हमें देखना है कि कौन किस बात का समर्थन करता है। यदि सारा समाजवादी ब्लाक, सोवियत संघ, शांति, मुक्ति, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध के लिये सामने आता है, तो हमें उनके अधिक नजदीक जाना चाहिए और उनका सहयोग लेना चाहिए। हमें साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की ताकतों को पराजित करना चाहिये, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, भाषण के पश्चात मुझे पीठासीन होना है। मैं घन्टी बजने तक बोलूंगा। हमने अभी तीन बड़े ही ओजस्वी भाषण सुने हैं, और उन भाषणों में आजकल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तार से चर्चा की है। अतः उन विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे को पूरी राजनयिक मान्यता प्रदान कर दी है और कम्पूचिया में हेंग समारिन सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है। मेरे विचार से ये कदम भारतीय जनता की इच्छाओं के अनुसार सातवीं लोक सभा के लिए आम चुनावों के समय जारी किए गए कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में विशेष रूप से यह कहा गया था कि कम्पूचिया को मान्यता प्रदान की जायेगी। सरकार द्वारा दी गई मान्यता, चुनाव घोषणा-पत्र में दिये गये वचनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है और उस विचार से भी सरकार ने जो कुछ किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। अफगानिस्तान की घटना ने हमारे मन में कुछ अशान्ति पैदा कर दी है। परन्तु इस मुद्दे पर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इससे निपटने के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। यह कहना मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि इससे कौन से मुद्दे जुड़े हुए थे; यह किस प्रकार खतरनाक था आदि-आदि। उस पर किसी प्रकार टीका टिप्पणी करना मेरे लिए जल्दबाजी होगी। इस मामले पर मैं इस बात के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा कि सरकार ने इस समस्या को बड़ी ही सावधानी से, सतर्कता से और राजनयिक ढंग से सुलझाया हे। चीन सरकार द्वारा भेजे गये, एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा प्रकट किए गए विचारों को इस सदन में सुनने का हमें अवसर मिला। चीन हमारा एकदम से निकट पड़ौसी है और पाकिस्तान भी। हम यह नहीं चाहते कि वे हमारे शत्रु ही बने रहें। यह हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा युद्ध हुआ और देशों के सम्बन्ध शत्रुता पूर्ण थे। अपने निकट पड़ौसियों के साथ हम अपने सम्बन्ध सामान्य करने के इच्छुक हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। हम पाकिस्तान को उन्नति करता हुआ देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि चीन भी प्रगति करे। परन्तु इसके साथ-ही-साथ हमारे लिए इतिहास को भी भुलाना सम्भव नहीं है। हमें उनके प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। विदेशी नीतियों को यदाकदा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता। और भी बहुत सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिये, जैसे, भौगोलिक स्थिति ऐतिहासिक परिणामों, उन देशों द्वारा अपनाई गई नीति का दर्शन और विश्व समस्याओं के प्रति उनकी नीति। उन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। फिर हमें अपनी नीतियां तैयार करनी हैं और उन समस्याओं के प्रति हमें अपनी नीति को अपनाना है। हम चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध अवश्य चाहते हैं और भारतीय जनता की भी यही इच्छा है। इसके साथ ही साथ मैं अपनी सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि समस्या पर भावुकता से विचार न करके, ऐसे ढंग से विचार करें जो हमारे देश के हितों की रक्षा हो

सके । हमारी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को लीजिए । हमारे देश की पश्चिमी सीमा पर जिस पर विवाद चल रहा है, कई देशों की सीमाएं लगती हैं । हमें उन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा । हमें, जो कुछ वे कहते हैं या तो आगे बढ़कर उसका स्वागत करना होगा या उसको अस्वीकार करना होगा । वास्तव में, हमारी नीति बात-चीत करने की होनी चाहिए, जो कि डर की छाया में नहीं होनी चाहिये और इसके साथ ही साथ हमें बात-चीत करने से भी नहीं डरना चाहिये । हमारी नीति में बात-चीत करने का अधिकार होगा, परन्तु बात-चीत नहीं करेंगे क्योंकि हम भयाक्रान्त मनःस्थिति के शिकंजे में हैं । इस समस्या के प्रति हमारी यही नीति होनी चाहिये । निःसंदेह चीन की ओर से आए प्रस्तावों के सम्बन्ध में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसके बाद ही हमें अपनी नीति निर्धारित करनी पड़ेगी ।

आज विश्व के समक्ष बहुत ही बड़ा खतरा है । जैसा कि सदन में एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, विश्व में ऐसे भी देश हैं जो कि इस विश्व के देशों पर अपना आधिपत्य स्थायी रूप से जमाना चाहते हैं । ऐसे देश भी हैं जो उनको प्राप्त लाभों, सुविधाओं को छोड़ने को तैयार नहीं हैं । आज की दुनियां में किसी देश की भूमि को न ही तो अपनी सार्वभौमिकता के अधीन रखना सम्भव है और न ही उस पर राज्य करना, परन्तु दूसरे देशों का शोषण करने के नये-नये तरीके खोज लिए जाते हैं । कच्चा-माल कम दामों पर खरीदने और उन्हीं देशों को तैयार माल ऊँचे दामों पर भेजने के लिए नये-नये तरीके खोज लिए जाते हैं । आज सभी देशों द्वारा अपनाई जाने वाली नीति यह होनी चाहिये कि यदि आप खुश होना चाहते हैं तो दूसरों को भी खुश रखिये । परन्तु दुर्भाग्य से दुनियां को यह दर्शन स्वीकार्य नहीं है । इसलिये आज हम देख रहे हैं कि दुनियां में अमीर देश भी हैं और गरीब भी । अमीर देश इसलिए अमीर नहीं है कि उन्होंने काम किया है या अनुसंधान किया है अथवा चूंकि वे नई चीजें प्राप्त करने में सफल रहे हैं और उन्होंने अकेले ही उनका विकास किया है ।

निस्सन्देह वे तत्व वहां मौजूद हैं । परन्तु वे अमीर रहे हैं और भाग्यवान रहे हैं । दूसरे देशों को शोषित करके ही । अतः आज दुनियां दो गुटों में विभाजित है । एक गरीब और एक अमीर । अमरीका एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था खड़ी करने का प्रयत्न कर रहा है । मैं नहीं जानता कि इस दिशा में हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था खड़ी करने में सफल हो सकते हैं, परन्तु मेरे विचार से जब तक हम एक नई अन्तरर्राष्ट्रीय व्यवस्था खड़ी नहीं कर लेते, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शोषण के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जिसमें सभी देशों को न्याय मिल सकेगा, जिसमें निर्धन देश भी अपनी बात रख सकेंगे, वे अपने कच्चे माल को स्वयं उपयोग में न ला सकेंगे और उन्हें दूसरे देशों से सहायता भी नहीं मिलेगी और जब तक उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं कर दी जाती, विकसित देशों की मण्डियों में उनके तैयार माल को भी कोई स्थान नहीं मिलेगा, इस प्रकार उस प्रकार की दुनियां मिलना सम्भव न होगा जो विश्व-अवदाह से परे हो । इस समय जिस बात पर ध्यान देना जरूरी है वह यह है कि सभी विकासाधीन देश एक हो जाएं । उनके पास उनकी एकता ही उनकी एकमात्र शक्ति है । यदि वे एक हो जाएं तो वे पनप सकते हैं । परन्तु यदि वे एक नहीं होते तो वे विकसित देशों के सामने टिकने में सफल नहीं हो सकते । उनमें एकता होना आवश्यक है । अब मुद्दा यह है कि इस तरह से एकता कैसे स्थापित की जाये । यदि हम विकासशील

देशों में, राष्ट्रों में एकता लाने योग्य है तो उनकी अर्थव्यवस्था को विकसित करना सम्भव हो सकेगा। उनको शक्ति प्रदान करना सम्भव हो सकेगा। उन्हें विश्व में, विकसित देशों के समान, बराबर करना भी सम्भव हो सकेगा। अतः यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिये।

मेरे विचार से, पुराने समय में, देश एक दूसरे की भूमि को हड़पने के लिए लड़ते थे। परन्तु अब लड़ाई भूमि प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु खुले समुद्र पर अधिकार जमाने के लिये होगी। खुले समुद्र अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। लोगों ने अब यह अनुभव करना शुरू कर दिया है कि समुद्र के गर्भ से हमें भोजन, खनिज, तेल और ऐसी ही बहुत सी अन्य चीजें मिल सकती हैं और वर्तमान में समुद्र के गर्भ और उसके ऊपर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। अतः विकसित देश, धनवान देश विश्व के कुछ भागों में सैनिक अड्डे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और खुले समुद्र तथा समुद्र के गर्भ पर अधिकार भी जमाना चाहते हैं। यह देखना हमारे लिए आवश्यक है कि लड़ाई का मैदान थल से जल में न पहुंचने पाये। यह देखना भी जरूरी है कि कोई भी विकसित देश खुले समुद्र पर अधिकार न जमाये :

दियागो गार्सिया और वहां अमरीका द्वारा स्थापित अड्डे के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वह राजनीतिक कारणों से हो सकता है और राजनैतिक कारणों से ही समुद्र तटीय देशों पर नियन्त्रण किया जाता है, तेल मार्गों पर नियन्त्रण किया जाता है और जो देश उनकी हां में हां नहीं मिलाते उन पर बहुत से देशों पर नियन्त्रण करना भी राजनीतिक कारण ही है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। उस सम्बन्ध में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि वे विश्व के इस भाग पर भी अधिकार जमाना चाहते हैं, जो पानी से ढकी दुनिया है। वे उस पर भी अधिकार जमाना चाहते हैं और उसी कारण से वे वहां ये अड्डे जमा रहे हैं।

अन्तरिक्ष, बाह्य अन्तरिक्ष, ये भी वे क्षेत्र हैं जिन पर लोग अपना आधिपत्य और सार्वभौमिकता स्थापित करना चाहते हैं। पुराने समय में, हमें बाह्य क्षेत्र से कोई लगाव ही न था। अब हमें यह पता चला है कि सूर्य तो ऊर्जा का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है और सूर्य से हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे। हमने उपग्रह भेजने शुरू कर दिए हैं जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते रहेंगे और जो इस ब्रह्मांड में से होकर गुजरेंगे तथा अन्तरिक्ष भी वह क्षेत्र बनने जा रहा है जहां राष्ट्रों में होड़ छिड़ सकती है। हमारे लिए इस ढंग से नीति तैयार करना, विश्व जनमत तैयार करना, आवश्यक होगा, जिससे हम यह देख सकें कि सागर में जो कुछ भी हमें मिलता है, खुले समुद्र, बाह्य अन्तरिक्ष में जो कुछ भी हमें मिलता है वह मानवता की साझी विरासत हो। ऐसे भी देश हैं जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। परन्तु विकासशील देशों का रवैया यह है कि यह मानवता की साझी बपौती है और उसका उपयोग इस प्रकार से होना चाहिये जिससे विकासशील देशों को शक्ति प्रदान की जा सके। इन बातों पर ध्यान देना होगा।

मेरे मतानुसार, राष्ट्र संघ का जन्म विश्व में युद्धों को रोकने के लिए हुआ था। बड़ी ताकतों ने राष्ट्र संघ को जन्म दिया था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु आज राष्ट्र संघ में ऐसे भी छोटे देश बैठे हैं जो बड़ी बहादुरी से अपनी बात कह रहे हैं। कुछ महान शक्तियां उनके विचारों को पसन्द नहीं करतीं। दुर्भाग्य से आज एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जबकि कुछ बड़ी ताकतें यह नहीं चाहतीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसी प्रकार चलता रहे और इसे वही शक्ति

प्राप्त हो जो इसे पुराने समय में उपलब्ध थी । उन लोगों का कहना है कि राष्ट्र संघ अब पुरानी चीज हो गया है और राष्ट्र संघ की सहायता करना आवश्यक नहीं है । यदि न्याय किया जाना है, यदि विकासशील और गरीब देशों की सहायता करनी ही है, यदि विश्व में आर्थिक समानता लानी है तो राष्ट्र संघ ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो इस दिशा में सहायता प्रदान कर सकती है ।

यही कारण है कि हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी प्रकार से सहायता करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संघ अधिक शक्तिशाली बने, अधिक कारगर बने तथा यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि जिन कारणों से इसकी शक्तियों तथा कारगरता को ठेस पहुंचायी जा रही है, उन्हें समाप्त किया जाये । इसलिए यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपेक्षित ऐसी शक्तियां प्रदान की जायें जिनसे कि वह विश्व के विकासशील देशों की कारगर ढंग से सहायता कर सके ।

मुझे बाहर के कुछ देशों तथा वहां स्थित अपने दूतावासों का भ्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वहां के दूतावासों की जो स्थिति है वह संतोष-जनक नहीं है । वहां जो फर्नीचर तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं, वह ऐसी संतोषजनक नहीं हैं कि उन्हें देखकर प्रसन्नता हो । मैं समझता हूं कि उन्हें कुछ और अधिक न्यूनतम सुविधायें देना हमारे लिए आवश्यक है ताकि उनका रहन-सहन उस देश के लोगों के रहन-सहन के अनुरूप हो सके जहाँ हमारा दूतावास स्थित होता है । जब तक हम इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं कर देते, तब तक हम ये सभी सुविधायें उपलब्ध नहीं करवाते, तब तक विकासशील तथा विकसित देशों में कार्यरत हमारे लोगों के लिए कुशल ढंग से कार्य कर पाना तथा हमारी आशा के अनुरूप हमारी सेवा कर पाना सम्भव नहीं होगा । अतः विदेश मंत्री जी से मेरा अनुरोध यही है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उन्हें कुछ और सुविधायें उपलब्ध कराई जायें । हमें इसके वित्तीय पहलू के बारे में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए । यदि हम इस बात की चिंता में लगे रहते हैं कि हम उन पर अधिक व्यय कर रहे हैं, तो फिर हम उनसे अपेक्षित कार्य-कुशलता की अपेक्षा नहीं कर सकते । अतः मैं विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें वहां के लिए अपेक्षित धनराशि प्रदान करते समय किसी प्रकार की हिचकिचाट नहीं करनी चाहिए ।

श्रीमान जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अभी तक घंटी नहीं बजाई है । मैंने आपको आश्वासन दिया था कि मैं दूसरी घंटी के बजने से पहले ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक भी घंटी नहीं बजाई है ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर सब से पहले माननीय विदेश मंत्री जी को कम्यूचिया की जनवादी सरकार को मान्यता देने के लिए हिन्दुस्तान की जनवादी शक्तियों की तरफ से बधाई देता हूं और इस सदन में माननीय सदस्य चन्द्रजीत यादव और अपने दूसरे साथियों को जिन्होंने कल और आज कई महत्वपूर्ण सुझाव हमारी परराष्ट्र-नीति के सन्दर्भ में इस हाउस में रखे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं । आज एक ऐसे समय में हम विदेश नीति के सम्बन्ध में इस सदन में विचार कर रहे हैं जब हमारे देश के चारों तरफ तनावों की एक शृंखला सी बंधी हुई है ।

तनाव के नये-नये क्षेत्र हमारे देश के चारों तरफ पैदा हो रहे हैं । चाहे मध्य एशिया को

लें, चाहे दक्षिण पूर्व एशिया को लें, चाहे अफगानिस्तान को लें और चाहे हिन्द महासागर के क्षेत्र को लें, इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को जमाने के लिए बड़ी शक्तियों में होड़ सी मची हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी शक्तियां हमारे देश में अस्थायित्व और तनाव पैदा करना चाहती हैं। जो कुछ आज हम इस सदन में कहेंगे, जिस परिप्रेक्ष्य में आज विदेश नीति का हम मूल्यांकन करेंगे, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीकी देशों पर पड़ेगा।

हमारे देश की परम्परा रही है, भारत की संस्कृति रही है कि हम हमेशा औरों को साथ लेकर चले हैं। हमने स्वान्तः सुखाय के बदले पर सुखाय पर ज्यादा इत्मीनान किया है। यही कारण था कि 1947 में जब देश स्वतन्त्र हुआ, देश के सामने बहुत सारी समस्यायें तथा परेशानियां थीं फिर भी दुनियां के और मुल्कों ने हमको अपना नेता माना, हम पर विश्वास किया। 1947 से 1977 तक का काल देश की परराष्ट्र नीति का एक स्वर्ण काल था, हमारे मित्र ही मित्र थे, हमारे दोस्त ही दोस्त थे सारी दुनियां में। हमको रहनुमा माना जाता था। हमको नेता का दर्जा मिला हुआ था—पं० नेहरू की कृपा से, श्री कृष्ण मेनन की कृपा से और श्रीमती इन्दिराजी की कृपा से। लेकिन दुर्भाग्य से मार्च, 1977 के बाद देश में 1979 तक कुछ ऐसी सरकारें इस देश में बनीं जिन्होंने इस देश के मान सम्मान को मिटाया, जो हमारे देश की विदेश नीति के जो आधारभूत स्तम्भ थे, आधारभूत सिद्धांत थे, उनसे विचलित हो गए और उन्हें छोड़ दिया। पंचशील के निर्गुटता और दूसरे तथा तीसरे जो सिद्धांत थे उनकी मौखिक रूप से भले ही उन्होंने प्रशंसा की हो लेकिन मूल रूप में कभी उनका पालन नहीं किया। उन्होंने इन सिद्धांतों को कांग्रेस की बात समझी, कांग्रेस की धरोहर समझी। वे भूल गए कि यह सिद्धांत जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और यह पं० नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाषचन्द्र बोस की विरासत है। कांग्रेस की नीतियों के विरोध के नाम पर उन्होंने कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हम धीरे-धीरे लैटिन अमरीकी, अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों से दूर हटते गए। जो बड़े-बड़े मुल्क थे, जिन्होंने हमेशा हमारी सहायता की थी वे हम पर अविश्वास करने लगे।

1977 के बाद जो हमारे विदेश मन्त्री बने वे हिन्दुस्तान के परराष्ट्र मंत्री नहीं बल्कि आर. एस. एस. के परराष्ट्र मंत्री ज्यादा रहे। उन्होंने उसी नीति का पालन किया जोकि आर. एस. एस. की नीति थी।

(श्री शिवराज पाटिल पीठासीन हुए)

आर. एस. एस. की प्रतिनिधि सभा में आर. एस. एस. के गोलवाल्कर से लेकर बाला साहब देवरस तक, हर संघ सरचालक ने अरब राष्ट्रों के सन्दर्भ में हमारी सरकार की नीति की आलोचना की और उसी का पालन अटलजी ने भी किया। उन्होंने कैम्प डेविड एकार्ड को, जिसके सन्दर्भ में अरब जगत में एक सन्देह का वातावरण था, सन्देह की भावना थी, उसका गुपचुप तरीके से समर्थन किया। उन्होंने इजरायल, जिसने अरब जगत की भूमि पर कब्जा किया हुआ था, जिसने फिलस्तीनियों को उनके अधिकार से वंचित किया हुआ था, उसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मोशे दायान को यहाँ बुलाया जिसका परिणाम देश के लिए बड़ा घातक रहा। इन तीन सालों में, देश को जितना कूड आयल गल्फ कन्ट्रीज से मिलता था, उसमें 22 प्रतिशत की गिरावट आई। आज उसका परिणाम देश की अर्थ-व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। मुझे खुशी

है, मैं माननीय विदेश मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, कि जो अरब जगत हमसे विमुख हो गया था, उन्होंने तत्काल उस गम्भीर स्थिति को समझा और अरब जगत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने पी. एल. ओ. जो अरब जगत का एक अगुवा अग्रिम लड़ाकू दस्ता है, उसको डिप्लोमेटिक स्टैटस दिया। उसके नेता यासर अराफत साहब को यहाँ बुलाया और आज उसी का परिणाम है कि चाहे ओकपे कन्ट्रीज में तेल की कीमत बढ़ा दी गई, लेकिन तेल की मात्रा में जो कटौती की गई थी, उसको फिर से उन्होंने बहाल कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश को फिर से तेल मिलने लग गया।

मान्यवर, पिछले ढाई-तीन साल के अन्दर हमारे परराष्ट्र के मोर्चे पर कमजोरी आई है। बड़ी चर्चा हुई कि श्री वाजपेयी ने 30 देशों की विदेशी यात्रा की, लेकिन इस यात्रा के परिणाम-स्वरूप हमारे देश को कितना लाभ हुआ ? मैं यह मानता हूं कि इस विदेश यात्रा के दौरान उनके स्वास्थ्य में तो इजाफा जरूर हुआ होगा, लेकिन हिन्दुस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। जब हम विदेशी व्यापार की स्थिति को देखते हैं, तो 1976 में हिन्दुस्तान का विदेशी व्यापार 4 हजार करोड़ रु० का था, 1977 में वह 5 हजार करोड़ रु० हो गया और 1979, मार्च में वह व्यापार केवल 6 हजार करोड़ रु० हो गया, यदि हम स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो वह 8 हजार करोड़ रु० हो जाना चाहिए था। यह दो हजार करोड़ रु० का नुक्सान, हिन्दुस्तान के विदेशी व्यापार को, 30 देशों की यात्रा करने की वजह से हुआ।

आज जब यह सदन चीन के साथ फिर से अपनी दोस्ती बहाल करने पर विचार कर रहा है, मैं विगत अनुभवों को यहां पर कहना चाहता हूं। 1976 में हमारी सरकार ने एक शुरू-आत की थी चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने की। उसके बाद उसी परिपाटी पर, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के प्रयासों से श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए। जब श्री वाजपेयी जी हांगचाऊ शहर में आराम फरमा रहे थे, तो चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। विदेशी राजनयिकों की जो मूल भावना होती है, उसका तिरस्कर करके, उसकी हत्या करके, चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया। मुझे डर है कि यदि हम चीन के छोटे से इशारे पर चीन की तरफ लपकते हुए जायेंगे, इस बात को भूल करके कि हो सकता है कि वह हमारे साथ फिर से झगड़ा करे और फिर भी हम दोस्ती बढ़ाना चाहें तो उसका परिणाम हमारे देश की विदेश नीति के लिए बुरा हो सकता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमें चीन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारा सर्वमान्य सिद्धान्त है, हम विवादों को समझौते के द्वारा हल करना चहाते हैं और ऐसा हमें प्रयास भी करना चाहिये। लेकिन इस बात को हमको मद्देनजर जरूर रखना चाहिए कि हमारे जितने भी छोटे-छोटे पड़ौसी देश हैं, जैसे नेपाल, बंगलादेश, भूटान आदि, इन देशों के मोर्चे पर भी पिछले ढाई-तीन साल के अन्दर अस्थिरता आई है। नेपाल के साथ जो हमारी ट्रेड एंड ट्रांजिट की ट्रीट्री थी, उसको अलग करने के लिए, प्रथक करने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला गया। इस बात को भी हमको देखना चाहिए कि उसका क्या दुष्परिणाम निकला। नेपाल के साथ ताल्लुकात में जरूर सुधार होना चाहिए, लेकिन जब हम अपनी अर्थ व्यवस्था को अलग करेंगे, विभाजित करेंगे, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसका भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए।

बंगला देश के साथ फरक्का-बांध समझौता किया गया, जनता सरकार और लोक दल की

सरकार के जमाने में, उसका दुष्परिणाम भी हमारे देश को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से आज भी कलकत्ता पोर्ट को अपेक्षित पानी नहीं मिल पा रहा है। न हम बंगलादेश को अपना बना पाए और न हम अपने राष्ट्र के हित को सुरक्षित रख पाए। इसलिए हमें इस समस्या को भी देखना चाहिए और इसका मूल्यांकन भी करना चाहिए।

मान्यवर, हवाना सम्मेलन से भूटान हमेशा हमारा साथ देता रहा, लेकिन जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण उन्होंने सबसे पहले हमसे कुछ अलग हट करके नीति का अनुमोदन किया, और हमारी नीति के खिलाफ भाषण दिया और वोट दिया। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छी शुरूआत की है कि हमारे राजनयिकों को हमारे पड़ौसी देशों के मुल्कों की राजधानियों में भेजकर, उनको फिर से विश्वास दिलाने की कोशिश की है, यकीन दिलाया है कि हिन्दुस्तान उनका मित्र है, हिन्दुस्तान उनकी तरक्की करना चाहता है, उनकी तरक्की में ही हिन्दुस्तान की तरक्की निहित है।

हम को इस कोशिश को आगे बढ़ाना चाहिये कि एशिया के देशों के साथ हमारे व्यापार समझौते और अधिक पुख्ता हों, उनके साथ आर्थिक सम्बन्ध दृढ़ हों। मैं अपने भाई चक्रवर्ती साहब से इस बात में पूरी तरह से सहमत हूं कि जो उपनिवेशवादी ताकतें हैं, जो बड़ी-बड़ी शक्तियां हैं, यदि वे हम को आर्थिक सहायता देती हैं तो उसके पीछे उनका निहित स्वार्थ होता है, उनका उद्देश्य हिन्दुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना नहीं होता, उनका उद्देश्य अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक हितों की पूर्ति करना होता है। हमें देखना चाहिये कि दुनियां में ऐसी कौन-सी ताकतें हैं जिनकी मदद के बल पर हिन्दुस्तान आत्मनिर्भर हो सकता है, उनसे आर्थिक सहायता लेनी चाहिये और हिन्दुस्तान किन-किन छोटे-छोटे मुल्कों के साथ अपने दोस्ताना और आर्थिक ताल्लुकात को बढ़ा कर अपने देश के साथ उनको भी समृद्ध बना सकता है। अमरीका और एशिया के छोटे-छोटे मुल्क, जो अभी हाल ही में स्वतन्त्र हुए, वे हमारे प्रयास से ज्यादा नजदीक आयेंगे, उनका हम पर इतमिनान बढ़ेगा और साथ ही हम उपनिवेशवादी ताकतों के शोषण से बचेंगे।

आज आपके नेतृत्व से, राव साहब, और माननीया इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व से हमारी विदेश नीति को एक नई दिशा मिली है। वे सब बातें जिनका उल्लेख मैंने जनता पार्टी की असफलता के रूप में किया है, मेरा उद्देश्य उनकी निन्दा करना नहीं था, मैं अपनी इस भावना को जाहिर करना चाहता था कि कितनी कठिन परिस्थितियों में आपने देश की विदेश नीति का मोर्चा सम्भाला है। खास तौर से मेरी मान्यता यह है कि 1948 से 1977 तक के समय में हमने विभिन्न महापुरुषों के नेतृत्व में जिस विदेश नीति की नींव खड़ी की थी, उसकी चूलें तक हमारे भाई जनता पार्टी के नेताओं ने हिला कर रख दीं, अब हमें उनको पुख्ता करना है, मजबूत बनाना है, फिर से हिन्दुस्तान के सम्मान को दुनियां में बढ़ाना है।

अफगानिस्तान के सन्दर्भ में जो नीति हमने अपनाई, जब सोवियत एशिया की फौजें अफगानिस्तान में पहुंचीं, तो विश्व जनमत के साथ-साथ इस सदन में और इस सदन के बाहर भी हमारी नीति की आलोचना की गई। उस समय हमारी सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था—हम जहां यह चाहते हैं कि अफगानिस्तान में से सोवियत-रूस की फौजें हटें, वहां हम इस बात को भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अन्दर जो बाहरी ताकतें हैं, जो दूसरे मुल्क हैं वे

विद्रोहियों को अपने यहां संरक्षण न दें, पनाह न दें और आज घूम-फिरकर सारे विश्व की राय हमारी विदेश नीति के साथ मिलती जा रही है। चाहे वह अमरीका हो, चाहे सोवियत रूस हो या अन्य छोटे-छोटे मुल्क हों आज जाने-अनजाने में हमारी नीति का अनुमोदन करते जा रहे हैं, यह हमारी नीति की सफलता का द्योतक है।

हमारी सरकार ने हिन्द महासागर में तनाव-विहीन क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में जो घोषणा की है, निश्चित तौर पर उसका असर हमारे पड़ोसी मुल्कों के आत्म-विश्वास पर पड़ेगा। उन छोटे-छोटे राष्ट्रों के आत्म विश्वास पर पड़ेगा जिनकी नाकेबन्दी आज बड़े राष्ट्र, विशेषकर अमरीका अपने अड्डे बना कर रहा है। आज आपके नेतृत्व में हमने विभिन्न मोर्चों पर जो सफलता पाप्त की है, जहां हम उनका मूल्यांकन करते हैं, वहां एक छोटी सी कमी का, जिसको मससूस करता हूं, व्यक्तिगत तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं। हमने रूस और अमरीका के बीच में असने ताल्लुकात को बैलेंस करने की कोशिश की है, समन्वित दृष्टिकोण देने की कोशिश की है। एक तरफ रूस है, जिसने वक्त पर हमारी मदद की है, जब हम संकट में थे, हमारी सहायता की है और दूसरी तरफ अमरीका है— हम दोनों ताकतों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। हम राष्ट्र के हित के परिक्षेप में सोचते हैं तो हम पाते हैं कि रूस हमारे ज्यादा अनुकूल है। हमें उन के ज्यादा अनुकूल होना चाहिए जो हमारे देश के आर्थिक शोषण के कारण नहीं हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको अफरीका के नाम्बिया प्रदेश की, जहां औपनिवेशवादी ताकतें वहां की जनता को दबा रही हैं, कारगर तरीके से मदद करनी चाहिये। आपने इस दिशा में कोशिश भी की है। स्वापो के नेता से प्रधान मंत्री जी ने बातचीत की और श्री नेलसन मेंडले, जो वहां के नेता हैं, की आपने इन्टरनेशनल अन्डरस्टेंडिंग के लिए नेहरू पुरस्कार भी दिया। इस से आपने वहां के क्रान्तिकारियों के मारेल को बढ़ाया है और जिमवाववे के स्वतन्त्रता समारोह में प्रधान मंत्री ने भाग ले अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति जो हमारा कर्तव्य था, उसका निर्वाह किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, हमको यह देखना पड़ेगा कि हमारे जो घोषित सिद्धान्त हैं, उनके रास्ते में हमारे क्षणिक आर्थिक स्वार्थ, हमारे क्षणिक राष्ट्रीय स्वार्थ यदि आते हैं, तो उनको तिलांजलि देनी होगी और हमारे जो सर्वमान्य और घोषित सिद्धान्त हैं, उन पर हमारे देश को अटल रहना होगा। जब हम उन पर अटल रहे, तो हमारी कद्र बढ़ी है। आपके नेतृत्व में हम उन पर अटल रहे हैं और इसी का यह फल है कि फ्रान्स के राष्ट्रपति से लेकर दुनिया के छोटे-छोटे मुल्कों के राष्ट्रपति हमारे देश की राजधानी में आ रहे हैं और हमारे देश के नेताओं से परामर्श करने के लिए आ रहे हैं और हमारी नीतियों का अनुमोदन करने के लिए आ रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि आपके नेतृत्व में और माननीय इन्दिरा जी के नेतृत्व में हमारे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ेगा और दुनिया की राष्ट्रवादी और जनवादी ताकतों को साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ने के लिए, नवोदित तानाशाही ताकतों के विरुद्ध लड़ने के लिए आप रहनुमाई और अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा यहां पर पस्तुत विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री यशवंत राव चव्हाण (सतारा) : सभापति महोदय, इन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के साथ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यद्यपि इस चर्चा को मांगों की चर्चा को संज्ञा दी जाती है, परन्तु फिर भी विदेश नीति मुख्य रूप से राष्ट्रीय मतैक्य से ही तैयार की जाती है और इसीलिए मैं सदैव सदन में यही कहता रहा हूं कि सदन में यह चर्चा केवल कोलाहलपूर्ण विचार-विमर्श ही होता है। अतः मैं जो कुछ भी कहूंगा, उसे इसी भावना के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना चाहिये। यह मेरा प्रथम निवेदन है।

आज जब एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का पुनरीक्षण करते हैं, तो मेरे विचार से 1970 तथा 1980 के बीच हमें आधारभूत भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इस नये दशक के प्रथम वर्ष में कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि मानों 1970 का दशक 1980 के इस दशक से कुछ अच्छा था। 1970 का दशक यदि तनाव-शैथिल्य का दशक था, तो 1980 का दशक संकट तथा टकराव का दशक है और मैं इसमें एक अन्य विश्व-युद्ध की आशा नहीं करता। जहां हम रहते हैं, केवल विश्व के उसी भाग में ही स्थिति और अधिक खराब नहीं हुई है। हमारे पड़ोसी देशों में जो स्थिति व्याप्त है उसी के परिणाम स्वरूप हमारे क्षेत्र में भी तनाव है स्थिति बहुत ही संकटपूर्ण है और जैसा कि सम्भवतः किसी सदस्य ने कहा है, कि शीत-युद्ध हमारे बहुत करीब आ गया है। मैं समझता हूं कि उनके द्वारा किया गया वर्णन पूर्णतया उचित है। परन्तु यदि आप सम्पूर्ण विश्व के घटनाचक्र पर दृष्टिपात करते हुये, विश्व के इस भाग में हो रही घटनाओं को देखें, तो उससे आपको विश्व में पनप रही आज की नई स्थिति का आभास हो जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं 1970 में इन गतिविधियों का केन्द्र यूरोप था। मैं समझता हूं कि अभी तक यूरोप की समस्याओं को न हाल ही किया गया है और न ही अब तक वह कम हो पायी है अपितु उनका केन्द्र बिंदु अब यूरोप से हटकर एशिया तथा विशेष रूप से दक्षिण तथा पश्चिमी एशिया हो गया है यह एक आधार भूत अन्तर है।

ऐसा क्यों हुआ है ? यह स्वाभाविक ही है कि इनके अनेक कारण हैं परन्तु यह परिवर्तन हुआ अवश्य है—हम तनाव शैथिल्य से टकराव तथा संकटपूर्ण दशक में आ गये हैं और उसका कारण यही है कि बड़ी शक्तियों की धारणा परिवर्तित हो गई है। मैं समझता हूं कि इस परिवर्तन का मूल कारण भी यही है।

तनाव-शैथिल्य इसलिए सम्भवतः हो सका क्योंकि सम्भवतः अमरीका ने सोवियत संघ की ओर भिन्न दृष्टिकोण अपना लिया। सम्भवतः वह दोनों एक दूसरे को अलग दृष्टिकोण से देखने लगे। इस समय भी वह दोनों एक दूसरे को अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं।

अमरीका के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक ने मध्य पूर्व तथा अफ्रीका भौगोलिक शब्दावली में इसे संकट के अर्द्ध चक्र की संज्ञा दी है, उनके विचारानुसार उत्तर-पूर्व अफ्रीका से मध्य पूर्व तथा दक्षिण एशिया जिसमें कि टर्की तथा ईरान भी शामिल हैं, को उन्होंने संकट के अर्द्ध चक्र के अन्तर्गत माना है। और यदि हम पटनाओं को देखे तो यह ठीक भी लगता है।

यदि भारत ने अपनी विदेश नीति से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करना ही है, तो स्वाभाविक है कि ऐसा करते समय विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखा जाये। इसलिए मैंने विश्व की स्थिति का उल्लेख किया था और जो कुछ था और जो कुछ विश्व के हमारे भाग में हो रहा है, उस पर हमें सम्पूर्ण विश्व के घटनाचक्र के सन्दर्भ में विचार करना होगा और उसके जो

परिणाम हमारे क्षेत्र में होने वाले हैं, उन पर भी सम्पूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा।

यदि हम संकट के घटना चक्र को देखें तो हमें मालूम होगा कि अभी तक मध्य-पूर्व की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। इसके विपरीत मैं तो यह कहूंगा कि कैम्प डेविड करार तथा इजराइल तथा मिस्र के बीच हुई वार्ताओं के बावजूद भी, मध्य-पूर्व में स्थिति विस्फोटक बनी हुई है; केवल स्थिति ही विस्फोटक नहीं है अपितु क्षेत्र ही विस्फोटक बना हुआ है। अभी तक फिलस्तीन की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है और निकट भविष्य में इस समस्या का समाधान किये जाने के कोई आसार भी नजर नहीं आते हैं टर्की भी कठिनाई में फंसा हुआ है। यदि हम ईरान को देखें, तो ईरान का सम्पूर्ण इतिहास सभी विकासशील देशों की आंखें खोल देता है। अमरीका ने इसे एक मित्र के रूप में स्वीकार किया तथा एशिया में इसने कुछ सीमा तक शक्ति तथा आधार प्रदान करने का प्रयास किया परन्तु उन्होंने क्या किया ? उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के आधार पर आधुनिक शक्ति के लिए ढांचा तैयार करने का प्रयत्न किया और जब सामंतवादी व्यवस्था का भविष्य ही अंधकारमय हो गया तो सम्पूर्ण आधुनिक शक्ति ढांचा तो मानों अपने ही भार से धराशाथी हो गया। मुझे खेद है कि शहनशाह को वहां से जाना पड़ा। आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। परन्तु एक साम्राज्यवादी शक्ति तथा एक बड़ी शक्ति या साम्राज्यवादी शक्ति के चुंगल में फसने वाले विकासशील देश की नीति में यही अन्तर होता है। अन्ततः उनका यही अन्त होता है। जब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में विचार करते हैं, तो फिर हमें इन समस्याओं पर काफी ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, वह हमारे लिए चिंता का विषय है। मेरे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि हमने अनेक मामलों में पहल करके पिछली बार या पांच वर्षों में अपने सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न किया है; ऐसा केवल एक ही दल के शासन द्वारा नहीं किया गया, अपितु पिछले जनता शासन द्वारा भी ऐसा ही किया गया और हमारे तत्कालीन विदेशमंत्री ने भी उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुये, पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न किया। हमें ऐसा ही करना चाहिये, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी प्रकार की कठिनाई में पड़े। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान एक सुदृढ़ तथा शक्तिशाली देश बना रहे। परन्तु पाकिस्तान के सैनिक शासकों तथा पाकिस्तान के लोगों के बीच जो आधारभूत विवाद चला आ रहा है उसे देखते हुये इस बात की कल्पना करके कोई भी कांप उठता है कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा ? और यह अति गम्भीर मामला है। यह भारत के लिए कतई संतोष का मामला नहीं है। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। यदि किसी पड़ोसी देश में किसी प्रकार की अस्थिरता पैदा होती है तो उसमें यह प्रश्न पैदा होता है कि भारत में क्या होगा ? अतः हमें चिन्ता होना स्वाभिक है। इस प्रकार यह है मध्य पूर्व की स्थिति।

ईरान जिस रास्ते पर चल रहा है और पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है। इस पृष्ठ भूमि में हमें विचार करना है 1980 में हमें कौनसी समस्याओं का सामना करना है।

पहली समस्या अफगानिस्तान की है। मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश ने हमारी सरकार ने जो रुख अपनाया है वह मूलतः संतुलित है। निःसन्देह हम यह मानते हैं कि

कोई प्रभुसत्ता सम्पन्न देश में सेनाएं भेजे जाने को उचित नहीं ठहरा सकता। हमने कहा है कि हम इसे उचित कहीं ठहरा सकते। हमारा यही मत है तथा विश्व के बहुत से देशों ने इस मत की प्रशंसा की है। एक और बात है हम यह मानते हैं कि अफगानिस्तान एक मित्र देश है और एक गुट-निर्पेक्ष प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है तथा किसी बाहरी शक्ति ने उसके आंतरिक मामलों में हस्ताक्षेप का यत्न किया है। इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता। इस मामले में हमें रूस तथा अन्य शक्तियों की भावनाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था और ठीक कहा था कि सोवियत रूस यह समझता है कि उसका घेराव किया गया है। यदि राष्ट्रपति कार्टर खाड़ी क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उस पर चिन्ता व्यक्त करते हैं तब क्या रूस को यह नहीं सोचना चाहिये कि यदि उसके निकट पड़ोसी अफगानिस्तान में कुछ हो जाता है तो उसे उस पर चिन्ता करनी चाहिए। वह समझते हैं कि उन पर घेराव डाला जा रहा है। इसलिए उन कारणों की खोज की आवश्यकता नहीं है जिनमें रूस को अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजनी पड़ीं।

परन्तु मुझे खुशी है कि उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करदी है—हमने भी अपनी स्थिति रूस के समक्ष ठीक ढंग से रखकर स्पष्ट कर दी है—कि सेना को वापस बुलाना पड़ेगा तथा उन्होंने भी हर बात को स्वीकार कर लिया है। जब वे कारण समाप्त हो जायेंगे जिनमें कि सेनाएं भेजनी पड़ी थीं तब मेनाएं वापिस बुला ली जायेगी। कई बार हमने भी अपनी सेनाएं सीमाओं तक भेजी हैं। परन्तु सौभाग्य से जिन कारणों से हमने अपनी सेनाएं भेजी थीं वे शीघ्र ही समाप्त हो गये और हमने अपनी सेनाओं को शीघ्र वापस बुला लिया। मैं मानता हूं कि रूस एक तरफ तथा अमरीका दूसरी तरफ शिखर शक्तियां हैं। वे विश्व शक्तियां हैं परन्तु श्री चरणजीत यादव के समान मैं उन्हें एक ही वर्ग में नहीं मानूंगा। उनकी विश्व नीति है तथा अपने अन्तर्राष्ट्रीय हित हैं। परन्तु इन महा शक्तियों के बारे में हमारे अनुभव के अनुसार एक बात महत्वपूर्ण है। रूस तथा अमरीका की शिखर शक्तियों के बारे में हमारा अनुभव क्या है।

पिछले 25-30 वर्ष में जब 1955 में श्री खुरेश्चेव ने भारत की यात्रा की, तब से यानि लगभग 25 वर्ष से भी अधिक समय से हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारी हर कठिनाई में हमारे विकास की प्रत्येक प्रक्रिया में सोवियत रूस ने हमारा साथ दिया। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। समस्या यह नहीं है क्या कोई देश शिखर शक्ति है अथवा नहीं। यह कठिनाई अमेरिका के लिए है।

वे महा-शक्तियां हैं और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। परन्तु विश्व की परिस्थितियों में वे अपने प्रभाव को कैसे उपयोग करती हैं—यह बात अधिक महत्वपूर्ण है। वे किस प्रकार यह कार्य करते हैं यह देखना अत्यन्त रुचिकर है। उनकी नीति में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके अंतर्गत विश्व की राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं पर ध्यान दिया गया हो।

इसलिए यदि वियतनाम की घटनाओं से लेकर दक्षिण अमरीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया अथवा मध्य पूर्व की घटनाओं पर दृष्टि डालें तो हम अनुभव करते हैं कि अमरीका ने अपनी सेनाओं, अपनी शक्तियों का उपयोग सदा प्रतिक्रियावादी शक्तियों के समर्थन तथा यथा-पूर्व स्थिति बनाये रखने के लिए किया। यही अन्तर है सामान्यत: इन्हें विश्व को प्रभावित करने

की इनकी संरचना, सैनिक शक्ति, धन तथा क्षमता आदि को ध्यान में रखकर ही शिखर शक्तियां माना जाता है। पर मैं इन्हें समान नहीं मानूंगा। मैं उनका मूल्यांकन अपने अनुभवों एवं अपने हितों की दृष्टि से करूंगा, तथा किस प्रकार वे दूसरे देशों से व्यवहार करते हैं इसके आधार पर करूंगा। हम अमरीका की 1971 में भारत के प्रति शत्रुता को भुला नहीं सकते जबकि भारत एक कठिन समय से गुजर रहा था।

सभापति महोदय, मैं अपने देश की प्रशंसा करता हूं। यह श्री राव अथवा प्रधान मंत्री को बधाई देने का प्रश्न नहीं है। वह वास्तव में देश के लिए गौरव की बात है कि देश ने सही रुख अपनाया है। हम ऐसा कैसे कर पाये, यही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। ऐसा इसी-लिए संभव हुआ क्योंकि हमारा दृष्टिकोण मूलतः विश्व-हित से प्रेरित था। हमारा हित किसी एक विश्व शक्ति का पक्ष लेने में नहीं है, अपितु हम गुट-निरपेक्षता से बंधे हुए हैं। यह प्रमुख नीति है जिसे भारत ने अपनाया है और जब तक हम गुट-निरपेक्षता की नीति पर चलते रहेंगे तब तक समस्याओं के समाधान के हमारे सभी तरीके सही सिद्ध होंगे।

इस प्रकार ऐसी कठिन स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे समक्ष एक और समस्या आई है, यानि चीन की समस्या। चीन ने सीमा समस्या के समाधान का प्रस्ताव रखा है। हम भारत-चीन सीमा समस्या की चर्चा बहुत अधिक करते हैं। निश्चय ही यह एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका समाधान करना होगा। परन्तु कैसे और किस प्रकार इसका समाधान हो, यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के बीच 1962 से पूर्व विद्यमान मैत्री सम्बन्धों की पुनः स्थापना की जाये। सबसे बुरी बात यह नहीं थीं कि चीन और भारत की सीमाओं पर उनकी सेनाएं तैनात कर दी गई थीं अपितु यह थी कि मैत्री से विश्वास उठ गया। इससे भारत-चीन मैत्री संबंधों को गम्भीर ठेस लगी। उन मैत्री संबंधों की पुनः स्थापना की जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है?

श्री राव ने समस्या के समाधान संबंधी चीन के प्रस्ताव पर अत्यन्त युक्तियुक्त और तर्कपूर्ण वक्तव्य दिया है। यह अपने आप में सही है। परन्तु हमें चीन के साथ संबंधों पर मूल-भूत ढंग से विचार करना है। चीन की नीयत के बारे में मुझे सन्देह है। परन्तु इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। पर रोचक बात यह है कि यह प्रस्ताव भी एक पत्रकार के माध्यम से आया है और वह भी; कब? जब हमारे विदेश विभाग के एक सचिव परामर्श और बातचीत के लिए चीन जाने वाले थे, उसके ही अगले दिन उन्होंने एक पत्रकार को प्रस्ताव दिये। इसे, वह 'जन माध्यम से कूटनीति' कहते हैं यही उनकी कार्य विधि है – प्रत्यक्ष रूप से किसी सरकार को मान्यता न देकर और उसकी उपेक्षा कर आम लोगों के साथ बातचीत कर यह सिद्ध करना कि "हम कितने मैत्रीपूर्ण हैं।" हम समस्या का समाधान करने को तैयार हैं अब शेष तुम्हारा कर्त्तव्य है। यदि आप समाधान करो तो ठीक है। अन्यथा.....

यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। समस्या का समाधान अधिक मौलिक तरीके से किया जाना चाहिए। यदि हमें चीन पर दृष्टि डालनी है तो हमें देखना होगा कि चीन की विश्व के बारे में संकल्पना क्या है। स्वाभावतः जहां तक द्विपक्षीय संबंधों का प्रश्न है हमें उन्हें सुधारने की सभी चेष्टाएं करनी चाहिए परन्तु संबंध सुधारने का मामला इस बात पर निर्भर है कि वह

विश्व को किस रूप में देखते हैं। मुझे भय है : उनका मतव्य है कि तीसरा विश्व-युद्ध अनिवार्य है। हो सकता है रूस तथा चीन के बीच कोई नीति तथा विचारधारा संबंधी मतभेद हो। हो सकता है कि दो देशों के बीच राष्ट्रीय हितों के बारे में संघर्ष है। हाल ही में हमने चीन द्वारा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रशंसा सुनी है। परन्तु कभी वे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के आलोचक थे। परन्तु डा० हेनरी किसिंजर की गुप्त पिकिंग यात्रा के बाद चीन और अमरीका निकट आने लगे और मैं कह सकता हूं उसी क्षण से विश्व की स्थिति बिगड़ने लगी। चीन तथा अमरीका दोनों चतुर भागीदार हैं तथा अमरीकी समझते हैं कि वे चीनियों का उपयोग अपने हितों के लिए कर सकते हैं तथा चीनी समझते हैं कि वे अमरीकियों का उपयोग अपने राष्ट्र हितों के लिए कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कौन किसका उपयोग कर पाता है। यह एक भिन्न मामला है। स्वभावतः देश में ऐसा ही वातावरण है और मैं उसके विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता। चीन के साथ संबंध सुधारना आवश्यक है क्योंकि चीन हमारा निकट पड़ोसी है, चीन बड़ा देश है तथा उसके साथ हमारे संबंध पुराने हैं।

श्रीमान, हमने शुरू से ही बहुत सही रुख अपनाया है। जब उनका व्यवहार अमैत्रीपूर्ण था तब भी हमने अपनी स्थिति नहीं बदली पंडित नेहरू ने चीन के साथ सम्बन्धों का मूल्यांकन किया था जोकि मैं समझता हूं मूल रूप से ठीक नीति थी परन्तु जब चीन की सेनाएं हमारी सीमा में घुस आई तो उन्हें भारी धक्का लगा। पंडित नेहरू को अपने जीवन में वह सबसे बड़ा धक्का लगा था। हम सम्बन्ध तो सुधारना चाहते हैं परन्तु कोई गलत तथा शीघ्र कदम नहीं उठाना चाहते। इन मामलों का मूल्यांकन करते समय कोई भूल नहीं की जानी चाहिए। सही स्थिति में परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए। मैं समझता हूं चीन के बारे में मैंने अपनी बात कह दी है।

श्रीमान, हमें अंततः कौनसी नीति अपनानी है। हम पुनः वही बात लेते हैं—गुट-निर्पेक्षता गुट-निर्पेक्ष आंदोलन के हम संस्थापक रहे हैं तथा पिछले 25-30 वर्ष में उसके विकास में भारी योगदान दिया है। परन्तु मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में गुट-निर्पेक्ष आंदोलन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रयत्न किये जायेंगे कि किसी सैद्धान्तिक के आधार पर लोगों को इससे पृथक रखा जा सके। वे सदा ऐसा करते रहे हैं। वे पहली बार ही यह कार्यवाही नहीं कर रहे। आने वाले वर्षों में विशेष रूप से इस दशक में—अफगानिस्तान के मामले पर देशों को मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम देशों में विभाजित करना चाहेंगे। वे देशों को बड़े देशों तथा छोटे देशों में बांटना चाहेंगे भारत की एक समस्या है। भारत को गलत समझा गया है क्योंकि आकार में भारत बहुत बड़ा देश है और यह हमारी भूल नहीं है कि भारत बड़ा देश है परन्तु हमने कभी भी बड़े भाई कासा व्यवहार नहीं किया। हमने पड़ोसी देशों की चाहे वे छोटे हों—जैसे श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, बंगलादेश, भूटान और पाकिस्तान -- उनकी समस्याओं को समझने की चेष्टा की इन सभी देशों को कभी हमने छोटा नहीं समझा। हमारे लिए यह बड़े देश हैं यद्यपि भूगोलिक दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से हम उनसे कुछ बड़े और मजबूत हैं तथा रहेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। यह प्रश्न शक्ति का नहीं है अपितु उन नीतियों तथा दृष्टिकोणों से संबंध है जिससे प्रेरित होकर कोई देश कार्य करता है। यह बात महत्वपूर्ण है। यही पंडित नेहरू का दर्शन है और महात्मा गांधी का दर्शन है जोकि हमारा मार्ग दर्शन करता है यह गुट-निर्पेक्षता का दृष्टिकोण सही अर्थों में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी निहित था। यह स्वतंत्रता आंनदोलन का उपहार है। यह शून्य से पैदा नहीं हुआ। यह

हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लम्बे इतिहास की देन है। जब शीत युद्ध तीव्र रूप में चल रहा था तब वर्तमान सूत्र तैयार किया गया। इस प्रकार हमें अंततः इसे अपनाना है तथा चेष्टा करनी है कि यह निर्याणात्मक रूप में कार्य करें। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि बड़े बड़े नारों से हम गुट-निर्पेक्षता की बात करें। अब प्रश्न गुट-निर्पेक्षता के सिद्धान्त निर्माण का नहीं है अपितु किसी विद्यमान स्थिति पर उसे लागू करने का है। गुट-निर्पेक्षता के सिद्धान्तों का प्रयोग आने वाले दिनों में, आने वाले दशक में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्य नीति-निर्धारण एवं भारतीय राजनीति की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। भारत को परिस्थिति के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि गुट-निर्पेक्षता आंदोलन पर दबाव पड़ेगा तथा हमें विभाजित करने के यत्न किये जायेंगे, तथा हमें मिल कर कार्य करना पड़ेगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई इसमें फूट न डाल सके और साथ ही हमें इस विशिष्ट क्षेत्र में अपनी पहल शक्ति भी नहीं खोनी चाहिए। मैं समझता हूं कि गुट-निर्पेक्षता की मुख्य शक्ति आत्म निर्भरता है।

कल श्री चन्द्रजीत यादव ने एक बात कही थी कि मात्र गुट-निर्पेक्षता के मंत्र से कुछ नहीं बनेगा जब तक कि उसे दृढ़ आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था का आधार प्रदान न किया जाये। उसके लिए आप अन्ततः विदेश नीति को आंतरिक नीति से पृथक नहीं कर सकते। हमें भारत का निर्माण अधिक समतापूर्ण तथा अधिक दृढ़ आधार पर करना होगा। आज कल हमें समाजवाद के बारे में सरकार से कम सुनने को मिलता है। मैं समझता हूं, वे इसे भूले नहीं होंगे। हमने संविधान में संशोधन करके इसे अपने उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : जितना कम सुना जाये उतना अच्छा है। यह भी एक मंत्र बन गया है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मंत्र के रूप में भी हमें जिम्मेदार लोगों की बात सुननी चाहिए और जितनी अधिक उनकी बातें सुनी जायें उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। मैं उतना निराशावादी नहीं हूं जितना श्री इन्द्रजीत गुप्त हैं। मुझे इस पार्टी की सरकार का कुछ अनुभव हैं। अब मैं हिन्द महासागर के शान्ति क्षेत्र के मामले को लेता हूं। यह एक दूसरा मंत्र है। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि हिन्द महासागर शान्ति का क्षेत्र होना चाहिए। न तो मैं इस पर समझौता करने को तैयार हूं और न ही इसे वापस लेने को। इस मांग को और भी अधिक व्यवस्थित तथा कुछ अधिक अक्रामक होना चाहिए। जब तक इसे अधिक तीव्र रूप में नहीं लिया जायेगा तब तक कुछ नहीं बनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम हिन्द महासागर के शान्ति क्षेत्र की बात करते हैं तब कुछ पश्चिमी राजनयिक यह कहते हैं कि यह एक मंत्र है। इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता। इस बारे में मुख्य कठिनाई यही है। वे समझते है कि जब भारत का विदेश मंत्री भारत के शान्ति क्षेत्र होने की बात कहता है तब यह बात कहना एक आम बात हैं। बड़ी शक्तियां परामर्श की परवाह नहीं करती। डियागो गार्शिया में अड्डा रखना अमरीका का हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा पापपूर्ण कार्य है। इसे चुनौती दी जानी चाहिए। श्री चन्द्र जीत यादव ने चेतावनी देने की आवश्यकता पर बल दिया था। मैं नहीं समझता आप चुनौती कैसे दे सकते हैं। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अपनानी पड़ेगी आपको हिन्द महासागर के तटीय देशों की गव्यात्मक एकता के लिए कार्य करना चाहिए। केवल उसी से सहायता मिलेगी।

मैं समझता हूं कि यह मामला विदेश विभाग की उतनी समस्या नहीं है जितनी रक्षा नीति से संबंधित है तथा अब हम भी अपनी नौसेना को एक कनिष्ठ भागीदार के रूप में कार्य करने की योजना बनाते हैं। यह बात दीर्घकालीन अनुभव की अपेक्षा रखती है क्योंकि सेना का निर्माण हम 3-4 वर्ष में कर सकते हैं, वायु सेना का 5 वर्ष में परन्तु इतनी अवधि में हम अपनी नौसेना नहीं तैयार कर सकते। इस पर अधिक समय लगता है। इसीलिए हमने 15-16 वर्ष में काफी काम किया है। मेरा तर्क है कि हम दियागो गार्शिया की चुनौती का मुकाबला अपनी नौ सेना से नहीं कर सकते परन्तु जबकि नौ सैनिक खतरा बना हुआ हमें अपने तटों की रक्षा के सक्षम बनना चाहिए।

इसलिए मैं केवल उल्लेख कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यदि आप इन विचारों को संबंध व्यक्तियों अधिकारियों के पास भेज देंगे ताकि वे तदानुकूल कार्य कर सकें। मेरे तर्क का मुख्य आधार यह था कि आज विश्व स्थिति उतनी सरल नहीं है, परिस्थिति अत्यन्त भयावह बन गई है तथा आपको भारतीय विदेश नीति संचालन में अत्यन्त सजग रहना होगा आपको मूल मत नीतियों का ध्यान रखते हुए नए दृष्टिकोणों का निर्माण करना होगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो अच्छा रहेगा। 3-4 विशेष सुझाव देकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का तंत्र स्थापित करना भारत के हित में है। स्वाभाविक रूप से आज भी हम अपने कार्य में रत हैं। परन्तु इस तंत्र का अधिक दृढ़ता से निर्माण करना पड़ेगा। कल श्री यादव हेलसिंकी किस्म के सम्मेलन की बात कर रहे थे। मैं इतना महत्त्वाकांक्षी नहीं हूं कि सम्मेलन के बारे में सोचूं यदि मुझे अनुमति दी जाये तो मैं कहना चाहूंगा कि यह अवास्तविक है हेलसिंकी सम्मेलन का प्रस्ताव एक अलग बात है परन्तु निश्चय ही मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि गुट-निर्पेक्ष राष्ट्रों में किसी प्रकार के संयुक्त आत्म निर्भरता के निर्माण के लिए एक सम्मेलन बुलाने की वह पहल करे। गुट-निर्पेक्ष आन्दोलन के लिए यह एक नया माध्यम है। इतना ही पर्याप्त नहीं है राजनीतिक क्षेत्र में गुट-निर्पेक्ष राष्ट्रों के बीच कोई समझौता हो यह भी आवश्यक है गुट-निर्पेक्ष देशों की आत्म-निर्भरता के आर्थिक सहयोग बढ़ाये जायें। गुट-निर्पेक्ष विश्व के समक्ष यह प्रथम कार्य है। मेरा सुझाव है कि यह कार्य आप एशियाई निर्गुट सम्मेलन से शुरू करें जिनमें आप चीन, जापान, दक्षिण कोरिया तथा एक हो अन्य देशों को ले सकते हैं। अधिकांश अन्य एशियाई देश गुट-निर्पेक्ष हैं। इसलिए निश्चय ही हमें इन मामलों में कुछ क्रियात्मिक राजनीति प्रदर्शित करनी चाहिए। समाप्त करने से पूर्व मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा।

मैंने पहले ही कहा है कि गुट-निरपेक्ष देशों की एकता पर दबाव पड़ेगा। इसलिये आप को अधिक सतर्क रहना होगा। आप यह कैसे करेंगे। इसके लिए आपको योजना बनानी होगी इस सम्बन्ध में मैं कुछ और सुझाव दूंगा। मंत्रालय के नीति आयोजन सेल की सहायता लेना बेहतर होगा यह अधिक महत्वपूर्ण है। यह राजनयिक पक्ष अथवा क्षेत्र-वार पक्ष दोनों के लिये सही है। सामान्य रूप से यह अच्छा काम कर रहा है। किन्तु मेरे विचार में हमने जिस बात की अब तक उपेक्षा की है वह है नीति आयोजन और विदेश मंत्री के लिए विकल्प तैयार करने में बौद्धिक निवेश। विदेश मंत्री के पास आधे दर्जन विकल्प होने चाहिये और उनमें से एक विकल्प चुनने में वह समर्थ होना चाहिये तथा आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की भी क्षमता उसमें होना चाहिये।

श्री यादव जी, मैंने आपकी अनुपस्थिति में एक सम्मेलन बुलाने के लिये पहल करने का सुझाव दिया था, यह सम्मेलन हेलसिंकी की तरह का न होकर सामूहिक आत्म-निर्भरता के विकास के लिये होना चाहिये। मैंने इस बारे में अभी-अभी टिप्पणी की है। मैंने सोचा कि मैं आपकी सूचनार्थ इसे दोहरा दूं।

श्रीमान्, मैं तो अभी.अभी विदेश मंत्रालय के नीति आयोजन कक्ष के बारे में कह रहा था जिसकी बहुत अधिक उपेक्षा की गयी है। आपको ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिये कि यह काम किस प्रकार किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि यह काम आसान नहीं है। केवल तथाकथित बुद्धिजीवियों की भर्ती कर देने तथा उन्हें विदेश मंत्रालय में बैठा देने से कुछ भी लाभ नहीं है। विदेश नीति आयोजन को ध्यान पूर्वक आयोजित कर उस पर विचार करना होता है। मेरा सुझाव है कि आप गहनता से इस मामले पर विचार करें तत्पश्चात उसे कार्यान्वित करें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : सभापति महोदय, श्री चक्रवर्ती ने कुछ समय पूर्व अपने भाषण में कहा कि भारत ने कम्पूचिया सरकार को मान्यता देरी से प्रदान की। जब तक हमने कम्पूचिया को मान्यता प्रदान नहीं की थी तो वे इसे मान्यता प्रदान करने के लिये जोर दे रहे थे। अब जबकि हमने मान्यता दे दी है तो वे यह कहते हैं कि हमें देरी से मान्यता प्रदान की गयी। श्रीमान, कम्पूचिया को उचित समय पर मान्यता प्रदान की गयी है क्योंकि यदि हमने इसे पहले मान्यता दी होती, तो इससे कम्पूचिया को हानि होती और इससे कुछ भी लाभ न होता। मैं उचित समय पर हेंग समरीन की सरकार को मान्यता प्रदान करने के लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

मुझे एक अन्य बात भी कहनी है। हमारे सम्माननीय नेता श्री चह्वाण और सभापति महोदय, आपने अपने भाषण में इस सरकार की नीति की व्यवहारिक रूप से पुष्टि की है किन्तु विरोधी पक्ष के सदस्यों के मन में किसी न किसी रूप में कोई हीन भावना बनी हुयी है। वह उससे हटकर कुछ न कुछ कहना चाहते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि उनके पास किसी प्रकार की मौलिकता है।

श्रीमान, यह कहा गया कि भारत ने नेहरू द्वारा अपनायी गयी नीति को छोड़ दिया है अथवा ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि भारत हिचकिचा रहा है और कि भारत अपनी पूर्व स्थिति को खो रहा हैं क्योंकि नेहरू द्वारा अपनायी गयी नीति का पालन नहीं कर रहा है। यह बात गलत है। अफगानिस्तान के बारे में हमने कहा कि हम अफगानिस्तान में किसी भी देश की सेनाओं की उपस्थिति नहीं चाहते हैं। क्या यह साहसपूर्ण वक्तव्य नहीं था ? किन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी जिनके कारण सोवियत संघ को अपनी सेनायें वहां भेजने के लिये विवश होना पड़ा। यह एक साहसपूर्ण वक्तव्य था। हम 1947 से लेकर उसी नीति का पालन कर रहे हैं॥ बेशक यह एक भिन्न बात है कि हमारे कुछ मित्र जो हमारे पक्ष के थे अब विपक्ष में जा बैठे हैं।

श्रीमान, 1979-80 वर्ष में देश के भीतर तथा बाहर बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। देश के भीतर सरकार का परिवर्तन हुआ देश के बाहर बड़ी शक्तियों की भूमिका में परिवर्तन हुआ है। पहले वे तनाव-शैथिल्य की नीति का पालन कर रहे थे अब उन्होंने तनाव की नीति को अपना

लिया है। यह न केवल किसी विशेष देश के लिये बल्कि समूचे विश्व के लिये एक बहुत ही गम्भीर स्थिति है और इसी संदर्भ में ही भारत को विश्व के मामलों में अपनी भूमिका निभानी होगी तथा अपनी शान्ति एवं गुट-निरपेक्ष की नीति का पालन करते रहना होगा। अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं पर समूचे विश्व तथा क्षेत्रीय वातावरण की अधिक बड़ी पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिये। भारत की भूमिका की सराहना हमारे मित्रों ने तथा विदेश नीति के मामले में हमारे सहमत न होने वालों ने भी की है। अतः मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुकूल अपनी भूमिका अदा की है। यह हमारी गुट-निरपेक्ष नीति के अनुरूप भी है। इससे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा को चार चांद लगे हैं पाकिस्तान आन्तरिक एव बाहरी दोनों तरह से एक गम्भीर स्थिति का सामना कर रहा है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक रूप से अस्त-व्यस्त हो गया है और अपनी सीमाओं पर सोवियत संघ की सेनाओं का सामना कर रहा है और पाकिस्तानियों के मन में अशान्ति की भावना व्याप्त है।

मेरे विचार में पाकिस्तानियों के समक्ष 3 विकल्प हैं, उनके विकल्पों के बारे में कहने से पूर्व मैं अपने विदेश मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमें पाकिस्तान की राहायता करनी चाहिये, हमें इस समय उन्हें अपनी मित्रता की भावना महसूस करानी चाहिये। उनके समक्ष विकल्प ये हैं, सर्वप्रथम यदि वे अमरीका के साथ अपने संबंधों का विकास करते हैं, तो उन्हें अनेक समस्यायों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग ऐसा इसलिये नहीं चाहेंगे क्योंकि वर्ष 1971 में जब पाकिस्तान बंगला देश संकट में उलझा हुआ था, यद्यपि पाकिस्तान एस० ई० ए० टी० ओ० (सीयटो) का सदस्य था, तो भी अमरीका उसकी सहायता करने नहीं आया। दूसरे, पाकिस्तान के आणविक व्यवस्था के विकास के प्रयास का अमरीका द्वारा सदैव जोरदार विरोध किया जाता रहा है। अतः पाकिस्तान के लोगों की दृष्टि में अमरीका ने विश्व-सनीयता खो दी है। जहां तक पाकिस्तान की सरकार का संबंध है उसे सोवियत संघ का भय है, क्योंकि सोवियत संघ की सेनायें अफगानिस्तान में हैं। यदि पाकिस्तान कोई ऐसी बात करता है अथवा अमरीका के साथ निकट संबंध स्थापित करता है, तो वह जानता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। सोवियत संघ बलोचियों एवं पख्तूनों की सहायता करके पाकिस्तान के लिये गड़बड़ पैदा कर सकता है।

दूसरा विकल्प पाकिस्तान के सामने यह है कि वह सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों को विकसित कर सकते हैं। वह मार्ग भी उसके लिये कठिन होगा, क्योंकि अब तक वह अमरीका और चीन पर निर्भर रहा है ये दो विश्व शक्तियां यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि पाकिस्तान सोवियत संघ के साथ अपने संबंध स्थापित करे पाकिस्तान के शासक यह अच्छी तरह जानते हैं कि यदि वह सोवियत संघ से अपने संबंध बढ़ाता है, तो उसके लिए अस्थिरता की नीति अपना ली जाएगी।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के सामने तीसरा विकल्प है और वह है भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। मैं इस बारे में जोर देना चाहूंगा कि भारत सरकार को अपनी भूमिका निभानी होगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि स्थिति को भांप लिया गया है और नयी सरकार ने कुछ पग पहले और हमारे सचिव, श्री साठे इस्लामाबाद गये। बाद में सरदार स्वर्णसिंह जी भी प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत दूत के रूप में वहां गये। यद्यपि हमारे पास उन वार्ताओं के परिणाम नहीं

हैं क्योंकि आपने संसद में विचार विमर्श करने तथा उसके बारे में विस्तृत रूप से जानने का अवसर हमें कभी भी नहीं दिया। सभी प्रकार की सूचना से, जो हमें विदेशी समाचार पत्रों से प्राप्त हुई, पता चलता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हमारे प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण थी, जिससे हमारे संबंधों में सुधार हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि ऐसा मार्ग अपनाया जाता है, तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बेहतर हो जायेंगे। और मैं आपको यह बता सकता हूं कि मजबूत पाकिस्तान ही हमारे लिये लाभदायक होगा और एक कमजोर पाकिस्तान से हमें कभी भी लाभ नहीं होगा।

चीन के बारे में, यह एक अच्छा शकुन है कि नयी सरकार के सत्तारूढ़ होते ही हमारे पास एक प्रस्ताव आया है। चीन सरकार के साथ इतने अधिक समय तक हमारे सम्बन्ध जाम के पश्चात यह एक नई बात हुई है। हम इसका स्वागत करते हैं; किन्तु मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री इस पेशकश तथा अन्य संबंधित मामलों पर सावधानी पूर्वक विचार करें क्योंकि इस समय केवल सीमा प्रश्न ही नहीं है। विश्व स्थिति में पर्याप्त रूप से परिवर्तन आ गया है। अतः जब भी हम चीन के साथ अपने संबंधों पर विचार करें, हमें सभी तरफ की स्थिति को व्यापक रूप से देखना होगा। ऐसा करते समय हमें चीन और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को भी ध्यान में रखना होगा। चीन सदैव पाकिस्तान को शस्त्रों से लैस करता रहा है। हमारे विरोध के बावजूद चीन द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों से लैस किया जा रहा है क्योंकि उनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और चीन तनाव पैदा करने के लिये इस सीमा तक पाकिस्तान को शस्त्र देता रहा है। क्या चीन ने अपने रवैये में परिवर्तन किया है ?

चीन काश्मीर के लिये आत्म-निर्णय का समर्थन भी करता रहा है। क्या उसने अपनी नीति में परिवर्तन किया है ? आपको इस बारे में विचार करना होगा। फिर दूसरे वक्तव्य को देखते हुए इस वक्तव्य का क्या महत्व रह जाता है ? तिब्बत के साथ व्यापार की भी पेशकश की गई है।

18 वर्षों तक चीन चुप रहा है और उन सभी 18 वर्षों के दौरान अनेक मित्र हमारे बीच समझौता कराने का प्रयास करते रहे हैं; किन्तु कुछ मित्रों के परामर्श पर इस प्रतिक्रिया को छोड़कर कुछ भी परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कि यदि भारत अपना राजदूत फिर से वहां भेज देता है तो सामान्य स्थिति पैदा हो जायेगी, क्योंकि भारत ने राजदूत को पहले ही वापस बुला लिया था; किन्तु हम देखते क्या हैं ? ऐसा दिखाई देता है कि उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ। अब अचानक चीन हमारे निकट आना चाहता है। इसका क्या कारण है ? आपको इस पर विस्तार पूर्वक अवश्य ही विचार करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त क्या चीन ने युद्ध की अनिवार्यता की अपनी मूल नीति में परिवर्तन कर दिया है और क्या चीन के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है ? क्या वह विश्व को उसी तरह से देख रहा है जिस तरह हम देखते हैं ? हमने देखा है कि चीन ने मोजम्बीक, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, मध्यपूर्व में मुक्ति विरोधी शक्तियों का समर्थन किया था। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के साथ हमारी मित्रता है जिसे हमने मान्यता प्रदान कर दी है। चीन का फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रति क्या रवैया है ? इसी प्रकार उसका दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य देशों के प्रति क्या रुख है ?

हमें यह भी देखना है कि चीन भारत की परिधि वाले देशों, अर्थात भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और बंगला देश में क्या कर रहा है। क्या वह वहां भारत विरोधी तत्वों को

प्रोत्साहन नहीं दे रहा है ? वह सदैव ऐसा करता रहा है। क्या उसके रवैये में कोई परिवर्तन आया है। इस पर विचार करना होगा।

इसके अतिरिक्त चीन सदैव हमारे पूर्वीतट क्षेत्र को हथियार सप्लाई करता रहा है।

वे वहां छापामारों को हथियारों की पूर्ति कर रहे हैं। अपने देश में उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं और वापस भेज रहे हैं। यह वर्षों से हो रहा है। श्री वाजपेयी चीन गये और उन्होंने भी उस प्रश्न को उठाया था परन्तु उन्होंने उनका ध्यान उस समस्या से विचलित करने का प्रयास किया; और इसका कोई परिणाम नहीं निकला। हमें यह देखना है कि सिक्किम को हमारे साथ मिलने पर उनका क्या रुख है और उन देशों के प्रति उनका क्या रुख है जिनके साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं ?

एक अन्य महत्वपूर्ण बात हो चुकी है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। और वह है इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका का सहयोग। ये दोनों देश अपनी विभिन्न विचारधारा के बावजूद, भिन्न दृष्किोण के बावजूद एक हो गये हैं। आपस में मेल न रखने के सिवाय उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। वे एक दूसरे के निकट आ गये हैं। और इसी कारण से उनके इस मेल से इस क्षेत्र को भारी खतरा है। इसलिए, चूंकि उनका आपस में सहयोग है, उनका इस बारे में समझौता है। क्या यही उनकी विश्व नीति है कि वे हमसे बातचीत करना चाहते हैं या वास्तव में चीन में परिवर्तन हो चुका है, उनका दिमागी रूप बदल चुका है या वास्तव में उनका हृदय बदल चुका है कि वे हमसे बातचीत करना चाहते हैं ? यह अत्याधिक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते।

एक और अन्य कारण है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और वह है इस क्षेत्र में दोनों देशों को अपनी-अपनी भूमिका। चीन इस क्षेत्र—एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता हैं, और उनके अपने हित हैं। इसलिये वही हम चाहते हैं, हमारा भी एक महान देश है; हमें भी अपने हित को देखना है, इस क्षेत्र में इन दोनों देशों की अपनी-अपनी क्या भूमिका होगी—इस मामले पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है। आपकी उनके साथ कोई संधि वार्ता है। कोई चर्चा करने से पूर्व इस क्षेत्र के संबंध में भारत के हित की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक इस संकट काल में जब एक ऐसी पेश-कश है और हम इस पर विचार कर रहे हैं और चीन अचानक भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स०) को मान्यता दे देता है तो इस स्थिति में इस बात से कम से कम इसका कुछ संबंध अवश्य है। आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। यह चीन का एक ऐसा सार्थक रुख है जिसे उन्होंने यहां पर उठाया है। इसलिये इस पहलू पर सावधानी बरतें। (व्यवधान) इस समय उन्हें आप पर विश्वसनीयता क्यों पैदा करना चाहिए ? यह तो उन्होंने पहले कर लिया होता।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : चीन बहुत से परिवर्तनों का उल्लेख कर चुका है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की समस्या का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने भूतपूर्व अध्यक्ष लीऊ चाऊ ची की पुनर्वास के बारे में है और इस प्रकार अन्य बातें कही हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं विदेश मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इस बात का अवश्य पता लगायें कि क्या वास्तव में उनके विचारों में कोई परिवर्तन हुआ है। अब इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत और उस देश के बीच द्विपक्षीय प्रश्न है। यदि ऐसी बात है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु हम यह देखें कि क्या उनका दिल बदल गया है या वे इसे साधारण ढंग से कह रहे हैं। इस बात का तभी पता चलेगा जब हमारे विदेश मंत्री महोदय उनके साथ बातचीत करेंगे। मैंने उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहा, मैंने जो कहा है इस सब को ध्यान में रखते हुये मैं इसको मकड़ी का जाल समझता हूं। इसमें उस समय तक मत फंसिये जब तक कि आप उन सभी मुद्दों पर विचार नहीं कर लेते जो मैंने तथा मेरे साथियों ने इस सभा में उठाये हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

दूसरे, उन अन्य मित्रों की कीमत पर यह मित्रता नहीं करनी चाहिए जिनके साथ हमारे दृढ़ संबंध हैं; हमने अपने संकट के समय में अपने मित्रों के साथ स्थिर संबंध रखे हैं चाहे यह रूस हो, पाकिस्तान या कोई अन्य देश। मैं केवल एक देश को नहीं कहता हूं बल्कि यह मित्रता अन्य मित्रों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।

अब मैं एक गुट-निरपेक्ष देश के रूप में अपनी भूमिका के बारे में कुछ कहूंगा। हम नेता हैं, हमारा देश गुट-निरपेक्ष देशों का नेता है। श्री चव्हाण तथा अन्य साथियों ने ठीक ही कहा है कि इस गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में एक बड़ी भारी बाधा है और हममें इस आन्दोलन को अधिक शक्तिशाली, व्यवहार्य बनाने की क्षमता है और इस दिशा में आपके प्रयास होने चाहिएं, क्योंकि इस शीत युद्ध में, जो शुरू हो चुका है, और विश्व युद्ध जो कल शुरू हो सकता है, मैं नहीं जानता कि हम कितनी भूमिका निभा सकेंगे। एक बात तो निश्चित है कि गुट-निरपेक्ष क्षेत्र जो एक शान्ति-क्षेत्र है यदि हम उस क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हम इस क्षेत्र और विश्व में शान्ति स्थापित करते हैं।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि सभा हमारी विदेश नीति को निर्विरोध स्वीकार कर रही है। मैं यह समझता हूं कि यह केवल ऐसी नीति है जिस पर कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता है। मुझे अभी भी याद है कि 1980 में जब हमारा दल सत्ता में आया था, तो मैंने सोचा था कि अफगानिस्तान के संबंध में मतभेद होगा। शुरू में उस नीति को न केवल भारत में हमारे राजनैतिक दलों ने बल्कि विश्व में बहुत से देशों ने भी, विशेषकर अमेरिका तथा अन्य देशों ने गलत समझा था। बाद में जब उन्होंने यह महसूस किया कि इस समस्या के राजनैतिक समाधान के लिये कोई अन्य विकल्प नहीं था तो उन्होंने इसकी सराहना की। जब उन्होंने यह देखा कि समस्या को सैनिक शक्ति द्वारा हल नहीं किया जा सकता है तो उन्होंने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। रूस को अपनी सेना भेजनी पड़ी। जैसाकि कल आपने ठीक ही कहा था कि वहां ऐसी स्थिति थी कि उन्हें वहां अपनी सेना भेजनी पड़ी। यह सच है कि जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां ही हैं। जैसा कि चव्हाण ने कहा कि हमने भी अपनी सेना बंगला देश में भेजी थी जब हमें उस देश को स्वतंत्र कराना था। वहां ऐसी ही परिस्थितियां होंगीं। अमेरिका ईरान के बारे में उससे पहले बहुत चिन्तित था जब वहां कुछ हुआ था। अमेरिका उत्तेजित हो गया था; यह ईरान के बारे में चिन्तित था। अचानक, जब अफगान में स्थिति बिगड़ी तो उन्होंने कहा : कुछ करना

पड़ेगा, अन्यथा हम उस क्षेत्र से पूर्णतया अलग हो जायेंगे । इसीलिये वे इस नीति का विरोध कर रहे हैं । जब हमने इस पर कार्यवाही की तो यह हमारी सरकार के लिये एक चुनौती थी । हमारे विदेश मंत्री महोदय ठीक उसी समय नियुक्त हुये थे । विदेश मंत्री होने के नाते उन्हें उस चुनौती पर कार्यवाही करनी थी । यह वास्तव में भ्रम था । साम्यवादी दल (मार्क्स०) और भारतीय साम्यवादी दल को छोड़कर प्रायः सभी दल भ्रम में थे । उस नीति की निन्दा लोक दल तथा प्रायः अन्य सभी दलों द्वारा की गई । परन्तु बाद में उन्होंने महसूस किया कि वह सही नीति थी और इसीलिए उन्होंने उसकी प्रशंसा की । अधिकांश अन्य देशों ने भी इसकी प्रशंसा की । मुझे खुशी है । मैं अपने विदेश मंत्री तथा अपनी सरकार को उस व्यावहारिक तथा सही नीति के लिये बधाई देता हूं ।

अब मैं गुट-निरपेक्षता के विषय पर बोलूंगा । सम्पूर्ण राष्ट्र महान पंडित जी का आभारी है जिसके बिना हम इस नीति को नहीं अपनाते । चव्हाण जी ने भी इस नीति के बारे में सही कहा । स्वतंत्रता से पहले यह बनाई गई थी, स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान जब विदेश संबंध के बारे में विचार-विमर्श हुआ था तब नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय इस पर विचार कर सके कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस संबंध में हमारी नीति क्या होनी चाहिए । गुट-निरपेक्षता के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था; वही केवल ऐसी नीति थी जो विश्व की समस्याओं का समाधान करेगी । स्वतंत्रता के बाद अभी चव्हाण ने कहा कि एक दशक तनाव कम करने का था और एक दशक तनाव का था । नेहरू के समय में, आजादी के बाद दो या तीन वर्षों तक तनाव रहा और हम भी सोच रहे थे कि तीसरा विश्व बुद्ध अवश्य ही होगा । उस समय ऐसी स्थिति व्याप्त थी । उस समय जान फास्टर डलेस थे, वह बेकार के व्यक्ति थे और सभी प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर रहे थे । नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल गुट-निरपेक्षता का बल्कि विश्व का नेतृत्व किया । विश्व में जहां भी समस्या उत्पन्न हुई वे उनके पास आया करते थे चाहे वे अमेरिका या रूस या अन्य किसी देश से थे । वे उनके पास मार्ग दर्शन तथा सलाह-मशविरे के लिये आया करते थे और वे उन्हें मार्ग दर्शन तथा सलाह-मशविरा दिया करते थे । वे अपने नेतृत्व तथा दस्तन्दाजी के कारण विश्व युद्ध को टालने में सफल हुये । इसीलिये हम उस महान नेता के आभारी हैं । आजादी से पहले के दिनों के दौरान हमें नहीं मालूम है कि क्या अमेरिका ने हमें समर्थन दिया; वे हमारे प्रति कोरी सहानुभूति दिखाया करते थे परन्तु आजादी के बाद उन्होंने सोचा कि हमारा देश उनकी तरफ होगा । परन्तु जब पंडित जी ने गुट-निरपेक्ष नीति बनाई तब उन्हें बड़ी निराशा हुई । वे शत्रु बन गये और उन्होंने कहा : हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि यह देश बिना किसी आर्थिक विकास के स्वतंत्र देश की तरह से बर्ताव कर रहा है । इसीलिये वे हमारी प्रत्येक बात का विरोध कर रहे थे । वे पड़ौसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान को प्रोत्साहन दे रहे थे तथा वे हथियार तथा युद्ध सामग्री दे रहे थे । उन दिनों नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जो चीन के हित के लिये कार्य कर रहे थे । चाहे राष्ट्र संघ में उसे प्रवेश दिलाने का प्रश्न था या कोई अन्य मामला था । वह चीन के हितों का समर्थन कर रहे थे । उस समय अमेरिका कहा करता था : आप चीन का समर्थन कर रहे हैं, जो न केवल एक साम्यवादी अपितु विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन है । ऐसी स्थिति थी । तब भी इस सरकार ने कहा : हम उनका समर्थन कर रहे हैं । चाहे वे मित्र हों या न हों, इसकी कोई बात नहीं यह सिद्धान्त पर आधारित है । 1962 के सीमा संकट के बाद भी अमेरिका ने

सोचा कि बदली हुई स्थिति में हमारा देश गुट-निरपेक्ष नीति को बदलेगा और यह न केवल अमेरिका पर बल्कि पाश्चात्य देशों पर भी निर्भर करेगा।

संकट के बावजूद भी उसने इसे उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। स्थिति चाहे कैसी भी क्यों न हो, लोग उसका सामना करेंगे। हम अपनी नीति में आधारभूत परिवर्तन नहीं करेंगे। वह उसी पर कायम रहे।

यही हमारी वर्तमान नीति है। जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, हमारे लिए यह नीति ठीक साबत हुई है। मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि यह नीति केवल भारत द्वारा ही स्वीकार नहीं की गई है अपितु विश्व के अधिकांश देशों ने इसे स्वीकार किया है। यदि दक्षिण पूर्व एशिया को देखो चाहे कम्बोडिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान या ईराक को देखो, हमें पता चलेगा कि 1980 में विश्व स्थिति निश्चय ही संकटपूर्ण बन गई है। ईरान तथा इराक के बीच लड़ाई हो रही है। इसी प्रकार से इराक तथा ईरान के बीच और अफ्रीका में भी लड़ाई हो रही है।

मैं समझता हूं कि यह बड़े देश तथा कथित बड़ी शक्तियां काफी चतुर हैं। अमरीका तथा सोवियत संघ ने अपने विवादों का निपटारा करने के लिए एशिया तथा अफ्रीका को चुना है। वह यह लड़ाई अपने क्षेत्र में नहीं लड़ रहे हैं और नहीं वह यूरोप में लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई के लिए एशिया या अफ्रीका को चुना है।

हमारी चिंता का कारण केवल यही है कि यदि पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, हिन्द महासागर या दियागो गार्शिया, अमरीका द्वारा वहां सैनिक अड्डा बना लिया गया है। मेरे लिए यह हर्ष की बात है कि यह मामला अफ्रीका संघ के संगठन द्वारा उठाया गया है। कल ही हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उन्होंने मांग की है कि यह अड्डा मारीशस को लौटा दिया जाना चाहिये क्योंकि जब वहां ब्रिटेन का शासन था, तो उसने किसी कारणवश इसे अमरीका को दे दिया था और बाद में अमरीका द्वारा इसका उपयोग सैनिक अड्डे के रूप में किया जाता रहा। अब मारीशस द्वारा मांग की जा रही है कि इसे उसे वापिस लौटा दिया जाना चाहिये। इस मांग का समर्थन अफ्रीकी देशों द्वारा भी किया गया है। मुझे यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई है कि फ्रांस द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया है कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखा जाना चाहिये। हमें भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये।

अब मैं अपने पड़ोसी देशों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं पाकिस्तान को लूंगा। यह हमारे बहुत निकट है। उन दिनों यह भारत का ही अंग हुआ करता था। निसंदेह दुर्भाग्यवश भारत का विभाजन हो गया। उसके बाद पाकिस्तान वाले सोचने लगे कि विभाजन स्थाई नहीं है। भारत उन पर आक्रमण कर देगा। यही उनका भय था। विभाजन के पश्चात इस प्रकार के भय का होना स्वाभाविक ही था। परन्तु पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा इंदिरा जी कहने लगीं कि आक्रमण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उन्हें यह बता दिया गया। हमने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि हम उन्हें एक प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश मानते हैं। हम आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में हर प्रकार से उनकी सहायता करना चाहते है। यही कारण है इतनी अधिक घटनाओं के घट जाने के बाद भी, हम उस देश के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हमें उन्हें यह आश्वासन देना चाहिये कि हम उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने वाले

नहीं हैं। हम उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर तथा सशक्त देखना चाहते हैं। यदि वहां स्थिरता बनी रहेगी तो भारत में भी स्थिरता बनी रहेगी।

अगर वहां स्थिरता नहीं होगी तो हमारे देश में भी स्थिरता बनी नहीं रह सकती। हम निरन्तर स्थिति को इसी ढंग से मानते चले आये हैं। जब कभी भी हमारे विदेश मंत्री द्वारा वहां का दौरा किया जाये – मुझे मालूम नहीं है कि वह कब कहां का दौरा करने चले है—परन्तु जब कभी भी वह जायें, उन्हें उस देश को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि उन्हें हमारी ओर से किसी प्रकार के आक्रमण की चिंता नहीं करनी चाहिये। हमें उन्हें बता देना चाहिये कि हम उनके भाई तथा मित्र ही हैं। जब पाकिस्तान को यह मालूम हो गया कि भारत के कोई नापाक इरादे नहीं हैं, दुर्भाग्यवश उसके बाद से भी चीन तथा अमरीका चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई करना आरम्भ कर दिया है। उनके बजट का अध्ययन करने से पता चलता है कि उनके बजट का 45 प्रतिशत भाग सुरक्षा पर व्यय किया जाता है। यद्यपि हमारा देश उनके देश से बहुत बड़ा है और हमारे समक्ष केवल पाकिस्तान का ही नहीं अपितु चीन का खतरा भी बना हुआ है, तो भी हम देश की सुरक्षा पर अपने बजट का केवल 17 प्रतिशत भाग व्यय कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों अर्थात अमरीका तथा चीन आदि से प्राप्त होने वाली सहायता के अतिरिक्त भी अपने बजट का 45 प्रतिशत भाग सुरक्षा पर खर्च किया जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसके बारे में निश्चय ही कुछ किया जाना चाहिये। जो देश पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई करने में लगे हुये हैं, हमें उनके साथ यह मामला उठाना चाहिये।

जहां तक अफगानिस्तान का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में हमने बहुत ही उपयुक्त नीति अपनाई है जिसकी सभी द्वारा सराहना की गई है। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे विदेश मंत्री द्वारा जब वहां का दौरा किया गया तो उस समय उन्होंने मांग की कि सोवियत संघ की सेना को वहां से हटाया जाना चाहिये। यह खुशी की बात है कि ज्यों ही वह वहां से वापिस लौटे वैसे ही वहां से सेनायें वापिस बुला ली गईं। मैं आशा करता हूं कि सोवियत संघ जब वहां सेनायें रखने की आवश्यकता नहीं समझेगा, तो वह उन्हें वापिस बुला लेगा।

चार या पांच वर्ष पूर्व मुझे अपने कुछ सहयोगियों सहित नेपाल का दौरा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। वहां जाकर मैंने अनुभव किया कि नेपाल के लोग भारत के साथ मित्रता करने के काफी इच्छुक हैं। नेपाल के नेताओं ने हमें बताया कि भारत द्वारा उनके देश की अवहेलना की जा रही है। चीन तथा भारत में काफी अन्तर है। सड़कों, उद्योगों, परियोजनाओं तथा अन्य वस्तुओं के लिए काफी अधिक सहायता दी जा रही हैं। परन्तु भारत द्वारा बहुत कम धन खर्च किया जा रहा है। उन्होंने हमें बताया कि यदि आप नेपाल के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहिये कि वह नेपाल को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा दे। कुछ अन्य सदस्यों द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है। मैं इस बात पर प्रसन्न हूं कि नेपाल के साथ हमारी कुछ संयुक्त सिंचाई परियोजनायें चल रही हैं। हम सड़कों का निर्माण भी कर रहे हैं। नेपाल के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए हमें भविष्य में उन्हें और अधिक परियोजनाओं में सहायता प्रदान करनी चाहिये।

भूटान एक छोटा सा देश है और वह हमारे देश पर निर्भर करता है। हमें भूटान को भी अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिये।

कुछ मशीनें आयात कर रहे हैं। अतः हमारे जापान के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए, क्योंकि वे हमें कुछ आर्थिक सहायता दे सकते हैं।

अफ्रीकी देशों के बारे में भी यद्यपि हमारी उनके साथ कोई समस्या नहीं है, हमने उनके संघर्ष में हमेशा समर्थन दिया है, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के समय से हमने उन्हें समर्थन दिया है। दुर्भाग्य से केवल वही एक देश है जिसे अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली है। अल्पमत सरकार, रंगभेद सरकार अभी भी दक्षिण अफ्रीका में शासन कर रही है और यह बहुसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है और हमें इस बात में भी पहल करनी है, ताकि वहां के लोग स्वतंत्रता हासिल करें।

जहां तक बड़ी शक्तियों का सम्बन्ध है, अधिकांश सदस्यों ने इस बारे में कहा है कि क्या हमारे रूस और अमेरिका के साथ समान सम्बन्ध होने चाहिये। मुझे अभी भी याद है कि 1971 में --उस समय मैं भी यहीं था— जब बंगला देश की मुक्ति की लड़ाई शुरू हुई थी -- हम पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गये थे और फिर सातवें बेड़े की धमकी दी गई थी। अमेरिका ने धमकी दी थी कि वे सातवां बेड़ा भेजेंगे। उस सम्बन्ध में विपक्षी दलों की प्रधान मंत्री के साथ एक बैठक हुई थी— श्री इन्द्रजीत गुप्त भी थे और मैं भी विपक्ष की ओर से था। मैंने उस समय प्रधान मंत्री से ये एक प्रश्न पूछा था —"श्रीमती जी, सातवां बेड़ा आ रहा है। आप इसका सामना कैसे करने जा रहे हैं?" उन्होंने कहा "चिन्ता की कोई बात नहीं है।" वह कितनी साहसी स्त्री हैं। सातवां बेड़ा आ रहा है और वह कहती हैं; 'चिन्ता की कोई बात नहीं है।' बाद में हमें मालूम हुआ कि यह रूस के आश्वासन के कारण था। रूस ने सहायता का जो वचन दिया था उसके कारण ही हम स्थिति से बच सके। उन्होंने गोवा और काश्मीर के प्रश्न पर हमारा समर्थन किया तथा चीन के आक्रमण के दौरान भी हमारा समर्थन किया था। यही एक अकेला देश है जिसने मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर हमेशा हमारा समर्थन किया, यद्यपि कभी-कभी उन्हें यह भ्रम हुआ कि कहीं हम उनके सम्बन्ध में अपनी नीति तो नहीं बदल रहे हैं। अतः हमें उनके प्रति अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की बराबरी पर नहीं लाना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका की भारत के साथ मैत्री की परीक्षा के दो पहलू हैं क्या वे पाकिस्तान को सैनिक सहायता बन्द करेंगे और क्या वे हमारे तारापुर संयंत्र के लिए परिष्कृत यूरेनियम सप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि एक करार के बावजूद भी वे सप्लाई करने के इच्छुक नहीं है। वास्तव में काश्मीर और अन्य प्रश्नों पर उन्होंने कभी भी हमारा समर्थन नहीं किया है। हम इसे भूल जायेंगे किन्तु यदि वे वास्तव में हमारे देश के साथ मित्रता में रुचि रखते हैं तो उन्हें इन दो बातों को देखना होगा।

चीन के बारे में उसके साथ भारत के सम्बन्ध अच्छे बनाने के बारे में बात चल रही है। चव्हाण जी ने यह सही कहा है कि उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से सन्देश भेजा है। वे यह धारणा व्यक्त करना चाहते हैं कि यद्यपि ये समझौता करना चाहते हैं, किन्तु हमारी सरकार तैयार नहीं है। हमें इस जाल में नहीं पड़ना चाहिए। अतः हमें कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। एक समय था जब हिन्दी-चीनी भाई-भाई थे, किन्तु हम यह जानते हैं कि क्या हुआ। 1962 के आक्रमण की किसी को भी प्रत्याशा नहीं थी। यहां तक पंडित जवाहर

लाल नेहरू जैसे महान व्यक्ति भी यह आशंका नहीं करते थे यद्यपि सरदार पटेल ने चीन के आक्रामक रुख के बारे में उन्हें सचेत किया था । वह पंचशील में, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, हस्तक्षेप न करने की नीति आदि में विश्वास करते थे किन्तु उन्होंने हमारी पीठ पर छुरा भोंका और यही कारण है कि पंडित जी का देहान्त हुआ । वह उस धक्के से सम्भल न सके । वास्तव में चीन ने उन्हें मारा । यह हम भूल नहीं सकते । यही नहीं, जहां तक सीमा समस्या का सम्बन्ध है वे तैयार हैं किन्तु अन्य बातें क्या हैं ? वे हमारे दुश्मनों का समर्थन कर रहे हैं । जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है, पाकिस्तान हमारे साथ अच्छे सम्बन्ध चाहता था किन्तु चीन ने उन्हें सैनिक सहायता देकर उकसाया । उन्होंने उन्हें कभी भी आर्थिक सहायता नहीं दी । इसका अर्थ यह है कि उनकी भावनाएं हमारे प्रति अच्छी नहीं हैं । साथ ही जहां कहीं भी मुक्ति आन्दोलन चला है, हमें यह देखना है कि क्या वे साम्राज्यवादियों, उपनिवेशवादियों अथवा उन देशों का साथ देते हैं जो गुट-निरपेक्ष देशों के साथ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि चीन अब एक वास्तविकता है । जैसा पंडित जी कहा करते थे— चाहे वे हमारे दुश्मन क्यों न हों किन्तु हमें उनके साथ रहना है क्योंकि वे हमारे पड़ोसी हैं । यदि यह सरकार बात-चीत करने और इस समस्या का समाधान करने की इच्छुक नहीं है, तो हमारे लोगों को तथा चीन के लोगों को इसे एक दिन निपटाना ही होगा यही कारण है कि आप बात कर सकते हैं और जो बातें मैंने कहीं हैं उन्हें ध्यान में रख सकते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 150 तक पहुंच गयी है । जैसा कि मंत्रालय के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है भारत ने अन्य देशों के साथ प्रयत्न किया और हमने एक संकल्प भी पास किया जिसमें सिफारिश की थी कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 19 की जाये किन्तु स्थायी सदस्य, जिनमें रूस भी शामिल है, इस पर सहमत नहीं हुए । यही नहीं आबादी के आधार पर चीन के बाद हमारा देश सबसे बड़ा देश है । हमें अभी भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है । हमारे देश के प्रति बड़ा भारी अन्याय किया जा रहा है । मुझे खेद है कि सरकार इस मामले को नहीं उठा रही है । हमारा लोकतांत्रिक देश है चीन के बाद हमारा देश न केवल एशिया में किन्तु समस्त विश्व में सबसे बड़ा देश है । हमारा सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है । इसके बावजूद भी हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है । मेरा विदेश मंत्री से निवेदन है कि वह इसके लिए प्रयत्न करें और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए । अन्यथा कोई नहीं देगा ।

अन्त में जहां तक पास पार्टों का सम्बन्ध है, कई बेईमान एजेन्ट इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वे आम आदमी को लूट रहे हैं । मुझे कई शिकायतें मिली हैं । हाल ही में जब मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र में आये—हम एक ही जिले के हैं लोगों ने उनसे कई शिकायतें कीं और कहा कि "ये तथाकथित एजेन्ट हमें लूट रहे हैं ।" उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने चाहिए । अन्यथा ये गतिविधियां चलती रहेंगी और लोगों को लूटा जाता रहेगा और ये बेईमान एजेन्ट इन्हें धोखा देते रहेंगे । उन्हें इस बारे में कुछ आश्वासन देना होगा ।

मैं एक बार फिर उन माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और सर्व सम्मिति से विदेश नीति का समर्थन किया । इस नीति के बारे में कोई मतभेद नहीं है । हम सब इस बारे में एकमत हैं । आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

कुछ मशीनें आयात कर रहे हैं। अतः हमारे जापान के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए, क्योंकि वे हमें कुछ आर्थिक सहायता दे सकते हैं।

अफ्रीकी देशों के बारे में भी यद्यपि हमारी उनके साथ कोई समस्या नहीं है, हमने उनके संघर्ष में हमेशा समर्थन दिया है, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के समय से हमने उन्हें समर्थन दिया है। दुर्भाग्य से केवल वही एक देश है जिसे अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली है। अल्पमत सरकार, रंगभेद सरकार अभी भी दक्षिण अफ्रीका में शासन कर रही है और यह बहुसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है और हमें इस बात में भी पहल करनी है, ताकि वहां के लोग स्वतंत्रता हासिल करें।

जहां तक बड़ी शक्तियों का सम्बन्ध है, अधिकांश सदस्यों ने इस बारे में कहा है कि क्या हमारे रूस और अमेरिका के साथ समान सम्बन्ध होने चाहिये। मुझे अभी भी याद है कि 1971 में—उस समय मैं भी यहीं था— जब बंगला देश की मुक्ति की लड़ाई शुरू हुई थी -- हम पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गये थे और फिर सातवें बेड़े की धमकी दी गई थी। अमेरिका ने धमकी दी थी कि वे सातवां बेड़ा भेजेंगे। उस सम्बन्ध में विपक्षी दलों की प्रधान मंत्री के साथ एक बैठक हुई थी— श्री इन्द्रजीत गुप्त भी थे और मैं भी विपक्ष की ओर से था। मैंने उस समय प्रधान मंत्री से ये एक प्रश्न पूछा था —"श्रीमती जी, सातवां बेड़ा आ रहा है। आप इसका सामना कैसे करने जा रहे हैं?" उन्होंने कहा "चिन्ता की कोई बात नहीं है।" वह कितनी साहसी स्त्री हैं। सातवां बेड़ा आ रहा है और वह कहती हैं; 'चिन्ता की कोई बात नहीं है।' बाद में हमें मालूम हुआ कि यह रूस के आश्वासन के कारण था। रूस ने सहायता का जो वचन दिया था उसके कारण ही हम स्थिति से बच सके। उन्होंने गोवा और काश्मीर के प्रश्न पर हमारा समर्थन किया तथा चीन के आक्रमण के दौरान भी हमारा समर्थन किया था। यही एक अकेला देश है जिसने मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर हमेशा हमारा समर्थन किया, यद्यपि कभी-कभी उन्हें यह भ्रम हुआ कि कहीं हम उनके सम्बन्ध में अपनी नीति तो नहीं बदल रहे हैं। अतः हमें उनके प्रति अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की बराबरी पर नहीं लाना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका की भारत के साथ मैत्री की परीक्षा के दो पहलू हैं क्या वे पाकिस्तान को सैनिक सहायता बन्द करेंगे और क्या वे हमारे तारापुर संयंत्र के लिए परिष्कृत यूरेनियम सप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि एक करार के बावजूद भी वे सप्लाई करने के इच्छुक नहीं है। वास्तव में काश्मीर और अन्य प्रश्नों पर उन्होंने कभी भी हमारा समर्थन नहीं किया है। हम इसे भूल जायेंगे किन्तु यदि वे वास्तव में हमारे देश के साथ मित्रता में रुचि रखते हैं तो उन्हें इन दो बातों को देखना होगा।

चीन के बारे में उसके साथ भारत के सम्बन्ध अच्छे बनाने के बारे में बात चल रही है। चव्हाण जी ने यह सही कहा है कि उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से सन्देश भेजा है। वे यह धारणा व्यक्त करना चाहते हैं कि यद्यपि ये समझौता करना चाहते हैं, किन्तु हमारी सरकार तैयार नहीं है। हमें इस जाल में नहीं पड़ना चाहिए। अतः हमें कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। एक समय था जब हिन्दी-चीनी भाई-भाई थे, किन्तु हम यह जानते हैं कि क्या हुआ। 1962 के आक्रमण की किसी को भी प्रत्याशा नहीं थी। यहां तक पंडित जवाहर

लाल नेहरू जैसे महान व्यक्ति भी यह आशंका नहीं करते थे यद्यपि सरदार पटेल ने चीन के आक्रामक रुख के बारे में उन्हें सचेत किया था । वह पंचशील में, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, हस्तक्षेप न करने की नीति आदि में विश्वास करते थे किन्तु उन्होंने हमारी पीठ पर छुरा भोंका और यही कारण है कि पंडित जी का देहान्त हुआ । वह उस धक्के से सम्भल न सके । वास्तव में चीन ने उन्हें मारा । यह हम भूल नहीं सकते । यही नहीं, जहां तक सीमा समस्या का सम्बन्ध है वे तैयार हैं किन्तु अन्य बातें क्या हैं ? वे हमारे दुश्मनों का समर्थन कर रहे हैं । जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है, पाकिस्तान हमारे साथ अच्छे सम्बन्ध चाहता था किन्तु चीन ने उन्हें सैनिक सहायता देकर उकसाया । उन्होंने उन्हें कभी भी आर्थिक सहायता नहीं दी । इसका अर्थ यह है कि उनकी भावनाएं हमारे प्रति अच्छी नहीं हैं । साथ ही जहां कहीं भी मुक्ति आन्दोलन चला है, हमें यह देखना है कि क्या वे साम्राज्यवादियों, उपनिवेशवादियों अथवा उन देशों का साथ देते हैं जो गुट-निरपेक्ष देशों के साथ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि चीन अब एक वास्तविकता है । जैसा पंडित जी कहा करते थे— चाहे वे हमारे दुश्मन क्यों न हों किन्तु हमें उनके साथ रहना है क्योंकि वे हमारे पड़ोसी हैं । यदि यह सरकार बात-चीत करने और इस समस्या का समाधान करने की इच्छुक नहीं है, तो हमारे लोगों को तथा चीन के लोगों को इसे एक दिन निपटाना ही होगा यही कारण है कि आप बात कर सकते हैं और जो बातें मैंने कहीं हैं उन्हें ध्यान में रख सकते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 150 तक पहुंच गयी है । जैसा कि मंत्रालय के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है भारत ने अन्य देशों के साथ प्रयत्न किया और हमने एक संकल्प भी पास किया जिसमें सिफारिश की थी कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 19 की जाये किन्तु स्थायी सदस्य, जिनमें रूस भी शामिल है, इस पर सहमत नहीं हुए । यही नहीं आबादी के आधार पर चीन के बाद हमारा देश सबसे बड़ा देश है । हमें अभी भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है । हमारे देश के प्रति बड़ा भारी अन्याय किया जा रहा है । मुझे खेद है कि सरकार इस मामले को नहीं उठा रही है । हमारा लोकतांत्रिक देश है चीन के बाद हमारा देश न केवल एशिया में किन्तु समस्त विश्व में सबसे बड़ा देश है । हमारा सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है । इसके बावजूद भी हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है । मेरा विदेश मंत्री से निवेदन है कि वह इसके लिए प्रयत्न करें और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए । अन्यथा कोई नहीं देगा ।

अन्त में जहां तक पास पार्टों का सम्बन्ध है, कई बेईमान एजेन्ट इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वे आम आदमी को लूट रहे हैं । मुझे कई शिकायतें मिली हैं । हाल ही में जब मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र में आये—हम एक ही जिले के हैं लोगों ने उनसे कई शिकायतें कीं और कहा कि "ये तथाकथित एजेन्ट हमें लूट रहे हैं ।" उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने चाहिए । अन्यथा ये गतिविधियां चलती रहेंगी और लोगों को लूटा जाता रहेगा और ये बेईमान एजेन्ट इन्हें धोखा देते रहेंगे । उन्हें इस बारे में कुछ आश्वासन देना होगा ।

मैं एक बार फिर उन माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और सर्व सम्मिति से विदेश नीति का समर्थन किया । इस नीति के बारे में कोई मतभेद नहीं है । हम सब इस बारे में एकमत हैं । आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : सभापति महोदय, कम्पूचिया की हेंग समरिन सरकार के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। वास्तव में हम सबको प्रसन्नता होती यदि यह पहले किया गया होता। किन्तु उसके लिए मैं मंत्री महोदय के साथ इस समय झगड़ा नहीं करना चाहता हूं। देर आये दुरस्त आए। यह एक अच्छी बात की गई है और इसमें अधिक विलम्ब होने से हमारी स्थिति काफी बिगड़ गई होती।

मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, सम्भवतः प्रत्यक्षतः नहीं, कि विदेश मंत्रालय ने जो एक निर्भीक निर्णय लिया है तथा बिना किसी हिचकिचाहट के लिया है कि हमारा देश ओलम्पिक खेलों के मामले में राष्ट्रपति कार्टर के बहिष्कार में भाग नहीं लेगा। यह एक बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय घटना हो गई है। देशों को खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है और वे किस पक्ष में हैं उनकी गणना की जा रही है। यद्यपि हम विश्व के अग्रणी खिलाड़ी देशों में नहीं हैं किन्तु—मैं आशा करता हूं कि किसी दिन हम बन जायेंगे—इस प्रश्न को एक राजनीतिक प्रश्न बनाया जा रहा है। हमारे दो पड़ोसी देशों में से जिनके बारे में आज काफी चर्चा हुई है जिनमें एक चीन गणराज्य है और दूसरा पाकिस्तान है, कोई भी खेलों में भाग नहीं ले रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति कार्टर के आव्हान का अनुसरण किया है। मैं समझता हूं कि यह बड़े संतोष की बात है··· ··

एक माननीय सदस्य : पूर्ण संतोष।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह पूर्ण संतोष की बात है। मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है। वास्तव में, इस देश में कोई आवाज नहीं उठाई गई। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी कोई आवाज नहीं उठाई और हमें मास्को में खेलों में भाग लेने की सलाह दी।

वास्तव में हमारी विदेश नीति के सिद्धान्तों के अन्तर्गत हमने हमेशा समर्थन दिया है। और इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। मुझे जो थोड़ा सा समय मिला है उसमें मैं सामान्य सिद्धान्तों की नहीं किन्तु काम करने के कतिपय तरीकों, छोटे-छोटे भेद-भावों की कुछ आलोचना करूंगा और यदि मैं यह कहूं और आप बुरा न मानें तो मेरे विचार से कुछ असंगतियां, कुछ अनिच्छा, कुछ हिचकिचाहट तथा कभी-कभी पाखंड की बात रही है·····(व्यवधान) किन्तु आपको भारतीय साम्यवादी दल से न केवल बुरी बातें बल्कि अच्छी बातें भी सीखनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी के कई युवा सदस्यों ने जिन्होंने यहां भाषण दिया है, इस निर्जीव रंगहीन पुस्तक में जो हमें दी गई है, कुछ जान भरने का प्रयत्न किया है। मैं वास्तव में उन्हें बधाई देता हूं। दियागो गार्शिया के बारे में बहुत से सदस्यों ने कहा है। इस पुस्तक में तथा अनुपूरक पुस्तक में, जिनमें कुल मिलाकर 125 पृष्ठ हैं। कहीं भी दिएगो गार्शिया के नाम का उल्लेख तक नहीं किया गया है। यह क्या है? क्या यह स्मरण शक्ति की कमी है? जबान की अथवा कलम की चूक है या इसके पीछे कुछ और बात है? या आप दिएगो गार्शिया के मामले पर बड़े राष्ट्रों की प्रतिद्वन्दता के पुराने सूत्र को लागू कर रहे हैं? प्रत्येक बात बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्दता है। दिएगो गार्शिया की तुलना कुछ सोवियत जहाजों सोवियत नौ सेना के जहाजों के हिन्द महासागर जाने से की जाती है। दिएगो गार्शिया में हमारी आंखों के सामने स्थायी सैनिक अड्डा, हवाई अड्डा, नौ सैनिक अड्डा, पनडुब्बी अड्डा करोड़ों डालरों की लागत से बनाये जा रहे हैं। आखिर, सोवियत संघ न केवल

योरुपीय शक्ति है किन्तु एक एशियाई शक्ति भी है। यह योरुप से एशिया तक फैला हुआ है। यह इसका दोष नहीं है। यह एक भौगोलिक कारण है। अतः रूस के किसी नौसैनिक जहाज अथवा किसी अन्य जहाज मालवाहक जहाज–या वाणिज्य पोत–को काला सागर के बन्दरगाहों से सुदूरपूर्व में स्थित ब्लाडीवोस्टक जाना होता है।

हिन्द महासागर के अतिरिक्त, यह और कैसे जा सकता है? यह हिन्द महासागर के ऊपर से उड़कर तो जा नहीं सकता, एकमात्र रास्ता तो हिन्द महासागर से ही होकर जाता है। यह तो उसकी एक जीवन-रेखा है, उसके वाणिज्य की जीवन-रेखा, उसके व्यापार की जीवन-रेखा और कोई अन्य ऐसा मार्ग नहीं है जिससे होकर उसका समुद्री बेड़ा जा सके और स्वाभाविक है कि कभी कभी सोवियत नौसेना इस समुद्र से होकर गुजरती है। मेरे विचार से समुद्रों और सागरों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून, हमारी नौसेना सहित यदि हम चाहते हैं तो सभी की नौ सेनाओं को अनुमति देता है और गहरे समुद्र से गुजरने का अधिकार देता है। इसमें कोई खराबी नहीं है।

परन्तु यहां हमारी आंखों के सामने ही एक अड्डा, निश्चित अड्डा, स्थायी अड्डा, सैनिक अड्डा बनाया जा रहा है और विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में इसका लेशमात्र भी जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा किस लिए किया गया है?

अफ्रीका-एकता संगठन ने अपने वक्तव्य में—जिसका मेरे विचार से कई सदस्य हवाला दे चुके हैं – इस मामले पर हमसे कहीं अधिक स्पष्टवादी रहा है। उन्होंने दियागो गार्सिया की सैनिक गतिविधियों को अफ्रीका के लिए खतरा बताया है। मेरे विचार से, हमें इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि इसका अर्थ है कि वे अफ्रीकी देश जो अफ्रीकी समुद्र से लगे हैं और हम एशिया वाले इस दियागो गार्सिया को खतरा समझते हैं और फिर इसको शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए, हम बढ़ रहे उस सभी संघर्ष में एक जुट होकर खड़े हो सकते हैं जो सम्मुख है, इस दिशा में अनेक मित्र मिल रहे हैं।

मेरे विचार से मारीशस के प्रधान मंत्री, जो मैं समझता हूं कि प्रतिवर्ष यहां आते हैं, भारत के अच्छे मित्र और पुराने मित्र हैं। अफरीकी एकता सम्मेलन ने विशिष्ट रूप से एक संकल्प लिया है तथा श्री शिव सागर राम गुलाम को यह अधिकार दिया है कि वे फ्री टाउन में होने वाले सम्मेलन से, उनके समर्थन के साथ सीधे ही लंदन चले जाएं और मारीशस को दियागो गार्सिया लौटने के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार से बातचीत करें, जिसका कि वह वास्तव में है। मेरे विचार से वे हमसे कहीं ज्यादा स्पष्टवादी हैं। हम कुछ और अधिक स्पष्टवादी क्यों नहीं हो सकते? हम प्रत्येक बात को 'महान शक्तियों का द्वन्द्व' शब्दों के नीचे क्यों दबा देते हैं? मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय हमें यह बतायें कि वह इस बात पर कैसा सोचते हैं, चूंकि मैं नहीं जानता कि क्या दियागो गार्सिया अड्डे के विकास को ऐसा समझते हैं, करार देते हैं जो पूर्णतया पश्चिम और पूर्व की घटनाओं से असम्बद्ध है।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं आपको कल बताऊंगा।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (बसिरहाट) : आप मुझे कल बतायेंगे तो उस समय मैं क्या विचार विमर्श करूंगा? यदि आप मुझे सब बातें कल ही बतायेंगे तो आज मैं किस बात पर चर्चा करूं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : क्या आप यह चाहते हैं कि मैं आपको अभी बताऊं ?

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं यह नहीं चाहता कि आप मुझे अभी बतायें। मैं चाहता हुं कि आप हमें उचित समय पर बताएं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह तो आपको देखना है कि आप आज कुछ बोलना चाहते हैं या कल।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : हर वर्ष बजट चर्चा आपको एक ऐसा अवसर देती है कि आप देश के समक्ष एक उचित ढंग से सम्बद्ध और उचित रूप में विवेचित अंगभूत विदेश नीति प्रस्तुत करें और चीजों को इस प्रकार से न लें कि जैसे कि वे घटनाएं हमसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रखती हों। जो कुछ दियागो गार्सिया में घटित हो रहा है, उसका अफगानिस्तान की घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो कुछ अफगानिस्तान में घट रहा है उसका उत्तरी-पूर्वी सीमान्त की घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, ये सब बातें असम्बद्ध हैं और उनका दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप किस प्रकार की दुनियां में रह रहे हैं ? मुझे तो यह कहना चाहिए कि हमें इन बातों के बारे में और अधिक दृढ़ और समनरूप होना चाहिए और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से डरना नहीं चाहिए। गुट-निर्पेक्ष का अर्थ तटस्थता नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी इसकी तटस्थता के रूप में व्यख्या नहीं की। इसका मतलब टाल-मटोल करना नहीं है। यह तो सार्थक चीज है और इसलिए इस देश ने और विश्व के बहुत से देशों ने गुट–निर्पेक्षता का पथ अपनाया है। इसकी रचनात्मक विषयवस्तु है हम साम्राज्यवादी शक्तियों और गैर साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच तटस्थ नहीं है। हम समाजवादियों और प्रतिक्रियावादी, नवीन-उपनिवेशवादी शक्तियों के बीच तटस्थ नहीं हैं। क्या हम तटस्थ हैं? क्या हमारे सम्पूर्ण मुक्ति आंदोलन सम्पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन की यही परम्परा रही है निश्चिय ही नहीं। जब कुछ वक्ताओं ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि किसी समय भारत की तस्वीर राष्ट्रसंघ में समाप्ति के कगार पर थी तो इसका यही कारण था। किसी समय हम तथा कथित तीसरी दुनियां के देशों के, जिन्हें हमसे कहीं बहुत देर बाद में स्वतंत्रता मिली, नेता थे, प्रेरणा स्रोत थे। स्वतंत्रता पहले हमने प्राप्त की और ये देश प्रेरणा के लिए भारत की ओर ताकते थे। और राष्ट्रसंघ में यह भारत की ही आवाज थी जिसे इन सब देशों की आवाज समझा गया। मैं चाहता हूं कि हम उस स्थिति को फिर से प्राप्त करें।

एक या दो ऐसी झगड़े वाली बातें हैं जिन्हें मैं आपके साथ निपटाना चाहता हूं। एक तो उस ढंग से सम्बद्ध है जिससे अफगानिस्तान की समस्या को हल किया गया है। गत जनवरी में, इस सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद, प्रधान मन्त्री महोदय ने इस सदन में अपनी सरकार की स्थिति को उसमें स्पष्ट किया था। मेरे पास 30 जनवरी के लोक सभा वाद-विवाद का रिकार्ड है। जो स्थिति उन्होंने उस समय स्पष्ट की थी और जो स्थिति आप आज अपना रहे हैं, उसमें अन्तर है, आप उससे फिसल गये हैं, उससे बदल गये हैं और मैं आप पर उसके लिए आरोप लगा रहा हूं कि आप उससे पीछे हट रहे हैं। जब आप उत्तर दें तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। जब प्रधान मन्त्री महोदय ने जनवरी में स्थिति स्पष्ट की थी जो कि सोवियत रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के तुरन्त बाद की थी उन्होंने चार मुद्दे रखे थे। मैं उनको संक्षेप में बता रहा हूं, मैं उन सबको यहां पढ़कर उद्धृत नहीं कर रहा हूं। उन्होंने तीन

या चार बातें कहीं थीं । निस्सन्देह उन्होंने पहली बात यह कही थी और सरकार ने भी यह बात बार बार दोहराई थी कि किसी अन्य देश की सीमा में विदेशी सेनाओं के प्रवेश के विरुद्ध हैं । उस पर हम सब सहमत हैं, यद्यपि यहां भी कुछ सदस्यों ने यह बात उठाई है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जैसी कि 1971 में हमारे सामने थी – हम वास्तविक राजनीति की दुनियां में जी रहे हैं, शून्य में नहीं – जबकि आपकी अपनी सार्वभौमिकता, अपनी स्वयं की राष्ट्रीय सुरक्षा के बचाव के हित में, कुछ ऐसी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है जिसे दूसरे लोग न चाहें या आपको दोषी ठहरायें । 1971 में हमें हमलावार करार दिया गया था । परन्तु क्या हमने उसे स्वीकार किया था ? वह परिस्थितियों का एक गठजोड़ था । अब जनवरी में प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि किसी अन्य देश की सीमा में विदेशी सेनाओं के प्रवेश के हम विरुद्ध हैं । परन्तु, उसने यह भी कहा था कि वह अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार कर रही हैं; कि इस मामले में हम एकतरफा बात नहीं कह सकते, हमें तो समग्र पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा कि रूसी सेनाओं के प्रवेश से पहले उनकी स्थिति क्या थी, हम उस परिस्थिति को नजरअन्दाज नहीं कर सकते । अब मुझे उनके प्रतिवेदन में या मन्त्री महोदय के स्वयं के भाषण में अथवा वक्तव्य में वह उल्लेख दृष्टिगत नहीं हुआ जोकि स्वयं मंत्री महोदय ने 7 जून को इस सदन में दिया था । यदि अब आप सरकार के इन सभी दस्तावेजों और सभी वक्तव्यों को देखें तो आपको लगेगा कि हमारी उत्तरी-पश्चिमी सीमाओं पर पैदा होने वाले इस तनाव का एक मात्र और मूल कारण, जो जिम्मेदार है, वह है अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की उपस्थिति । उसका कोई अन्य कारण नहीं है । परन्तु फिर यह क्या बात है ? क्या हम अमरीका वृन्दगान में सम्मिलित हो रहे हैं ? या क्या कर रहे हैं ? प्रधान मन्त्री जी ने यही कहा था । उन्होंने कहा था, "हमें समग्र स्थिति पर विचार करना चाहिये, हम एकतरफा निर्णय नहीं ले सकते ।" उन्होंने यह भी कहा, सोवियत रूस के इस आश्वासन पर अविश्वास प्रकट करने का कोई कारण ही नहीं हैं कि एक बार उनकी सीमाओं की सुरक्षा का आश्वासन मिल जाए तो वे अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा लेंगे ।" उन्होंने कहा था कि इस बात पर अविश्वास का कोई कारण ही नहीं है । दुर्भाग्य से वहां रूप की सीमा हैं । और कुछ वर्ष पूर्व पाकिस्तान से होकर जाने वाला एक अमरीकी यू–2 जासूसी वायुयान खुरश्चेव के शासन काल में रूस में मार गिराया गया था । वे इन बातों को नहीं भुला सकते । उसने पेशावार के निकट से उड़ान भरी थी । पाकिस्तान ने यू–2 जासूसी वायुयान को उड़ान भरने के लिए अड्डे की सुविधा प्रदान की और पाकिस्तान 'सेन्टो' सैनिक समझौते का सदस्य है और रूस की सीमाएं उससे लगती हैं । यह कोई अमरीका की सीमा तो है नहीं । अमरीका तो सहस्रों मील दूर है । यह कोई चीन की सीमा नहीं हैं । यह तो रूस की सीमा है । और इसलिए चाहे हम कहते रहें कि उनका सेना भेजना न्याय संगत था या नहीं क्या उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थीं और क्या वे जल्दबाजी में थे या नहीं । उस प्रश्न को मैं खुला छोड़ देता हूं । परन्तु मुद्दा तो यह है कि यहां तक प्रधान मन्त्री जी भी यह स्वीकार कर चुकी हैं कि इसके अन्य कारण भी थे, कि कुछ न कुछ पृष्ठभूमि तो थी और परिस्थितियां ही ऐसी थीं तथा हमें समग्र रूप में इस बात पर विचार करना चाहिये । आज कल मैं देखता हूं कि हाल के वक्तव्य में और सरकार की स्थिति में इस प्रकार का सन्तुलन कतई नहीं है । एकमात्र बात जिसका उल्लेख किया जा रहा है वह यह है वहां सोवियत सेनाएं मौजूद हैं और इसलिए तनाव की स्थिति है । नरसिंह राव जी आप चाहते

क्या हैं ? मुझे ईमानदारी से बताइये । क्या आप चाहते हैं कि रूसी सेनाओं को कल ही निकाल बाहर किया जाए ? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अफगानिस्तान बचा रह सकेगा तथा आप इस प्रकार की गारंटी दे सकते हैं कि अमरीका और पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने कब्जे में नहीं लेगें ? क्या यह कोई इतनी आसान बात रह गई है ? क्या आप यह स्वीकार करते हैं अथवा इस बात से इन्कार करते हैं कि सशस्त्र घुसपैठिये वहां हैं, जिन्हें सीमाओं के पार प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें फिर अफगानिस्तान में घुसा दिया जाता है जो वहां जाकर पशुओं को मारते हैं, विद्यालयों को जलातें हैं उन नये स्कूलों के अध्यापकों के हाथों को काट डालतें हैं जो दुर्भाग्य से स्त्रियों के पढ़ाने के लिए खोले गये हैं जिसको वहां पर बहुत पसन्द नहीं किया जाता है कि स्त्री को शिक्षा दी जाए । उन्हे कभी पढ़ाया नहीं गया था, परन्तु आज कल वे लोग जो भरे बाजार औरतों को नीलाम करते थे और उन्हें वहां बेचने के लिए लाया जाता था—उन बातों को सौर क्रान्ति ने समाप्त कर किया हैं वे लोग इस बात से खुश नहीं हैं । यह कोई अनोखी बात नहीं है । वे बड़े जमीनदार जिनकी जमीनें ले ली गई हैं, और भूमिहीन लोगों में वितरित कर दी गई हैं उनकी औरतों को अपनी चल सम्पत्ति समझते थे । यहां हम प्रति दिन अपने देश में स्त्री की अवस्था की बड़े ही सटीक शब्दों में जोर–शोर से चर्चा करते है, परन्तु अफगानिस्तान में, सौर क्रान्ति से पूर्व औरतों को बाजार में बेचा जाता था, पशुओं की तरह उन्हें बिक्री के लिए पेश किया जाता था । उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है । गांवों में स्कूलों का जाल सा बिछा दिया गया है और मुल्ले तथा मौलवी कह रहे है कि इन विद्यालयों को जला कर नष्ट कर दिया जाए ।

महोदय, ये वे पक्की बातें हैं जिनके बारे में सरकार नहीं जानती । क्या वहां हमारे लोग नहीं हैं ? हमारा दूतावास वहां है । क्या हमें यह याद नहीं है कि जब कश्मीर की ओर से 1965 में हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया गया तो पहले पहल पाकिस्तान की सेनाओं ने सरहद पार नहीं की ? सप्ताहों तक सशस्त्र कबीले वाले लोग सैनिक वर्दी में न होकर बल्कि 'मुफ्ती' वर्दी में आए थे, कबीलेदार जो घुसपेठिए थे और जिन्हें सीमा में घुसपेठ के लिए भेजा गया था और वे सीधे कश्मीर में घुस आए, जब तक कि हम जाय और स्थिति का पता करें कि हो क्या रहा है । और उसके बाद पाकिस्तानी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया । अतः यह आवश्यक नहीं है कि आक्रमण सदैव सैनिक-वस्त्रों में सैनिकों द्वारा ही हो । इसे और किसी रूप में भी किया जा सकता है ।

यदि यह आपका निश्चय है—नहीं, सोवियत सेनाएं वहां हैं और पाकिस्तान की सीमाओं से आने वाले सशस्त्र घुसपैठिओं की और कोई अड़चन नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और यह तो रूस का प्रचार मात्र है, तो फिर आप यह कह सकते हैं ।

यदि आप समझते हैं कि ऐसी बात नहीं, तो जो कुछ है, आप उसे अवश्य कहिए । परन्तु आप कहीं एक शब्द भी नहीं कहते हैं । सोवियत सेनाओं की उपस्थिति के अतिरिक्त और किसी विषय पर कुछ भी नहीं कहा जाता है । यदि आप एक ईमानदार मध्यस्थ की भूकिका निभाना चाहते हैं और यदि हम एक बड़े गुट-निरपेक्ष देश के रूप में सम्मान पाना चाहते हैं जो स्थिति निस्सन्देह हमारी थी, और हम सोवियत संघ के अत्यन्त निकट थे, जिसका आपने बार-बार उल्लेख किया है, और यदि आप इस समस्या के समाधान को, जिसे निस्सन्देह हम चाहते हैं,

ढूंढने के लिए एक ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आप तनाव को दूर करने का प्रयास कीजिए तभी विवाद के दोनों पक्षों का विश्वास आप को प्राप्त होगा। अन्यथा आप एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपने जैसा कि अपने जून के वक्तव्य में कहा है कि हमारे किन्हीं मामलों में मतभेद हो सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है इसी प्रकार सोवियत संघ के साथ कभी-कभी मतभेदों के बावजूद उसका हम पर अत्यधिक विश्वास है। यह कभी परस्पर मैत्री और विश्वास में बाधक नहीं बनता है। परन्तु दूसरे पक्ष की स्थिति क्या है।

इस विवाद में दो पक्ष हैं, और एक ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए आपको दोनों पक्षों का विश्वास प्राप्त करना होगा। हम भली-भांति जानते हैं कि यह एक जटिल समस्या है और इसके कई कारण हैं। हमें इन सभी बातों का उल्लेख करना चाहिए और एक पक्षीय दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। इस मामले में मैं यही कहना चाहता हूं।

महोदय, हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं। भारत सरकार इस विषय में चुप क्यों है ? एक यह है अफगान सरकार ने शान्ति प्रस्ताव रखा है। इस शान्ति प्रस्ताव को न तो अब तक पाकिस्तानी राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक और न ही ईरान ने स्वीकार किया है। परन्तु उन्होंने प्रस्ताव रखा है। क्या इस संबंध में भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया है ? क्या वे इसे एक अच्छा या बुरा या जाली प्रस्ताव समझते हैं ? उन्हें इस विषय में कुछ कहना चाहिए। दूसरी, जिसका अभी उल्लेख किया गया है, सेनाओं की आंशिक रूप से वापसी हुई है। सम्पूर्ण विश्व अब इसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा है, कुछ लोग प्रतिदिन यह कह रहे हैं कि यह कुछ नहीं है। यह बनावटी वापसी है। यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास मात्र है। वे कुछ सेनायें वापस हटा रहे हैं और उससे अधिक सेना ला रहे हैं। अतः हमें धोखा नहीं दिया जा सकता। क्या भारत सरकार का दृष्टिकोण यही है ? तब कृपया यही कहिए। यदि आप सोचते हैं कि यह बनावटी वापसी है तो ऐसा कहिए यद्यपि यह कुछ सौ टैंकों और एक डिविजन की बहुत ही सीमित और आंशिक वापसी है तो क्या आपके विचार में यह बहुत बड़ी बात हुई है। कम से कम ऐसा तो कहिए। परन्तु आप ऐसा नहीं कहते। आपने इस संबंध में कहीं कुछ नहीं कहा है। आप उस पुस्तक को देखिए जिसमें उस संयुक्त विसप्ति या संयुक्त घोषणा का, विस्तार से उल्लेख है। जिस पर प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और फ्रांस के राष्ट्रपति, श्री वैलेरी गिस्कार्डडी इस्टेंग्म, जब वह यहां आये थे मैंने हस्ताक्षर किए थे। परन्तु मुझे पता चला है कि फ्रांस के विदेश मंत्री जीन फ्रैंकोइस पानसेट ने एक वक्तव्य दिया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने सोवियत रूस के निर्णय को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया है। फ्रांस के विदेश मंत्री तो उतावलेवन में यह कह रहे हैं कि सोवियत सेनाओं की वापसी एक महत्वपूर्ण बात है और इसकी वापसी आगे होती रहनी चाहिए। यह अच्छी बात है। हमारी सरकार ने अब तक इस संबंध में सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा। यही कारण है कि हम आपकी नीति का व्यापक समर्थन करते हैं। परन्तु यह अनिश्चित है, असंगत है, यह हिचकिचाहटपूर्ण है और अपवाद है। हम अधिक उचित, अधिक स्पष्ट होना चाहते हैं। अमरीका या पाकिस्तान, या चीन से प्राप्त हो रहे हथियारों का भी अफगान मामले पर प्रभाव है। यह अफगान संकट का परिणाम है। पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों का शस्त्रागार बनाने का बहाना बना लिया गया है। कुछ ने यहां कहा है कि इन हथियारों का हमारे विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं पूछता हूं यदि उनका प्रयोग हमारे लिए

नहीं होगा तो किसके लिए होगा। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान इन हथियारों से सोवियत रूस के विरुद्ध तो लड़ेगा नहीं। यह किसी और उद्देश्य के लिए हैं और यदि वे कहते हैं तो पाकिस्तान में शेष कुछ नहीं रहेगा। अतः इन बातों का निश्चित रूप से परस्पर संबंध है।

अतः चीन के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल विक्षिप्त या पागल व्यक्ति ही भारत और पाकिस्तान तथा भारत के बीच सामान्य संबंध होने की वांछनीयता पर संदेह व्यक्त करेगा। उस वांछनीयता के संबंध में दो रायें नहीं हो सकतीं। पड़ोसी राष्ट्रों के रूप में हमारे और पाकिस्तान तथा हमारे और चीन के बीच संबंध अवश्य ही सामान्य होने चाहिए। संबंध सामान्य करने के लिए प्रयत्न करना सामान्य बात है। मैं इस तथ्य का राग अलापने का इतना इच्छुक नहीं हूं कि चीन ने एक बार हमारे देश पर आक्रमण किया था। पाकिस्तान ने हमारे देश पर तीन बार आक्रमण किया। परन्तु पाकिस्तान ने चूंकि हम पर तीन बार आक्रमण किया इसलिए हम यह नहीं कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध बनाने का प्रयास ही नहीं करेंगे या बात ही नहीं करेंगे। हमें निश्चित रूप से इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें ऐसा ही चीन के साथ करना चाहिए। परन्तु महोदय, मैं यहां एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच संबंध सामान्य बनाने और मित्रता पुनः स्थापित करने के प्रश्न में अन्तर करता हूं। इसका कारण बहुत ही सीधा है। पंचशील के दिनों के पुराने चीन और उसके बाद 1962 में हमारा विश्वास भंग करने वाले चीन में तथा आज के चीन में काफी अन्तर है। अचानक विश्व को एक दिन प्रातः काल पता लगा कि डा० हेनरी किसींजर पेकिंग पहुंच गए हैं। चीन के पक्के शत्रुओं ने डा० हेनरी किसिंजर को गुप्त यात्रा पर चीन भेजा। इस संबंध में किसी को पता नहीं लगा। इसे गुप्त रखा गया और वह भी पाकिस्तान एजेंसी के माध्यम से जैसाकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से वहां गए थे। उन्हें चीन पहुंचाने में पाकिस्तान ने सहायता की, क्योंकि वह अपनी यात्रा को गुप्त रखना चाहते थे। उस दिन से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जो महत्वपूर्ण बात हुई है, वह चीन जनगण राज्य और संयुक्त राज्य अमरीका के लोगों में सांठ-गांठ है।

यह इस स्थिति का एक नया कारण है। यह इतना नया भी नहीं है। उनके साथ वार्तालाप और चर्चा के नए आयामों को आरम्भ करते समय हमें चीन और अमरीका के बीच सांठ-गांठ को ध्यान में रखना होगा। हमें निस्सन्देह वार्तालाप और चर्चा करनी चाहिए। हुआंग हुआ वार्तालाप के लिए दिल्ली आ रहे हैं। हमें उनसे अवश्य ही वार्ता करनी चाहिए। परन्तु हम इस पृष्ठ भूमि को भूल भी नहीं सकते एक और एक नयी विश्व नीति का निर्माण हो रहा है जिसमें अमरीका और चीन, जो कभी परस्पर बड़े शत्रु थे, अब साझीदार हैं। अमरीकी जनरल चीन को पूर्व का 'नाटो' कहते हैं, नाटो का तदर्थ पंद्रहवां सदस्य। चीनी सरकार, जो यह कहती है कि वे 'नाटो' को पश्चिमी यूरोप में भी और सुदृढ़ करना चाहती है, इसका स्वागत करती है। इसे सोवियत संघ के विरुद्ध तैयार करना चाहिए और इसे सुदृढ़ करना चाहिए। यह वह चीन है जिसने दक्षिणी अफ्रीका के जातिवादी शासन के साथ पूरे संबंध रखे हुए हैं, जो चिली में पिनाशे की तानाशाही सरकार को पूरी सहायता और समर्थन देता है, जो, इस्राइलियों के साथ संबंध रखता है, जिसने हमारे क्षेत्र में न केवल कराकोरत सड़क का निर्माण किया है, अपितु जब कभी अवसर आया है तो उसने

पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि वह काश्मीर के मामले में उसका पूर्ण समर्थन करेगा, जिसने वियतनाम के विरुद्ध आक्रमण किया है। अब यही चीन, जैसाकि समाचार मिला है, हमारे पूर्वोत्तर सीमा पर कुछ विद्रोहियों को शस्त्र और प्रशिक्षण दे रहा है। आपके पास पूरी सूची है। अतः कृपया भोले-भाले मत बनिए। मैं यही कह रहा हूं। भोले-भाले मत बनिए। हमें उनसे वार्ता करनी चाहिए। हमें राष्ट्रों के बीच सामान्य संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। परन्तु याद रखिए कि इस सबके पीछे एक उद्देश्य है और इस देश की एक 'लाबी', जो 1962 में चीन की कट्टर विरोधी थी जो चीन के नाम पर झाग उगलती थी, आज चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की सब से अधिक समर्थक है।

इसका क्या कारण है? यह चीन के कारण नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमरीका के है जो सामने आया है। यह संयुक्त राज्य अमरीका ही है जिसने चीन के साथ पूर्णतया सांठ-गांठ कर रखी है। इस प्रकार एक जाल बिछाया जा रहा है। वे हमें एक सार्वभौम प्रकार की राजनीति में लाना चाहते हैं। महोदय, हमें समरिन की सरकार को मान्यता देने से चीन हमारे से रुष्ट हो जाएगा। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि आप में ऐसा करने का साहस है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मुझे आपके समक्ष यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे यह शंका होने लगी थी कि चीन के साथ संबंध सुधारने की उत्सुकता में आप बेचारे बूढ़े हेंग समरिन की कुछ समय के लिए उपेक्षा करेंगे। आपने ऐसा नहीं किया। मेरा अनुमान है कि यह आपके विदेश सचिव से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों और मूल्यांकनों का परिणाम है। उन्होंने विदेश से वापस आकर आपको अवश्य ही कोई रिपोर्ट दी होगी। पेकिंग में हुए लम्बे वार्तालाप का कुछ मूल्यांकन दिया होगा। और इसी के आधार पर आपने यह निर्णय लिया, बिल्कुल ठीक निर्णय, बड़ा ही बुद्धिमतापूर्ण निर्णय। मुझे प्रसन्नता है।

अतः मैं केवल यही कहूंगा कि कोई देश कुछ भी करे, उसकी नीति कुछ भी हो, विशेष रूप से यदि वह पड़ोसी देश है, तो हमें उसके साथ सामान्य संबंध रखने चाहिए। परन्तु अगर यह पुरानी मित्रता पुनः स्थापित करने का प्रश्न है तो हमें दस बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि सम्पूर्ण शक्ति-सन्तुलन बदल चुका है। अमरीका और चीन के बीच जो साझेदारी पनपी है वह बिल्कुल नई है जो 10 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले नहीं थी। यह एक नई बात है। और जैसे कि यहां किसी ने कहा है कि इसका एकमात्र उद्देश्य सोवियत संघ को अलग करना है क्योंकि वह सोवियत संघ को अपना एक नम्बर का दुश्मन मानते हैं और हम उसे अपना प्रमुख मित्र मानते हैं। इस बात को यहां सभी स्वीकार करते हैं। श्री वाजपेयी तथा श्री एडवानी, जब वह सत्ता में थे और जब उन्होंने रूस की पहली बार यात्रा की थी तो उन्होंने सरकारी तौर पर यह वक्तव्य दिये थे कि भारत पर जब भी संकट आया है, जब भी हम कठिनाई में पड़े हैं, जब भी हम पर कोई आक्रमण हुआ है, रूस ने हमेशा हमारी सहायता की है। उन्होंने इस प्रकार के वक्तव्य दिये हैं। इसके अतिरिक्त वह कौन-सा वक्तव्य दे सकते थे।

मैं अब अपना भाषण समाप्त करूंगा। अतः महोदय, सामूहिक तौर पर हमें आशा है कि आप शान्ति और गुट-निरपेक्षता की, उपनिवेशवाद-विरोधी, साम्राज्यवाद-विरोधी नीति अपनाएंगे और उन देशों की, जैसे दक्षिणी अफ्रीका और अन्य देश, जो अब भी स्वतंत्रता प्राप्ति

के लिये संघर्षरत हैं की सहायता करेंगे। आप कम से कम अपना रवैया स्पष्ट रखिये और मैं यह कहना चाहता हूं कि अपना रवैया एक ही प्रकार का रखें और विश्व में जैसी कभी हमारी छवि थी उसे प्राप्त करने का प्रयास करें।

(धन्यवाद)

श्री अजीत सिंह दामी (कैरा) : महोदय, यदि हम अपने देश की विदेश नीति को देखें तो हमें पता चलेगा कि पिछले 30 महीने की अवधि, जब श्री चरण सिंह के नेतृत्व में संयुक्त सरकार थी तथा उससे पहले 2½ वर्ष में, जब श्री मोरार जी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार थी, को छोड़कर पिछले 30 वर्षों में पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू और उसके पश्चात प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामण्डित भूमिका निभाई है।

किन्तु, लिखित रूप से यह बार-बार दोषारोपण कि उनके वित्त मंत्री "रूस के एजेन्ट" थे, श्री चरण सिंह ने भारत को विश्व में एक हंसी का विषय बना दिया था। उनके लेफ्टीनेंट, श्री राजनारायण, जो विदूषकता के अवतार थे, तिब्बत और भारत-चीन सीमा जैसे नाजुक मामलों पर घोषणाएं करते रहते थे, उनके जैसे गैर-जिम्मेदार व्यक्ति मिलना बहुत कठिन होता है। पिछले वर्ष लुसाआ में राष्ट्रमंडल के देशों की बैठक में श्री चरण सिंह के विदेश मंत्री श्री एस० एन० मिश्र के कार्य से, जब उन्होंने राष्ट्रमंडलीय देशों की इच्छा के विरुद्ध हमारे विदेश सचिव के नाम का प्रस्ताव किया था, भारत का बहुत बड़ा अपमान हुआ था। न ही श्री मोरार जी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार तथा उनके विदेश मंत्री श्री वाजपेयी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कोई उल्लेखनीय भूमिका निभा सके। 1978 में विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति में श्री वाजपेयी की अपने ही दल के सदस्यों द्वारा आलोचना की गई थी कि उन्होंने अपने पद से सम्बद्ध कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। महोदय, फरवरी 1979 में, जब तथाकथित सद्भावना यात्रा पर जाने से पहले श्री वाजपेयी ने एक प्रतिष्ठित पत्रकार के सामने स्वयं को शान्ति की शक्तियों से सम्बद्ध बताया था और उन्होंने डींग हांकी कि शान्ति की इच्छुक शक्तियां इतनी सशक्त हैं कि वह उन लोगों के षडयन्त्रों को विफल कर सकती हैं जो युद्ध चाहते हैं। जब श्री वाजपेयी चीन में दाखिल हुए तो चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और श्री वाजपेयी के एक महान राजनयिक होने के दम्भ को तोड़ दिया। श्री वाजपेयी को जिन्हें विदेश कार्यालय के उनके कुछ अधिकारियों, उनके दल के सदस्यों और रूसी दूतावास तथा समाचार पत्रों ने सलाह दी थी कि चीन की राजनयिक यात्रा पर जाने का अभी उपयुक्त समय नहीं है, चीन दौड़े गये और पेकिंग की तीर्थ-यात्रा से हतोत्साह होकर लौटे। इससे यह बात भी स्पष्ट हो गई कि उस समय जनता के शासन काल में विदेश मंत्रालय पिछली सीट से चलाया जाता था अर्थात उसे आर० एस० एस० के लोग जैसे श्री स्वामी चलाते थे जो स्वयं को चीन का स्व-नियुक्त राजदूत समझते थे और जिन्होंने यह रिपोर्ट दी थी कि चीन का रवैया अनुकूल हो गया है और उन्होंने हमारे विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारियों पर दोष लगाया कि उन्होंने रूस के पक्ष में भारत-चीन तनाव शैथिल्य की स्थिति को नष्ट कर दिया था। जनता सरकार ने एक नीति अपनाई कि भारत हानिकारक उद्देश्यों के लिए न्यूकलीय विस्फोट के विरुद्ध है। हमारे जैसे प्रभुसत्ता सम्पन्न जैसे देश की राष्ट्रीय नीति की घोषणा नई दिल्ली से की जानी थी

जोकि हमारे देश की राजधानी है। किन्तु इसके विपरीत जनता सरकार के प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई, जिन्हें यह डर था कि भारत को आवश्यक संवर्द्धित यूरेनियम तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी, वाशिंगटन गये और वाशिंगटन, जो विदेशी राजधानी है, से ही उन्होंने इस राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। ऐसा करके उन्होंने अपने देश की प्रभुसत्ता को एक अन्य देश के पक्ष में छोड़ दिया। पिछले तीस वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। भारत को अपनी प्रभुसत्ता दूसरे देशों के सामने नहीं छोड़ देनी चाहिये, यह बहुत ही बुरी बात है और हमारे देश के लिये इससे बड़ी लज्जा की बात नहीं होगी। यदि हमारे देश की राष्ट्रीय नीति की घोषणा किसी विदेशी राजधानी में की जाये।

जनता सरकार, जो अपने विदेशी मामले बहुत ही गलत और कमजोर तरीके से चला रही थी, ने भारत के सन्मान और प्रतिष्ठा को, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्री काल में दूसरे देशों में बहुत उंची थी, को गहरा धक्का पहुंचाया। हमें अब भी याद है और हम उन दिनों को भूल नहीं सकते जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा में श्रीमती इन्दिरा गांधी के ऐतिहासिक भाषण पर उनका संयुक्त राष्ट्र की महा सभा द्वारा खड़े होकर पूरे पांच मिनट तक करतल-ध्वनि करके स्वागत किया गया था। यह वह दिन थे जब हमारी विदेश नीति उच्चतम शिखर पर थी।

मुझे विश्वास है कि जनता दल के इस बात के जोर से कहने के बावजूद कि उन्होंने भारतीय जनता को दूसरी आजादी दी है, भारतीय जनता जनता पार्टी द्वारा भारतीय सर्व-भौमिकता पर लगाये कलंक के लिये उसे क्षमा नहीं कर सकती है। 'वास्तविक गुट-निरपेक्षता' की पदावली जो श्री वाजपेयी द्वारा बनाई गई थी; के आवरण के अन्तर्गत जनता पार्टी सरकार ने भारत का अमरीका की ओर झुकाव कर दिया। गुट-निरपेक्षता की विचारधारा मूलरूप से पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित की गई थी और इसका संरक्षण, समर्थन तथा पोषण संयुक्त रूप से उनके द्वारा, मिस्र के राष्ट्रपति नासर तथा युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो द्वारा किया गया था। इन लोगों के विचार में यह कभी नहीं आया कि गुट-निरपेक्षता जाली भी हो सकती है। जनता पार्टी सरकार की विदेश नीति न तो 'गुट-निरपेक्ष' थी और न ही 'वास्तविक'। यदि हम गुट-निरपेक्षता के बारे में सोचते हैं तो यह नकारात्मक विचार के लिए नकारात्मक नाम नहीं है। इसका अर्थ तटस्थता नहीं है। गुट-निरपेक्षता निश्चित और स्वतंत्र विचार और कार्य का प्रतीक है, उदाहरण के तौर पर भारत ने अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशवाद तथा नव-उपनिवेशवाद का विरोध किया था। भारत ने उन एशियाई तथा अफ्रीकी देशों का समर्थन किया था जो विदेशी शासन की एड़ियों तले पिस रहे थे और स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिये प्रयास भी कर रहे थे। यद्यपि चीन ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था किन्तु भारत ने फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश का समर्थन किया था। सोवियत रूस हमारा महान मित्र है और उन्होंने बंगला देश युद्ध के समय के संकट में अपनी मित्रता का प्रमाण दिया। किन्तु हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने रूस के राष्ट्रपति ब्रेझनेव की एशियाई सामूहिक सुरक्षा संबंधी विचारधारा का समर्थन नहीं किया और चीन के साथ राजदूतों का आदान-प्रदान किया, हालांकि इससे रूस काफी नाराज था। अफगानिस्तान का हाल ही का उदाहरण लीजिये। जैसे ही रूस की सेना ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया, हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दृढ़ता के साथ और निर्भय होकर घोषणा की कि भारत किसी भी

देश में विदेशी सेना की उपस्थिति के विरुद्ध है। अब हमने सुना है कि अफगानिस्तान की रूसी सेना को वापस बुलाया जा रहा है। यह गुट-निरपेक्ष नीति, जिस पर हमारा देश चल रहा है, की सफलता है।

यदि हम अपने पड़ोसी देशों की ओर देखें तो जिस पहेली-सूचक ढंग से जनता सरकार ने हमारे पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार किया, उससे उनके और भारत के बीच अनावश्यक कटुता उत्पन्न हो गई थी। जनता सरकार के प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने एक वक्तव्य दिया था जिसका अर्थ यह था कि सिक्किम का भारत में विलय अनैतिक था अथवा अनुचित था। इस वक्तव्य से देश के हित को भारी नुकसान हुआ था।

भूटान ने भी, जैसे कि इससे संकेत लिया हो, घोषणा की कि वह 1947 की संधि का पुनरीक्षण करना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत वह विदेशी मामलों में भारत से परामर्श करने के लिए बाध्य है। भूटान चीन से सीधी तथा द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता था। सौभाग्यवश, भूटान नरेश जिगमें वांगचुक ने संधि का पुनरीक्षण करने की बात को अस्वीकार किया। लेकिन भूटान की इस इच्छा को, कि प्रस्तावित भूटान एयरलाईन्ज में पेरो को कलकत्ता से जोड़ा जाये को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि भूटान अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्रों का अखाड़ा बन जायेगा।

फरक्का समझौते के अन्तर्गत गंगा प्रवाह में वृद्धि करने सम्बन्धी योजना तैयार करने का काम भारत-बंगलादेश आयोग को सौंपा गया है। इस बात का रहस्योद्घाटन कि जनता पार्टी सरकार के मंत्री श्री जगजीवन राम ने नेपाल को योजना से सम्बद्ध करने सम्बन्धी पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इस प्रकार के रहस्योद्घाटन को ध्यान में रखते हुये सावधानी से काम लिया जाना चाहिये। विशेषकर इस पृष्ठ भूमि में कि नेपाल ने दो महान शक्तियों, और भारत तथा चीन द्वारा नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव किया है। यह बड़ी शक्तियों को भारत-नेपाल सम्बन्धों में हस्तक्षेप करने के लिये आमंत्रित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

हमारे पड़ोसियों की महान शक्तियों को भारत के उनके साथ सम्बन्धों में हस्तक्षेप करने के लिये आमंत्रित करने की इच्छा किसी अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र का एक भाग प्रतीत होती है। अतः हमारे देश को इस बारे में सावधान रहना चाहिये और मंत्री महोदय को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये।

दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ मूलतः दूरपूर्व में पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमरीकी नीति का हथियार मात्र प्रतीत होता था। अब ऐसा नहीं है। अब यह एक साधन के रूप में काम नहीं कर रहा है। अब यह संघ चीन के कहने पर नहीं चलता। अतः संघ द्वारा इस वर्ष क्वालालम्पुर में हो रहे अधिवेशन में इस देश को आमंत्रित करने का हम स्वागत करते हैं। हमारे विदेश मंत्री ने क्वालालम्पुर में आयोजित इस अधिवेशन में भाग लेने सम्बन्धी कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। गुट-निर्पेक्ष मंचों पर भारत द्वारा मध्यस्थ की भूमिका को ध्यान में रखते हुये, सम्भवतः दक्षिण-पूर्वी एशियाई संघ ने भारत को कम्पूचिया को मान्यता देने सम्बन्धी हमारी सरकार के रवैये को जानने के लिये ही नहीं वल्कि चीन और

वियतनाम तथा थाईलैंड के बीच हुये सशस्त्र संघर्ष से उत्पन्न संकट को शांत करने सम्बन्धी परामर्श लेने के लियें भी भारत को आमंत्रित किया गया हो ।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ इस बात को जानता है कि भारत ने कोरिया समस्या को हल करने के लियो कितनी निष्पक्षता से काम किया और इसे हल करने में सफल हुआ । अतः मेरे विचार में भारत को तीसरे विश्व के नेता के रूप में नाम चमकाने की आवश्यकता नहीं थी और उसे इसमें भाग लेना चाहिये लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका । 1977 के संसदीय चुनावों के बाद और फिर 1980 के चुनावों के बाद भारत के लोगों की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो गयी है । उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केवल एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है : इसका क्या कारण है कि अमरीका तथा भारत के बीच विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र होने पर भी पिछले तीस वर्षो से सम्बन्ध असंतोषजनक रहे हैं ? इसका उत्तर यह है कि अमरीका एक प्रजातंत्र होने के बावजूद भी प्रजातंत्र का सम्मान नहीं करता है जो इस बात से सिद्ध होता है कि वे चीन पाकिस्तान तथा बंगलादेश की सैनिक तानाशाही का समर्थन करना अधिक ठीक समझता है । इसका कारण यह है कि भारत ने प्रजातंत्र का मार्ग अपनाया है । भारत कुछ अधिकारों तथा आजादियों को कायम रख सका है जबकि अमरीका ऐसा नहीं कर सका अथवा इसे भारत के अपने विश्व हितों के अनुरूप बनाने में कठिनाई अनुभव हुई । कई देशों ने अमरीका के राजनैतिक तथा आर्थिक दबावों के सामने समर्पण किया है लेकिन भारत ने 1965 तथा 1971 की तरह सहायता बंद करने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया है । पाकिस्तान अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों तथा हितों की पूर्ति का साधन मात्र है । यही कारण है कि स्लाल समझौते से भारत और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों में कोई खास प्रगति नहीं हो पायी है । पाकिस्तान की यह मांग है कि भारत को इस बात पर सहमत हो जाना चाहिये कि प्रत्येक देश की सैनिक शक्ति कितनी हो । यह अमरीका की नीति की ही झलक मात्र है । चीन ने एक सुझाव दिया है कि भारत-चीन सीमा विवाद नियंत्रण की वास्तविक रेखा के दोनों देशों के बीच सीमा मानकर हल किया जा सकता है । यह प्रस्ताव ऐसा है जिसे न तो स्वीकार किया जा सकता है और न ही अस्वीकार किया जा सकता है । यह क्रिकेट के उस खेल की तरह है जहां एक चालक गेंदबाज एक ऐसी विशेष प्रकार की गेंद फेंकता है जिसमें आप खेले बिना ही आउट हो सकते हैं । अतः हमारे विदेश मंत्री को इस बारे में वार्ता शुरू करने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिये क्योंकि चीन हमेशा से दोहरी चालें चलता आ रहा है । यह बेहिचक अपनी बात से बदल सकता है । जब चीन आपके साथ मुस्कराते हुये वार्ता भी कर रहा हो, उस समय भी वह आपके पीछे सुरंगें बिछा सकता है ताकि आप मर जायें । अतः हमारे देश को कोई वार्ता शुरू करने से पहले सावधान रहना चाहिये । हम विदेशों में भारतीय मिशन खोलने के लिये करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं । इन दूतावासों तथा उच्चायुक्तों में कर्मचारियों की भर्ती का मामला बहुत ही चिंताजनक है । यह आरोप लगाया गया है कि विदेश मंत्रालय तथा उच्चायुक्तों के कुछ अधिकारी अपने ही रिश्तेदारों तथा परिचितों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करना चाहते हैं । कभी-कभी इस प्रकार का पक्षपात तथा भ्रष्टाचार उच्च स्तर तथा कार्यकुशलता बनाये रखने के लिये घातक सिद्ध हुआ है । हमारे राजनयिक मिशन का हर कर्मचारी, उसका पद चाहे कुछ भी हो, इस महान देश का प्रतिनिधि है । अतः विदेश मंत्री को विदेश स्थित कार्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करना चाहिये और हर पद को योग्यतम व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिये ।

हमारी प्राक्कलन समिति ने विदेशी मिशनों में हमारे कर्मचारियों के अनुचित रवैये तथा स्वागत कर्मचारियों, अधिकांशतः लड़कियों के अच्छे न दिखने वाले भारतीयों के प्रति अशिष्टतापूर्ण व्यवहार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये, चाहे वह महिला या लड़की ही क्यों न हो उन्हें यह जानने के लिये बाध्य किया जाये कि उन्हें भारत के राजकोष से वेतन मिलता है, जिसमें हर अमीर या गरीब का अंशदान है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां तक विदेश स्थित भारतीय मिशनों का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री इनकी ओर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हू।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : माननीय सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए, सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जनसंघ वाले जो 30 साल तक हम को बुरा कहते रहे, हमारी विदेश नीति को गलत बताते रहे और बड़े-बड़े आरोप लगाते रहे, नेहरू जी पर लगाए, श्री लाल बहादुर शास्त्री पर लगाए और इन्दिरा जी पर लगाए, एक मौका इनको भी मिला था, पर हमने यह देखा कि ये जो बड़ी-बड़ी बात करते थे, जनसंघ और जनता पार्टी के लोग, ये लोग सत्ता में आने के बाद भी, हमारी विदेश नीति में एक इंच भी परिवर्तन नहीं लाए और इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि एक शायर ने कहा है।

"बहुत शोर सुनते थे पहलु में दिल का,
जो चीरा तो कतरा-ए-खून भी ना निकला।"

माननीय सभापति महोदय, जहां एक ओर इन लोगों ने हमारी विदेश नीति को कायम रखने की कोशिश की, वहां जो हम लोग विदेश नीति को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ये लोग गिरावट लाए और वह किस तरह से लाए, यह मैं आप को बताना चाहता हूं। इन्होंने मोशे दायान को यहां पर हिन्दुस्तान में बुलाया है जबकि यह हमारी निश्चित नीति रही है कि हमारी अरब कन्ट्रीज के साथ दोस्ती रही है और इजराइल को हमने हमेशा मान्यता देने से इन्कार किया है। परन्तु मोशे दायान का भारत में आना, यहां के विदेश मंत्री से बात करना, यहां तक कि प्रधान मंत्री के निवास में जाकर के बात करना और क्या बात हुई उसका हिन्दुस्तान के लोगों को पता तक न लगना बहुत शर्मनाक है। न केवल यही बल्कि फ्रेंकफर्ट में साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री से मिलना और केम्प डेविस समझौते का श्री कार्टर के पत्र आने पर श्री मोरारजी देसाई द्वारा समर्थन करना यह सब हमारी विदेश नीति के लिए अहितकर था।

इस केम्प डेविस समझौते के समर्थन के साथ-साथ, सिक्किम जो कि भारत का अभिन्न अंग रहा है, उसके बारे में और देश की परमाणु नीति के बारे में श्री मोरारजी देसाई द्वारा बयान देना भी हमारी विदेश नीति पर प्रहार था। इस तरह से हम देखते हैं कि जनता पार्टी शासन में विश्व के देशों में हमारी जितनी जग हंसाई हुई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। हमारे श्री मोरारजी देसाई जी जब अमेरिका गये तो वहां अपनी यूरीन थिरेपी की बात पत्रकारों को बताते हैं और वहां पर अपनी डाक्टरी करते हैं। इससे देशवासियों का सिर शर्म से झुक गया।

माननीय सभापति महोदय, यें जनता पार्टी के लोग पिछले तीस सालों में हमारी विदेश नीति की आलोचना करते रहें हैं और इन्हीं लोगों ने हमारी विदेश नीति को कहां पहुंचा दिया था। लेकिन इस पतन के बाद, जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी फिर से शासन में आयी हैं तब से इन्होंने फिर से इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। हम आज अपनी विदेश नीति को फिर से शान के साथ अन्य देशों के सामने रख रहें हैं और अन्य देशों से बातचीत कर रहें हैं।

हमारे देश में पी० एल० ओ० के अराफत आयें, हमने हार्दिक स्वागत किया। हमने पी० एल० ओ० को मान्यता दी। इससे अरबों के साथ जो हमारा प्रेम टूट गया था वह फिर से जुड़ने लगा है। इसके साथ-साथ अफगानिस्तान के सम्बन्ध में जब दूसरे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र यह सोच रहें थे कि भारत भी उसके साथ वोटिंग करेगा तो हमारा राष्ट्र चुप रहा। बहुत से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने रूस को आक्रमणकारी बताया और रूस को अग्रसर बनाया और उन्होंने इस पर वोटिंग की लेकिन हिन्दुस्तान के चुप रहने से देशों में हमारा सिर बहुत ऊंचा हो गया। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारे लायक विदेश मंत्री ने फिर से हमारे गौरव को बढ़ाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने देखा कि आज न केवल दूसरे देश बल्कि अमेरिका तक यह मानने के लिए तैयार हैं कि हिन्दुस्तान ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से रूस की सेनाएं अफगानिस्तान से वापस की जा सकती हैं और विश्व में जो शक्तियों का बेलेंस है उसको अगर कोई बनाए रख सकता है तो वह हिन्दुस्तान बनाए रख सकता है आज इसका सारा श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है और हमारे विदेश मंत्री को जाता है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक रूस का प्रश्न है उसके बारे में हमसे पूर्व बहुत से हमारे लायक साथियों ने, विद्वान साथियों ने कहा। मैं भी उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारी कठिनाइयों के समय, चाहे वह कश्मीर का मसला हो, चाहे गोआ का मसला हो, चाहे बंगलादेश का मसला हो, चाहे पाकिस्तान का मसला हो, हर मसले पर रूस सीना ठोककर, बिना किसी हिचकिचाहट के हमारी मदद करने के लिए सामने आया। अभी कुछ लोगों ने सुपर पावर्स का सवाल उठाया। सुपर पावर्स से देश का जो भला हो सकता है उसको भी हमें सोचना पड़ेगा। यह ठीक है कि सुपर पावर से कुछ गल्तियां हो सकती हैं लेकिन उन गल्तियों के बाद भी एक बहुत बड़ी ताकत से हमें मदद मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन कारणों से हम उसका साथ छोड़ दें। यह बात सही है कि अफगानिस्तान के सम्बन्ध में हमारे स्टेण्ड की सब अगह प्रशंसा हुई है। हमने अफगानिस्तान के आर्थिक विकास, टेक्निकल विकास में हमेशा मदद की है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में रूस की फौजें बनी रहें। जैसा कि विदेश मंत्री महोदय ने बताया कि समय आने पर रूस सीमित समय के लिए, सीमित संख्या में वहां पर उपस्थित रहे लेकिन अन्त में रूस को वहां से हटना ही है। इसके लिए टेबल पर बैठ कर बात हो सकती है और इस समस्या का हल निकल सकता है। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि अगर वहां से रूस की फौजें हट जाएं तो क्या गारन्टी है कि वहां अमेरिका और पाकिस्तान नहीं आ जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, अगर इस प्रकार से देश गारन्टी देने लगें तो दुनियां में एकता, भाईचारा और विश्वास नहीं रह सकता। जहां तक हमारी विदेश नीति का ताल्लुक है वह गुट निरपेक्षता के सिद्धान्त पर आधारित है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के सिद्धान्त पर आधारित है, पंचशील के सिद्धान्तों को लेकर हम

आज भी आगे बढ़ रहे हैं और तीसरी शक्ति के रूप में हिन्दुस्तान का जो पहला दर्जा हुआ करता था उसको प्राप्त करने की हम धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं, उस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, पत्रकारों के तथा दूसरे माध्यमों से उसने हिन्दुस्तान से बात करने की आफर दी है। माननीय इंद्रजीत गुप्त ने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर दो तीन बार आक्रमण किया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत तो हमें करनी पड़ेगी, टेबल पर बैठकर, विशेषकर चीन को जब उसको हम युद्ध करके जीत नहीं सकते हैं या युद्ध करके अपनी भूमि वापिस नहीं ले सकते तो हम बातचीत का रास्ता न अपनाएं यह ठीक नहीं होगा। हमारी यह घोषित नीति है कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन चीन ने आज भी हमारी बहुत सी जमीन दबा रखी है। अब अगर वह बात करना चाहता है तो हमें बात करनी पड़ेगी। यह नहीं हो सकता है कि हम उस वक्त तक इंतजार करें जब तक हम पूरी तरह से शस्त्र सज्जित नहीं हो जाते हैं, पूरी तरह से युद्ध में अपने आपको सक्षम नहीं पाते हैं। अगर हम यह कहें कि उसी वक्त हम चीन से बात करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिये। हमारे विदेश मंत्री जो प्रयत्न कर रहे हैं इस दिशा में, उनकी मैं तारीफ करता हूं और कामना करता हूं कि उनको इसमें सफलता मिले, यश मिले।

अठारह वर्षों से हम लोग चुप बैठे हैं। चीन हमारी जमीन दबाए बैठा है। अब हम इंतजार करते रहें उस वक्त तक जब तक कि हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयारी नहीं कर लेते हैं तो इस बात को नहीं माना जा सकता है। एक बात जरूर है। दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है। हम दूध के जले हैं। हमें सब कुछ देखभाल कर अपना कदम उठाना पड़ेगा। माननीय इंद्रजीत ने इशारा किया है कि चीन ईस्टर्न बोर्डज़ पर रिबैल्ज़ को ट्रेनिंग दे रहा है, वैस्टर्न बोर्डर पर भी गड़बड़ी कराने की कोशिश कर रहा है इस वास्ते हमें उससे कहना पड़ेगा कि यह उसकी गलती है, उसको इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिये उसको दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिये, छुटपुट जो उसकी तरफ से ये घटनाएं कराई जा रही हैं, ये बन्द होनी चाहियें। वह कभी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर देता है और कभी पाकिस्नान का काश्मीर के मामले में पक्ष ले लेता है। ये जो बातें हैं ये आपको उसको साफ-साफ कहनी पड़ेगी और वह इन चीजों को न उठाए और हम बात करने के लिए उसके साथ एक बार नहीं दस बार तैयार हैं। हमको अपनी जमीन भी वापिस लेनी है। इसी पार्लियामेंट में हमने हिन्दुस्तान की जनता के साथ वादा किया है कि हम अपनी जमीन को वापिस लेंगे और इसका बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी पालिटिक्स के सभी दलों ने स्वागत किया है और सभी इस मामले में एक मत हैं। उस जमीन को वापिस लेने का एक मात्र तरीका यह है कि हम उससे टेबल पर बात करें। मैं कामना करता हूं कि हमारे विदेश मंत्री को इसमें सफलता मिले।

जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, मैं उसकी तारीफ करता हूं कि उसने हमारी आर्थिक रूप में बहुत मदद की है, उस समय की है जब हमारे यहां अनाज की कमी थी। उस समय उसने हमें अनाज दिया। जब-जब आर्थिक रूप में भारत आर्थिक संकट का शिकार हुआ उसने उसकी मदद की, इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात हुई तो उसने हमारी मदद की। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि

यह जो आर्थिक मदद है यह एक मायाजाल है और वह हमें इस जाल में लपेटना चाहता है इसमें कसना चाहता है। मैं समझता हूं कि हमें ठंडे मन से सोचना पड़ेगा। जब तक भारत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता है, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं, हमारी विदेश नीति भी बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सकती है। एक कवि ने कहा है : "क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो।" यदि ताकत न हो, शक्ति न हो, देश से मंहगाई को दूर हम न कर लें, बेरोजगारी को दूर न कर लें, इण्डस्ट्रियल और एग्रिक्लचरल प्रोडक्शन इतनी न बढ़ा लें कि हम अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़े हो जाएं तब तक दूसरे देश हम को कमजोर ही समझेंगे। इस वास्ते इन सब चीजों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। अभी तारापुर आणविक केन्द्र के वास्ते ईंधन देने का जो कार्टर की ओर से स्वीकृति आयी है, मुझ को उसमें भी कुछ गड़बड़ी लगती है। हालांकि उन्होंने हां कहा है, परन्तु जो उनका नियम है कि 60 दिन के अन्दर अमरीकी कांग्रेस उसको फिर से कहीं बहस से अस्वीकृत गलत न कर द, उसको हटा न दे और वहां की अदालत उसको अस्वीकार कर हटा न दे, कुछ समझ में नहीं आता कि इतने दिनों में हमारे मोरारजी देसाई अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर वाशिंगटन गये, अटल बिहारी जी भी गए, परन्तु वहां पर कुछ नहीं हुआ। अब इन्दिरा जी के आने के बाद एकदम कार्टर के मन में रहम, दया कैसे उमड़ पड़ी ? ईश्वर करे उनके मन में इसी प्रकार का प्रेम, सद्भाव बना रहे और हमारे विदेश मंत्री बनाये रखें। हो सकता है कि हमको इस रूप में भी कामयाबी मिलती रहे और हम आणविक रूप से भी छठी शक्ति के रूप में विश्व में आगे बढ़ सकें, यह हम कामना करते हैं।

डियागो गार्शिया के सम्बन्ध में भी हमारे बहुत से विद्वान, बुजुर्ग साथियों ने कहा कि यह सच है कि पश्चिम एशिया में और पूर्वी अफ्रीका के हिन्द महासागरीय तट के कुछ देशों को इससे खतरा होने लगा है, कुछ इसमें अड़चन आने लगी है जो अमेरिका ने वहां पर नौसैनिक अड्डे और दूसरे अड्डे स्थापित किये हैं, इससे कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि कभी ऐसा न हो कि तीसरा विश्व युद्ध एशिया की जमीन पर लड़ा जाये। अपने को बचाकर, अपने को अलग हटाकर, अपने दामन को आग से हटा कर, ऐसा न हो कि कहीं ये लोग हमारे घर में आग लगाने की कोशिश करते हों। इस बात के लिए भी हमारे विदेश मंत्री को बहुत सावधान रहना चाहिए।

इन्दिरा जी के आने के बाद बहुत–सी विदेशी ताकतें और बहुत से विदेशों के लोग यहां पर आये, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। फ्रांस के राष्ट्रपति, बंगला देश के श्री जिया उर-रहमान आस्ट्रिया के चांसलर, नेपाल नरेश, भूटान के राजा, न्येरे के राष्ट्रपति, वियतनाम के प्रधान मंत्री सोवियत संघ, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, मिस्र के विदेश मन्त्री, सोवियत संघ के उपराष्ट्रपति तथा अमेरिका, जापान, युगोस्लाविया आदि अन्य देशों के विशेष दूत हमारे यहां आये। यूनिडो के सम्मेलन के माध्यम से 30, 40 मंत्रियों सहित लगभग 2,000 विदेशी और प्रतिनिधि हमारे यहां आये। एक वातावरण हमारे देश में बन रहा है, सद्भावना का वातावरण। हमारे देश को उठाने के लिए बहार विश्व के पटल पर, विश्व के रंगमंच पर हिन्दुस्तान को खड़ा करने का एक वातावरण हमारी नेता इन्दिरा गांधी और हमारे लायक विदेश मंत्री बना रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि–

लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना अक्सर,
मर्द वो हैं, जो जमाने को बदल देते हैं।

मर्द के रूप में इन्दिरा गांधी हमको मिली हैं, मर्द के रूप में विदेश मंत्री हमें मिले हैं, इतना ही कहना चाहूंगा अपनी शुभ-कामनाएं प्रदान के शब्दों। में 6 बज रहे हैं, मैं सभापति महोदय, आपका, सदन का और दूसरे साथियों का टाइम खर्च नहीं करना चाहता। इतनी शुभ-कामनाएं मेरी हैं —

असंख्य कीर्ति रश्मियां, विकीर्ण दिव्य दाह सी,
सपूत मातृभूमि के, रुको न शूर साहसी।
अराति सैन्य सिन्धु में, सुवाडवाग्नि से जलो,
प्रवीर हो, जयी बनों, बढ़े चलो बढ़े चलो।

आधे घंटे की चर्चा के बारे में

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को पता है कि बिहार विधान सभा चुनाव परिणामों की घोषणा में हुए विलम्ब सम्बन्धी श्री इन्द्रजीत गुप्त की आधे घंटे की चर्चा कल 9 जुलाई, 1980 के लिए निश्चित कर दी गयी है। मन्त्री महोदय के अनुरोध पर, जो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, माननीय सदस्य चर्चा को 11 जुलाई, 1980 के लिए स्थगित करने के लिए सहमत हो गये हैं। अध्यक्ष ने भी अनुमति दे दी है। मुझे आशा है कि सभा भी इसे स्वीकार करेगी।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : चर्चा तदनुसार स्थगित की जायेगी।

——

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1980-81

विदेश मंत्रालय...जारी

श्री चित्त बसु (बारखाट) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने अन्य मित्रों की तरह कम्पूचिया को मान्यता देने के लिए मन्त्री महोदय को बधायी देता हूं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

18-00 बजे म० पू० ?

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 9 जुलाई, 1980/आषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———